BLIS-1

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुस्तकालय एवं समाज

BLIS-01

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुस्तकालय एवं समाज

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

- **डॉ. आर. वी. व्यास** — अध्यक्ष
  कुलपति
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **प्रो. पी. बी. मंगला, विभागाध्यक्ष** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- **प्रो. कृष्ण कुमार** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- **डॉ.दिनेश कुमार गुप्ता,**सहायक आचार्य — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **डॉ.एच.बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष** — संयोजक
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **प्रो. आर. सत्यनारायन, विभागाध्यक्ष** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
  नई दिल्ली
- **प्रो. एन. के. शर्मा, विभागाध्यक्ष** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
  कुरुक्षेत्र(हरियाणा)
- **प्रो. जी. डी. भार्गव, पूर्व विभागाध्यक्ष** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला
  विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन(म. प्र.)
- **प्रो. आर. जी. पाराशर, विभागाध्यक्ष** — सदस्य
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय
  सागर (म प्र..)

पाठ्यक्रम निर्माण दल

- **प्रो. एस. एस. अग्रवाल, पूर्व विभागाध्यक्ष**
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
- **डॉ. एस. डी. व्यास, पुस्तकालयाध्यक्ष**
  वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली
- **डॉ.एच.बी. नन्दवाना, सहआचार्य**
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
- **डॉ. एस. पी. सूद, पूर्व सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष**
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- **डॉ. एच. एन. प्रसाद, सहआचार्य**
  पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
- **डॉ. डी. के .सिंह, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष**
  वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली

सम्पादक

- **डॉ. एस. डी. व्यास, पुस्तकालयाध्यक्ष**
  वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ.)नरेश दाधीच	प्रो.(डॉ.) एम. के. घडोलिया	प्रो.योगेन्द्र गोयल
कुलपति	निदेशक(अकादमिक)	प्रभारी अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	संकाय विभाग	पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन - अगस्त 2011 ISBN No.: 978-81-8496-200-0

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि. कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफी (चक्रमुद्रण) द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

व. म. खु. वि. कोटा के लिए कुलसचिव व. म. खु. वि. कोटा(राजस्थान) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

बी.एल.आई.एस.–1

पुस्तकालय एवं समाज

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

इकाई - 1	पुस्तकालय का उद्भव,विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका	9–23
इकाई - 2	पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र	24–42
इकाई - 3	संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाईटेड किंगडम में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास	43–55
इकाई - 4	स्वतन्त्रता उत्तरोत्तर भारत में पुस्तकालय विकास	56–69
इकाई - 5	राष्ट्रीय पुस्तकालय : भारत, यूके, यूएसए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य एवं वर्णन	70–87
इकाई - 6	शैक्षणिक पुस्तकालय : भूमिका एवं कार्य	88–101
इकाई - 7	सार्वजनिक पुस्तकालय - आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य	102–116
इकाई - 8	विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र	117–131
इकाई - 9	पुस्तकालय विधान : आवश्यकता, उद्देश्य एवं कारक	132–143
इकाई - 10	सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आदर्श प्रारूप	144–155
इकाई - 11	भारत के राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम : उनकी विशेषताएँ	156–161
इकाई - 12	प्रतिलिप्याधिकर कानून एवं ग्रन्थ प्राप्ति अधिनियम	162–166
इकाई - 13	पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण-अभिधारणा, आवश्यकता और स्वरूप	167–180
इकाई - 14	उपयोगकर्ताओं का अध्ययन- अवधारणा,आवश्यकता एवं स्वरूप	181–193
इकाई - 15	पुस्तकालय संघों की भूमिका	194–210
इकाई - 16	पुस्तकालय और सूचना सेवाएँ के उन्नयन में संलग्न संगठन एवं संस्थायें	211–238
इकाई - 17	अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ- इफला,एफ़डीआई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसलिब, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन(यूके)	239–250

इकाई परिचय

इकाई 1 : यह इकाई पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका से सम्बन्धित है।

इकाई 2 : इस इकाई में पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों के महत्व उनके संदेश एवं निहितार्थों की विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई 3 : यह इकाई संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाईटेड किंगडम में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करती है।

इकाई 4 : यह इकाई भारत में पुस्तकालय विकास के अर्थ, पुस्तकालय विकास के मार्ग में बाधा एवं पुस्तकालय विकास से सम्बन्धित मुख्य घटकों की जानकारी देती है।

इकाई 5 : इस इकाई में राष्ट्रीय पुस्तकालय- भारत, यू के एवं यू एस ए के कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई 6 : इस इकाई में शैक्षणिक पुस्तकालय- विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई 7 : यह इकाई सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य पर प्रकाश डालती है।

इकाई 8: यह इकाई विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों से संबन्धित है। इसमें विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास, इतिहास, उद्देश्य, प्रकार एवं इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई 9 : इस इकाई में पुस्तकालय विधान की परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं सिद्धांत की चर्चा करते हुए भारत में पुस्तकालय विधान की स्थिति एवं पुस्तकालय विधान के लिए पुस्तकालय संघों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई -10- सार्वजनिक पुस्तकालय विधान का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत करती है। इस इकाई के अन्तर्गत पुस्तकालय विधान की आवश्यकता, महत्व एवं भारत में पुस्तकालय विधान की स्थिति की चर्चा की गयी हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय विधान का एक आदर्श प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया हैं।

इकाई -11- इस इकाई में भारत के राज्यों में पुस्तकालय विधान एवं उनकी विशेषताओं की जानकारी दी गयी है।

इकाई -12- यह इकाई प्रतिलिप्याधिकार कानून एवं ग्रन्थ प्राप्ति विधान से सम्बन्धित है।

इकाई -13- यह इकाई पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण - अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप से सम्बन्धित हैं। इसमें पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं इसके विभिन्न स्वरूपों की विस्तार से चर्चा की गयी है। पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाएं एवं इस प्रसंग से भारतीय परिदृश्य की जानकारी दी गयी है।

इकाई -14- यह इकाई उपयोगकर्ताओं का अध्ययन - अवधारणा, आवश्यकता और स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। इसमें उपयोगकर्ता अध्ययन की अवधारणा, आवश्यकता, एवं उपयोगिता की विस्तार से चर्चा की गयी हैं।

इकाई -15- यह इकाई पुस्तकालय संघों की भूमिका से सम्बन्धित है। इसमें पुस्तकालय संघ के उद्देश्य, कार्य एवं प्रकार की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की गयी है। प्रमुख पुस्तकालय संघों की चर्चा की गयी हैं।

इकाई -16- यह इकाई पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन में संलग्न संगठन एवं संस्थाओं की विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करती हैं।

इकाई -17- अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ-इफला, एफ आई डी, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन, एसलिब, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन, तथा लाइब्रेरी एसोसियेशन (यू के) के संबंध में प्रकाश डालता हैं।

इकाई- 1 : पुस्तकालय का उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका (Development of Libraries and the Role of Library in Modern Society)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. पुस्तकालय के उद्भव और विकास से परिचित होना,
2. पुस्तकालय के कार्यों और महत्व से परिचित होना,
3. आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका को जानना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय : महत्व और उपयोगिता
3. पुस्तकालय का उद्भव और विकास
4. आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा
5. पुस्तकालयों का उद्भव और विद्‌यमान होने के लिये पूर्व अपेक्षित दशायें
6. पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुकूल दशायें
7. पुस्तकालयों के विकास के मार्ग में बाधायें
8. पुस्तकालयों के विकास के कारक
9. पुस्तकालयों के प्रकार
10. पुस्तकालयों के कार्य और समाज में उनकी भूमिका
11. सारांश
12. अभ्यासार्थ प्रश्न
13. पारिभाषिक शब्दावली
14. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। आपको पुस्तकालय प्रशिक्षार्थी के रूप में पुस्तकालयों के उद्भव, विकास और आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका से परिचित होना चाहिये अन्यथा आप अपने व्यवसाय और कार्य के महत्व और उपयोगिता का सही-सही आकलन नहीं कर सकेंगे और जन साधारण को भी पुस्तकालय के महत्व और भूमिका से अवगत नहीं करवा सकेंगे।

2. पुस्तकालय : महत्व और उपयोगिता

मानव सभ्यता की कहानी से पता चलता है कि पुस्तकालय सभ्य समाज के आवश्यक अंग के रूप में सदैव विद्यमान रहे हैं। इनका उद्भव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हुआ है और इनका स्वरूप, उद्देश्य, कार्य और सेवाऐं, समाज की आवश्यकताओं दारा निर्णीत होती हैं। पुस्तकालयों ने समाज के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महती भूमिका अदा की है। संस्कृति के संरक्षण और प्रगति, औपचारिक और अनौपचारिक स्वशिक्षा, मनोरंजन आदि में पुस्तकालयों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। समय की गति के साथ ज्ञान के संचरण के महत्व में सतत वृद्धि हो रही है। पुस्तकालय ज्ञान के परिसंचरण से सम्बन्धित है। पुस्तकालय को इस प्रसंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है क्योंकि ज्ञान अधिक जटिल होता चला जा रहा है और ज्ञान संचरण के साधन भी अधिक जटिलता प्राप्त कर रहे हैं।

पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है जो निरन्तर समाज कल्याण में रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यह ज्ञान के प्रसारण, विद्वता की प्रगति और शिक्षा तथा अनुसंधान की वृद्धि की संस्था है। भारतवर्ष में विद्या दान की बड़ी महिमा है। हमारे पूर्वजों ने इसको सब दानों से श्रेष्ठ दान माना है। पुस्तकालय वास्तव में विद्या के भण्डार हैं। जन पुस्तकालयों को 'लोक विश्वविद्यालयों' की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वार प्रत्येक व्यक्ति के लिये सदैव खुले रहते हैं और उसकी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। यह जन साधारण को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते है। कोई भी व्यक्ति किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु वह पुस्तकालय का सदस्य बनकर जीवन पर्यन्त अपना ज्ञान संवर्द्धन अवश्य कर सकता है। किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में एक सीमित संख्या में विद्यार्थी होते हैं जो कुछ सीमित समय तक वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु एक पुस्तकालय में न तो सीमित उपयोगकर्ता होते हैं और न अध्ययन की कोई सीमित अवधि होती है। एक जन पुस्तकालय में बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ तक की वृद्ध व्यक्ति भी स्वशिक्षा के लिये प्रवेश कर सकते हैं। पुस्तकालय में, एक शैक्षणिक संस्था के समान शिक्षकों की भी आवश्यकता नहीं होती है।

पुस्तकालय द्वारा जन साधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। इनके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर आधुनिकतम सूचना और पाठ्य सामग्री प्राप्त होती है। जनतंत्र में पुस्तकालय जन साधारण को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत रखते हूँ। पुस्तकालयों में संग्रहित पाठ्यसामग्री का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रगति में भागीदारी कर सकता है। पुस्तकालयों द्वारा राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग तथा सद्भावना में वृद्धि होती है। पुस्तकालय मानवता की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा तक सुरक्षित रखते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय एक पवित्र एवं कार्यशील संस्था हैं। महान भारतीय विधि निर्माता मनु ने कहा है:

'अज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य पथ पर। अग्रसित करना - इस प्रकार के दान के समान कुछ भी नहीं है। यहाँ तक की सम्पूर्ण विश्व भी दे देना इसकी समता नहीं कर सकता।'

किसी देश, राष्ट्र और समाज की संस्कृति, सभ्यता, बौद्धिक उपलब्धियों और समग्र प्रगति की जानकारी उसके पुस्तकालयों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकालय के महत्व को न्यून नहीं किया जा सकता। पुस्तकालयों को देश की आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संरचना में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये।

3. पुस्तकालय का उद्भव और विकास

पुस्तकालय, मानव सभ्यता के विकास के आरम्भ से ही किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं। पहले इनको ग्रन्थों के भण्डारगृह के रूप में मान्यता प्राप्त थी और इनका मुख्य कार्य ग्रन्थों को परिरक्षण करना था। ग्रन्थालयी को ग्रन्थों का संरक्षक माना जाता था और वह ग्रन्थों के उपयोग करने को प्रोत्साहित नहीं करता आ। वह उपयोगकर्ताओं से अलग- अलग रहता था। पुस्तकालय अभिलेखागार की भांति हुआ करते थे।

मध्य युग में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा 'ग्रंथालय' शब्द की व्याख्या उस स्थान के रूप में की गई "जहाँ पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिये रखी जाती हैं।" उन्नीसवीं शताब्दी तक भी पुस्तकालय को 'एक भवन, अथवा कक्षों के समूह के रूप में जाना जाता था। जहाँ जन साधारण अथवा उसके एक अंश अथवा समाज के सदस्यों के उपयोगार्थ, पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। यह एक जन संस्था अथवा संस्थापन था जिसका कार्य पुस्तकों का संग्रह और संरक्षण करना था।' इन परिभाषाओं में पुस्तकों के संग्रहण और संरक्षण पर बल दिया गया है और मानवीय पक्ष की भूमिका की जो उसके उपयोग को प्रोत्साहित करे, कि अवहेलना की गई है।

अब पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवा की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। अब पुस्तकालयों में रखी पाठ्य सामग्री के उपयोग पर बल दिया जाने लगा हैं। आधुनिक पुस्तकालय को एक जनसेवा की संस्था माना जाता है। आधुनिक ग्रन्थालयी का कर्तव्य पुस्तकालय के स्रोतों और सेवाओं का अधिकतम प्रभावशाली और सक्षम उपयोग करवाना है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में पिछली कुछ दशाब्दियों में अत्यधिक विकास हुआ है। भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के जनक रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय "एक जन संस्था अथवा संस्थापन है जिसको पुस्तकों की सुरक्षा और संग्रहण का कार्य सौंपा गया है, उसका कर्तव्य उनको, उन व्यक्तियों को सुलभ करना है जो उनका उपयोग करना चाहते हैं और उसका कार्य अपने पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय आने का अभ्यस्त और पुस्तकों के अध्येता के रूप में परिवर्तित करना है।"[1] अतः पुस्तकालय एक जनसंस्था है जिससे प्रत्येक संभावित पाठक को वास्तविक पाठक में परिवर्तित करने की अपेक्षा की जाती है। वस्तुतः यह एक आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा है।

4. आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा

एक आधुनिक पुस्तकालय को सेवा-संस्थान माना जाता है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय स्रोतों और सेवाओं का उपयोगकर्ताओं द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली उपयोग करवाना है। यहाँ पाठ्य सामग्री 'संरक्षण' का पक्ष 'गौण' गया है और 'उपयोग' का पक्ष प्रबल हो गया है।

आज हम सूचना-युग में रह रहे हैं। सूचना आज के जटिल आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ज्ञान की प्रगति में इसका प्रमाणिक योगदान है। शोध द्वारा समस्याओं का निराकरण खोजा जाता है। समस्याओं के निराकरण के लिये सूचना की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय विकास का कोई भी कार्यक्रम उपयुक्त सूचना के अभाव में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। 'ज्ञान' को 'शक्ति' माना जाता है। अब 'सूचना' को 'शक्ति' मानना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। पुस्तकालय केवल भूत, वर्तमान, भावी ज्ञान के भण्डारण ही नहीं हैं अपितु सूचना-निर्दिष्ट हो गये हैं। अब ये अधिक से अधिक सूचना सेवा केन्द्र हो रहे हैं जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। एक शोधकर्ता को स्वयं को अद्यतन रखने के लिये और अपने विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भली भांति सूचित होने के लिये 'सूचना' की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के प्रबंधक को उचित निर्णय लेने के लिये पर्याप्त सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार एक नियोजक को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं का निर्माण करने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

परम्परागत पुस्तकालयों में पाठ्य-सामग्री के रूप में पाण्डुलिपियाँ, पुस्तकें और आवधिक प्रकाशन (पत्र-पत्रिकाओं) का संग्रह किया जाता था। आधुनिक पुस्तकालय इस प्रकार की सामग्री के अतिरिक्त स्लाईड्स, चित्र, ऑडियो-कैसेट्स, वीडियो- कैसेट्स, मानचित्र, ग्रामोफोन रिकार्डस, टेप रिकार्डस सीडी रोम और अणु-स्वरूप सामग्री का भी अर्जन और संग्रहण करते हैं। अत: 'पुस्तकों' का स्थान 'ग्रन्थ' अथवा 'प्रलेख' एवं सूचना ने ले लिया है।

5. पुस्तकालयों के उद्भव और विद्यमान होने के लिये पूर्व अपेक्षित दशायें

पुस्तकालयों के विद्यमान होने के लिये कुछ पूर्व अपेक्षित दशायें हैं जो निम्नानुसार हैं:

(1) साहित्य का अभिलेखित स्वरूप में विद्यमान होना और अभिलेखित होना;

(2) विद्यमान अभिलेखित साहित्य उस गुणवत्ता का होना चाहिये जिसको संरक्षित किया जा सके;

(3) जन साधारण का साक्षर होना;

(4) अभिलेखित साहित्य को व्यक्तिगत अभिधारण से परे जाने के विचार की स्वीकृति; और

(5) पुस्तकालयों की स्थापना और अनुरक्षण करके अपने स्रोतों को समुदाय द्वारा उपयोग करने की सहमति।

इसमें से अन्तिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी देश अथवा समाज में पुस्तकालयों के विकास के लिये निम्नांकित दो नितान्त आवश्यक पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें हैं:

1. सब प्रकार की उत्तम श्रेणी की सस्ती पुस्तकों का द्रुत गति से प्रकाशन; और
2. ज्ञान में प्रजातन्त्र के प्रति सामाजिक जागृति का विकास।

6. पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुकूल दशायें

वस्तुत: पुस्तकालयों के उद्भव और विकास की कहानी, समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रतिउत्तरित करती है। पुस्तकालयों ने समाज की आवश्यकताओं को प्रतिउत्तरित किया है। अनुभव दर्शाता है कि अनेक दशायें जो हमारे समाज के विकास को प्रभावित करती हैं, पुस्तकालयों के विकास को भी प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसी दशायें है जो पुस्तकालयों के अनुकूल हैं। इन दशाओं के अन्तर्गत पुस्तकालय पल्लवित होते हैं। जे. के. गेट्स के अनुसार ये दशायें निम्नानुसार है:

1. RANGANATHAN (SR) : Reference Services and Bibliography. VI. P25

1. ऐसे राजनैतिक और सामाजिक परिपक्वतापूर्ण समाजों में जो ज्ञान के निकाय को संरक्षित, परिसंचरित और विस्तृतीकरण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हैं, पुस्तकालय पल्लवित होते है।
2. सापेक्ष, शान्ति और सद्भावना की अवधि जिसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रिया-कलापों के नियोजन का समय प्राप्त होता है।
3. जब व्यक्तियों के पास अवकाश का समय और 'ललित कलाओं को उगाने और अपने ज्ञान के सामान्य भण्डार को सुधारने' दोनों के साधन हों।
4. बौद्धिक सृजनात्मक और पाण्डियतापूर्ण क्रिया-कलापों की समयावधियों में जब विशाल और विभिन्नतापूर्ण पाठ्य- सामग्री के संग्रह की आवश्यकता, अध्ययन और अनुसंधान के लिये पड़ती है।
5. जब आत्मोन्नति और भलीभांति सूचित नागरिकत्व पर वृहद सामाजिक बल दिया जाता हो।
6. विद्वता की पुनर्जागृति के दौरान जो ग्राफिक सामग्री के एकत्रीकरण और उन तक पहुँच के चारों ओर केन्द्रित और आश्रित होती है।
7. जब संस्थागत स्थायित्व और अवधि की सुरक्षा, स्थायित्व और सत्ता प्रदान करती है।
8. जनसंख्या एकत्रीकरण के क्षेत्र और विशेष रूप से नगरीय पर्यावरण में जो नेतृत्व, पुस्तकालयों को आर्थिक साधन और उनके उपयोग के लिये सांस्कृतिक और बौद्धिक रूचि के लिये प्रोत्साहन प्रदान कर सके।
9. जब आर्थिक सम्पन्नता, पर्याप्त व्यक्तिगत और समष्टिगत सम्पदा प्रदान करती है और जनहित के लिये दान की प्रवृति प्रोत्साहित होती है।

10. उन अवधियों में जब, जैसा कुछ पिछली दशाब्दियों में हुआ है, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय शक्ति और स्तर को उपयोगितावादी मूल्य के सूचना और ज्ञान के विस्तृत प्रसारण पर आश्रित माना जाता है।"[2]

उपरोक्त सूची में वर्णित दशायें भारत में किसी सीमा तक विद्‌यमान नहीं है। अत: कहा जा सकता है कि पुस्तकालयों के विकास के लिये अनुकूल दशायें उपलब्ध नहीं हैं।

7. भारत में पुस्तकालयों के विकास के मार्ग में बाधायें

वस्तुत: भारत में पुस्तकालयों के विकास में अनेक बाधायें हैं जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं :

1. **निरक्षरता:** निरक्षरता उन्मूलन की दिशा में राजकीय स्तर पर सक्रिय एवं सतत प्रयास किये जा रहे हें किन्तु जन पुस्तकालयों को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में यहाँ यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जन पुस्तकालयों के अभाव में आज साक्षर बनाये गये व्यक्ति कल पुन: निरक्षरता के अंधकार रूपी गर्त में डूब जायेंगे। इसलिये साक्षरता कार्यक्रमों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को नकारा नही जाना चाहिये।

2. **सीमित आर्थिक साधन:** भारत एक निर्धन देश है। धन के अभाव में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करना कठिन है। सरकार का ध्यान भी जनसाधारण की तीन प्राथमिक आवश्यकतायें - रोटी, कपड़ा और मकान पर केन्द्रित रहता है।

3. **पुस्तकों, विशेष रूप से वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का अभाव:** भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का नितान्त अभाव है। यह अभाव विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। वैसे अब यह स्थिति बदल रही है।

4. **जनसंख्या का बिखराव:** भारत की 70 प्रतिशत जनता सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे ग्रामों और पुरबों में निवास करती है। इन छोटे-छोटे ग्रामों और पुरबों में संतोषजनक पुस्तकालय सेवा केवल चल पुस्तकालयों द्‌वारा प्रदान की जा सकती है जो काफी व्ययसाध्य कार्य है।

5. **लिखने पढ़ने की परम्परागत रूढ़िवादी विधि:** पढ़ने लिखने के प्रति जनतंत्रात्मक भावना का विकास नहीं हो सका है। 'ग्रन्थ और ज्ञान सर्वार्थ हैं' इस भावना का विकास नहीं हो सका है। जनसाधारण इसके प्रति उदासीन है।

6. **स्त्रियों की सामाजिक स्थिति:** भारत में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चार-दीवारी माना जाता है। अत: यह माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में लगभग आधी जनता के लिये ग्रन्थों और पुस्तकालयों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यद्‌यपि अब इस विचारधारा में भी परिवर्तन हो रहा है।

2. GATES (Jean Key): Introduction to Librarianship. p.92-93

7. **अभिप्रेरणा का अभाव:** किसी भी जन-कल्याण के कार्य के प्रति लोगों में कोई विशेष रूचि नहीं है। अत: पुस्तकालय विकास को भी कोई बल प्राप्त नहीं हो सका है।

8. **पुस्तकालय चेतना का अभाव:** हमारे देश में नई-नई पुस्तकों को पढ़ने के चाव का नितान्त अभाव है। अत: जनता पुस्तकालय अभाव को अनुभव नहीं करती और उनकी स्थापना के लिये कोई सक्रिय प्रयास भी नहीं करती है।

9. **सरकारी पहल तथा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव:** हमारी राज्य सरकारें इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पहल के प्रति उत्सुक नहीं हैं। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात भी केवल कुछ ही राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो सके है और वह भी संतोषजनक नहीं है।

अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। यद्यपि भारत में पुस्तकालयों का विकास मंद गति से हुआ है। भारत में राजनैतिक दृष्टि से पुस्तकालयों के विकास को निम्न प्राथमिकता दी गई है। इसका कारण यह है कि भारत एक निर्धन देश है और बेरोजगारी और मुद्रा-स्फीति आदि समस्याओं से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार इन समस्याओं को हल करने को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का दायित्व है। अत: पुस्तकालय भी इसी परिधि में आते हैं। भारत के कई राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके है जहाँ पुस्तकालय विकास तीव्र गति से हो रहा है। जन पुस्तकालय विकास के लिये पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है। भारत में जन पुस्तकालयों के लिये धन प्रदान करने वाले व्यक्तियों का भी अभाव ही रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस दृष्टि से एण्ड्रयू कॉरनेगी का नाम सर्वप्रथम आता है। भारत को भी एक कॉरनेगी जैसे पुस्तकालय प्रेमी लोकोपकारी व्यक्ति की पुस्तकालय विकास के लिये तीव्र आवश्यकता है। सम्भवत: भारतीय पुस्तकालय व्यवसाय ने समाज के नेताओं, उद्योगपतियों और जनहितैषियों का समर्थन प्राप्त करने के लिये पर्याप्त और सक्रिय प्रयास भी नहीं किये हैं। अत: ग्रन्थालयियों और पुस्तकालय प्रेमियों को इसके लिये आगे आना होगा। उनको 'पुस्तकालय-मित्रों' का सुदृढ़ समूह निर्मित करना होगा जो पुस्तकालयों की स्थापना के लिये अनुकूल जनमत तैयार कर सकें। यह कार्य पुस्तकालय संघों द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर करना होगा।

8. पुस्तकालयों के विकास के कारक

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पुस्तकालय विकास के निम्नांकित कारक हैं:

1. समाज की राजनैतिक और सामाजिक स्थिरता;
2. उच्च जीवन स्तर;
3. साक्षरता की उच्च दर;
4. भली- भांति संस्थापित पुस्तक व्यवसाय;
5. नगरीय जनता का बड़े समूहों में निवास;
6. स्थानीय और राष्ट्रीय परम्परायें;
7. प्रतिष्ठित नागरिकों का प्रभाव; तथा
8. राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों से प्रोत्साहन।

पुस्तकालयों के विकास में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दशायें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। भारत जैसे देश में जनता सभी कार्यों को करने के लिये सरकार की ओर से पहल और समर्थन की अभिलाषी रहती है।

9. पुस्तकालयों के प्रकार

आधुनिक समाज में पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। उनके मुख्य प्रकार निम्नानुसार है:

1. जन पुस्तकालय
2. शैक्षणिक पुस्तकालय (विद्यालयीन, महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय)
3. विशिष्ट और शोध पुस्तकालय
4. राष्ट्रीय और राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय

9.1. जन पुस्तकालय (Public Libraries)

जन पुस्तकालय जनोपयोग की संस्था है। वैसे तो इनका अस्तित्व पुस्तकालय के अस्तित्व से ही जुड़ा है। परन्तु जन पुस्तकालय अवधारणा का वास्तविक विकास जनतंत्र के साथ हु आ और 'ग्रन्थ और सर्वार्थ' की संकल्पना के साथ ज्ञानार्जन में भी जनतंत्र का युग आरम्भ हु आ। जन पुस्तकालय की परिभाषा बी. एस. रसल ने इस प्रकार की, "जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिये, जन साधारण द्वारा, जन संस्थायें हैं। यह समस्त नागरिकों के लिये निःशुल्क संस्थायें हैं।" एल.आर.मकॉल्विन ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक "Chance to read" में जन पुस्तकालयों के पाँच आधारभूत सिद्धांतों को निम्नानुसार अंकित किया है:

1. जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के प्रावधान का उत्तरदायित्व उपयुक्त जम शासकीय प्राधिकरण का है न कि किन्हीं निजी तथा वर्गीय समूहों का;
2. इनको इन्हीं प्राधिकरणों द्वारा प्रशासित और वित्त प्रदान किया जाना चाहिये;
3. इन पुस्तकालयों की सेवायें उक्त समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिये;
4. जहाँ तक संभव हो सके उक्त पुस्तकालयों को उक्त समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करना चाहिये;
5. यह पुस्तकालय केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं अपितु बौद्धिक दृष्टि से भी स्वतन्त्र होने चाहिये अर्थात इनको निष्पक्ष होना चाहिये और इनको सभी को पूर्ण, निर्बाध और बिना किसी भेद भाव के पाठ्य-सामग्री के उपयोग का समान अवसर प्रदान करना चाहिये।[4]

एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेद-भाव के (लिंग, धर्म, रंग एवं जाति) निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। भारतवर्ष में वैसे तो नाम के अनेक जन पुस्तकालय हैं परन्तु वे वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं हैं क्योंकि उनमें उपरोक्त प्रभेदी विशेषताओं का सर्वथा अभाव है। हमारे देश के अधिकांश जन पुस्तकालय अभिदान (चन्दा) पुस्तकालय हैं। वे केवल इसी अर्थ में जन पुस्तकालय हैं कि जन साधारण उनका

उपयोग कर सकते हैं परन्तु शुल्क देकर। हमारे देश के जन पुस्तकालय संसार के अन्य प्रगतिशील देशों जैसे संयुक्त राज्य अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन आदि से अभी लगभग एक शताब्दी पीछे हैं। यदि हमें अपने देश की सर्वतोन्मुखी प्रतिभा को विकसित करना है तो शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा राजनैतिक जागरण के इस युग में जन पुस्तकालयों के गठन तथा संचालन के लिये सक्रिय प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे अर्थों में जन पुस्तकालय तथा पुस्तकालय तन्त्र (Library System) की स्थापना केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करके ही की जा सकती है। एक जन पुस्तकालय में जन साधारण, छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, व्यापारी, श्रमिक, गृहणियाँ, अवकाश-प्राप्त व्यक्ति और नवसाक्षर आदि सभी आते हैं और उसको उन सबकी अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिये।

9.2. शैक्षणिक पुस्तकालय (Academic Libraries)

विद्यालयीन पुस्तकालय: छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तम्भ है। इसी प्रकार विद्यालयीन पुस्तकालय सम्पूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तम्भ है। एक विद्यालयीन पुस्तकालय में परम्परागत पाठ्य-सामग्री पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त टेप रिकार्डर्स, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन रिकार्डस, फिल्म्स आदि का भी संकलन होना चाहिये। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त श्रव्व-दृश्य सामग्री विद्यालयीन पुस्तकालय का अंतरंग भाग होना चाहिये। हमारे देश में विद्यालयीन पुस्तकालयों की दशा संतोषजनक नहीं है और वह सर्वथा उपेक्षित है।

महाविद्यालयीन पुस्तकालय: महाविद्यालयीन पुस्तकालय भी मुख्यत: छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और महाविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका अदा करतें हैं। भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का विकास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों से हुआ है। फिर भी अभी काफी कुछ करने को शेष है।

विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय: शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय होते हैं। यह विश्वविद्यालय- व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है और इसको विद्वानों ने 'विश्वविद्यालय के हृदय' के संज्ञा दी है। महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में आकार के अतिरिक्त एक मुख्य अंतर उसका शोध कार्य पर बल देना है।

9.3. विशिष्ट और शोध पुस्तकालय (Special and Research Library)

एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। के.जी.बी. ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है, "एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी अथवा किसी व्यावसायिक या अनुसंधान के कर्मचारी और सदस्य।

3. RUSSELL (BS): Libraries in the life of Nation.1943
4. Mc COLVIN(LR):Chance to Read: Public Libraries of the world.1966

ऐसा पुस्तकालय आवश्यक रूप से सूचना से सम्बन्धित होता है।

एक सामान्य और विशिष्ट पुस्तकालय में मुख्य-मुख्य अन्तर निम्नानुसार हैं:

1. एक सामान्य पुस्तकालय में मुख्यत: पुस्तकें तथा सामयिक प्रकाशनों (Periodical Publications) का संग्रह किया जाता है जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य-सामग्री के रूप में मुख्यत: सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक (Standards), पेटेन्ट्स (Patents), विनिर्देश (Specifications), सारांश (Abstracts) तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। ऐसे पुस्तकालयों में शैक्षणिक पुस्तकालयों की अपेक्षाकृत ग्रंथों की संख्या कम होती है।

2. सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों मे प्रदत सेवा की प्रकृति मे अन्तर होता है। सामान्य पुस्तकालयों मे ग्रन्थ अर्थात पाठ्य-सामग्री प्रदान की जाती है जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में 'सूचना' प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त दो आधारभूत भिन्नताओं के कारण सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालयों में ग्रन्थों तथा सामयिक प्रकाशनों का व्यवस्थापन ग्रन्थाधारों (Racks) पर किया जाता है जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना के व्यवस्थापन के लिये विशेष प्रकार के ऊर्ध्वाकार केबीनेट (Vertical File cabinets), नस्तियों (Files) तथा सन्दूकों आदि की आवश्यकता पड़ती है। सूचना को वर्गीकृत करने के लिये विशेष प्रकार के सूक्ष्म वर्गीकरण (Depth Classification) की आवश्यकता पड़ती है। सूचीकरण का स्थान अनुक्रमणीकरण (indexing) द्वारा ले लिया जाता है। सन्दर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवायें जैसे सामयिक अभिग्यता सेवा (Current Awareness service=CAS),सूचना का चयनात्मक प्रसारण (Selecting dissemination of information=SDI) आदि प्रदान करनी पड़ती है। पाठकों की सहायतार्थ अनुवाद सेवा तथा सारांशीकरण सेवा (Abstracting services) आदि को भी अपनाना पड़ता है।

4. विशिष्ट पुस्तकालयों में:

(क) संस्थापित विचारों से कहीं अधिक नवजात विचारों (Nascent thought) पर;

(ख) वृहद (Macro) ग्रन्थों से कहीं अधिक अणु (Micro) ग्रन्थों पर; तथा

(ग) सामान्य (Generalist) पाठक से कहीं अधिक विशिष्ट (Specialist) पाठक पर बल दिया जाता है।

एक विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितृ निकाय की सेवार्थ अस्तित्व में आता है। इसका उद्देश्य अपने पितृ निकाय के क्रिया कलापों में सहयोगी बनना है और उनको गति प्रदान करना है।

9.4. राष्ट्रीय और राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (National and State Central Library)

एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय तन्त्र के शीर्ष पर स्थित होता है। किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थ संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिये प्रतिबद्ध रहता है। जी. चेन्डलर के अनुसार, "जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की

सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिये संस्थापित किये जाते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिये किया जाता है।

भारत एक विशाल देश है जो अनेक राज्यों में बंटा हुआ है। किसी सीमा तक जो स्थिति राष्ट्रीय पुस्तकालय की किसी राष्ट्र में होती है, वही स्थिति किसी राज्य में वहाँ के राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय की होती है।

10. पुस्तकालयों के कार्य और आधुनिक समाज में उनकी भूमिका

सामान्यत: पुस्तकालयों के कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) मानवता की साहित्यिक और बोद्धिक उपलब्धियों को भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सदैव सर्वदा को सुरक्षित रखना।

(ii) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका।

(iii) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना।

(iv) अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना।

(v) आजीवन स्वशिक्षा के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करना।

(vi) प्रजातन्त्र की सफलता और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि करने के लिये कार्य करना।

(vii) सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करना।

5. BAKEWELL(KGB): Special Library(in manual of library economy)
6. CHANDLER(G): Library of the modern world. 1965

(viii) नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के।

(ix) इसका उपयोग जोर जबरदस्ती से नहीं स्वेच्छा से हैं।

(i) **साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण:** आधुनिक समय में मुख्यतः: राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और अन्य विशाल पुस्तकालय इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। पुस्तकालय, संस्कृति धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं। समाज को पुस्तकालय के इस कार्य समझना और मान्यता प्रदान करनी चाहिये जिससे किसी भी दृष्टि से पुस्तकालयों का महत्व न्यून न हो सके।

(ii) **औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका:** शैक्षणिक पुस्तकालयों का आधारभूत कार्य औपचारिक शिक्षा में सक्रिय भागीदार करना है। विद्यालयीन, महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय पाठ्य-ग्रन्थों और सहायक ग्रन्थों का विशाल संग्रह निर्मित करके औपचारिक शिक्षा को गति प्रदान करते हैं। किसी सीमा तक जन पुस्तकालय भी इस कार्य को सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा सन् 1988 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. कम सुविधा प्राप्त वर्ग को भी अधिक सुविधा प्राप्त वर्ग के साथ खड़ा किया जाये। इसके लिये प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालय स्थापित किये जा रहे है।
2. संस्थाओं को अधिक एकरूपता प्रदान की जाये जिससे नौकरशाही का क्षेत्र सीमित हो सके और पारम्परिक भारतीय मूल्य को सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। इसके लिये राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या का विकास किया जा रहा है। इसमें समकालीन भारतीय राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित पाठों को सम्मिलित किया जायेगा।
3. शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके जिससे प्रत्येक छात्र को विचारशील नागरिक बनाया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 'बालक-निर्दिष्ट' शिक्षण का प्रस्ताव है जिससे उसको सीखने के लिये अभिप्रेरित किया जा सके। परीक्षा प्रणाली में भी सुधार का प्रस्ताव है।
4. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक शिक्षा शत प्रतिशत हो सके, इसके लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस शताब्दी के अन्त तक 15-35 वर्ष की आयु समूह में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक पुस्तकालय व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाया जायेगा तब तक इस प्रकार की नीति पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगी।

पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा में महती सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साधन सम्पन्न क्यों न हो आजीवन किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि शिक्षा एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है जिसका एकमात्र सशक्त माध्यम पुस्तकालय है।

(iii) **व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास:** पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तिगत उन्नति के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है।

(iv) **अवकाश के समय का सदुपयोग:** पुस्तकालयों द्वारा जन साधारण को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। इनके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर आधुनिकतम सूचना और पाठ्य- सामग्री प्राप्त होती है। पश्चिम के देशों में 18वीं शताब्दी के अन्त में ऐसे अनेक पुस्तकालय स्थापित किये गये जो अल्प शुल्क लेकर जनता को हल्का-फुल्का साहित्य उपलब्ध कराते थे। भारत में भी अनेक ऐसे पुस्तकालय स्थापित किये गये और आज भी कार्यरत हैं। आधुनिक जन पुस्तकालयों का भी एक महत्वपूर्ण कार्य जन साधारण को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना माना जाता है।

(v) **आजीवन स्वशिक्षा का सशक्त माध्यम:** पुस्तकालय जन साधारण को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेन्जामिन फ्रेंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी शताब्दी के आरम्भ में 'समाज ग्रन्थालय' स्थापित करने का आन्दोलन चलाया गया जो किसी व्यक्ति को स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते थे। यदि समाज का कोई सदस्य

आत्मोन्नति के लिये स्वशिक्षा का अभिलाषी है तो उसके लिये पुस्तकालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है।

(vi) **प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि:** प्रजातंत्र की सफलता एक बड़ी सीमा तक भली प्रकार सूचित नागरिकत्व पर निर्भर करती है। जन पुस्तकालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जन साधारण को भली-भांति सूचित रखते हैं जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन कर सकें। पुस्तकालयों द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सद्भावना और सहयोग की वृद्धि होती है। यूनेस्को ने कहा है बिना सार्वजनिक पुस्तकालयों के सहयोग के कोई भी सही प्रजातन्त्र समाज में सफल नहीं हो सकता है और न ही बिना शारीरिक एवं मानसिक स्वतन्त्रता के।

(vii) **सामाजिक परिवर्तन:** भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने और जन साधारण की अभिलाषाओं को पूर्ण करना उद्देश्य बनाया गया है। अत: इसका उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो सके। पुस्तकालय इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में जन साधारण की अभिलाषाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सबको निःशुल्क ग्रन्थ और सूचना प्रदान करता है। अत: एक जन पुस्तकालय उपयुक्त ग्रन्थ और सूचना प्रदान करके किन्हीं समूह विशेषों के भेद-भावपूर्ण व्यवहार का प्रतिरोध करने के लिये जन साधारण के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। एक जन पुस्तकालय शिक्षा की समानता प्रदान कर समाज की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उसके द्वारा राजनैतिक और सामाजिक चेतना प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार पुस्तकालय सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होता है।

11. सारांश

पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है। वह किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम का अंतरंग अंग हैं। एक जन पुस्तकालय निरन्तर समाज-कल्याण में रत रहते हुए बिना किसी भेद-भाव के सभी को नि: शुल्क ज्ञान वितरित करता है और मानवता की साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों को आगामी पीढ़ियों के उपयोगार्थ हेतु सदैव सर्वदा को सुरक्षित रखता है। पहिले पुस्तकालयों का मुख्य कार्य ग्रन्थों का परिरक्षण माना जाता था। अब उनके परिरक्षण के साथ उपयोग को अधिकाधिक गति देना माना जाता है। पुस्तकालयों के उद्भव और विद्यमान होने के लिये कुछ पूर्व अपेक्षित और अनुकूल दशायें हैं। भारत में शनै:-शनै: उन दशाओं का निर्माण हो रहा है। इस पुनीत कार्य में सरकार और जनता को बढ़ कर आगे आना चाहिये।

पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं जैसे -जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट तथा शोध पुस्तकालय और राष्ट्रीय एवं राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय आदि। समाज निर्माण में इनकी अपनी महती भूमिका है। आधुनिक पुस्तकालय एक जटिल संस्था है और उसका कार्य तथा भूमिका समाज को नितान्त उपयोगी हैं।

12. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 'पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है।' इस कथन की समीक्षा करते हुए बताइये कि पुस्तकालय किस प्रकार समाज की बौद्धिक मांगों को पूरा करते हैं।

2. आधुनिक पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये और पुस्तकालयों का उद्भव और विद्यमान होने के लिये पूर्व अपेक्षित दशाओं का वर्णन कीजिये।

3. भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में क्या बाधायें हैं? पुस्तकालय विकास के कारकों का वर्णन कीजिये।

4. पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए, उनके कार्यों और समाज में उनकी भूमिका का वर्णन किजिये।

13. पारिभाषिक शब्दावली

1. **अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education):** ऐसी शिक्षा से तात्पर्य है जो किसी शिक्षण संस्था में शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त न की जाकर स्वयं अन्य किसी सार्वजनिक माध्यम से प्राप्त की जाती है।

2. **अणु ग्रन्थ (Micro documents):** ऐसे प्रलेख जो आकार में छोटे होते हैं जैसे पत्र-पत्रिकाओं में लेख, पेटेन्ट्स, मानक (standard), शोध प्रतिवेदन आदि।

3. **औपचारिक शिक्षा (Formal Education):** वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति दारा शिक्षकों के माध्यम से किसी शिक्षण संस्था से प्राप्त की जाती है।

4. **पुस्तकालय तन्त्र (Library System):** एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें विभिन्न पुस्तकालय अलग-अलग न होकर परस्पर सम्बद्ध होते हैं।

5. **पाण्डुलिपियाँ (Manuscripts):** हस्तलिखित ग्रन्थ।

6. **विशिष्ट पाठक (Specialist Reader):** ऐसा पाठक जो किसी विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ होता है और अपने विषय पर समग्र पाठ्य-सामग्री का अभिलाषी होता है।

7. **वृहद ग्रन्थ (Macro Document):** विशाल ग्रन्थ जैसे पुस्तक आदि।

8. **सामान्य पाठक (Generalist Reader):** जो किसी एक विशिष्ट विषय का विशेषज्ञ नहीं होता और कई विषयों पर सामान्य पाठ्य-सामग्री का अभिलाषी होता है।

14. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय और समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994
2. Carnovsky, L and Martin, L, Ed: Library in the Community.
3. Gerard, D:Libraries in Society.
4. Krishan kumar : Library Organisation.
5. McColvin, L.R. : Chance to Read: Public Libraries of the World.
6. Ranganathan, S.R. : Library manual.

7. शर्मा, पाण्डेय सूरतकांत, पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995.
8. White, C: Base of Mordern Librarianship.

इकाई- 2: पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्र (Five Laws of Library Science)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों के महत्व से परिचित होना,
2. पुस्तकालय के पंच सूत्रों को जानना और उनके संदेश एवं निहितार्थों को समझना,
3. पुस्तकालय सेवा के नियोजन, संचालन एवं प्रबन्धन में इन सूत्रों की भूमिका को समझना,
4. आवश्यकता पड़ने पर इन पंच सूत्रों को प्रायोज्य करके समस्याओं का समाधान करना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पंच सूत्र (Five Laws)
   - 2.1. प्रथम सूत्र: ग्रन्थ उपयोगार्थ हैं (Book are for use)
   - 2.2 द्वितीय सूत्र: ग्रन्थ सर्वार्थ हैं/प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो (Book are for all/Every Reader his/her book)
   - 2.3 तृतीय सूत्र: प्रत्येक ग्रन्थ को उसको उपयुक्त पाठक प्राप्त हो (Every Book its Reader)
   - 2.4 चतुर्थ सूत्र : पाठक का समय बचाओ (Save the time of Reader)
   - 2.5 पंचम सूत्र : पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है (Library is a Growing Organisation)
3. सारांश
4. अभ्यासार्थ प्रश्न
5. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ-सूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों में पंच संक्षिप्त आधारभूत कथन समाविष्ट हैं। इनमें निहित विचारो की स्पष्टता और दंभगता वास्तव में उल्लेखनीय है। वैसे यह कथन अत्यंत सरल दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु वास्तव में अत्यंत जटिल हैं। ये- पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के शिक्षण के लिये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये पुस्तकालय के आधारभूत सूत्र हैं जो पुस्तकालय विज्ञान के सैद्धान्तिक पक्ष को एकीकृत करने के लिये युक्तिपूर्वक कथन प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से हम स्वयंसिद्ध सिद्धान्त (Postulates), उपसूत्र (Canons) और सिद्धान्तों की निष्पत्ति कर सकते हैं जो पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रायोज्य होते हैं। ये सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शिक्षण के लिये भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं

और पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के क्रियान्वयन में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार सैद्धान्तिक और क्रियात्मक पक्ष के विकास में भी इनका प्रभाव रहा है। ये सूत्र भविष्य में भी प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत रहेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक शिक्षक, छात्र और ग्रन्थालयी को इनके निहितार्थों पर विचार करना चाहिये।

2. पंच सूत्र (Five Laws)

पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों का प्रतिपादन भारत में पुस्तकालय आन्दोलन के जनक शियाली रामामृत रंगनाथन ने किया। रंगनाथन एक सर्वोत्कृष्ट पुस्तकालय वैज्ञानिक थे। आपने पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि को प्रायोज्य किया और इस उद्देश्य के लिये उन्होनें आदर्शक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिनको सूत्र (Laws), उपसूत्र (Canons) और सिद्धान्तों (Principles) का नाम दिया है।

आपने सूत्र, उपसूत्र और सिद्धान्त नामक शब्दों का उपयोग एक विशेष सन्दर्भ में किया है:

(i) **सूत्र (laws):** मुख्य वर्ग के सन्दर्भ में जैसे अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और पुस्तकालय विज्ञान आदि।

(ii) **उपसूत्र (Canons):** मुख्य वर्ग के विभाजन के प्रथम क्रम में जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण आदि

(iii) **सिद्धान्त (Principles):** मुख्य वर्ग के विभाजन के द्वितीय क्रम तथा बाद के क्रमों में जैसे वर्गीकरण में मुख अनुक्रम (Facet Sequence)

रंगनाथन ने सन् 1924 में ही पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों की पकड़ कर ली थी। परन्तु उनका अभिव्यक्तिकरण 1928 में हो सका। सन् 1931 में "Five Laws of Library Science" के नाम से उनका प्रकाशन हुआ। यह एक वरेण्य ग्रन्थ (classic) है जो पंच सूत्रों और उनके निहितार्थों को विस्तार से वर्णित करता है। यह सूत्र पुस्तकालय विज्ञान को वैज्ञानिक अभिगम प्रदान करते हैं। कालान्तर में रंगनाथन ने इन सूत्रों को अपनी समस्त रचनाओं में प्रायोज्य किया और यह पुस्तकालय विज्ञान रूपी विशाल भवन के पाँच स्तम्भ बन गये जिन पर वह प्रस्थापित है। ये पंच सूत्र पुस्तकालय विज्ञान की आधारशिला हैं और पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय व्यवसाय की किसी भी समस्या के निराकरण हेतु प्रायोज्य हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इनमें भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त पुस्तकालय व्यवहार सन्निहित हैं। नवागत व्यवहारों के लिये भी यह सदैव प्रायोज्य हैं। ये सूत्र निम्नानुसार है:

1. ग्रन्थ उपयोगार्थ हैं (Book are for use)
2. ग्रन्थ सर्वार्थ हैं/अथवा प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो (Books are for all/or Every Reader his/her book)
3. प्रत्येक ग्रन्थ को उसको उपयुक्त पाठक प्राप्त हो (Every Book its Reader)
4. पाठक का समय बचाओ (Save the time of the Reader)

5. पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है (Library is a Growing Organisation)

टिप्पणी : वर्तमान प्रसंग में अंग्रेजी के शब्द "book" के स्थान पर "document" शब्द का उपयोग अधिक समीचीन होगा क्योंकि यह विस्तृत भाव का द्योतक है। पॉलिन ए. अथर्टन ने इन पंच सूत्रों का समालोचात्मक परीक्षण अपने सुविख्यात ग्रन्थ "Putting Knowledge to Work" में किया है।

2.1. प्रथम सूत्र : ग्रन्थ उपयोगार्थ हैं (Books are for Use)

पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र एक अत्यंत सरल कथन है जो स्वस्पष्ट है और सभी लोग इससे सहमत होंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की राय में भी "किसी पुस्तकालय का महत्व पाठ्य-सामग्री के उपयोग विस्तार से न कि ग्रन्थों की भ्रामिक (Staggering) संख्या से निर्णीत होता है।"[1] व्यवहार में इस सूत्र की प्राचीन काल में और मध्यकाल में पूर्णत: उपेक्षा होती रही थी, पुस्तकालयों को ग्रन्थों का भण्डार गृह माना जाता था और ग्रन्थालयी का प्रमुख कार्य ग्रन्थों का 'परिरक्षण' होता था। वह ग्रन्थों का उपयोग करने के लिये जनसाधारण को तनिक भी प्रोत्साहित नहीं करता था। दूसरे शब्दों में ग्रन्थों के 'उपयोग' का पक्ष 'गौण' और 'सुरक्षा' का पक्ष 'प्रबल' होता था। इसका मुख्य कारण ग्रन्थों का मूल्यवान, अलभ्य (rare) तथा अप्राप्य होना था। मुद्रण के आविष्कार से उपरोक्त स्थिति समाप्त हो गई और ग्रन्थ मूल्यवान, अलभ्य और अप्राप्य नहीं रहे। अब अनेक प्रगतिशील और विकसित देशों में पुस्तकालय सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। परन्तु कहीं-कहीं अभी भी पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज निःशुल्क जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करना राज्य और सरकार का आवश्यक कार्य माना जाता है। आधुनिक पुस्तकालय ग्रन्थों का अर्जन, प्रस्तुतीकरण (Processing) आदि उनके उपयोगार्थ हेतु प्रस्तुत करते हैं। पुस्तकालयों में अबाध प्रवेश्य प्रणाली (Open Access System) अपनायी जाने लगी है। ग्रन्थ पाठकों के घर भेजे जाते हैं। चल पुस्तकालय सेवा संचालित की जाती है। आधुनिक पुस्तकालय का दायित्व प्रत्येक सम्भाव्य पाठक को वास्तविक पाठक और पुस्तकालय आने का अभ्यस्त जान है।

प्रथम सूत्र ने पुस्तकालय से सम्बन्धित निम्नांकित बातों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है और उनमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है:

1. पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण (Location) और निर्माण;
2. पुस्तकालय कार्यकाल (Library Hours)
3. पुस्तकालय उपस्कर और साज-सज्जा (Furniture and Equipments)

1. TAGORE (RN): Function of a Library (Address as Chairman, Reception Committee, All India Library held at Calcutta in 1938).

4. पुस्तकालय के नियम-विनियम (Rules-regulation)
5. पुस्तकालय कर्मचारीगण (Staff)
6. ग्रन्थ चयन (Book Selection)

7. निधानी व्यवस्थापन (Shelf Arrangement) और उच्च द्वार प्रणाली (Open Access System)
8. संदर्भ सेवा (Reference Service)
9. अनुरक्षण कार्य (Maintenance Work)

1. **पुस्तकालय भवन का स्थान निर्धारण (Location) और निर्माण सामान्यत:** यह मान्यता है कि पुस्तकालय भवन का निर्माण शान्त तथा निरापद स्थान पर होना चहिये। इससे पुस्तकालय में शान्त वातावरण की स्थापना होगी, केवल अध्ययनशील, विद्यानुरागी व्यक्ति ही पुस्तकालय में आयेंगे और पाठ्य-सामग्री सुरक्षित रहेगी। परन्तु प्रथम सूत्र अर्थात ग्रन्थों के उपयोग की दृष्टि से यह विचार भ्रामक तथा त्रुटिपूर्ण है। यदि ग्रन्थों का अधिकाधिक उपयोग वांछित है तो जन पुस्तकालय भवन निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहाँ जनसाधारण सुविधापूर्वक पहुँच सके अथवा अन्य पाठक आवश्यक कार्यवश वहाँ जाते ही हों उदाहरणार्थ आवश्यक सामग्री खरीद-फरोख्त करने। इसी प्रकार विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों को केन्द्रित स्थान पर, जो विभिन्न अध्ययनशालाओं और छात्रावासों से सुविधापूर्वक जुड़ा हो, अवस्थित करना चाहिये। विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन पुस्तकालयों और विशिष्ट पुस्तकालयों में दूरी की कोई विशेष समस्या नहीं है।

पुस्तकालय भवन कार्यशील (functional) होना चाहिये। वह भली प्रकार नियोजित और आकर्षक होना चाहिये और सरलता से उपयोगकर्ताओं की पहुँच में होना चाहिये। उसका बाह्य और आन्तरिक स्वरूप आकर्षक एवं वायु तथा प्रकाश का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये। पुस्तकालय भवन में पूर्ण तथा सुखकर वातावरण निर्मित होना चाहिये। उसमें समस्त विभागों के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये। एक विशाल जन पुस्तकालय में व्याख्यान कक्ष और अध्ययन परिमण्डलों के लिये स्थान होना चाहिये और विश्वविद्यालयीन और महाविद्यालयीन पुस्तकालयों में शोध अध्येताओं को अध्ययन प्रकोष्ठों की व्यवस्था होनी चाहिये। उचित हो यदि पुस्तकालय भवन वातानुकूलित (Air conditioned) करवा लिया जाये। पुस्तकालय की तुलना, बैठक कक्ष (drawing room) से की जाती है। जिस प्रकार किसी घर में सर्वोत्तम और सबसे सुन्दर कक्ष, बैठक कक्ष होता है, किसी नगर, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय में वही स्थान पुस्तकालय का है।

2. **पुस्तकालय कार्यकाल (Library hours)** : यदि पुस्तकालय-पाठ्य-सामग्री का अधिकतम उपयोग करवाना है तो पुस्तकालय को अधिक से अधिक दिनों और समय तक खोलना पड़ेगा। यदि सम्भव हो तो वर्ष में 365 दिन प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पुस्तकालय खुला रखना चाहिये। ऐसी स्थिति में ही उपयोगकर्ता सुविधापूर्वक पुस्तकालय सेवाओं का भरपूर उपयोग कर सकेंगे। मध्यकालीन युग में पुस्तकालयों को कभी-कभी साफ-सफाई करने को खोला जाता था। कुछ पुस्तकालय कुछ सीमित दिनों में कुछ घन्टों के लिये खुलते थे और वह समय भी पाठकों को सुविधाजनक नहीं होता था। निःसंदेह इस प्रकार प्रथम सूत्र की अवहेलना की जाती रही। अब इस विचारधारा में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। देश-विदेश में आज अनेक पुस्तकालय प्राधिकरण जो प्रथम सूत्र में आस्था रखते हैं अपने पुस्तकालयों को

प्रतिदिन रविवार तथा अन्य अवकाशों सहित प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रखते हैं। अनेक विश्वविद्यालयीन और महाविद्यालयीन पुस्तकालय तो रात्रि में 11 बजे तक खुले रहते हैं। युनिवर्सिटी कॉलेज, लन्दन का पुस्तकालय पाठकों के लिये चौबीसों घंटे खुला रहता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पुस्तकालय उस समय अवश्य खुला रहना चाहिये जब उपयोगकर्ताओं के पास खाली समय हो। जन पुस्तकालय सायं और रात्रि के समय अवश्य खुले रहना चाहिये। दूसरी ओर शैक्षणिक पुस्तकालयों को कक्षा लगने के बाद खुला रखना चाहिये। परीक्षाओं से कुछ दिन पूर्व उनका कार्यकाल बढ़ा देना चाहिये।

3. **पुस्तकालय उपस्कर (Furniture) तथा साजसज्जा (Equipments**): उपस्कर तथा साज-सज्जा उपयोगी, आरामदेह और आकर्षक होना चाहिये और इसमें भारतीय मानक संस्थान के मानकों का पालन करना चाहिये। पुस्तकें रखने की अलमारियाँ (Book Shelves) केवल इतनी ही ऊँची होनी चाहिये जहाँ उपयोगकर्ताओं के हाथ सरलता से पहुँच सके। मेज- कुर्सियाँ आरामदेह होनी चाहिये। प्राकृतिक प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। भण्डार कक्ष में पाठकों के चलने- फिरने के लिये पर्याप्त चौड़े रास्ते होने चाहिये। यदि उपरोक्त सुविधायें प्राप्त होंगी तो ही पाठ्य-सामग्री के उपयोग को पर्याप्त गति प्राप्त होगी तथा पाठक पुस्तकालय की ओर आकर्षित होंगे।

4. **पुस्तकालय के नियम-विनिमय**: पुस्तकालय नियम इस प्रकार होने चाहिये जो ग्रन्थों को अधिकाधिक उपयोग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिये।

5. **पुस्तकालय कर्मचारीगण**: पुस्तकालय प्राधिकारियों की मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य के लिये अनुपयुक्त हो, पुस्तकालय का संचालन कर सकता है। उनका दृष्टिकोण पुस्तकालय। पाठ्य-सामग्री का उपयोग करवाने के बजाय संरक्षण करना होता था। अब इस मान्यता को प्रथम सूत्र में आस्था रखने के फलस्वरूप त्याग दिया गया है। किसी भी पुस्तकालय की सफलता तथा उसमें संग्रहित पाठ्य-सामग्री का उपयोग काफी सीमा तक उसमें कार्यरत प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। आज ग्रन्थालयीनता (Librarianship) एक जटिल व्यवसाय है। अत: पुस्तकालय कर्मचारियों को भली भांति शिक्षित, प्रशिक्षित, विद्वान, परिश्रमी तथा ग्रन्थानुरागी होना चाहिये। उनको कुशल प्रशासक, विनम्र तथा जनप्रेमी भी होना आवश्यक है। ग्रन्थालयीनता की ओर श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये उनको यथोचित वेतन मान तथा सामाजिक स्तर प्रदान करना चाहिये। पुस्तकालय कर्मचारियों को पाठकों के साथ मित्रवत् व्यवहार करते हुए दार्शनिक और मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वहन करना चाहिये। कर्मचारियों को सेवा भावी और मृदुभाषी होना चाहिये।

6. **ग्रन्थ चयन**: मध्यकालीन पुस्तकालयों में ग्रन्थ चयन का कार्य उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर करने के बजाय कुछ सीमित लोगों की इच्छानुसार किया जाता था। यदि प्रथम सूत्र को संतुष्ट करना है तो ग्रन्थ चयन वर्तमान और संभावित उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर करना चाहिये। ग्रन्थ पाठक उपयोगी, सरल, आकर्षक और सुन्दर होने चाहिये जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। एक महाविद्यालयीन पुस्तकालय में पाठ्य ग्रन्थों का पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छा संकलन होना

चाहिये और विद्‌यालयीन पुस्तकालय में बड़े टाइप मुद्रण में छपे सचित्र ग्रन्थों का चयन करना चाहिये।

7. **निधानी व्यवस्थापन और उन्मुक्त द्‌वार प्रणाली (Open Access):** निधानी व्यवस्थापन के द्‌वारा भी पुस्तकालय पाठ्‌य-सामग्री के उपयोग को गति प्रदान की जा सकती है। ग्रन्थों का व्यवस्थापन, पुस्तकों में वर्णित विषयों के आधार पर होना चाहिये। क्योंकि अधिकांश पाठक ग्रन्थों की मांग विषयानुसार ही करते हैं। आधुनिक पुस्तकालयों में उच्च द्‌वार प्रणाली अपनाकर पाठकों को ग्रन्थ चुनने में अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है, इस प्रकार ग्रन्थों के उपयोग में बढ़ोतरी होती है।

8. **सन्दर्भ सेवा: सन्दर्भ सेवा पाठकों को पाठ्‌य**-सामग्री को चुनने में व्यक्तिगत सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें 'मानवीय स्पर्श' निहित होता है जिसके द्‌वारा ग्रन्थों के उपयोग को गति प्रदान की जा सकती है। सन्दर्भ सेवा के द्‌वारा 'उपयुक्त पुस्तक और उपयुक्त पाठक का उपयुक्त समय पर सम्पर्क स्थापित किया जाता है।' उचित और सक्षम सन्दर्भ सेवा के अभाव में अधिकांश पुस्तकालय सन्दर्भ स्रोत बिना उपयोग किये ही पड़े रह सकते हैं। अत: ग्रन्थों को उपयोग करवाने की दृष्टि से सन्दर्भ सेवा की भूमिका को न्यून नहीं किया जा सकता है।

9. **अनुरक्षण कार्य**: प्रथम सूत्र को संतुष्ट करने के लिये ग्रन्थों के अनुरक्षण कार्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अत: पुस्तकों की झाड़-पोंछ हमेशा होती रहना चाहिये। पुस्तकालय में साफ-सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। पुस्तकें देखने में सदैव आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिये। उनकी जिल्दबन्दी निरंतर कराते रहना चाहिये। धूल भरी, कटी- फटी और बेडौल पुस्तकें पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकती है। जीर्ण-शीर्ण और गतिविधि पुस्तकों को अलग निकाल देना चाहिये। पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिये उनकी ताजगी बनाये रखना आवश्यक है। अत: उनकी जिल्दबन्दी एवं मरम्मत होती रहनी चाहिये।

पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाने के लिये उनको कई अनुक्रमों (Sequence) जैसे सन्दर्भ अनुक्रम, पाठ्‌य-पुस्तक अनुक्रम, अप्रवेश्य अनुक्रम आदि में व्यवस्थित करना चाहिये। इससे उपयोगकर्ताओं के लिये पुस्तकों का उपयोग सुविधाजनक हो जाता है। इन अनुक्रमों तथा संग्रहों को समय के अन्तराल से नवीनता लाने के लिये पुनर्गठित किया जा सकता है। पुस्तकालय में विशेष रूप से भण्डार कक्ष में पर्याप्त संदर्शिकायों की व्यवस्था होनी चाहिये। सामान्यतः: भारतीय पुस्तकालयों में प्रतिवर्ष भण्डार सत्यापन की प्रथा है और उस समय पुस्तकालय जन उपयोग को बन्द कर दिया जाता है जो उचित नहीं है। भण्डार सत्यापन कार्य को इस प्रकार संगठित करना चाहिये जिससे पुस्तकालय सेवायें बिना किसी असुविधा के चलती रहें।

पुस्तकालयों में विशेष रूप से अबाध प्रवेश प्रणाली वाले पुस्तकालयों में पाठकों दारा पुस्तकों का क्रम बिगड़ता रहता है जिसको नियमित रूप से ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

2.2. द्वितीय सूत्र ग्रन्थ सर्वार्थ हैं (Books are for all) अथवा प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो (Every Reader his/her Book)

जिस प्रकार पूर्व में 'ग्रन्थों को सुरक्षार्थ' समझा जाता था उसी प्रकार 'उनको कुछ चुनिन्दा लोगों को' समझा जाता था। प्रजातन्त्र युग के आगमन के साथ ग्रन्थों और पुस्तकालयों के उपयोग में भी प्रजातान्त्रिक भावना का उदय हुआ। द्वितीय सूत्र के लिये 'सभी' को अर्थ वास्तव में 'सभी' है अर्थात केवल वही नहीं जो पढ़ना चाहते हैं, केवल वही नहीं जो पढ़ सकते हैं, केवल वही नहीं जो पुस्तकालय में आ सकते हैं अपितु 'सभी' में वास्तव में 'सभी' सम्मिलित हैं। केवल विद्यानुरागी ही नहीं अपितु नर-नारी, धनी, निर्धन, दृष्टिहीन, स्वस्थ, अस्पताल में भर्ती रोगी, नवसाक्षर, बाल, वृद्ध, पण्डित, अल्पमति, कैदी, कारीगर, मजदूर, डाकू, नाविक, अधिकारी, अपंग आदि सबके लिये ग्रन्थ हैं।

यहाँ अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सबको समान रूप से पुस्तकें कैसे उपलब्ध करवाई जायें? यह कार्य सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारियों और पाठकों के सम्मिलित प्रयासों तथा सहयोग से ही सम्भव है। अत: द्वितीय सूत्र इन चारों के अलग- अलग कर्तव्य (obligation) निर्धारित करता है। यही द्वितीय सूत्र के निहितार्थ (Implications) हैं।

अब हम इनके कर्तव्यों पर विस्तार से अलग- अलग विचार करेंगे।

2.2.1 सरकार के कर्तव्य

द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करने के लिये सरकार को पुस्तकालयों के लिये:

1. वित्त की व्यवस्था करना चाहिये;
2. सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Public Library Act) पारित करना चाहिये; और
3. पुस्तकालय समन्वयकरण (Coordination) अथवा पुस्तकालयों में तालमेल स्थापित करना चाहिये।

वित्त की व्यवस्था (Finance): आज यह भली- भांति स्वीकार कर लिया गया है कि जन पुस्तकालय सेवा नि: शुल्क होना चाहिये। पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। वित्त की व्यवस्था निम्नांकित तरीकों से की जा सकती है:

अ. पुस्तकालय पूर्ण रूप से लोकनिधि (Public Fund) से संस्थापित, संचालित और संपालित हों;

ब. पुस्तकालय अधिभार (Library cess) लगाकर; और

स. उपरोक्त दोनों के सम्मिलित प्रयास से।

दूसरे तरीके के अन्तर्गत सरकार अधिनियम पारित करके स्थानीय प्राधिकरणों (जैसे नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद आदि) को सम्पत्ति कर पर पुस्तकालय उपकर लगाने का अधिकार देती है। तीसरे तरीके में इस उपकर से जो राशि वसूल होती है, सामान्यत: उसी के समकक्ष राशि राज्य सरकार पुस्तकालयों को अनुदान के रूप में देती है। उपरोक्त तीनों तरीकों के अपने- अपने गुण-दोष हैं। रंगनाथन तीसरे तरीके को अधिक प्रभावकारी मानते थे। प्रणाली कोई भी हो, जन पुस्तकालयों को पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना सरकार का

कर्तव्य है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्याप्त धनराशि के अभाव में न वांछित पाठ्य-सामग्री खरीदी जा सकती है, न ही भवन निर्माण हो सकता है, न उपस्कर साज-सज्जा की व्यवस्था हो सकती है और न निपुण कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकती है। प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध करने के लिये पर्याप्त धन जुटाने की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है।

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम (Public Library Act) : सरकार का कर्तव्य है कि जन पुस्तकालयों के संतुलित और स्वस्थ विकास के लिये पुस्तकालय अधिनियम पारित करे। विकसित देशों के पुस्तकालय इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों का विकास व्यवस्थित रूप से हुआ और पुस्तकालय सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अधिक से अधिक पाठकों को पुस्तकालय सेवा प्राप्त होने लगी। निम्नलिखित तत्व पुस्तकालय अधिनियम पारित करने पर बल देते हैं:

1. पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन तथा अनुरक्षण किन्हीं व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा सरकार की दया पर निर्भर नहीं रहता है।
2. पुस्तकालयों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था हो जाती है।
3. प्रत्येक स्तर पर अधिकार तथा कर्तव्य निश्चित कर दिये जाते हैं और कोई अस्पष्टता नहीं रहती।
4. समस्त राज्य में संतुलित पुस्तकालय सेवा स्थापित करके, पुस्तकालय तंत्र (Library system) का गठन करना संभव होता है। जिसमें समस्त जन पुस्तकालय अलग-अलग न रहकर परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं।
5. पुस्तकालयों में समन्वय (Coordination) स्थापित किया जा सकता है।

पुस्तकालय समन्वयकरण (Library Coordination): द्वितीय सूत्र की पूर्ण संतुष्टि के लिये राज्य का कर्तव्य है कि पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की जाये अर्थात सम्बद्ध पुस्तकालयों का एक जाल पूरे देश में बिछाया जाये न कि पुस्तकालय अलग-अलग रहें। 'प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ मिल सके' से तात्पर्य है ग्रन्थ देश-विदेश में कहीं भी उपलब्ध हो, सम्बन्धित पाठक को प्राप्त होना चाहिये। इसके लिये प्रत्येक पुस्तकालय को अन्य पुस्तकालयों से अन्तरग्रन्थालयीन आदान (Inter-Library loan) पर ग्रन्थ प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिये।

पुस्तकालय समन्वयकरण के द्वारा अधिकाधिक पाठकों को ग्रन्थ उपलब्ध करवाये जा सकते हैं और देश में उपलब्ध साहित्य का अधिकतम उपयोग हो सकता है। पुस्तकालय समन्वयकरण का दायित्व सरकार का है।

2.2.2 पुस्तकालय प्राधिकरण (Library Authority) के कर्तव्य

द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के निम्नानुसार तीन कर्तव्य निश्चित करता है:

1. ग्रन्थ चयन
2. कर्मचारियों का चयन
3. अबाध प्रवेश्य प्रणाली

ग्रन्थ चयन: ग्रन्थ चयन पाठकों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुकूल होना चाहिये। ग्रन्थ चयन का महत्व सीमित आर्थिक साधनों के कारण और अधिक बढ़ जाता है। इस दृष्टि से उपयुक्त ग्रन्थों के चयन के लिये उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (User survey) करना उचित है। ग्रन्थ चयनकर्ता को विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रन्थ चयन करना चाहिये। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक दृष्टि से निर्बल पक्ष का ध्यान सदैव रखना चाहिये। इसी प्रकार रोगी, मानसिक रूप से रोगी, दृष्टिहीन, बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नवसाक्षर, अल्पसंख्यक आदि सभी के उपयोगार्थ ग्रन्थों का चयन करना चाहिये।

कर्मचारियों का चयन: किसी भी पुस्तकालय का सफल और सक्षम संचालन उसके प्रशिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर करता है। पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि पर्याप्त संख्या में सुयोग्य, परिश्रमी, सेवा भावी एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का चयन करें।

अबाध प्रवेश्य प्रणाली (Open Access System) : अबाध प्रवेश्य प्रणाली में पुस्तक और पाठक के मध्य कोई व्यवधान नहीं होता और पुस्तकालय सीमा के भीतर वह पुस्तकालय का उपयोग उसी प्रकार से कर सकता है जैसे अपने निजी ग्रन्थ-संग्रह का कर सकता है। इस प्रणाली में उसको उसका वांछित ग्रन्थ प्राप्त करने की सम्भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। परन्तु अबाध प्रवेश्य प्रणाली में ग्रन्थों के चोरी हो जाने, कट-फट जाने और उनका व्यवस्थापन नष्ट-भ्रष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है। द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिये पुस्तकालय प्राधिकरण को यह हानि सहन करने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

2.2.3 पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य

द्वितीय सूत्र में पुस्तकालय कर्मचारियों की महती भूमिका है। पुस्तकालय कर्मचारियों को अपने पाठकों की अध्ययन आवश्यकताओं और उपलब्ध पुस्तकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये। उनको पाठकों की सहायता के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये। हम उनके प्रमुख कर्तव्यों को निम्नानुसार शीर्षकबद्ध कर सकते हैं:

1. निधानी व्यवस्थापन
2. सूचीकरण
3. सन्दर्भ सेवा
4. अनुरक्षण कार्य

निधानी व्यवस्थापन: ग्रन्थों का व्यवस्थापन सक्षम वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत क्रम में होना चाहिये। यही क्रम पाठकों के लिये सहायक सिद्ध होता है और उनको अपना वांछित ग्रन्थ प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

सूचीकरण: पुस्तकालय सूची, पुस्तकालय का दर्पण है। वह 'ज्ञान की कुंजी' अथवा 'नेत्रों' के समान है। पुस्तकालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि सक्षम सूची की संरचना करें। सूची में किसी ग्रन्थ को कई शीर्षकों के अन्तर्गत प्रदर्शित करें। उसको सदैव अद्यतन रखें। ग्रन्थों में निहित अन्तर्वस्तु पाठकों की दृष्टि में लाना भी आवश्यक है अन्यथा पाठकों को उनकी अभीष्ट पाठ्य-सामग्री प्राप्त न हो सकेगी।

सन्दर्भ सेवा: सक्षम और प्रभावशाली संदर्भ सेवा प्रदान करना पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है। सन्दर्भ सेवा के द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त पाठक का, उपयुक्त ग्रन्थ से उपयुक्त समय पर सम्पर्क स्थापित करवाया जाता है। इसके लिये सन्दर्भ ग्रन्थालयी को पाठक समुदाय और ग्रन्थों की अपेक्षित जानकारी होना चाहिये। पुस्तकालय कर्मचारी का कर्तव्य पाठक की मांग पर ही केवल ग्रन्थ प्रदान करना नहीं है अपितु उसको अपना वांछित ग्रन्थ खोजने में हर संभव सहायता प्रदान करना है।

अनुरक्षण कार्य: द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिये यह आवश्यक है कि ग्रन्थों का अनुरक्षण कार्य संतोषजनक ढंग से किया जाये। अबाध प्रवेश्य प्रणाली वाले पुस्तकालयों में, उपयोगकर्ताओं द्वारा ग्रन्थों का व्यवस्थापन बिगाड़ता रहता है। अत: पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व है कि उसको सतत रूप से ठीक करते रहें। जिन पुस्तकों की जिल्दबन्दी की आवश्यकता है उनकी तत्काल जिल्दबन्दी करवायें। यदि उपरोक्त बिन्दुओं पर समुचित ध्यान दिया जाये तो प्रत्येक पाठक को उसके अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त होने की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है।

2.2.4 पाठकों के कर्तव्य

द्वितीय सूत्र की पूर्ण संतुष्टि के लिये पाठकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। उनको समझना चाहिये कि नियमों-विनियमों का निर्माण उनके हित में किया गया है और उनको उनका पालन करना चाहिये। पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है और पाठक को पुस्तकालय पाठ्य-सामग्री को उपयोग करने का समान अधिकार है। ग्रन्थों को निर्धारित समय पर वापिस करना चाहिये। उनका विन्यसन नष्ट-भ्रष्ट नहीं करना चाहिये और उनको छुपाना नहीं चाहिये। पुस्तकालय पाठ्य-सामग्री की सुरक्षा करना चाहिये और विशेषाधिकारों की माँग नहीं करना चाहिये। यदि पाठकों द्वारा उपरोक्त सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो द्वितीय सूत्र को संतुष्ट करना कठिन हो जायेगा।

2.3. तृतीय सूत्र : प्रत्येक ग्रन्थ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो (Every Books its Reader)

इस सूत्र के द्वारा 'ग्रन्थ' पर बल दिया गया है जबकि द्वितीय सूत्र द्वारा 'पाठक' पर बल दिया गया है। अत: यह द्वितीय सूत्र का पूरक है वैसे दोनों के सहज परिणाम समान हैं। यह सूत्र पाठ्य-सामग्री के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। रंगनाथन के शब्दों में ग्रन्थ की भवितव्यता (Destiny) पाठक के हाथ में है।'[2] एक अनुपयोग (unused) पड़ा ग्रन्थ, ग्रन्थालयी के सिर पर अभिशाप के समान है। पुस्तकें मूक हैं। वे अपने बारे में स्वयं नहीं बता सकतीं है। यहाँ एक विशेष तत्व यह भी है कि जिन पुस्तकों के बारे में पाठकों को जानकारी है उन तक तो वह पहुँच सकते हैं। परन्तु जिन पुस्तकों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उन तक पहुँचने के लिये कुछ उपाय आवश्यक है। अत: आधुनिक पुस्तकालयों में तृतीय सूत्र को संतुष्ट करने और पुस्तकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कुछ युक्तियों को अपनाया जाता है जो निम्नानुसार

1. ग्रन्थ चयन

2. आनुवर्गिक विन्यसन
3. ग्रन्थों तक पहुँच और अबाध प्रवेश्य प्रणाली
4. सूची
5. सन्दर्भ सेवा
6. लोकप्रिय विभाग
7. विस्तरण सेवायें
8. पुस्तकालय प्रचार

1. **ग्रन्थ चयन (Book Selection) :** प्रत्येक ग्रन्थ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो अथवा समस्त ग्रन्थों को उनके अध्येता प्राप्त हो जाये' नामक सूत्र को उपयुक्त ग्रन्थ चयन द्वारा बहुत सीमा तक संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसा केवल

2. RANGANATHAN (SR): Library Manual. 1966. p31.

उन ग्रन्थों को चुनकर जिनके उपयोग होने की सम्भावना हो, किया जा सकता है। यदि ग्रन्थ चयन पाठकों की रुचि और आवश्यकता पर आधारित होगा तो समस्त ग्रन्थों को पाठक उपलब्ध हो जायेंगे। तृतीय सूत्र केवल उन ग्रन्थों को क्रय करने की सलाह देता है जिनको अधिकांश पाठकों द्वारा पढ़ने की सम्भावना हो। ऐसे ग्रन्थ जिनकी मांग कुछ ही पाठकों द्वारा हो, क्रय करने की बजाय अन्तराग्रन्थालयीन आदान पर मंगा लेना उचित होगा।

2. **आनुवर्गिक विन्यसन (Classified Arrangement):** यदि ग्रन्थों का विन्यसन, ग्रन्थों के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर किया जाये तो अधिकांश ग्रन्थों को पाठक मिलने की प्रबल सम्भावना हो जाती है। आनुवर्गिक विन्यसन इसी प्रकार का विन्यसन होता है। सामान्यत: पाठक अपनी आवश्यकता अथवा रुचि को व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं। वे उसको अधिक विस्तृत अथवा संकुचित भाव में व्यक्त करते हैं। यदि पुस्तकालय में सहायक और तर्कसंगत आनुवर्गिक विन्यसन है तो पाठक को अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार ग्रन्थों तक पहुँचने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी।

समय-समय पर निधानी विन्यसन में परिवर्तन करके भी पाठकों तथा ग्रन्थों में सम्पर्क स्थापित हो जाने की काफी सम्भावना रहती है। इसी प्रकार नवागत ग्रन्थों को कुछ दिनों तक अलग से प्रदर्शित करने पर उनको शीघ्रातिशीघ्र पाठक मिल जाने की सम्भावना रहती है।

3. **अबाध प्रवेश्य प्रणाली (Open Access System) :** यदि ग्रन्थों तक पाठकों की पहुँच को सरल और सुगम बनाया जा सके तो प्रत्येक ग्रन्थ को पाठक मिल जाने की अधिक सम्भावना रहती है। अबाध प्रवेश्य प्रणाली में पाठकों तथा पुस्तकों के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं रहता है और उनको प्रत्येक ग्रन्थ का परीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अधिकांश पुस्तकों को पाठक प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उनको जिन अनेक पुस्तकों की जानकारी नहीं है, वह भी उनकी दृष्टि में आ जाती हैं और उनमें उनकी रुचि हो सकती है!

इसी प्रकार समय-समय पर, विशेष अवसरों पर विशेष अनुक्रम निर्मित करके भी अनेक ग्रन्थों के लिये पाठक प्राप्त किये जा सकते हैं -जैसे स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतन्त्र दिवस आदि।

4. **सूची (Catalogue) :** सक्षम, व्याख्यात्मक, भली भांति निर्मित और अद्यतन सूची जो पाठक को पूर्णतया सुलभ हो, तृतीय सूत्र को संतुष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। ग्रन्थमाला प्रविष्टियाँ और अन्तर्विषयी प्रविष्टियाँ (Cross Reference Entries) विशेष रूप से तृतीय सूत्र की मांग को ही संतुष्ट करती हैं। अकसर ऐसा होता है कि स्वत: ग्रन्थ के बजाय सूची में उसका विवरण पाठकों को अधिक आकर्षित करता है। वैश्लेषिक प्रविष्टियों (Analytical Entries) के द्वारा भी संगत पुस्तकों को पाठक मिलने की काफी संभावना रहती है।

5. **सन्दर्भ सेवा (Reference Service):** जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, पुस्तकें अपने बारे में स्वयं नहीं बता सकतीं है।अत: एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता होती है जो उनकी वकालत कर सके। सन्दर्भ ग्रन्थालयी एक ऐसी ही ऐजेन्सी है। साधारणतया पाठक आनुवर्गिक विन्यसन और सूची की जटिलताओं को समझने में अनभिज्ञ रहते हैं। सक्षम तथा प्रभावशाली व्यक्तिगत सेवा द्वारा ग्रन्थों तथा पाठकों में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। सन्दर्भ ग्रन्थालयी पुस्तकों के प्रचारक के रूप में कार्य करता है।

6. **लोकप्रिय विभाग (Popular Department) :** पुस्तकालय में अनेक लोकप्रिय विभाग जैसे पत्र-पत्रिका प्रकोष्ठ, समाज शिक्षा, फिल्म शो आदि स्थापित करके सामान्य पाठकों को पुस्तकालय के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। नये पाठकों के आने से ऐसे अनेक ग्रन्थों को पाठक प्राप्त होने की सम्भावना बढ़ जाती है जो अब तक बिना उपयोग के पड़े हैं।

7. **विस्तरण सेवायें (Extension Services):** आधुनिक जन पुस्तकालय सामाजिक केन्द्र अथवा सामुदायिक केन्द्र (Community Centre) के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार पारम्परिक पुस्तकालय सेवा के अतिरिक्त व्याख्यान, संगीत, नाटक तथा प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करते हैं। अध्ययन परिमण्डलों का गठन करते हैं। निरक्षरों के लिये पुस्तकों और समाचार पत्रों आदि का वाचन करते हैं। इसी प्रकार बच्चों को कहानियाँ और अन्य रोचक सामग्री का वाचन किया जाता है। इन सबको विस्तरण सेवाओं का नाम दिया गया है। इनके द्वारा अनेक सम्भाव्य पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करके और वास्तविक पाठकों में परिवर्तित करके तृतीय सूत्र को सन्तुष्ट किया जा सकता है।

8. **पुस्तकालय प्रचार :** सामान्यत: जनसाधारण में पठन-पाठन की रूचि का अभाव देखा जाता है। उन्हें पुस्तकें पढ़ने को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आधुनिक पुस्तकालय की तुलना एक दुकान से की जाती है। जिस प्रकार प्रचार, आधुनिक व्यापार का एक सक्षम साधन है उसी प्रकार पुस्तकालय में संग्रहित प्रत्येक ग्रन्थ के लिये पाठक प्राप्त करने के लिये भी प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। रंगनाथन के अनुसार, "आज जब पुस्तकालय अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा रहा है, अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर रहा है और अपनी प्रकृति तथा कार्यों तक में परिवर्तन कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रचार के अभाव में जनता को वर्तमान गतिविधियों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती हे।"[3]

पुस्तकालय प्रचार दो प्रकार का होता है:

क. सामान्य प्रचार

इस प्रचार में किसी पुस्तकालय विशेष को प्रचारित नहीं किया जाता अपितु ग्रन्थों तथा पुस्तकालय की उपयोगिता को विज्ञापित किया जाता है।

ख. व्यक्तिगत प्रचार

इससे तात्पर्य किसी पुस्तकालय विशेष के प्रचार से है।

निरन्तरता, विभिन्नता, नवीनता, स्पष्टता तथा प्रभावशीलता आधुनिक प्रचार के प्रमुख सिद्धान्त हैं। पुस्तकालय पत्रिका, इश्तहार (posters), पर्चे (handbills), प्रदर्शन कक्ष, रेडियो, समाचार पत्र, व्याख्यान और प्रदर्शनियाँ आदि प्रचार के प्रमुख साधन हैं।

2.4. चतुर्थ सूत्र : पाठक का समय बचाओ (Save the Time of the Reader)

पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र भी द्वितीय सूत्र की भांति उपयोगकर्ताओं की ओर से उपागम करता है। इस सूत्र की मांग है कि पाठकों का समय व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिये। उपयोगकर्ता का समय दो प्रकार का हो सकता है - 1. वस्तुनिष्ठ (Objectives) समय : वह समय है जो किसी पाठक द्वारा ग्रन्थ या सूचना की प्रतीक्षा में वास्तव में बिताया जाता है जबकि 2. व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) समय : वह समय है जो पाठक को अनुभव होता है। इन दोनों प्रकार के समय की बचत होना आवश्यक है। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं के समय की बचत के साथ कर्मचारियों के समय की बचत करना चाहिये। वस्तुत: यह सूत्र पुस्तकालय संचालन में सुधारों तथा पाठकों को अधिकाधिक सुविधायें देने पर बल देता है। रंगनाथन के अनुसार "... यह पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधारों को जन्म देने के प्रति उत्तरदायी है। भविष्य में इसमें और भी सुधारों को प्रभावशील करने हेतु प्रबल सम्भाव्यता है।"[4] चतुर्थ सूत्र द्वारा प्रवेशित प्रमुख सुधार निम्नांकित से सम्बन्धित है:

1. पुस्तकालय का स्थान निर्धारण
2. अबाध प्रवेश्य प्रणाली और ग्रन्थों तक पहुँच
3. संदर्शिकायें
4. निधानी विन्यसन
5. सूचीकरण
6. सहकारी तथा केन्द्रीकृत वर्गीकरण तथा सूचीकरण
7. सन्दर्भ सेवा
8. ग्रन्थों का परिसंचरण और आदान-प्रदान प्रणाली
9. पुस्तकालय कार्य पद्धति में पत्रक प्रणाली का उपयोग
10. ग्रन्थसूची संकलन

1. **पुस्तकालय स्थान निर्धारण (Location):** पुस्तकालय स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा प्रथम सूत्र के अन्तर्गत की जा चुकी है। पुस्तकालय केन्द्रीय स्थान पर संस्थापित करके पाठकों का समय बचाया जा सकता है। उचित और पर्याप्त संख्या में शाखा पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय स्थापित करके भी पाठकों का समय बचाया जा सकता है। मितव्ययता की

दृष्टि से प्रशासन का एक सामान्य सिद्धान्त है 'प्रशासन को केन्द्रित करना चाहिये और सेवा को विकेन्द्रित करना चाहिये।' दूरस्थ क्षेत्रों को चल पुस्तकालय द्‌वारा पुस्तकालय सेवा प्रदान करना चाहिये। संक्षेप में ऐसा कहा जाता है कि पुस्तकालय पहुँचने में किसी भी पाठक को आधा किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े।

3. RANGANATHAN (SR): Five Laws of Library Science. 1975. p271.
4. RANGANATHAN (SR): Five Laws of Library Science. 1975. P 287.

2. **अबाध प्रवेश्य प्रणाली (Open Access System):** अप्रवेश्य प्रणाली में पाठक, सूची के माध्यम से ग्रन्थ चुनकर पर्ची भर कर देता है और पुस्तकालय कर्मचारी द्‌वारा उसको खोज कर लाने तक प्रतीक्षारत रहता है। ग्रन्थ न मिलने पर पुन: यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ग्रन्थ मिल जाने पर भी वह पाठक को अनुपयुक्त सिद्ध हो सकता है। अत: उसका पर्याप्त समय नष्ट होता है। इसके साथ-साथ वह नीरसता भी अनुभव करता है। अबाध प्रवेश्य प्रणाली में वह स्वयं ग्रन्थ भण्डार में जाकर ग्रन्थ चुनता है। हो सकता है उसका पर्याप्त समय ग्रन्थ चुनने में लग जाये। परन्तु क्योंकि वह उस कार्य में व्यस्त रहता है अत: नीरसता अनुभव नहीं करता। इस प्रणाली में कर्मचारियों की संख्या में भी पर्याप्त बचत होती है।

3. **संदर्शिकायें (Guides) :** पर्याप्त संदर्शिकाओं की व्यवस्था करके पाठकों की वांछित सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उनके समय की रक्षा की जा सकती है। संदर्शिकाओं की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रन्थ भण्डार कक्ष (Stack Room) में होती है। संदर्शिकायें अनेक प्रकार की होती हैं जैसे 'पुस्तकालय के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी', नियोजन संदर्शिकायें (Plan guides), निधानी संदर्शिकायें (Shelf guides), संकेत संदर्शिकायें आदि।

4. **निधानी विन्यसन (Shelf Arrangement):** यदि ग्रन्थों का विन्यसन परस्पर सम्बन्ध के आधार पर किया जाये तो उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधाजनक होता है और उनका समय भी बचता है। चतुर्थ सूत्र को संतुष्ट करने के लिये आवश्यकतानुसार असतत क्रम (Broken order) को भी अपनाना पड़ता है। उदाहरणार्थ एक जन पुस्तकालय में कथा-कहानियों, उपन्यास, नाटक, जीवन चरित्र आदि की अधिक मांग होती है। अत: उनको ग्रन्थ भण्डार में मुख्य द्‌वार के समीप रखना चाहिये और शेष ग्रन्थों को आवश्यकतानुसार उनके दोनों ओर रखना चाहिये। निधानी व्यवस्थापन के सन्दर्भ में रंगनाथन ने निम्नांकित सिद्धान्त को मान्यता दी है। जिसे Apupa पद्धति कहा जाता है।

A	=	Alien	और कम उपयोगी ग्रन्थ
P	=	Penumbra	कम उपयोगी ग्रन्थ
U	=	UMBRA	सर्वाधिक उपयोगी ग्रन्थ
P	=	Penumbra	कम उपयोगी ग्रन्थ
A	=	Alien	और कम उपयोगी ग्रन्थ

यहाँ UMBRA से तात्पर्य सर्वाधिक उपयोग्य ग्रन्थ हैं और उसके दोनों ओर कम उपयोग्य ग्रन्थ और उसके दोनों ओर सबसे कम उपयोग्य ग्रन्थ व्यवस्थित करने चाहिये।

नवागत पुस्तकों की मांग बहुत अधिक होती है। अत: उनको अलग से परिसंचरण पटल के समीप रखना चाहिये।

5. **सूचीकरण (Cataloguing):** भली भांति निर्मित, सक्षम, अद्यतन (up-to-date) सूची पाठकों तथा कर्मचारियों का समय बचाने में सहायक सिद्ध होती है। इसके द्वारा पाठकों की विभिन्न अभिगमों को सन्तुष्ट करके पाठक का समय बचाया जा सकता है। विषय वैश्लेषिक प्रविष्टियों (subject analytical entries) के अभाव में पाठकों के समय की हानि होती है। इनके अभाव में अनेक पाठकों का समय पुनः-पुन: नष्ट होता है।

6. **केन्द्रीकृत तथा सहकारी वर्गीकरण और सूचीकरण (Centralized and Co-operative Classification and cataloguing)** जैसाकि ऊपर कहा गया है, पाठकों का समय बचाने के लिये कर्मचारियों का समय बचाना आवश्यक है। अत: केन्द्रीकृत वर्गीकरण और सूचीकरण की अनुशंसा की जाती है। इसमें विभिन्न पुस्तकालय इस कार्य से मुक्त हो जाते हैं और मुद्रित सूची पत्रक (printed cards) क्रय कर लेते हूँ। कर्मचारियों का समय बचाने के अतिरिक्त इसके अन्य प्रमुख लाभ मितव्ययता, एकरूपता, परिशुद्धता, उन्नत मानकीकरण आदि हैं।

7. **सन्दर्भ सेवा (Reference Service):** आधुनिक पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं को पाठ्यसामग्री चुनने, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके समय की क्षति को रोकने के लिये ही सन्दर्भ सेवा का प्रचलन हुआ है। वर्गीकरण पद्धति और सूचीकरण पद्धति की जटिलतायें भी पाठक स्वत: नहीं समझ सकता है। सन्दर्भ सेवा अनौपचारिक व्यक्तिगत सहायता है। निःसंदेह सक्षम सन्दर्भ सेवा के द्वारा ही पाठकों के समय के क्षय की रक्षा की जा सकती है।

8. **ग्रन्थों का परिसंचरण और आदान-प्रदान प्रणाली (Circulation):** ग्रन्थों की परिसंचरण विधि में पाठक और कर्मचारियों का कम से कम समय लगना चाहिये। पहिले पुस्तकालयों में ग्रन्थ, खाता प्रणाली या पंजी प्रणाली द्वारा आदान-प्रदान किये जाते थे जो बढ़ा समयसाध्य कार्य था। अब पत्रक प्रणालियों द्वारा जिनमें - न्यूआर्क और ब्राउन सर्वप्रथम हैं, ग्रन्थों का आदान-प्रदान होता है जिनमें पाठक और कर्मचारियों का अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है। विदेशों में यांत्रिक विधियों का उपयोग ग्रन्थ परिसंचरण के लिये किया जाता है। भारत में यांत्रिक विधियों का उपयोग ग्रन्थ परिसंचरण के लिए किया जाने लगा हैं।

9. **पुस्तकालय कार्यप्रणाली में पत्रक पद्धति का उपयोग:** पुस्तकालय कर्मचारियों का समय बचाने के लिये पुस्तकालय कार्य प्रणाली में पंजी प्रणाली के स्थान पर पत्रक प्रणाली ही उपयुक्त है क्योंकि एक ही पत्र आवश्यकतानुसार अनेक स्थानों और कार्यो के लिये प्रयुक्त हो सकता है और कार्य में अधिक गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है।

10. **ग्रन्थसूचियाँ (Bibliography):** पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा पाठकों की मांग अथवा सम्भाव्य उपयोग पर आवश्यकतानुसार अध्ययन सूचियाँ (Reading lists) संकलित करना चाहिये। आजकल कई प्रकार की ग्रन्थसूचियाँ संकलित की जाती हैं जो ग्रन्थ चुनने और वर्गीकरण और सूचीकरण कार्य में सहायक सिद्ध होती हैं। इनके द्वारा भी पाठक के समय की रक्षा होती है।

2.5 पंचम सूत्र: पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है (Library is a Growing Organism)

पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र, उसकी प्रकृति का द्योतक है और जो पुस्तकालय नियोजन और संगठन में भी सहायक सिद्ध होता है। हम सब जानते हैं एक विकासशील संस्था ही उत्तरजीवित (Survive) रह सकती है। रंगनाथन के शब्दों में, "एक विकासशील संगठन नई सामग्री ग्रहण करता है, पुरानी सामग्री का त्याग करता है, अपने आकार में परिवर्तन करता है और नई शक्ल तथा स्वरूप ग्रहण करता है।"[5]

वृद्धि का अर्थ जीवन है। जीवंत सत्ता में वृद्धि अथवा विकास दो प्रकार का होता है:

1. बाल विकास (Child growth)
2. वयस्क विकास (Adult growth)

बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है जबकि वयस्क विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। सभी पुस्तकालय अपनी प्रारम्भिक अवस्था में बाल विकास की अवस्था में रहते हैं और कुछ समय पश्चात वयस्क विकास अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु राष्ट्रीय पुस्तकालय सदैव ही बाल विकास अवस्था में रहता है।

पुस्तकालय के तीन प्रमुख घटक हैं:

1. ग्रन्थ
2. पाठकगण
3. कर्मचारीगण

पुस्तकालय के इन तीनों घटकों में बढ़ोतरी होती है। बाल विकास अवस्था में वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। किन्तु वयस्क विकास अवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होती है क्योंकि नवीन ग्रन्थ, पाठक तथा कर्मचारी आते हैं परन्तु पुराने निकल जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय में पाठ्य-सामग्री सदैव सुरक्षित रखी जाती है और निष्कासित नहीं की जाती है। अतएव वह सदैव बाल विकास अवस्था में ही रहता है।

अब हम पुस्तकालय विकास के इन तीन घटकों पर अलग-अलग विचार करेंगे।

1. **ग्रन्थ (Documents)**

ग्रन्थ भण्डार कक्ष (Stack Room): एक विकासशील जीवंत पुस्तकालय में नवीन ग्रन्थ रहते हैं। जिसका ग्रन्थ भण्डार तथा निधानियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिये। एवं कालान्तर में बढ़ोतरी का प्रावधान होना चाहिये। ग्रन्थ निधानियों में समरूपता होनी चाहिये। उनके फलक संभजनीय (Adjustable) होने चाहिये। निधानियों पर लगी हुई संदर्शिकायें (Guides) भी संभजनीय होनी चाहिये।

सूची तथा सूची कक्ष: प्रत्येक ग्रन्थ के लिये औसतन छः प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। अत: सूची का विकास ग्रन्थ भण्डार की अपेक्षा छः गुना होता है। पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को सदैव दृष्टिगत रखना चहिये।

रंगनाथन के अनुसार, 'पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का निर्धारण पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र करता है।'

5. RANGANATHAN (SR): Five laws of Library Science. 1957. P 326

वस्तुत: सूची ऐसी होनी चाहिये जिसमें नवागत ग्रन्थों की प्रविष्टियों को उचित स्थान पर सगाविटष्ट किया जा सके और गतिविधि, गुमी हुई और जीर्ण-शीर्ण ग्रन्थों की प्रविष्टियों को सरलता से निष्कासित किया जा सके। यह सुविधा, पत्रक स्वरूप सूची में प्राप्त होती है।

समय के साथ सूची के नये भौतिक स्वरूपों का विकास किया जा रहा है। अब सूची का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। जिसे हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सीस केटलॉग (Online Public Access Catalogue) कहते है।

वर्गीकरण तथा सूचीकरण पद्धति: ज्यों-ज्यों पुस्तकालय का विकास होता है, इनकी तीव्र आवश्यकता तथा महत्व अनुभव होता है। अत: आरम्भ से ही सर्वव्यापी, आतिथ्यशील, विकासशील एवं सक्षम वर्गीकरण पद्धति का चयन करना चाहिये। इसी प्रकार सूचीकरण के लिये एक सक्षम सूची संहिता का चुनाव आवश्यक है जो नयी प्रकार की पाठ्य-सामग्री के सूचीकरण के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो।

2. पाठकगण

अध्ययन कक्ष: पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ विस्तृत अध्ययन कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अत: पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिये।

सन्दर्भ सेवा: ज्यों-ज्यों ग्रन्थ संग्रह का विकास होता है, पाठकों को सन्दर्भ सेवा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। नवागत 'पुस्तकों' से भी पाठकों को परिचित करवाना आवश्यक है।

उपयोगकर्ता शिक्षा (User Education): पुस्तकालय विकास के साथ उपयोगकर्ता शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य भी सन्दर्भ कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इसके अन्तर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय से परिचित करवाया जाता है, उसके नियमों-विनियमों से परिचित करवाया जाता है, विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं से परिचित करवाया जाता है, सूची के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है और सन्दर्भ ग्रन्थों की जानकारी दी जाती है।

ग्रन्थ परिसंचरण (Circulation): पाठकों की संख्या में वृद्धि के साथ ऐसी ग्रन्थ निर्गम विधि (Issue system) की आवश्यकता पड़ती है जिसमें शीघ्रातिशीघ्र अधिक से अधिक पाठकों को ग्रन्थ निर्गम आगम किये जा सकें। इस दृष्टि से भारतीय परिस्थितियों में ब्राउन परिसंचरण प्रणाली (Brown charging system) उचित ठहरती है।

अबाध प्रवेश्य प्रणाली (Open Access System) : पाठकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ अप्रवेश्य प्रणाली (Closed access system) अव्यवहारिक हो जाती है। अत: अबाध प्रवेश्य प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। आधुनिक विशाल जन पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों में अबाध प्रवेश्य प्रणाली ही एक मात्र विकल्प है।

3. कर्मचारीगण

ग्रन्थों और पाठकों की बढ़ोतरी के साथ पुस्तकालय कार्य की भी वृद्धि होती है। अत: पुस्तकालय प्राधिकरण को कर्मचारियों की वृद्धि के लिये सहर्ष प्रस्तुत रहना चाहिये। रंगनाथन ने

इसके लिये एक कर्मचारी सूत्र (Staff formula) का निर्माण किया है। जिसका अनुसरण किया जा सकता है। यद्यपि समय परिवर्तन के साथ कर्मचारी सूत्र में भी परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है।

3. सारांश

पुस्तकालय विज्ञान के उपरोक्त पंच सूत्र अत्यंत सरल दृष्टिगत होते हैं वस्तुतः ये सूत्र अत्यंत सारगर्भित हैं जिसमें पूरा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समाहित है। प्रथम तीन सूत्र प्रमुख रूप से अधिकाधिक पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का अधिकाधिक पाठकों द्वारा उपयोग पर बल देते हैं। प्रथम सूत्र 'ग्रन्थ उपयोगार्थ हैं' एक आधारभूत सूत्र है। अन्य दो सूत्र उसके सहज परिणाम है। चतुर्थ सूत्र उपयोगकर्ता के समय की रक्षा पर बल देता है जिसमें पुस्तकालय प्रणाली में सुधार लाने की भरपूर संभाव्यतायें हैं। पंचम सूत्र, प्रथम चार सूत्रों जो पुस्तकालय सेवा के प्रति अत्यंत उत्साहित हैं पर किसी सीमा तक नियंत्रण रखता है। यह सूत्र पुस्तकालय की प्रकृति का द्योतक है और उसके नियोजन के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत करता है।

वस्तुतः यह समस्त सूत्र 'उपयोगकर्ता केन्द्रित' हैं। इनके निहितार्थ दूरगामी हैं। इन्होंने पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। इन सूत्रों का प्रतिपादन करके रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान को 'विज्ञान' का स्तर प्राप्त करने में बल प्रदान किया है और एक नई दिशा प्रदान की है।

4. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 'ग्रन्थ उपयोगार्थ है' नामक सूत्र की संतुष्टि के लिये विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिये।
2. द्वितीय सूत्र की संतुष्टि के लिये सरकार के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिये।
3. 'प्रत्येक ग्रन्थ को उसका उपयुक्त पाठक प्राप्त हो' नामक सूत्र की संतुष्टि के लिये कौन-कौन से उपाय करने चाहिये?
4. 'पुस्तकालय कार्य प्रणाली में अनेक सुधार, 'पाठक का समय बचाओं' नामक सूत्र के द्वारा लाये गये हैं और इसमें कितने ही अन्य सुधार लाने की संभाव्यतायें हैं। विवेचना कीजिये।
5. 'पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है।' नामक सूत्र की व्याख्या कीजिये और इसके निहितार्थों का वर्णन कीजिये।

5. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय और समाज.
2. Atherton, Pauline A, Putting Knowledge to Work; An American View of Ranganathan's Five Laws of Library Science.
3. Krishan Kumar Library Organisation.
4. Ranganathan, S.R., Five Laws of Library Science.
5. रंगनाथन, एस. आर., पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र. सी. एल. शर्मा द्वारा अनु.

6. Ranganathan's Philosophy (International Conference on-) (New Delhi) (1985): Ranganathan's Philosophy: Assessment, impact and relevance.
7. शर्मा, पाण्डेय सूरजकांत, पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995.

इकाई-3: संयुक्त राज्य अमरीका और युनाईटेड किंगडम में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास (Library Development in USA & UK in Twentieth Century)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. संयुक्त राज्य अमरीका के पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करके उससे परिचित कराना,
2. युनाईटेड किंगडम के पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करके उससे अवगत कराना।

संरचना

1. बीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमरीका में पुस्तकालय विकास
   - 1.1. विषय प्रवेश
   - 1.2. पुस्तकालय अधिनियम
   - 1.3. अमरीकन जन पुस्तकालयों की विशेषताऐं
   - 1.4. संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रीय पुस्तकालय : लॉयब्रेरी ऑफ कांग्रेस
   - 1.5. नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ मेडीसन
   - 1.6. नेशनल एग्रीकल्चरल लॉयब्रेरी
   - 1.7. अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसियेशन
   - 1.8. अन्य पुस्तकालय संघ
   - 1.9. पुस्तकालय प्रशिक्षण
   - 1.10. वर्तमान स्थिति
2. बीसवीं शताब्दी में युनाईटेड किंगडम में पुस्तकालय विकास
   - 2.1. पुस्तकालय अधिनियम
   - 2.2. जन पुस्तकालय सेवा की वर्तमान स्थिति
   - 2.3. युनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय : दी ब्रिटिश लॉयब्रेरी
   - 2.4. दी लॉयब्रेरी एसोसिएशन
   - 2.5. अन्य पुस्तकालय संघ
   - 2.6. शैक्षणिक पुस्तकालय
   - 2.7. पुस्तकालय प्रशिक्षण
   - 2.8. पुस्तकालय विकास से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति
   - 2.9. युनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय सहयोग
3. सारांश
4. अभ्यासार्थ प्रश्न
5. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची

1. बीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमरीका में पुस्तकालय विकास

1.1. विषय प्रवेश

संयुक्त राज्य अमरीका को पुस्तकालयों की भूमि (Land of Libraries) की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इस देश में बीसवीं शताब्दी में जन पुस्तकालयों का अप्रतिम विकास हुआ। इसमें एन्ड्रयू कॉरनेगी (Andrew Carnegie) का योगदान अभूतपूर्व है। एन्ड्रयू कॉरनेगी का जन्म अत्यन्त निर्धन परिवार में आ था। आपको अपने भविष्य-निर्माण में पुस्तकालयों से बड़ी सहायता मिली। कालान्तर में आप एक स्टील उद्योग के उद्योगपति बन गये। आपने अपनी समस्त सफलता का श्रेय पुस्तकालयों को दिया और कॉरनेगी कॉरपोरेशन की स्थापना के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा में विभिन्न जन पुस्तकालयों को लगभग डालर 4,26,85,000 का अनुदान दिया। भारत को भी जन पुस्तकालय विकास के लिए ऐसे ही एक कॉरनेगी की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त फोर्ड फॉउन्डेशन, रॉकफेलर फॉउन्डेशन तथा जनरल एजूकेशन बोर्ड आदि ने भी जन पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन के लिए उदार अनुदान प्रदान करके, पुस्तकालय विकास को गति प्रदान की।

1.2. पुस्तकालय अधिनियम

भारत के समान संयुक्त राज्य अमरीका में भी पुस्तकालय सेवा प्रदान करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। सन् 1960 तक सभी अमरीकी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। सन् 1954 में पारित पब्लिक लॉ 480 (पीएल 480) के तहत लॉयब्रेरी ऑफ कांग्रेस को विदेशों में दिये गये ऋण के बदले वहाँ पुस्तकें खरीदने का अधिकार दिया गया। सन् 1956 अमरीका में पुस्तकालयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष लॉयब्रेरी सर्विसेज एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत अमरीका के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम पुस्तकालय सेवा पर बल दिया गया। सन् 1967 में इस अधिनियम में संशोधन करके उसे 'लॉयब्रेरी सर्विसेज एण्ड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट' के नाम से पुन: पारित किया गया। सन् 1970 में संघीय सरकार ने नेशनल कमीशन ऑफ लॉयब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन सांइस (NCLIS) नामक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है: -

1. पुस्तकालयों के विकास के लिये राष्ट्रपति, कांग्रेस, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सलाह देना;
2. विद्यमान पुस्तकालय सेवा की कमियों से राष्ट्रपति और कांग्रेस आदि को अवगत कराना;
3. अमरीकी जनता की पुस्तकालय संबंधी आवश्यकताओं का समय-समय पर सर्वेक्षण आदि करके पता लगाना; और
4. उनकी पुस्तकालय संबंधी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये पुस्तकालय सेवा की विकास योजनायें निर्मित करना।

अब प्रत्येक राज्य में निम्नांकित प्रकार के जन पुस्तकालय कार्यरत हैं:

1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
2. नगरपालिका पुस्तकालय
3. एक विद्यालय मण्डल में जन पुस्तकालय
4. काउन्टी पुस्तकालय
5. उदान पुस्तकालय

1.3. अमरीकन जन पुस्तकालयों की विशेषतायें

1. पुस्तकालय सेवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाती है।
2. अमरीकी जन पुस्तकालय, स्थानीय संस्थायें हैं और सामुदायिक केन्द्र के रूप में अधिकांश जनता को आकर्षित करने में समर्थ हैं।
3. ग्रन्थों तथा उनके उपयोगकर्ताओं में सम्पर्क स्थापित करने के लिये व्याख्यानों, चलचित्र प्रदर्शनों, प्रदर्शिनियों और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पुस्तकालय सेवा का प्रचार रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों के दारा और गन्ध सूचियों के वितरण द्वारा भी किया जाता है।
4. जन पुस्तकालय सेवा विद्यालयों, महाविद्यालयों, क्लबों, चर्चों और अन्य सामाजिक संस्थाओं की सेवाओं के पूरक के रूप में कार्य करती है।

अमरीका में अधिनियम पर आधारित निःशुल्क जन पुस्तकालय सेवा प्रभावकारी ढंग से चल रही है। इसके लिये संघीय सरकार, राज्य और स्थानीय निकाय अपने स्तर पर अपनी भूमिकाओं का उचित ढ़ग से निर्वहन के कर रहे है। प्रौढ़ शिक्षा में इनकी भूमिका सराहनीय है। पुस्तकालयों में बालविभाग का प्रावधान है और शाखा पुस्तकालयों और चल पुस्तकालयों द्वारा भी समग्र पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पुस्तकालय सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं।

1.4. संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रीय पुस्तकालय : लॉयब्रेरी ऑफ कांग्रेस

इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1800 में हुई थी। इसकी गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में होती है। 30 सितम्बर 1984 तक इसमें लगभग 8 करोड़ 20 लाख ग्रन्थ संग्रहित हो चुके थे। सन् 1964 में इसका बजट डालर 24,90,26,000 था। 1 अक्टूबर 1984 को इसमें कर्मचारियों की संख्या 531 थी। इसके ग्रन्थालयी की नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका संगठन निम्नांकित विभागों के अन्तर्गत किया गया है:-

1. ग्रन्थालयी का कार्यालय
2. राष्ट्रीय कार्यक्रम विभाग
3. प्रबन्धन विभाग
4. प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
5. विधि संग्रहालय
6. प्रस्तुतिकरण सेवायें विभाग
7. अनुसन्धान सेवायें विभाग

इस पुस्तकालय के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

1. व्यापक रूप से संग्रह निर्माण करना।
2. अन्य देशों की सरकारों से विनिमय, प्रतिलिप्याधिकार और विधि निक्षेपों से लाभान्वित होना।
3. उपहार (व्यक्तिगत दस्तावेज, अलभ्य ग्रन्थ उपहार) तथा संदान राशियाँ प्राप्त करना।
4. विश्वव्यापी ग्रन्थ अर्जन का कार्यक्रम संचालित करना।
5. वर्गीकरण और विषय शीर्षक सूचियाँ निर्मित करना और उनको अद्यतन रखना
6. सूचीकरण के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करना।
7. राष्ट्रीय सूची वितरण सेवा प्रदान करना।
8. 'नेशनल यूनियन केटॉलॉग' के नाम से राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची का संकलन और प्रकाशन करना।
9. सन्दर्भ सेवा प्रदान करना।
10. अन्तराग्रन्थालयीन आदान सेवा प्रदान करना।
11. दृष्टिहीनों के लिये राष्ट्रीय पुस्तक कार्यक्रम संचालित करना।
12. पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के लिये कार्यक्रम संचालित करना।
13. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रमों में जैसे विवरणात्मक सूचिकरण, ऐंग्लो-अमरीकन केटॉलागिंग रूल्स के विकास आदि में संलग्न रहना है।
14. प्रकाशन में संलग्न रहना है।
15. पुस्तकालय तकनीक में प्रयोग और अनुसन्धान संचालित करना।

इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ मेडीसन तथा नेशनल लॉयब्रेरी अलग से विकसित किये गये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण आगे अंकित किया जा रहा है।

1.5. नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ मेडीसन

इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1936 में आर्मी जनरल्स कार्यालय के पुस्तकालय के रूप में हुई थी। सन् 1922 में इस पुस्तकालय का नाम आर्मी मेडीकल लॉयब्रेरी हो गया। सन् 1952 में इसका नाम आर्म्ड फोर्सिज मेडिकल लॉयब्रेरी कर दिया गया। सन् 1956 में इसको नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ मेडीसन बनाया गया।

सन् 1964 में 'Medical Literature Analysis and Retrieval System (=MEDLARS)' का क्रियान्वयन हुआ। कालान्तर में इसका उपयोग "इन्डेक्स मेडीक्स " निकालने के लिये किया गया जिसका प्रकाशन जनवरी 1879 से आरंभ' हुआ था। 'इन्डेक्स केटॉलॉग ऑफ दी लॉयब्रेरी ऑफ दी सर्जन जनरल्स ऑफिस' का प्रकाशन सन् 1880 से आरंभ हुआ था।

इस पुस्तकालय में 30 लाख से अधिक ग्रन्थ संग्रहित हैं। वर्गीकरण के लिये स्वनिर्मित वर्गीकरण पद्धति "नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ मेडीसन क्लैसीफिकेशन" का उपयोग किया जाता है। सूचीकरण के लिये भी इसके अपने नियम हैं। विषय शीर्षकों के लिये "मेडीकल सब्जेक्ट हेंडिग्स" को अपनाया गया है। इस पुस्तकालय द्वारा संग्रहण तक पुन: प्राप्ति के लिये एक यंत्रीकृत प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम "मेडलर्स" है। 'इन्डेक्स मेडीक्स' इसका महत्वपूर्ण

मासिक प्रकाशन है जिसका वार्षिक संचयन होता है। इसमें प्रतिवर्ष चिकित्सा विज्ञान से संबंधित लगभग 2400 पत्रिकाओं से लगभग 2,50,000 लेखों को अनुक्रमाणित किया जाता है।

1.6. नेशनल एग्रीकल्चरल लॉयब्रेरी

इसकी स्थापना कृषि विभाग के अन्तर्गत 1862 में हुई। सन् 1978 में यह पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग के अधीन, विज्ञान तथा शिक्षा प्रशासन के अन्तर्गत तकनीकी सूचना तन्त्र का एक अंग बन गया है। सन् 1982-83 में इस पुस्तकालय में मुद्रित ग्रन्थों की संख्या 18,00,000 थी। इसके अतिरिक्त 65,000 माइक्रोकार्डस, 4,02,000 माइक्रोफिश और 12,000 फिल्म इसमें संग्रहित थीं। वर्ष 1982-83 में 27,201 पत्रिकायें मंगवाई गई। इस वर्ष इसका कुल बजट डालर 88,49,000 था। यह लॉयब्रेरी "एग्रीकल्चरल लॉयब्रेरी इन्फॉर्मेशन नोट्स-न्यूज़लैटर' ' का प्रकाशन करती है और "एग्रीकोला' ' के नाम से समस्त विश्व में सबसे बड़ी कृषि वांड़.गमय आधार सामग्री प्रकाशित करती है जिसमें 15 लाख से भी ऊपर साइटेशन्स होते हैं।

1.7. अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसियेशन

आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविल ड्यूई के सद्प्रयासों से 4 अक्टूबर 1876 को अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना हुई और आप इसके संस्थापक सचिव निर्वाचित हुए आपने ही इस संघ का ध्येय "न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लोगों के लिये, श्रेष्ठतम पाद्य-सामग्री" निश्चित किया और ALA(American Library Association) का दूसरा अर्थ "Ask Library Any thing' (पुस्तकालय से कुछ भी पूछिये)" निर्धारित किया। इस संघ ने अमरीका में पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करने और पुस्तकालय चेतना को विकसित करने में सराहनीय कार्य किया। इसके सद्प्रयासों से सन् 1887 तक ही 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गये। इस संघ ने पुस्तकालय क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किये जिनमें से निम्नांकित सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं:

1. पुस्तकालय न्यासियों (trustees) और पुस्तकालय मित्रों को स्थानीय और राष्ट्रीय क्रिया-कलापों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
2. प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आयोजित किया जाता है। इसके अन्तर्गत जन-पुस्तकालय सेवा के महत्व को स्पष्ट करने के लिये जन-सम्पर्क क्रिया-कलाप आयोजित किये जाते हैं।
3. प्रतिभाशाली युवाओं को पुस्तकालय व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने के लिये संघ द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया गया है।

संगठन की दृष्टि से यह संघ 64 विभागों में विभक्त है। इसके मुख्यालय पर 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। राज्य पुस्तकालय संघ और क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ इसके अंगों के रूप में कार्य करते हैं। इसकी सदस्य संख्या 37,000 से भी अधिक है और वार्षिक सम्मेलन में लगभग 7000 सदस्य भाग लेते हैं।

इस संघ ने दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों (Statements) को अपनाया:

1. पुस्तकालय अधिकारों का विधेयक (Library Bill of Rights); और
2. पठन-पाठन की स्वतंत्रता। (Freedom of Reading)

1.8. अन्य पुस्तकालय संघ

इस संघ के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका में स्पेशल लॉयब्रेरीज़ एसोसियेशन, मेडिकल लॉयब्रेरीज़ एसोसियेशन तथा एसोसियेशन ऑफ अमरीकन लॉयब्रेरी स्कूल्स आदि अन्य राष्ट्रीय संघ कार्यरत हैं।

1.9. पुस्तकालय प्रशिक्षण

कदाचित समग्र विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का मेलविल ड्यूई को है। आपने कोलम्बिया महाविद्यालय में सन् 1887 में पुस्तकालय पाठ्यचर्या का शुभारम्भ किया। सन् 1920 तक अमरीका में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण के 14 केन्द्र स्थापित हो चुके थे जिनमें से तीन स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करते थे। कॉरनेगी कॉरपोरेशन ने पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया।

विलियमसन प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों दारा केवल स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुशंसा की गई। निम्न स्तर का प्रशिक्षण व्यावसायिक संस्थाओं अथवा पुस्तकालयों को सौपने की अनुशंसा की गई। भविष्य में इसी के आधार पर पुस्तकालय प्रशिक्षण का विकास किया गया।

अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसिएशन द्वारा सन् 1924 में "बोर्ड ऑफ एजूकेशन फॉर लॉयब्रेरियनशिप" का गठन किया गये। इसके दारा पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण केन्द्रों के मूल्यांकन के लिये मानदण्डों (Standards) का निर्माण किया गया जिनके आधार पर संघ दारा प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता ('Accreditation) प्रदान की गई। अमरीकी विश्वविद्यालयों दारा पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, स्नात्कोत्तर और शोधोपाधि (Ph.D.) प्रदान करने का प्रावधान है। इस समय अमरीका में लगभग 334 प्रशिक्षण संस्थायें हैं जिनमें से केवल 42 संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

विश्व की सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रणाली "डेसीमल क्लैसीफिकेशन" के प्रतिपादन का श्रेय भी संयुक्त राज्य अमरीका के मेलविल ड्यूई को है जिसका प्रकाशन 1876 में हुआ। आज तक यही प्रणाली विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय वर्गीकरण प्रणाली बनी हुई है।

1.10. वर्तमान स्थिति

जन पुस्तकालय सेवायें: संयुक्त राज्य अमरीका के जन पुस्तकालय सभी को सूचना तथा सन्दर्भ सेवा प्रदान करते हैं। अमरीका में जन पुस्तकालयों को "लोक विश्वविद्यालयों" की संज्ञा प्रदान की गई है। यही के जन पुस्तकालय "व्यक्तियों" तथा "समूहों" दोनों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करते है। व्यक्तियों को पाठक परामर्शदात्री सेवा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वे अध्ययन के सुनियोजित कार्यक्रम बनाने में समर्थ होते हैं। "समूहों" को विस्तार सेवा के माध्यम से अर्थात क्लबों, चर्चों और विद्यालयों में कार्य करके पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। किशोर-किशोरियों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है जिससे पठन-पाठन में उनकी रुचि जाग्रित हो सके और उसको चिरस्थायी किया जा सके। 65 वर्ष के ऊपर

के स्त्री-पुरूषों अर्थात "वरिष्ठ नागरिकों" को भी विशेष रूप से जन पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है।

अमरीका के प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक या अधिक पुस्तकालय, राज्य सरकार को राज्यव्यापी जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिये स्थापित किये गये हैं। वहाँ सभी जन पुस्तकालय नगरपालिकाओं दारा संस्थापित या संचालित नहीं हैं। 50 राज्यों को 3000 काउंटीज़ में बांटा गया है जिनमें से एक चौथाई में काउंटी पुस्तकालय हैं। न्यासियों के पुस्तकालय मण्डल की नियुक्ति महापौर (Mayor) द्वारा अथवा उनका निर्वाचन नागरिकों द्वारा किया जाता है। नगर पुस्तकालय प्राधिकरणों को जन पुस्तकालय हेतु या तो एक मुश्त अनुदान दिया जाता है अथवा विधि के अधीन उनको एक विशिष्ट कर लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संयुक्त राज्य अमरीका में पुस्तकालय विकास में 'लायब्रेरी सर्विस एक्ट 1958' का विशेष योगदान रहा है। मार्च 1961 तक सभी 50 राज्य इसके अन्तर्गत आ गये थे। एक प्रतिवेदन के अनुसार जून 1961 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3,60,00000 निवासियों को जन पुस्तकालय सेवा प्राप्त थी और 200 काउंटीज के लगभग 1,80,00000 रहवासी तब भी पुस्तकालय सेवा से वंचित रहे। इस समय अमरीका में लगभग 7,600 जन पुस्तकालय तन्त्र (Public Library system) हैं जिनमें लगभग 21,000 प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य करते है। न्यूयार्क जन पुस्तकालय की 66 शाखायें है। यह पुस्तकालय संसार का विशालतम जन पुस्तकालय तन्त्र है। वहाँ अभी भी प्रशिक्षित ग्रंथालयियों का अभाव है।

"लॉयब्रेरी जर्नल' ' के लिये किये गये एक सर्वेक्षण (Survey) के अनुसार अधिकांश पुस्तकालयों में ग्रन्थों के परिसंचरण में गिरावट आई है। क्योंकि अधिकांश छात्र-छात्रायें अपने विद्यालय, महाविद्यालय पुस्तकालयों से वांछित सेवा प्राप्त कर लेते हैं अथवा अपने निजी ग्रन्थ क्रय कर लेते हैं।

2. बीसवीं शताब्दी में युनाईटेड किंगडम में पुस्तकालय का विकास

2.1 पुस्तकालय अधिनियम

यूनाईटेड किंगडम को समग्र विश्व में सन् 1850 में सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम पारित करने का गौरव प्राप्त है। अधिनियम पारित कराने और पुस्तकालय अधिनियम को गति देने में ब्रिटिश म्यूजियम लॉयब्रेरी के तत्कालीन सहायक ग्रंथालयी एडवर्ड एडवर्ड्स, पार्लियामेन्ट के सदस्य विल्यियम एवार्ट तथा, ब्रोथर्टन के अतिरिक्त थॉमस ग्रीनवुड ने विशेष प्रयास किये। सन् 1850 के पश्चात् ब्रिटेन में सन् 1853, 1855, 1892, 1893, और 1898 में भी उन्नीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय अधिनियम पारित हु ए। इनका श्रेय मुख्य रूप से थॉमस ग्रीनवुड को है।

सन् 1855 के पश्चात् एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 23 दिसम्बर 1919 को पारित हु आ। इस अधिनियम के दारा इंग्लैण्ड तथा वेल्स में पुस्तकालय उपकर की सीमा हटा दी गई। काउंटी परिषदें पुस्तकालय अधिनियम को अपने क्षेत्र में समूचे का समूचा अथवा किसी अंश के लिये अंगीकृत करने के लिये अधिकृत की गई। इस अधिनियम को (ब्रिटिश) लॉयब्रेरी

एसोसियेशन का सहयोग प्राप्त हुआ। 1924 से 1938 के मध्य नगर जन पुस्तकालयों में सदस्यों की संख्या दुगनी हो गई और काउन्टी पुस्तकालयों की सदस्यता में 87% की वृद्धि हुई।

सन् 1855 में "पब्लिक लॉयब्रेरीज़ (स्कॉटलैण्ड) एक्ट" पारित हुआ। सन् 1984 में "पब्लिक लायब्रेरीज़ एण्ड म्यूज़ियम एक्ट" पारित हुआ जिसके अधीन अभी भी स्थानीय निकायों को पुस्तकालय अधिनियम को अंगीकृत करना ऐच्छिक है। अनेक क्षेत्रों में अभी तक इसको अंगीकृत नहीं किया गया है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पुस्तकालय उपकर लगाये गये हैं। अत: पुस्तकालय सेवा में विभिन्नता है और पुस्तकालय सेवा में एकरूपता, एकीकरण तथा मानकीकरण स्थापित नहीं हो सका है।

मैकॉल्विन समिति का प्रतिवेदन: एल. ऑर. मैकॉल्विन ने युनाईटेड किंगडम में जन पुस्तकालयों का छः वर्ष तक सर्वेक्षण करके एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया। यद्यपि यह कोई सरकारी प्रतिवेदन नहीं था तथापि इस प्रतिवेदन ने जन पुस्तकालयों की स्थिति सुधारने के लिये उन बातों पर बल दिया जिन्होंने पूरे देश में पुस्तकालयों के विकास में जैसे जन पुस्तकालय सेवा का व्यापक प्रसार, पुस्तकालय सहयोग आदि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

राबर्ट समिति का प्रतिवेदन: इस समिति की स्थापना सन् 1957 में हुई थी। इसके अध्यक्ष सर सिडनी राबर्ट थे। इस समिति के प्रतिवेदन में जन पुस्तकालय तथा अन्तरग्रंथालयीन सहयोग के क्षेत्र में और अधिनियम पारित करने की आवश्यकता व्यक्त की गई। इसका प्रतिवेदन सन् 1959 में प्रकाशित हुआ। इस समिति ने युगांतकारी अनुशंसायें कीं जिनके कारण पुस्तकालय आन्दोलन को बहुत बल मिला। इसी के फलस्वरूप सन् 1984 का उपरोक्त पब्लिक लॉयब्रेरीज एण्ड म्यूजियम एक्ट (1964) पारित हुआ।

2.2 जन पुस्तकालय सेवा की वर्तमान स्थिति

युनाईटेड किंगडम में जन पुस्तकालय सेवा के लिये सरकार से अनुदान नहीं मिलता है। समस्त धनराशि स्थानीय निकायों दारा ही जुटाई जाती है। पुस्तकालय उपकर पर किसी प्रकार की सीमा नहीं है। कितनी राशि किस प्रकार व्यय की जाय, इस पर स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों पर सरकार का किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं है और न नियंत्रण अथवा निरीक्षण है। अत: विभिन्न स्थानों पर पुस्तकालय सेवा से विभिन्नता है। पिछले 100 वर्षो में 500 से भी अधिक पुस्तकालय प्राधिकरण हो गये हैं, और 40, 000 से भी अधिक सेवा स्थल हो गये हैं जिनमें 7, 70,000,00 से भी अधिक पुस्तकें हैं, 12,000, 0000 पाठक प्रति वर्ष 30,0000000 पुस्तकें आदान पर प्राप्त करते हैं। ब्रिटिश जन पुस्तकालयों में मुख्यत: तीन प्रकार की पुस्तकालय सेवायें प्रदान की जाती हैं:

1. घर पर पढ़ने के लिये ग्रन्थों का आदान;
2. पुस्तकालय परिसीमा में पाद्य-सामग्री के अध्ययन की सुविधा और पाठकों को सूचना सेवा अर्थात् सेवा; और
3. सामयिक प्रकाशनों पत्रिकाओं के वाचन की सुविधा।

सन् 1960 तक से शत-प्रतिशत जनता को जन पुस्तकालय सेवा प्राप्त हो गई। अब वहाँ प्रत्येक तीन व्यक्तियों एवं समाज में से एक व्यक्ति नियमित रूप से जन पुस्तकालयों का उपयोग करता है। इतना सब कुछ होते हुए भी यह समझना भूल होगी कि ब्रिटेन में पुस्तकालय सेवा अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गई है। फिर भी वहाँ इस दिशा में आशातीत प्रगति हुई है।

सामान्यत: सभी जन पुस्तकालयों में अबाध प्रवेश्य (Open Access) प्रणाली अपनायी जाती है। कुछ बड़े जन पुस्तकालयों में उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त कुछ और भी सेवायें प्रदान की जाती हैं। छोटे पुस्तकालयों में उनमें से एक अथवा दो ही सेवायें उपलब्ध है।

युनाईटेड किंगडम में जन पुस्तकालय प्रभावशील ढंग से कार्य कर रहे हूँ। वहाँ की पुस्तकालय सेवा में स्वैच्छिक संस्थानों का भी योगदान है।

2.3. युनाईटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय "दी ब्रिटिश लायब्रेरी"

"दी ब्रिटिश लॉयब्रेरी' ' की स्थापना जुलाई 1973 में हुई। इसका उद्देश्य विद्यमान राष्ट्रीय और अर्ध राष्ट्रीय पुस्तकालयों को विलय करके एक पुस्तकालय तन्त्र का निर्माण करना था। इसके तीन प्रभाग हैं:

1. सन्दर्भ प्रभाग
2. आदान प्रभाग
3. वाङ्गमय सेवा प्रभाग

सन्दर्भ प्रभाग के अन्तर्गत ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय विभाग और सांइस रेफ्रेन्स लॉयब्रेरी समाहित थे। आदान प्रभाग में नेशनल लेण्डिंग लॉयब्रेरी ऑफ सांइस एण्ड टेक्नॉलॉजी और नेशनल सेन्ट्रल लॉयब्रेरी समाहित थे। वाङ्गमय सेवा के अन्तर्गत ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी और कॉपीराइट रिसीट ऑफिस सम्मिलित थे।

ब्रिटिश लॉयब्रेरी, युनाईटेड किंगडम में समस्त पुस्तकालय सेवाओं और पुस्तकालय तन्त्र का केन्द्र बिन्दु है। युनाईटेड किंगडम में प्रकाशित प्रत्येक गन्ध की प्रति इसको निःशुल्क प्राप्त होती है। यह पुस्तकालय ब्रिटिश जनता और प्रवासियों को पत्राचार के दारा विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करता है। यह पुस्तकालय सही अर्थों में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है।

इस पुस्तकालय के अतिरिक्त दी सांइस लॉयब्रेरी, दी पेटेन्ट ऑफिस लॉयब्रेरी, विक्टोरिया एण्ड एलबर्ट म्यूजियम 'लॉयब्रेरी, ज्योलोजीकल म्यूजियम लॉयब्रेरी और डिपार्टमेन्ट ऑफ सांइटिफिक एण्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च लॉयबेरी आदि अन्य बड़े पुस्तकालय

2.4. दी लॉयब्रेरी एसोसियेशन

युनाईटेड किंगडम में "दी लायेब्रेरी एसोसियेशन ऑफ दि युनाईटेड किंगडम" जिसको सामान्यत: ' 'दि लायब्रेरी एसोसियेशन" के नाम से पुकारा जाता है, की स्थापना सन् 1877 में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय मुख्यत: एडवर्ड बी. निकोलसन को है। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार निश्चित किया गया:

"विद्यमान पुस्तकालयों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान्य प्रशासन और जहाँ वांछनीय हो नवीन पुस्तकालयों की स्थापना के लिये पुस्तकालय में कार्यरत अथवा रुचि लेने वाले समस्त लोगों को संगठित करना। इसका उद्देश्य व्रांङ्गमय अनुसंधान (Bibliographical Research) को प्रोत्साहित करना भी होगा।"[1]

कालान्तर में इसका मुख्य उद्देश्य "पुस्तकालयों की स्थिति तथा योग्यताओं को उन्नत करने के लिये आवश्यक प्रयास करना हो गया।"[2] परन्तु फिर 'भी यह संघ केवल पुस्तकालय कर्मियों के हितो के लिए ही कार्यशील नहीं रहा। ऐसे अनेक व्यक्ति भी इसके सदस्य रहे जो पुस्तकालय व्यवसाय में कार्यरत नहीं थे।

सन् 1898 में इस संघ को सरकार की मान्यता प्राप्त हुई। सन् 1973 में इस संघ के सदस्यों की संख्या लगभग 21,000 थी। संघ का अपना भवन है, जिसमें लगभग 70 कर्मचारी कार्यरत हैं। संघ की 13 क्षेत्रीय शाखायें हैं और 17 समूह हैं।। संघ में 60 सदस्यों की एक निर्वाचित परिषद है जो 7 मुख्य समितियों में विभाजित हैं। सरकार तथा अन्य निकाय संघ दारा परामर्श प्राप्त करते हैं।

1. MINTO (John) : History of Public Library Movement in Great Britain and Ireland. 1932. P. 164
2. Ibid. P. 165

संघ के कार्य :

1. सम्मेलन आयोजित करना : संघ द्वारा व्यावसायिक प्रकरणों पर और पुस्तकालय कर्मियों पर विचार - विमर्श करने के लिये समय -समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं।
2. पुस्तकालय कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता तथा सामाजिक स्तर की उन्नति के लिये प्रयास किये जाते हैं।
3. संघ प्रति वर्ष ग्रंथालयीनता में प्रवेशिका (Entrance), एसोसियेट (Associate =ALA) तथा फैलोशिप (Fellowship=FLA) स्तर की परीक्षायें आयोजित करता है और प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
4. प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मियों की एक पंजी (Register) निर्मित करता है और उनके हितो की रक्षा करता है।
5. जन पुस्तकालय अधिनियम अंगीकृत करने तथा जन पुस्तकालय स्थापित करने के लिये स्थानीय निकायों को प्रेरित करता है। पुस्तकालय अधिनियम में वांछित संशोधन करवाने के भी प्रयास करता है।
6. राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आयोजित करके जन साधारण में, पुस्तकालय चेतना जाग्रित करता है।
7. सूचीकरण में एकरूपता तथा परिशुद्धता लाने के लिये सूचीकरण नियमों के निर्माण के लिये सक्रिय प्रयास करता है। "ऐंग्लो-अमरीकन केटॉलागिंग रूल्स" के निर्माण में इस संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संघ के प्रकाशन:-

1. लायब्रेरी एसोसियेशन रिकार्ड (Library Association Record) (मासिक पत्रिका)।
2. लायब्रेरी एण्ड इन्फारमेशन साइंस एब्सट्रेक्ट्स (Library and Information Science Abstracts') (द्विमासिक पत्रिका)।
3. जर्नल ऑफ लॉयब्रेरियनशिप (Journal of Librarianship) (त्रैमासिक पत्रिका)।
4. ब्रिटिश टेक्नॉलॉजी इन्डेक्स (British Technology Index (त्रैमासिक पत्रिका)

2.5. अन्य पुस्तकालय संघ

उपरोक्त दी लॉयब्रेरी एसोसियेशन के संगठन अंग के रूप में "एसोसियेशन ऑफ असिस्टेन्ट लायब्रेरियन्स" नामक संघ का गठन किया गया हें और विशिष्ट ग्रंथालयियों ने "एसोसियेशन ऑफ स्पेशल लायब्रेरिज़ एण्ड इन्फार्मेशन ब्यरोज़ (ASLB) की स्थापना की है।

2.6. शैक्षणिक पुस्तकालय

विद्‌यालयीन पुस्तकालय : यूनाईटेड किंगडम में विद्‌यालयीन पुस्तकालयों के अनुरक्षण के लिये प्रति छात्र की दर से शिक्षा निकायों से अनुदान प्राप्त होता है। विद्‌यालयीन पुस्तकालय सामान्यत: अंशकालिक शिक्षक ग्रंथालयी के अन्तर्गत सेवा प्रदान करते हैं।

विश्वविद्‌यालयीन तथा महाविद्‌यालयीन पुस्तकालय : प्राचीन विश्वविद्‌यालयीन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज, पाठ्य- सामग्री को पुस्तकालय सीमा में ही अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करते हैं और ग्रन्थ आदान नहीं करते। संगठक महाविद्‌यालयीन पुस्तकालय आदान सुविधायें प्रदान करते हैं। स्कॉटलैण्ड के विश्वविद्‌यालयीन पुस्तकालय पुस्तकें आदान भी करते हैं।

ब्रिटिश विश्वविद्‌यालयीन और महाविद्‌यालयीन पुस्तकालयों में प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं। यह पुस्तकालय श्रेष्ठ पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। वहाँ की विश्वविद्‌यालय अनुदान समिति (University Grants Committee) ने सन् 1967 में पैरी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जो विश्वविद्‌यालयीन और महाविद्‌यालयीन पुस्तकालयों से संबंधित है। पैरी समिति ने ब्रिटेन में विश्वविद्‌यालयीन तथा महाविद्‌यालयीन पुस्तकालयों की वर्तमान दशा का अध्ययन करके उनके सुधार के लिये अनेक अनुशंसायें की। इनमें से कुछ को लागू किया गया है और अनेक को भविष्य में व्यवहार में लाया जायेगा।

2.7. पुस्तकालय प्रशिक्षण

युनाईटेड किंगडम में पुस्तकालय प्रशिक्षण का शुभारंभ सन् 1885 में करने का श्रेय वहाँ के पुस्तकालय संघ "दी लायब्रेरी एसोसियेशन" को है। सन् 1931 के पाठ्यक्रम के अनुसार तीन प्रकार की परीक्षायें संघ दारा आयोजित की जाती हे:

1. प्रवेशिका अथवा आरम्भिक परीक्षा (Entrance or Elementary Examination)
2. एसोसियेट ऑफ लॉयब्रेरी एसोसियेशन (= ALA Examination) अथवा माध्यमिक परीक्षा,
3. फैली ऑफ लॉयब्रेरी एसोसियेशन (=FLA Examination) अथवा आनम परीक्षा।

इसके अतिरिक्त वहाँ विश्वविद्यालयीन स्तर पर पुस्तकालय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। लन्दन स्कूल ऑफ लॉयब्रेरियनशिप, पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पूर्णकालिक अध्ययनशाला है जिसकी स्थापना पुस्तकालय संघ के सुझाव पर कॉरनेगी के अनुदान से सन् 1919 में हुई थी। अब यहाँ लगभग 15 पूर्णकालिक पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यचर्यायें चल रही हैं। जो पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोधोपाधि प्रदान करती हें।

ग्रेट ब्रिटेन को समग्र संसार में सर्वप्रथम सूचीकरण नियमों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। सन् 1841 में सर एन्थोनी पैनीज़ी द्वारा सूचीकरण नियम निर्मित करके उनको ब्रिटिश म्यूजियम लॉयब्रेरी के केटॉलॉग में प्रकाशित किया गया।

2.8. पुस्तकालय विकास से संबन्धित प्रमुख व्यक्ति

यूनाईटेड किंगडम में पुस्तकालय विकास में एन्ड्रयू कॉरनेगी तथा जे.पी. एडवर्ड्स का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कॉरनेगी द्वारा ' कॉरनेगी युनाईटेड किंगडम ट्रस्ट' ' की स्थापना की गई। इस न्यास ने राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय संघों, ग्रन्थालयीनता तथा अभिलेखागारों की अध्ययनशालाओं को भी अनुदान दिया। एडवर्ड्स ने लन्दन तथा अपनी काउंटी में स्थित लगभग 20 पुस्तकालयों को भवन तथा ग्रन्थ अनुदान प्रदान किये। इस प्रकार के अनुदानों से यूनाईटेड किंगडम में पुस्तकालयों की संख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ने लगी।

2.9. युनाईटेड किंगडम में पुस्तकालय सहयोग

पुस्तकालय सहयोग की दृष्टि से समस्त देश को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक में उसमें सम्मिलित पुस्तकालयों की संघ सूची विद्यमान है। यदि कोई पाठक ऐसे किसी ग्रन्थ का इच्छुक होता है जो स्थानीय पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं होता है तो उसके आवेदन पत्र को उस क्षेत्र के मुख्यालय को भेज दिया जाता है। मुख्यालय में यह ज्ञात किया जाता है कि ग्रंथ उस क्षेत्र के किस पुस्तकालय में उपलब्ध है जहाँ से उसको उक्त पुस्तकालय को अन्तराग्रन्थालयीन आदान पर भेज दिया जाता है। उक्त क्षेत्र के किसी भी पुस्तकालय में ग्रन्थ उपलब्ध न होने की स्थिति में उसके आवेदन पत्र को राष्ट्रीय पुस्तकालय भेज दिया जाता है और वहाँ से अन्तरग्रंथालयीन आदान के माध्यम से उक्त पाठक को वांछित ग्रंथ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देश के किसी भी भाग में रहने वाला अध्येता, देश के किसी भी भाग से वांछित गन्ध प्राप्त कर सकता है।

3. सारांश

संयुक्त राज्य अमरीका और युनाईटेड किंगडम दोनों देश पुस्तकालय विकास की दृष्टि से समग्र विश्व में काफी उन्नत हैं। भारत की भांति अमरीका में भी पुस्तकालय सेवा, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। सन् 1980 तक सभी अमरीकी राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय पुस्तकालय "लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस" की गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में होती है। इसके अतिरिक्त वहाँ चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं। अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसियेशन संसार का सर्वप्रथम पुस्तकालय संघ है। जिसकी स्थापना सन् 187 छ में हुई। सर्वप्रथम पुस्तकालय प्रशिक्षण भी सन् 1887 में अमरीका में ही प्रदान किया गया। अमरीका में जन पुस्तकालयों को "लोक

विश्वविद्यालयों" की संज्ञा प्राप्त है और अमरीका को "पुस्तकालयों की भूमि" कहा जाता है। अमरीका में पुस्तकालय विकास की दृष्टि से कॉरनेगी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

युनाईटेड किंगडम में विश्व का सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम सन् 1850 पारित हुआ। सन् 1960 तक शत- प्रतिशत ब्रिटिश जनता को जन पुस्तकालय सेवा सुलभ हो गई। वहाँ जन पुस्तकालय प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे है। यहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय "दी ब्रिटेन लायब्रेरी" भी गणना संसार के विशालतम पुस्तकालयों में एक है। इस देश में "दी लायब्रेरी एसोसियेशन" के नाम से पुस्तकालय संघ की स्थापना सन् 1877 में हुई। यहाँ पुस्तकालय प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी संघ दारा सन् 1885 में आरम्भ की गई जो आज भी तीन स्तरों पर प्रदान की जाती है। सर्वाधिक प्रभावी पुस्तकालय सहयोग ब्रिटेन में ही कार्यशील है। वहाँ के जन पुस्तकालय प्रभावशाली ढंग से पुस्तकालय सेवा प्रदान कर रहे है। ब्रिटेन में पुस्तकालय सहयोग की दृष्टि एन्ड्रयू कॉरनेगी और जे.पी. एडवर्ड्स का योगदान :विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

4. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. संयुक्त राज्य अमरीका में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास पर एक लेख लिखिये।
2. युनाईटेड किंगडम में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास पर एक लेख लिखिये।
3. टिप्पणियाँ लिखिये:
   (1) एन्ड्रयू कॉरनेगी का पुस्तकालय विकास में योगदान
   (2) लॉयब्रेरी ऑफ कांग्रेस
   (3) अमरीकन लॉयब्रेरी एसोसियेशन
   (4) राबर्ट समिति का प्रतिवेदन

5. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय और समाज.1994.
2. Krishan Kumar, Library Organization.
3. शर्मा, पाण्डेय एस.के. पुस्तकालय और समाज. 1998
4. शास्त्री, द्वारिका प्रसाद, भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास.

इकाई- 4 : स्वतन्त्रता उत्तरोत्तर भारत में पुस्तकालय विकास (Library Development in India Since Independence)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. पुस्तकालय विकास के अर्थ से अवगत कराना,
2. भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में बाधाओं से परिचित कराना,
3. भारत में पुस्तकालय विकास से संबन्धित मुख्य घटकों (Factors) से परिचित कराना,
4. भारत में पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत करके उससे परिचित कराना।

संरचना

1. पुस्तकालय विकास से तात्पर्य
2. पुस्तकालय विकास के लिये पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें
3. भारत में पुस्तकालय विकास में बाधायें
4. बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास
5. पुस्तकालय विकास के लिये समितियाँ
6. पुस्तकालय प्रशिक्षण तथा साहित्य
7. पुस्तकालय संघ
8. पुस्तकालय अधिनियम
9. शैक्षणिक पुस्तकालय
10. विशिष्ट पुस्तकालय
11. प्रलेखन और विशिष्ट पुस्तकालय सेवायें
12. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय
13. दिल्ली पालक लायब्रेरी
14. पुस्तकालय विकास से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति
15. सर्वव्यापी पुस्तकालय सेवा
16. वर्तमान स्थिति
17. निष्कर्ष
18. सारांश
19. अभ्यासार्थ प्रश्न
20. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. पुस्तकालय विकास से तात्पर्य

पुस्तकालय आन्दोलन से तात्पर्य ऐसे प्रयास एवं गतिविधियों से है, जिसके दारा जनसाधारण के उपयोग के लिये और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जन पुस्तकालयों (Public Libraries) का घना और परस्पर सम्बद्ध तन्त्र स्थापित किया जा सके। जबकि पुस्तकालय विकास से तात्पर्य है इस परिवर्तनशील काल में स्थान-स्थान पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को स्थापित कर नये विकास क्रम को दर्शाना। "पुस्तकालय आन्दोलन" का अर्थ है पुस्तकालयों का नियोजित विकास (Planned Development)। पुस्तकालय विकास को पुस्तकालय आन्दोलन का प्रथम पक्ष माना जाता है। व्यावहारिक दृष्टि - से 'पुस्तकालय विकास' और 'पुस्तकालय आन्दोलन' को परस्पर पर्याय माना जाता है। भारत में पुस्तकालयों के विकास का शुभारम्भ सन् 1910 में करने का श्रेय बड़ौदा नरेश महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ को दिया जाता है।

2. पुस्तकालय, विकास के लिये पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें

1. सब प्रकार की उत्तम श्रेणी की सस्ती पुस्तकों का तीव्र गति से प्रकाशन, और
2. ज्ञान प्राप्ति में जनतन्त्रात्मक भावना के प्रति सामाजिक जागृति का अस्तित्व में आना।

3. भारत में पुस्तकालय विकार। में बाधायें

1. **साक्षरता का अभाव.** अभी भी देश की 40% जनसंख्या साक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसाधारण की ओर से पुस्तकालय की माँग करना सम्भव नहीं है।

2. **निर्धनता:** अभी इस देश में जीवन की तीन आधारभूत आवश्यकताओं अर्थात् रोटी, कपड़ा और मकान की सम्पूर्ति ही सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करने की ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

3. **जनसंख्या का बिखराव.** भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या छोटे-छोटे ग्रामों और पुरवों (Hamlets) में निवास करती है। इनमें पुस्तकालय सेवा केवल चल पुस्तकालयों के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है जो अत्यन्त महंगा साधन

4. **स्त्रियों की सामाजिक दशा:** आज भी भारत के अधिकांश भाग में स्त्रियों को पढ़ाना-लिखाना अनावश्यक समझा जाता है। अभी भी पर्दा प्रथा का प्रचलन है। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चार-दीवारी माना जाता है। अत: आधी के लगभग जनता को ग्रन्थों तथा पुस्तकालय की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती।

5. **विद्यार्जन की रूढ़िवादी परम्परा:** प्राचीन काल में पठन-पाठन पर केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार माना जाता था। इसके अतिरिक्त ' 'विद्याकंठ की' ' लोकोक्ति ही महत्व दिया जाता था। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का जनतन्त्रात्मक भावना का विकास नहीं हो सका।

6. **पुस्तकों, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अभाव :** इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना है।

7. **पुस्तकालय चेतना (Library Consciousness) का अभाव:** हमारे देश में पढ़े-लिखे लोगों में नई-नई पुस्तकों के पढ़ने का चाव नहीं है। शिक्षित लोग भी पुस्तकालय सेवा के अभाव को अनुभव नहीं करते हैं और न ही उनकी स्थापना के लिये सक्रिय प्रयास करते हे।

8. **अभिप्रेरणा (Motivation) का अभाव.** जनसाधारण में किसी भी जन-कल्याण के कार्य के प्रति रूचि नहीं है। पुस्तकालय विकास के लिये भी अभिप्रेरणा का अभाव है।

9. **शासकीय पहल तथा पुस्तकालय अधिनियम का अभाव :** भारत में शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें पुस्तकालय विकास के प्रति तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसी कारण आज भी भारत में अनेक राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सके है।

4. बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय विकास

जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है भारत में पुस्तकालय विकास का श्री गणेश सन् 1910 से माना जाता है जब तत्कालीन बड़ौदा नरेश महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ ने अपनी रियासत बड़ौदा में अमरीकन ग्रंथालयी डब्ल्यू.एस. बोर्डन के माध्यम से उनके तीन वर्ष के कार्यकाल में अपने पूरे राज्य में जन पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना की। -

5. पुस्तकालय विकार के लिये समितियाँ

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पुस्तकालय विकास के लिये निम्नलिखित प्रमुख समितियाँ नियुक्त की गई।

1. **पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee for Libraries):** भारत सरकार विद्यमान पुस्तकालयों के सर्वेक्षण तथा समस्त देश में पुस्तकालय योजनाओं के विकास के लिये सन् 1957 में के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में "पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति" की स्थापना की जिसने12 नवम्बर 1958 भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन किया। इसकी प्रमुख अनुशंसायें निम्नानुसार हैं -

1. भारत के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्राप्त होना चाहिये।
2. देश की पुस्तकालय संरचना में एक राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय, तीन राष्ट्रीय ग्रन्थ निक्षेपागारों (Depositories), राज्यों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, मण्डल (District) पुस्तकालयों, नगर पुस्तकालयों, ब्लॉक पुस्तकालयों तथा पंचायत पुस्तकालयों की स्थापन होना चाहिये।
3. राज्य सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने चाहिये।
4. प्रत्येक राज्य में एक स्वतन्त्र समाज शिक्षा तथा पुस्तकालय संचालन की स्थापना होनी चहिये।
5. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का ग्रंथालयी, पुस्तकालय विभाग का प्रमुख तकनीकी सलाहकार होना चाहिये।
6. राज्यों में पुस्तकालय संघ होने चाहिये जो समयानुसार वर्कशॉप, सेमिनार, पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन कर सके।'

2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति**. इस समिति की नियुक्ति भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हारा रंगनाथन की अध्यक्षता में सन् 1958 में की गई। इसने अपना प्रतिवेदन सन् 1959 में आयोग को प्रस्तुत किया। इस समिति ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय भवन की योजना तथा निर्माण, खाज-सज्जा तथा उपस्कर, पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय कर्मियों का प्रशिक्षण, वेतन तथा संख्या आदि के सम्बन्ध में अपने सुझाव आयोग को प्रस्तुत किये जिनको आयोग ने मान्य किया।

3. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पर्यवेक्षण समिति :** आयोग द्वारा इस।; समिति की नियुक्ति भी रंगनाथन की अध्यक्षता में जुलाई सन् 1961 में की गई थी और सन् 1965 में इसने अपना प्रतिवेदन "Library Science in Indian Universities" के नाम से प्रस्तुत किया। इसने पुस्तकालय प्रशिक्षण एवं शोध के संबंध में अपने सुझाव आयोग को प्रस्तुत किये जिनको आयोग ने मान्य किया।

6. पुस्तकालय प्रशिक्षण तथा साहित्य

प्रशिक्षण. स्वतन्त्रता से पूर्व ही भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण और साहित्य रचना का कार्य आरम्भ हो गया था। प्रथम पुस्तकालय पाठ्यचर्या डब्ल्यू एस बोर्डन द्वारा सन् 1911 में आरम्भ की गई। तत्पश्चात् ए.डी. डिकिन्सन ने सन् 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया। परन्तु प्रशिक्षण का वास्तविक इतिहास और विकास सन् 1933 से आरम्भ होता है जब रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र स्तर का प्रशिक्षण आरम्भ किया। सन् 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में ही रंगनाथन के सद्प्रयासों से उपाधि-पत्र पाठ्यचर्या आरम्भ हुई। सन् 1941 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और सन् 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में उपाधि-पत्र पाठ्यचर्या की संस्थापना हुई।

स्वतंत्रता के उपरान्त पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान शिक्षा गे आशातीत प्रगति हुईऔर अब भारत के अनेक विश्वविद्यालय (लगभग 100) इस विषय में शिक्षण प्रदान करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में यह निम्नांकित तीन स्तरों पर अध्ययन करवाया जाता है:

1. स्नातक स्तर (बैचलर ऑफ लॉयब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस)
2. स्नातकोत्तर स्तर (मास्टर ऑफ लॉयब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस)
3. एम.फिल. इन लॉयब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस।?
4. पी-एच.डी. इन लॉयब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइंस

प्रमाणपत्र और उपाधि पत्र (Diploma) स्तर का प्रशिक्षण सामान्यत: राज्य संघों द्वारा प्रदान किया जाता है।

1. INDIA, (LIBARIES Advisory Committee for)- 1957: Report. P. 53-7

डाक्यूमेन्टेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (DRTC), बैंगलौर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर (IASLIC), इकाई;, नई दिल्ली तथा इण्डियन एसोसियेशन ऑफ स्पेशल

लायब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन सेन्टरस (IASLIC), कोलकाता दास प्रलेखन और विशिष्ट ग्रंथालयीनता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

साहित्य: भारत में पुस्तकालय विज्ञान की सर्वप्रथम पुस्तक सन् 1903 में इम्पीरियल लायब्रेरी, कोलकाता के अंग्रेज पुस्तकालय ग्रन्थालयी जे.मेक्फॉरलेन दारा लिखी गयी। सन् 1913 में बी.एच. मेहता ने अपनी पुस्तक "हिंट्स ऑन लॉयब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन" का प्रकाशन सूरत से किया। तत्पश्चात् पंजाब विश्वविद्यालय के अमरीकन ग्रन्थालयी ए.डी. डिकिन्सन कृत पुस्तक सन् 1916 में "पंजाब लॉयब्रेरी प्राइमर' ' के नाम से प्रकाशित हुई।

बी.सी. विकरी (B.C. Vickery) के अनुसार, "भारत में रचित पुस्तकालय विज्ञान साहित्य अनूठा है जिसकी तुलना संसार के किसी अन्य देश में रचित पुस्तकालय विज्ञान साहित्य से नहीं की जा सकती। जबकि अधिकांश अंग्रेजी और अमरीकन पाद्य-गन्ध इसका वर्णन करके सन्तुष्ट हो जाते हैं कि "पुस्तकालय विज्ञान है?', भारतीय रचनायें लगभग पूर्णतया "पुस्तकालय विज्ञान क्या होना चाहिये?" से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार के ग्रन्थों की रचना का श्रेय लगभग पूर्णतया एक व्यक्ति डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन की दूर-दृष्टि तथा अथक परिश्रम का परिणाम है।" आपने पुस्तकालय विज्ञान को सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्तर प्रदान किया। आपका सर्वप्रथम अमर ग्रन्थ "फाइव लॉज ऑफ लॉयब्रेरी साइंस" सन् 1931 में प्रकाशित हुआ। आपके अन्य ग्रन्थों में सन् 1933 में प्रकाशित "कोलन क्लासीफिकेशन" और सन् 1934 में प्रकाशित "क्लासीफाइड केटॉलॉग कोड' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपके दारा रचित अथवा सम्पादित लगभग 60 अन्य ग्रन्थ और लगभग 1000 लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

अन्य भारतीय विद्वानों ने भी आंग्ल भाषा तथा भारतीय भाषाओं में पुस्तकालय विज्ञान पर ग्रन्थों की रचना की। ग्रन्थ सन्दर्भ सूचियों (bibliographies) तथा अनुक्रमणिकाओं (indexes) का भी संकलन किया गया। ग्रन्थों के अतिरिक्त भारत से आंग्ल और भारतीय भाषाओं में आवधिक प्रकाशनों (Periodical) का भी प्रकाशन किया गया जिनकी संख्या 25 से अधिक ही है।

7. पुस्तकालय संघ

अखिल भारतीय जन पुस्तकालय संघ (All India Public Library Association) : इस संघ की स्थापना सन् 1920 में हुई। इसके अनेक अधिवेशन हुए जिनमें डॉ. एस. राधाकृष्णन, श्री सी.आर दास, डॉ. मोतीचन्द्र आदि महापुरुषों का सहयोग प्राप्त हुआ। सन. 1939 में यह संघ भंग हो गया।

भारतीय पुस्तकालय संघ (Indian Library Association = ILA) इस संघ की स्थापना 12 दिसम्बर सन् 1933 को की गई इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ए.सी. वूलनर और प्रथम सचिव इम्पीरियल लायब्रेरी, कोलकाता के ग्रंथालयी के.एम. असादुल्ला खान निर्वाचित हुए।

इस संघ के उद्देश्य निम्नानुसार निश्चित किये गये-

1. भारत में पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करना,

2. पुस्तकालय विज्ञान में शोध कार्य को गति प्रदान करना,
3. भारत में ग्रन्थालयियों के प्रशिक्षित वर्ग को जन्म देकर उसकी उन्नति करना,
4. ग्रन्थालयियों के स्तर तथा कार्य करने की दशाओं में सुधार करवाना, और
5. समान उद्देश्य के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करना।

आरंभिक वर्षों में यह संघ कुछ विशेष सक्रिय नहीं रहा। सन् 1946 से 1953 तक रंगनाथन की अध्यक्षता में इस संघ ने उल्लेखनीय कार्य किया। संघ को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुदान भी प्राप्त होता है। इसके सम्मेलन अब प्रतिवर्ष भारत के प्रमुख नगरों में होते है। संघ के द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी में ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया गया है। इस संघ ने सन. 1938 में 'इण्डियन लॉयब्रेरी डायरेक्टरी' का प्रकाशन किया जिसके संशोधित संस्करण 1942 और 1951 एवं 1988 में प्रकाशित किये गये। इस संघ ने पुस्तकालय विज्ञान में पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया है। आजकल इस संघ दारा 'आई.एल.ए. बुलेटिन (ILA Bulletin) के नाम से वर्ष 1965 से निरंतर एक त्रैमासिक प्रत्रिका का प्रकाशन होता रहा है।

इस संस्था का अपना भवन नई दिल्ली में स्थित है जिसमें कुछ वैतनिक कर्मचारी भी कार्यरत हैं। निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि इस राष्ट्रीय संघ के क्रियाकलाप एक अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अनुरूप नहीं रहे हैं जिसका मुख्य कारण पुस्तकालय व्यावसायियों की उदासीनता।

भारतीय विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों का संघ (Indian Association of Special Libraries and information Centres =IASLIC): इस संघ की स्थापना 3 सितम्बर सन् 1955 को की गई। डॉ. एल.एल. होरा इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इसका प्रथम अधिवेशन सन् 1986 में कलकत्ता में हुआ। इस संघ के उद्देश्य निम्नानुसार हूँ:

1. पुस्तकालय प्रशिक्षण में योगदान
2. पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशन तथा पुस्तकालय प्रचार,
3. ग्रन्थ पुनरुत्पादन,
4. प्रलेखन,
5. सूचना सेवायें, और
6. पुस्तकालय सहयोग तथा समन्वय।

इस संघ का मुख्यालय कोलकाता में है। अब तक इस संघ के अनेक सम्मेलन देश के विभिन्न नगरों में हो चुके हैं। इस संघ के सदस्यों में ग्रन्थालयियों और सूचना अधिकारियों के अतिरिक्त वैज्ञानिक, शिक्षाविद् प्रशासक आदि भी सम्मिलित करके उनको ग्रन्थालयियों के संसर्ग में लाने का प्रयास किया गया है।

इस संघ के द्वारा विशिष्ट ग्रंथालयीनता और प्रलेखन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जर्मन और रशियन भाषाओं की कक्षायें भी संचालित की जाती है। संघ के द्वारा ' आइसलिक बुलेटिन (Iaslic Bulletin,)' तथा इण्डियन लॉयब्रेरी साइंस एब्ट्रेक्ट्स (Indian Library) नामक त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट ग्रंथालयीनता तथा प्रलेखन पर कुछ ग्रंथो का प्रकाशन भी किया गया है। "डायरेक्टरी ऑफ

स्पेशल एण्ड रिसर्च लॉयब्रेरीज़ इन इण्डिया' ' का भी प्रकाशन इस संघ के दारा किया गया है। यह संघ अल्प शुल्क पर ग्रन्थ पुनरूत्पादन और सेवायें भी प्रदान करता है।

यह संघ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लॉयब्रेरीज़ एसोसियेशन (IFLA), तथा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डाक्यूमेन्टेशन (FID) से भी सम्बद्ध है।

विभिन्न प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ: उपरोक्त अखिल भारतीय संघों के अतिरिक्त लगभग प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय संघों का गठन किया गया है और क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ भी कार्यरत है।

8. पुस्तकालय अधिनियम

पुस्तकालय विकास और आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण चरण पुस्तकालय अधिनियम पारित होना है। भारत में इस दिशा में भी सक्रिय प्रयास किये गये हैं। सर्वप्रथम सन् 1869 में "दी प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट (XXV)' के नाम से पारित हुआ। सन् 1902 में भारत सरकार ने "इम्पीरियल लॉयब्रेरी एक्ट (इन्डेन्चरस वेलीडेशन)" पारित किया जिसके अनुसार "कलकत्ता पब्लिक लॉयब्रेरी" को "इम्पीरियल लॉयब्रेरी" बनाया गया।

सन् 1948 में भारत सरकार दारा राष्ट्रीय पुस्तकालय पर एक समिति की नियुक्ति की गई। रंगनाथन ने इस समिति के सदस्य के रूप में पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय को दिल्ली में स्थापित करने का सुझाव दिया गया। सन् 194 छ में ही भारत सरकार ने 'दी इम्पीरियल लॉयब्रेरी (चेंज ऑफ नेम), एक्ट 1948' पारित किया जिसके अनुसार "इम्पीरियल लॉयब्रेरी" को "नेशनल लॉयब्रेरी ऑफ इण्डिया" घोषित किया गया।

सन् 1954 में केन्द्रीय सरकार ने "दी डिलीवरी ऑफ बुक्स (पब्लिक लॉयब्रेरीज़) एक्ट" पारित किया। सन् 1956 में इसमें संशोधन करके समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। इन अधिनियमों के अधीन प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशनों की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता तथा एक-एक प्रति अन्य तीन जन पुस्तकालयों को जिनको भारत सरकार निर्देश दे, अपने व्यय पर निःशुल्क भेजनी पड़ती हैं। वे तीन अन्य पुस्तकालय हैं- कोनेमेरा पब्लिक लॉयब्रेरी, चेन्नई, एशियाटिक सोसाइटी लॉयब्रेरी, मुम्बई और दिल्ली पालक लॉयब्रेरी, दिल्ली। इनको डिपाजिटरी लॉयब्रेरी कहा जाता है। इस प्रकार एकत्रित की हुई पाद्य-सामग्री के आधार पर सेन्ट्रल रेफरेन्स लॉयब्रेरी, कलकत्ता हारा "इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी" का संकलन और प्रकाशन किया जाता है।

भारत में जन पुस्तकालय अधिनियम की विचारधारा भी रंगनाथन की देन है। आपने बहुत पहिले एक "मॉडल पब्लिक लॉयब्रेरी एक्ट" कार प्रारूप तैयार किया। सन् 1963 में भारत सरकार ने एक आदर्श पुस्तकालय विधेयक तैयार किया जिसका प्रारूप सन् 1985 में निर्मित करके विभिन्न राज्य सरकारों के विचारार्थ प्रेषित किया गया जिससे उसके अनुरूप पुस्तकालय - अधिनियम पारित कर सकें

भारतीय राज्यों में सर्वप्रथम जन पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन के सद्प्रयासों से तत्कालीन मद्रास राज्य (वर्तमान में तमिलनाडु) में सन् 1948 में पारित हुआ। उसके पश्चात् अब तक 11 अन्य राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। इन सबकी जानकारी निम्नांकित तालिका से हो जायेगी:

क्र.	राज्य	अधिनियम का नाम	पारित होने का वर्ष
1.	तमिलनाडु	तमिलनाडु लॉयब्रेरीज एक्ट	1948
2.	आंध्रप्रदेश	आंध्रप्रदेश पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1960
3.	कर्नाटक	कर्नाटक पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1965
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1967
5.	पश्चिम बंगाल	वेस्ट बंगाल पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1979
6.	केरल	केरल पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1987
7.	हरियाणा	हरियाणा पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1987
8.	मणिपुर	मणिपुर पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1988
9.	मिजोरम	मिजोरम पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1993
10.	गोवा	गोवा पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	1993
11.	गुजरात	गुजरात पब्लिक लॉयब्रेरीज एक्ट	2001

कहने की आवश्यकता नहीं कि उपरोक्त राज्यों में किसी सीमा तक जन, पुस्तकालयों का विकास हो गया है। शेष राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार आदि में अभी भी जन पुस्तकालय अधिनियमों का अभाव है।

9. शैक्षणिक पुस्तकालय

शैक्षणिक पुस्तकालयों के अन्तर्गत विद्यालयीन पुस्तकालय, महाविद्यालयीन पुस्तकालय। और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय आते हैं। नीचे इनके विकास से संबन्धित संक्षिप्त चर्चा की गई है।

9.1. विद्यालयीन पुस्तकालय : स्वतन्त्रता उपरान्त निरक्षरता उन्मूलन पर पर्याप्त बल दिया गया। अपितु, बड़ी संख्या में विद्यालयों की स्थापना की गई। परन्तु विद्यालयीन शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। भारत सरकार ने सन् 1986 में 'नई शिक्षा नीति' की घोषणा की। विद्यालयीन पुस्तकालय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा किये गये तृतीय अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (1981) के अनुसार विद्यालयीन पुस्तकालयों की स्थिति निम्नानुसार थी:

"मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 5, 89, 031 है जिनमें से केवल 41.08% में ही पुस्तकालय सुविधायें प्राप्त है।

दुःख का विषय है कि विद्यालयीन पुस्तकालयों के विकास को आज भी समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है।

महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय : स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात् भारत में उच्च शिक्षा का आशातीत विकास हुआ और पर्याप्त संख्या में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। रंगनाथन के सद्प्रयासों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों से भारत में विश्वविद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का आशातीत विकास हुआ। आयोग दारा केवल भवन अनुदान, उपस्कर अनुदान तथा ग्रन्थ अनुदान आदि ही न देकर, पुस्तकालय कर्मचारियों की ओर भी ध्यान दिया गया। अब भारत में विश्वविद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन पुस्तकालय कर्मचारियों को वहाँ के शिक्षकों के समकक्ष स्तर तथा वेतनमान प्राप्त है। आज देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 200 के लगभग है और लगभग 8000 महाविद्यालय हैं।

शिक्षा कार्यक्रम में ग्रन्थालयी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिना उसके के शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता मैं कोई वांछित सुधार संभव नहीं है। उसको शिक्षण कार्यक्रम में बराबर भागीदार मानना आवश्यक है। यदि हम नई शिक्षा नीति को सही अर्थों में लागू करना चाहते हैं तो शिक्षण कार्यक्रम ' ग्रंथालयी की भूमिका को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा।

10. विशिष्ट पुस्तकालय (Special Libraries)

इस समय भारत में अनेक विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र कार्यरत हैं। यह अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों आदि और शासकीय विभागों से सम्बद्ध हैं। इनकी स्थिति जन पुस्तकालयों की तुलना में काफी सन्तोषजनक है। परन्तु इनमें भी पर्याप्त संख्या में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का अभाव है। इसके अतिरिक्त इन सबमें परस्पर किसी प्रकार के सहयोग, समन्वय आदि की व्यवस्था नहीं है।

11. प्रलेखन केन्द्र और विशिष्ट पुस्तकालय सेवायें

इन्सडॉक (INSDOC) : सन् 1952 में यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा इण्डियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर (INSDOC) की स्थापना हुई। यह संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रीयल रिसर्च (CSIR) की ऐजेन्सी के रूप में अपने स्वतन्त्र भवन और पूर्णकालिक निदेशक के निर्देशन में नई दिल्ली में कार्यरत है। इसमें प्रमुख कार्य निम्नानुसार है:

1. समस्त विश्व के उपयोगी वैज्ञानिक आवधिक प्रकाशनों (Periodical publications) को प्राप्त करना और उनका भण्डारण करना;
2. वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को उनके उपयोग्य प्रलेखों की सूचना करना;
3. उपलब्ध स्रोतों की सहायता से विशिष्ट प्रश्नों तथा जिज्ञासाओं के प्रदान करना;
4. आवश्यकता पड़ने पर, माँग पर प्रलेखों की फोटो प्रतिलिपियाँ तथा अनुवाद प्रदान करना;
5. राष्ट्र के समस्त प्रकाशित और अप्रकाशित वैज्ञानिक कार्यों के लिये राष्ट्रीय निक्षेपगार के रूप में कार्य करना; और
6. विश्व को भारत राष्ट्र हारा किये गये वैज्ञानिक कार्य की सूचना प्रदान करना।

इन्सडॉक में लगभग 1200 से भी ऊपर देशी-विदेशी वैज्ञानिक पत्रिकायें अर्जित की जाती हैं। इस केन्द्र में विकसित पुस्तकालय को "नेशनल साइंस लायब्रेरी" घोषित किया गया है। यह केन्द्र प्रलेखन में एक पाठ्यचर्या भी संचालित करता है। इसके हारा पुस्तकालय विज्ञान और प्रलेखन पर एक त्रैमासिक पत्रिका "एनॉल्स ऑफ लायब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस" का प्रकाशन भी नियमित रूप से वर्ष 1964 से हो रहा है।

इस केन्द्र के क्षेत्रीय कार्यालय भी देश के कई भागों में स्थापित किये गये हैं। या केन्द्र निम्नांकित सेवायें प्रदान करती

1. प्रलेख सूचियों का प्रकाशन;
2. छाया पुनरूत्पादन (Reprographic) कार्य;
3. अनुवाद सेवा; और
4. प्रलेखन कार्य में प्रशिक्षण।

इसका प्रमुख प्रकाशन "इण्डियन साइंस एब्सट्रेक्ट्स" है। इसकी एक प्रमुख प्रायोजना "यूनियन केटॉलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स" है जिसका संकलन कार्य प्रगति पर है।

अन्य प्रलेखन सेवाऐं : इन्सडॉक के अतिरिक्त सुरक्षा सेवाओं के लिये प्रलेखन कार्य के लिये डेसीडॉक (DESIDOC) कार्यरत है। समाज विज्ञान के क्षेत्र में इन्सोडॉक (Indian Social Science Documentation Centre -NASSDOC) कार्यरत है। अन्य भारतीय बड़े संस्थान जो प्रलेखन और सूचना सेवा प्रदान कर रहे। हैं उनमें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रीयल रिसर्च (CSIR), रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन भाभा ऐटोमिटक रिसर्च सेन्टर, इण्डियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR),इंडिया काउंसिल ऑफ मेडीकल रिसर्च (ICMR), इण्डियन स्टेटिस्टीकल इंस्टीट्यूट (ISI), इण्डियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय दारा भी भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री के अनुक्रमणीकरण का कार्य किया रहा था। इसके लिये यहाँ से "इन्डेक्स इण्डिया" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था जो भारत में प्रकाशित होने वाले समस्त अंग्रेजी सामयिक प्रकाशनों और समाचार पत्रों के लेखों आदि के सम्बन्ध में सूचना संकलित और प्रकाशित करता था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एवं समाज विज्ञान शास्त्रीयों की उदासीनता के कारण पिछले कुछ वर्षो से इस अनुक्रमणीकरण पत्रिका प्रकाशित होना बन्द हो गया।

इनके-अतिरिक्त दिल्ली पुस्तकालय संघ एक मासिक अनुक्रमणिका पत्रिका का प्रकाशन "इण्डियन प्रेस इंडेक्स" के नाम से करता है। व्यापारिक क्षेत्र में प्रभु बुक सर्विस दारा एक पत्रिका का प्रकाशन "ए गाइड टू इण्डियन पिरियोडिकल लिटरेचर' ' के नाम से होता है। यह प्रकाशन निरंतर प्रकाशित हो रहा हैं।

"इण्डियन नेशनल बिब्लियोग्राफी" का प्रकाशन सन् 1958 से भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय में संस्थापित, सेन्ट्रल रेफरेन्स लायब्रेरी हारा किया जा रहा है। इस वाँड्गमयी सूची पत्रिका ने भी कई उत्तर चढ़ाव देखे है लेकिन हर्ष का विषय है कि इसके अंक भले ही देरी से प्रकाशित हो रहे है लेकिन प्रकाशित अवश्य हो रहे है।

12. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय

31 जनवरी 1903 को "कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी" नामक जन पुस्तकालय को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने "इम्पीरियल लायब्रेरी" के रूप में उद्घाटित करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाया। सन् 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित करके इसको 'भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय' घोषित कर दिया। अब यह भारत के विशालतम पुस्तकालय के रूप में कोलकाता में बेलवेडर नामक भवन में स्थित है और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत है।

13. दिल्ली पब्लिक लॉयब्रेरी

27 अक्टूबर 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने यूनेस्को के सहयोग से संस्थापित एक ' 'आदर्श जन ग्रंथालय' ' के रूप में इसका उद्घाटन किया और इसके संचालन के लिये "दिल्ली लॉयब्रेरी बोर्ड' ' की स्थापना की गई। इसकी समस्त सेवायें बिना किसी भेद-भाव के सबको निःशुल्वा रूप से उपलब्ध हैं और केवल पुस्तकों के आदान-प्रदान तक सीमित न होकर यह एक सामुदायिक केन्द्र के रूप में कार्यरत है। दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को चल पुस्तकालयों (Mobile Libraries) के माध्यम से पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती है। इस समय इस पुस्तकालय की लगभग 60 शाखायें और अनेक सेवा केन्द्र वृहद दिल्ली के निवासियों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करने में संलग्न है। भारत के जन पुस्तकालय विकास में दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी की स्थापना को एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

14. पुस्तकालय विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति

डॉ. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आन्दोलन के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दिशा में आपका योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है। इनसे पूर्व बड़ौदा राज्य में तत्कालीन बड़ौदा नरेश महाराज सायाजीराव गायकवाड़ का नाम पुस्तकालय आन्दोलन की दृष्टि से सदैव स्मरणीय रहेगा। बड़ौदा राज्य में मोती भाई अमीन को मित्र-मण्डलों की स्थापना का श्रेय है। बंगाल में मुनीन्द्र देव राय महाशय, राजस्थान में मास्टर मोतीलाल संघी और पंजाब में सन्तराम भाटिया ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया।

15. सर्वव्यापी पुस्तकालय सेवा

भारत में सर्वव्यापी पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिये रंगनाथन ने निम्नानुसार अनुमान सन् 1988 में लगाया

1. RANGANATHAN (SR), Ed: Free Book Service for All. 1968. p 51.

	पुस्तकालय का नाम	**संख्या**
1.	राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय	**1**
2.	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	.19
3.	नगर केन्द्रीय पुस्तकालय	112

4.	नगर शाखा पुस्तकालय	1150
5.	ग्राम्य केन्द्रीय पुस्तकालय	315
6.	ग्राम्य शाखा पुस्तकालय	6580
7.	ग्राम्य प्रदाय केन्द्र	241366
8.	कुल सेवा केन्द्र	249541
9.	चल पुस्तकालय	12069

ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, इन आंकडों में भी बढ़ोतरी करना आवश्यक हो जायेगा।

16. वर्तमान स्थिति

भारतीय जन पुस्तकालयों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं:

1. **शासकीय जन पुस्तकालय**
2. **अशासकीय जन पुस्तकालय**

शासकीय पुस्तकालय राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के दारा स्थापित किये गये हैं और सार्वजनिक कोष से संचालित होते हैं और सामान्यत: इनकी अधिकांश सेवायें नि: शुल्क हैं। अशासकीय पुस्तकालय में से अधिकतर शासकीय अनुदान प्राप्त करते हैं, परन्तु उनकी सेवायें नि: शुल्क नहीं है। जन पुस्तकालय उसको कहा जाता है जिसकी सेवायें बिना किसी भेद-भाव के सबको नि: शुल्क रूप से उपलब्ध हों। अत: उनको सम्पूर्ण रूप से सार्वजनिक कोष (Public Fund) से संस्थापित करना और संचालित करना एक आदर्श स्थिति है।

ऐसे पुस्तकालयों के विकास के लिये, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करना नितान्त आवश्यक है। पुस्तकालयों के सुसंबद्ध और प्रभावी विकास के लिये पुस्तकालय अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जैसा ऊपर बताया गया है अभी तक 11 राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। जिन राज्यों में जन ग्रन्थालयाल अधिनियम पारित नहीं हुए है उनमें पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने के प्रयास किये जा रहे है और उनमें से अधिकांश में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, क्षेत्रीय पुस्तकालय, मण्डल पुस्तकालय आदि स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली, लक्षदीप तथा सिक्किम को छोड़कर प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में राज्य पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। तमिलनाडु का कोनेमेरा जन पुस्तकालय, महाराष्ट्र का एशियाटिक सोसायटी पुस्तकालय और दिल्ली का दिल्ली पब्लिक, लॉयब्रेरी डिलीवरी ऑफ बुक्स एण्ड न्यूजपेपर एक्ट के अधीन देशभर के प्रकाशकों से निःशुल्क ग्रन्थ प्राप्त करते हैं। सामान्यत: एक राज्य में एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाता है परन्तु "दादर तथा नगर हवेली", गुजरात एवं 'जम्मू-कश्मीर' में दो दो राज्य पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं।

17. निष्कर्ष

भारत के जन पुस्तकालय विकास के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर ऐसा आभास 'होता है कि यहाँ पुस्तकालय विकास की योजनाऐं तो काफी बनी परन्तु उन्हें लागू नहीं किया

जा सका। इस प्रसंग में सर्वप्रथम सिन्हा समिति (1957) का नाम आता है जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। उसकी अनुशंसायें उच्च कोटि की थीं परन्तु उनको लागू नहीं किया गया। रंगनाथन ने भी समय समय पर पुस्तकालय विकास की अत्यन्त उपयोगी और ठोस योजनायें प्रस्तुत की। उन पर कोई विचार नहीं किया गया। लेकिन भारत के जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं वहाँ पुस्तकालय सेवा अधिक सुनियोजित ढंग सें प्रदान की जा रही है। हालांकि ये राज्य भी अपने पारित अधिनियम से संतुष्ठ नहीं है शेष भारतीय राज्यों में जन पुस्तकालय सेवा की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

18. सारांश

इस इकाई में आपको "पुस्तकालय विकास" और "पुस्तकालय आन्दोलन" का अन्तर बताया गया और पुस्तकालय विकास के लिये पूर्व अपेक्षित अनिवार्यताओं और उसके विकास में बाधाओं पर प्रकाश डाला गया आधुनिक भारत में पुस्तकालय विकास सन् 1910 से बड़ौदा राज्य से माना जाता है । तत्पश्चात् पुस्तकालय विकास के लिए संस्थापित समितियों की चर्चा की गई। भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण तथा पुस्तकालय विज्ञान साहित्य की संक्षिप्त चर्चा की गई। भारत के प्रमुख पुस्तकालय संघों से परिचित कराया गया। जन पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय विकास के लिये नितान्त आवश्यक घटक है, उसकी चर्चा की गई है। जन पुस्तकालय के अतिरिक्त शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय भी समग्र पुस्तकालय सेवा के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी भी चर्चा की गई है और प्रलेखन और विशिष्ट पुस्तकालय सेवाओं की झांकी प्रस्तुत की गई है। किसी देश में उस देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय का बड़ा महत्व है। उसकी संक्षिप्त चर्चा की गई है। भारत के जन पुस्तकालय विकास में "दिल्ली पब्लिक लॉयब्रेरी" की स्थापना एवं उसकी गतिविधियाँ एक महत्वपूर्ण चरण है। अत: इसके संबंध में बताया गया है। पुस्तकालय विकास से सम्बन्धित कुछ प्रमुख व्यक्तियों से परिचित कराने के उपरान्त सर्वव्यापी पुस्तकालय सेवा का अनुमान प्रस्तुत किया गया है और भारत में जन पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया है।

19. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय विकास और पुस्तकालय आन्दोलन में विभेद प्रस्तुत करते हुए भारत में पुस्तकालय विकास के मार्ग में प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिये।
2. भारत में पुस्तकालय विकास के महत्वपूर्ण घटकों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये।
3. भारत में बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय विकास की चर्चा कीजिये।
4. टिप्पणियाँ लिखिये:
   (i) सिन्हा समिति का प्रतिवेदन
   (ii) भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ
   (iii) दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी
   (iv) इंडियन लायब्रेरी एसोसियेशन
   (v) भारतीय पुस्तकालय आन्दोलन में रंगनाथन की भूमिका

20. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची ??

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय और समाज. 1994.
2. Krishan Kumar, Library Organization.
3. शर्मा, पाण्डेय एस.के. पुस्तकालय और समाज. 1998.
4. शास्त्री, द्वारिका प्रसाद, भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास.

इकाई-5 : राष्ट्रीय पुस्तकालय : भारत, यूके एवं यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य एवं वर्णन (National Libraries : Their Functions and Descriptive account of National Libraries of India, UK and USA)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा, प्रादुर्भाव एवं परिभाषा से अवगत होना,
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषताएं एवं कार्य से परिचित होना,
3. भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की जानकारी प्राप्त करना, एवं
4. यूके तथा यू एस ए के राष्ट्रीय पुस्तकालय से अवगत होना ।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा
3. ऐतिहासिक परिपेक्ष्य
4. राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव
5. राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा
6. राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुख्य विशेषताऐं
7. राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य
    - 7.1. संग्रह के विकास एवं संरक्षण सम्बन्धी कार्य
    - 7.2. प्रसार सम्बन्धी कार्य
    - 7.3. राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची
    - 7.4. पाठक सेवाएं
    - 7.5. समन्वयात्मक कार्य
    - 7.6. प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य
8. भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय
    - 8.1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
    - 8.1.1. कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी
    - 8.1.2. दी इम्पीरीयल लायब्रेरी
    - 8.1.3. राष्ट्रीय पुस्तकालय
    - 8.2. संगठन एवं प्रबन्ध
    - 8.3. संग्रह

8.4. पुस्तक प्रस्तुतीकरण

8.5. पाठक सेवायें

9. यूके का राष्ट्रीय पुस्तकालय

10. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय

11. सारांश

12. अभ्यासार्थ प्रश्न

13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के विकास के साथ साथ अनेक प्रकार के पुस्तकालयों का जन्म हुआ जैसे निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, तकनीकी अनुसन्धान, विभागीय तथा सम्पर्क (Contract) पुस्तकालय आदि जो अपने उद्देश्यों तथा पाठकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्य-सामग्री एकत्रित करते है और उनकी ज्ञान-पिपासा को शान्त करते है। उपरोक्त पुस्तकालयों में किसी देश के प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्री एकत्रित करना और सुरक्षित रखना सम्भव नहीं है। अत: प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्री को एकत्रित किया जा सके और आने वाली पीढ़ीयों के लिए यह भंडार सदैव के लिए सुरक्षित रखा जा सके। रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान का पंचम नियम 'पुस्तकालय विकासशील है' विशेष रूप से पुस्तकालय के स्कूल स्वरूप से सम्बन्धित है। आपके अनुसार पुस्तकालय विकास दो प्रकार का होता है "बालक के शरीर की भांति विकास और वयस्क के शरीर की भाँति विकास।" प्रथम श्रेणी को 'बाल विकास' और द्वितीय श्रेणी को 'वयस्क विकास' का नाम दिया जाता है। कालान्तर में सभी पुस्तकालय वयस्क विकासावस्था में पहुँच जाते है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा का विकास अधिक पुराना नहीं है। इसकी अवधारणा का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण के फलस्वरूप इन विकसित देशों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास से प्रभावित हुआ है। आज कई राष्ट्रों में राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी न किसी रूप में विद्यमान है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव यूरोप की पुनर्जागरण क्रान्ति की देन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और उसके उद्योग, व्यापार, यातायात और संवाद के उपयोग ने राष्ट्रीय पुस्तकालयों को गति प्रदान की है। राष्ट्रीय पुस्तकालय का विकास विभिन्न रूप में हो चुका है। यह रूप विभिन्न विषयों पर आधारित है जैसे राष्ट्रीय, चिकित्सा पुस्तकालय, पाठकों के समूह के आधार पर राष्ट्रीय अन्ध पुस्तकालय तथा पाद्य-सामग्री के आधार पर न्यूजपेपर लायब्रेरी आदि।

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा

राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा के सिद्धान्त का विकास आज से लगभग तीन शताब्दी पहले पश्चिमी राष्ट्रों के औद्योगिक विकास के साथ हुआ है। यह किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करते है। वर्तमान समय में इनका विकास केवल

आकार में ही नहीं हुआ है, अपितु इसके प्रकारों में भी हुआ है। आज बहुत से राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हो चुका है जैसे विषय पर आधारित राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय मेडिसीन पुस्तकालय, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुस्तकालय इत्यादि इसके साथ ही कई राष्ट्रों में कुछ व्यावसायिक सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हुआ है।

3. ऐतिहासिक परिपेक्ष्य

पुस्तकालय की अवधारणा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखते है तो पाते है कि यह उतनी ही पुरानी है, जितनी मानव सभ्यता। पुस्तकालयों का इतिहास लिपि के इतिहास के समान्तर रहा है अर्थात् दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साथ-साथ चलती रही है। मानव ने अपने विचारों अथवा चित्रपूर्ण स्वरूप, अन्य व्यक्तियों से एक दूसरे के पारस्परिक सम्बन्ध तथा उसके इर्द-गिर्द जगत तथा उसकी वस्तुओं आदि के उल्लिखित रूप का लगभग छः हजार वर्ष पूर्व सूत्रपात प्रारम्भ किया था। उसने अपने अभिलेख को अनेक प्रकार की सामग्रियों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जिसके लिए हड्डियों, जानवरों की खालों, पत्थर की शिलाएँ, मिट्टी की पट्टियाँ, धातु, मोम, लकड़ी, पेपाइरस (Papyrus), सिल्क के कपड़े, पार्चमेन्ट, कागज, फिल्म, प्लास्टिक तथा मैग्नेटिक टेप का प्रयोग प्रारम्भ से लेकर आज तक समयानुसार किया गया है। प्राचीन समय में मानव अपनी उपलब्धि, घटनायें व क्रियाकलापों से सम्बंधित प्रलेख रखते थे। उस समय पुस्तकालय का स्वरुप आज के पुस्तकालय के स्वरूप से बहुत भिन्न था। उस समय पुस्तकालय का स्वरूप निम्न प्रकार का था।

(i) असीरिया और बैबीलोनिया में चिकनी मिट्टी की पट्टियों का,

(ii) मिश्र में पेइरस का,

(iii) मध्यकालीन यूरोप में चर्मपत्र और लकड़ी के तख्तों के रूप में,

(iv) भारत और चीन में हस्त निर्मित कागज का,

(v) भारत में छाल, तालपत्र, सिल्क के कपड़ो, ताम्रपीट्टका आदि का,

(vi) चीन में अस्थि और कागज का।

उपरोक्त अभिलेखों के उत्पादन में न केवल समय अधिक लगता था अपितु खर्चीला भी अधिक था। उस समय पुस्तकालयों की स्थापना राजाओं और आर्थिक रूप से धनी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। लगभग 105 ईसा पश्चात् पुस्तकालयों की स्थापना तथा उनके विकास में चीन का बड़ा ही अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने सर्वप्रथम कागज बनाने की विधि का आविष्कार किया। 1440 ई. में जोहेनेस गुटेनबर्ग (Johannes Gutenburg) ने आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया जिसमें सर्वप्रथम मुवेबिल टाइप (Movable type) का प्रयोग किया जाने लगा। कागज पर मुद्रण व्यवस्था सुलभ होने के कारण पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन में एक प्रकार के महान क्रान्ति का आविर्भाव हुआ। इससे अधिक से अधिक मात्रा में पुस्तकों का मुद्रण होने लगा और अधिक से अधिक मात्रा में पुस्तकों को क्रय करने की प्रवृति भी लोगों में बढ़ने लगी। मुद्रित पुस्तकों के

कारण पुस्तकालयों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। पाण्डुलिपियों के रूप में प्रस्तुत पुस्तकों का स्थान मुद्रित पुस्तकें ग्रहण करने लगी और पुरानी परिपाटी का धीरे- धीरे लोप होने लगा। पाण्डुलिपियों की पुस्तकों को सुरक्षापूर्वक बन्द अलमारियों अथवा बक्सों में रखने की प्रथा कम होने लगी और पुस्तकों के रखने की व्यवस्था खुली निधानियों पर की जाने लगी। इस परिवर्तन का प्रभाव पुस्तकालय के ऊपर स्पष्ट पड़ा और पुस्तकालय भी अपने आप को इस परिवर्तन के? साथ समायोजित किया।

यूरोप के पुनर्जागरण और सुधार क्रान्ति ने लोगों की जीवन शैली में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। दोनों कारणों ने लोगों के वैचारिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन ला दिया। नई-नई खोजो के बारे में पुस्तकें लिखी जाने लगी। शिक्षा का विकास होने लगा। शिक्षकों एवं छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भित्र-भित्र प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यही से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना शिक्षकों एवं छात्रों के लिए होने लगी। वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी खोजों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन आया। सभी को शिक्षा, राजनीतिक चिंतन और प्रजातंत्र की अवधारणा ने आम जनता के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय और वैज्ञानिक तथा विषय विशेषज्ञों के लिए विशिष्ट पुस्तकालय के विकास में योगदान दिया।

4. राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रादुर्भाव

ज्ञान के विस्फोटीकरण के फलस्वरूप साहित्य के प्रकाशन में तीव्रगति से वृद्धि हुई। पुस्तकालयों के लिए सभी प्रकाशित सामग्री को संकलित करना कठिन हो गया। पुस्तकालय अपने- अपने पाठकों की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्य-सामग्री संग्रह करते रहे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसे पुस्तकालय की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसमें उस राष्ट्र में प्रकाशित या उस देश के बारे में अन्य देशों में प्रकाशित समस्त साहित्य एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

यूरोप की पुनर्जागरण क्रान्ति के पश्चात ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का विकास हुआ। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास की गति को खाये रखने के लिए उससे सम्बंधित शास्त्रों का विकास आवश्यक है। अत: ऐसे ग्रन्थों का संकलन और संग्रह के रूप में राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विकास हुआ। अगर हम राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्भव की तिथि को देखते है तो पाते है कि इसकी स्थापना सन् 1350 में पेरिस और फ्रांस विश्वविद्यालय में हुई, परन्तु उन्हें वैधानिक रूप सन् 1795 में प्राप्त हुआ। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने उसी वर्ष राजकीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया और देश में प्रकाशित पुस्तकों की एक-एक प्रति उन्हे निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। तत्पश्चात उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की गई। उस समय राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य देश और विदेश में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाशित पुस्तकों का संग्रह करना था लेकिन उसको सार्वजनिक रूप प्राप्त करने में काफी समय लग गया। उस समय अधिकतर राष्ट्रीय पुस्तकालय विश्वविद्यालयों में स्थापित थे जिसका उपयोग छात्र और शिक्षक ही करते

थे। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के निम्नांकित बिन्दुओं ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्वरूप में अमूल- चूल परिवर्तन कर दिया।

(i) देश-विदेश में जन जागृति और बौद्धिक जागरण में निरन्तर वृद्धि,

(ii) विभिन्न विषयों के शोध में वृद्धि तथा शोध कर्ताओं के नवीनतम सूचनाओं की आवश्यकता में वृद्धि,

(iii) अनेक नये विषयों का विकास,

(iv) प्रलेखों की संख्या में वृद्धि

(v) प्रलेखों के संकलन, प्रबन्धन और विकेन्द्रीकरण में जटिलता।

जैसे-जैसे शोध कार्य में वृद्धि होती गई, शोधकर्ताओं की सूचना सम्बंधी मार्गों में भी विशिष्टता आने लगी। उनकी मांगों की पूर्ति करने वाले पुस्तकालय को भी राज्यों द्वारा विशेष दर्जा मिलने लगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय में निम्न दो भेदो का उद्भव और विकास हुआ।

(i) सामान्य राष्ट्रीय पुस्तकालय

(ii) विशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय

लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस और नेशनल लायब्रेरी ऑफ मेडिसीन तथा नेशनल लायब्रेरी ऑफ एग्रीकल्चरल, का उद्भव और विकास क्रमश: सामान्य राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में हुआ है।

5. राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा

ए.एल.ए. ग्लोसरी (A.L.A. Glossary) में राष्ट्रीय पुस्तकालय को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "राष्ट्र द्वारा अनुरक्षित एक पुस्तकालय।" यह परिभाषा अपूर्ण तथा दोषपूर्ण है क्योंकि आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में तो अनेक पुस्तकालय राष्ट्र अथवा सरकार दारा संस्थापित तथा अनुरक्षित रहते है। इन सबको राष्ट्रीय पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता है। यूनेस्को द्वारा सन् 1958 में वियेना में आयोजित 'यूरोप में राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर परिसंवाद' में राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रतिलिप्याधिकार पक्ष पर विशेष बल दिया गया था और राष्ट्रीय पुस्तकालय को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था।

"वे पुस्तकालय जो अपने नाम की ओर ध्यान न देते हुए देश में प्रकाशित सब महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियों की प्राप्ति और संरक्षण के लिए उत्तरदायी है तथा कानून के दारा अथवा अन्य व्यवस्था के अधीन संग्रह पुस्तकालय का काम करते है" राष्ट्रीय पुस्तकालय कहलाते है।

हेरोड्स लाइब्रेरियन ग्लोसरी एण्ड रेफरेन्स के छठे संस्करण (1987) में राष्ट्रीय पुस्तकालय को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

(i) एक पुस्तकालय जो सरकार द्वारा पोषित हो,

(ii) पूरे राष्ट्र की सेवा करें,

(iii) जिस पुस्तकालय में पुस्तक केवल संदर्भ के लिए हो,

(iv) पुस्तकालय जो सामान्यत: प्रतिलिप्याधिकार हो,

(v) इस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य देश में प्रकाशित पुस्तक, पत्रिकायें, न्यूज पेपर और अन्य प्रकार के प्रलेखों को संग्रह करना और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना होता है,

(vi) विदेशों में प्रकाशित पुस्तक को खरीदे।

डॉ. रंगनाथन के अनुसार "वह पुस्तकालय जिसका दायित्व भावी जनता के उपयोग हेतु देश की लिखित कृत्तियों का संग्रह और संरक्षण करना है", राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय है। दूसरे शब्दों में "वह विचारों के संकलन और विकेन्द्रीकरण का प्रधान केन्द्र है।"

जी. चैन्डलियर (G.Chandlier) के अनुसार "जहाँ जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करता है और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिये स्थापित किये जाते है, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है।" वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय की संकल्पना को निरूपित करने में उपरोक्त परिभाषा काफी सीमा तक सफल सिद्ध होती है। यदि उपरोक्त तथ्य को स्वीकार कर लिया जाय तो किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में न केवल उसी देश में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्री का संग्रहण आवश्यक है अपितु संसार के किसी भी देश में प्रकाशित पाद्य-सामग्री जो उस देश के निवासियों को रुचिकर हो, को भी प्राप्त करना आवश्यक है ।

6. राष्ट्रीय पुस्तकालय की मुख्य विशेषतायें

राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषाओं के आधार पर इनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है ।

(i) राष्ट्रीय पुस्तकालय एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है,

(ii) राष्ट्रीय पुस्तकालय केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक निधि (Public Fund) द्वारा संस्थापित तथा पोषित होते है,

(iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय एक संचयन (Storage) पुस्तकालय है जो पुस्तकों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सदैव बाल विकासावस्था में रहता है और इसमें संग्रहित समस्त सामग्री वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ सदैव के लिए भावी पीढ़ियों के उपयोगार्थ सुरक्षित की जाती है।

(iv) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय (Copyright Library) है। अर्थात किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में उस देश में प्रकाशित समस्त पाठ्य-सामग्री एकत्रित तथा अनुरक्षित जाती है,

(v) राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान समूचे राष्ट्र की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। अत: इसमें अन्य देशों में प्रकाशित पाठ्य-सामग्री भी जो उस देश के निवासियों को रुचिकर हो एकत्रित तथा अनुरक्षित की जाती है,

(vi) यह पुस्तकालय विभिन्न पुस्तकालयों को अलम्य, दुर्लभ तथा हस्तलिखित सामग्री को पुनरुत्पादित स्वरूप (Reproduced Form) में उपलब्ध करता है,

(vii) राष्ट्रीय पुस्तकालय अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य सम्पादित करता है,

(viii) यह पुस्तकालय देश के अन्य पुस्तकालयों को नियोजन, तकनीक तथा संगठन की दृष्टि से मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है,

(ix) उपरोक्त सभी विशेषतायें किसी देश में, राष्ट्रीय पुस्तकालय को उस देश का विशालतम पुस्तकालय बना देती है और इस प्रकार वह उस देश के पुस्तकालय तन्त्र (Library System) के शीर्ष पर स्थित होता है।

7. राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य

अगर राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास को देखते है तो पाते है कि अतीत में इसका केवल एक ही कार्य देश में प्रकाशित साहित्य को इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रूप में रखना था। परन्तु शान के विकास क्रं साथ राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यो में परिवर्तन आता गया। समय-समय पर अनेक मंचों से राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यो पर चर्चा होती रही है। ऐसे मंचों में प्रमुख है:

(i) राष्ट्रीय पुस्तकालय पर यूनेस्कों द्वारा संपोषित सेमिनार (1957)

(ii) एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विकास पर क्षेत्रिय सेमिनार (1969)

(iii) अफ्रीका में राष्ट्रीय नियोजन तथा प्रलेखन पर विशेषज्ञों का सम्मेलन (1970), यूनेस्को महाअधिवेशन (1970) आदि। इन सभी सम्मेलनों में जो प्रस्ताव पारित हुए उसके आधार पर राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

7.1. संग्रह के विकास एवं संरक्षण सम्बंधी कार्य

राष्ट्रीय पुस्तकालय के दो प्रमुख कार्य होते है। प्रथम तो यह है कि यह न राष्ट्र में प्रकाशित अपितु विदेशों में भी प्रकाशित प्रलेखों को संग्रह करना और द्वितीय भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकें तो इसे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अधीन निःशुल्क प्राप्त होते है। विदेशी प्रकाशनों को निम्न प्रकार से प्राप्त करना चाहिए।

(i) प्रमुख शासकीय प्रकाशनों को दूसरे देश के राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों के सहयोग से पारस्परिक विनिमय के आधार पर प्राप्त करें,

(ii) संस्था और व्यक्तिगत प्रकाशन जो महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है उसे क्रय द्वारा प्राप्त करें,

(iii) संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके सभी अंगों के प्रकाशनों को उपहार प्राप्त करें,

(iv) दुर्लभ ग्रंथ और महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह को क्रय द्वारा करे,

(v) देश के दिवंगत प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत ग्रन्थ संग्रह को प्राप्त करने की दिशा में इसे ध्यान देना चाहिए,!

(vi) अतिरिक्त प्रतियां : राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय में अप्राप्य एवं आवश्यक प्राचीन देशी एवं विदेशी प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए डॉ. रंगनाथन ने एक उपयुक्त सुझाव

दिया है। केन्द्रीय पुस्तकालय देश-विदेश के अन्य पुस्तकालयों से सम्पर्क स्थापित करें और पारस्परिक आदान-प्रदान के माध्यम से पुस्तकालयों में उपलब्ध उपयोगी अतिरिक्त प्रतियों को प्राप्त करें। इस तरह राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालयों को हमेशा अपने संग्रह को अद्यतन बनाये रखना चाहिए। इस रूप में यह राष्ट्रीय स्तर पर भण्डार (Reservoir) पुस्तकालयों के रूप में कार्य करता है ।

7.2. प्रसार सम्बन्धी कार्य

राष्ट्रीय पुस्तकालय का जहाँ एक ओर पुस्तक, पत्र - पत्रिकायें और अन्य पाठ्य-सामग्री को संग्रह करना है वही इसके बारे में पाठकों को सूचना प्रदान करना भी इसका मुख्य कार्य है। इस कार्य को व्यवहारिक रूप में निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

(i) माइक्रोफार्मस और मशीन रिडेबल फार्म के रूप में सूची प्रकाशित करें,

(ii) विभिन्न विषयों पर पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की ग्रन्थसूची संकलित करें,

(iii) वर्तमान में प्रकाशित होने वाले शोध तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं की निर्देशिका प्रकाशित करें,

(iv) राष्ट्रीय हित के वर्तमान साहित्य का सारांश तैयार करना और उसे प्रकाशित करना,

(v) सहकारी वर्गीकरण और सूचीकरण कार्य को मूर्त रूप देना। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह कार्य दो स्तरों पर करना चाहिए (i) प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित गन्थों का और (ii) राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित राष्ट्रीय भाषाओं में गन्थों का।

7.3. राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची

देश के सभी नागरिकों को अपने विषयों से सम्बन्धित तथा सरकार को नवीनतम प्रकाशनों से अवगत कराने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय ए-थ सूची प्रकाशित करना राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वप्रथम फ्रांस के राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय ने सन् 1811 में राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची के विचार को मूर्त रूप दिया गया और तब से विश्व के अधिकांश देशों में विविध प्रकार से इसका प्रकाशन हो रहा है। भारत में भी राष्ट्रीय ग्रन्थसूची केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता के दारा प्रकाशित होती रही है।

7.4. पाठक सेवायें

राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह विशिष्ट पाठकों को उनके माँग के अनुरूप सेवायें प्रदान करे। इसके अन्तर्गत निम्न कार्य सम्मिलित है।

(i) गहन अध्ययन करने वाले पाठक जैसे शोधकर्ता, लेखक और विद्वानों को पढ़ने और परामर्श देने के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना

(ii) संदर्भ और सूचना सेवायें उपलब्ध करना,

(iii) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्त:पुस्तकालय आदान-प्रदान की सेवायें उपलब्ध करना,

(iv) प्रलेखन सेवायें प्रदान करना,

(v) सरकार, व्यापार और उद्योग के लिए विशिष्ट सेवायें प्रदान करना एवं उनको विशिष्ट तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप ग्रंथसूची आदि का निर्माण करना एवं

(vi) रेफरल केन्द्र के रूप में सेवाये प्रदान करना। उनके विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के अनुरूप सूचना आदि की खोज में भी मदद करना।

7.5. समन्वयात्मक कार्य

राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश का सर्वोच्च मुख्य पुस्तकालय होने के कारण इसे हर स्तर पर राष्ट्रीय मितव्ययिता और प्रगति को बनाये रखने के लिए देश के सभी पुस्तकालयों के कार्यों में तालमेल रखना होता है। इस कार्य को प्रभावपूर्ण विधि से करने के लिए इसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए-

(i) समय-समय पर व्यावसायिक सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करना,

(ii) पुस्तकालय विज्ञान का देश-विदेश में प्रचलित शोध कार्यों और प्रयोगों पर प्रकाश डालने के लिए नियमित रूप से पत्रिका प्रकाशित करना

(iii) देश के अन्य पुस्तकालयों को मार्ग दर्शन प्रदान करना,

(iv) पुस्तकालय विज्ञान की नवीनतम पद्धति और प्रक्रियाओं से पुस्तकालयों को अवगत कराने के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेसर कोर्स) आयोजित करना, एवं

(v) आवश्यक, सहायक और सन्दर्भ ग्रंथों को प्रकाशित करना।

7.6. प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्य

ज्ञान के क्षेत्र में लगातार वृद्धि के कारण ज्ञान के नये सूक्ष्म विषय प्रकाश में आ रहे है। ज्ञान के भौतिक माध्यमों में भी निरन्तर परिवर्तन और परिवर्धन हो रहा है। नवीनतम ज्ञान के सदुपयोग हेतु पुस्तकालयों में उनका व्यवस्थित संगठन और विकेंद्रीकरण के प्रबन्ध का होना आवश्यक है। इसके लिए पुस्तकालय की प्रविधियों जैसे वर्गीकरण पद्धति, सूची संहिता, प्रलेखन प्रविधियां और मानकीकरण पद्धतियों को अद्यतन बनाये रखना आवश्यक है। डॉ. रंगनाथन के अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस दिशा में आवश्यक शोध और प्रयोग के कार्य को बराबर करते रहना है। इस कार्य से वह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता और सामंजस्य बनाये रखेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर विश्व के प्रमुख पुस्तकालयों के प्राविधिक और सेवा के कार्यों में संगति तथा एकरूपता बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

के. डब्ल्यू. हन्फ्रीज (K.W. Humphreys) के अनुसार एक राष्ट्रीय पुस्तकालय के मुख्य कार्य निम्न लिखित होते है:

(i) राष्ट्र के साहित्य का केन्द्रीय संग्रह;

(ii) विदेशी साहित्य का संग्रह

(iii) राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची का प्रकाशन;

(iv) अन्तर-पुस्तकालय सेवा प्रदान करना;

(v) राष्ट्रीय वांड्गमय सूचना केन्द्र

(vi) पाण्डुलिपि केन्द्र;

(vii) पुस्तकालय प्रक्रिया तकनीकी में शोध;

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय सेवा;

(ix) नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें;

(x) पुस्तकालय तकनीकों में सहायता;

(xi) पुस्तकालय नियोजन।

हम्फ्रीज के अनुसार उपरोक्त कार्यों में i-iv तक के कार्य आधारभूत, v-vii तक के कार्य वांछनीय एवं शेष ix-xi तक ऐच्छिक कार्य है।

इस प्रकार हम देखते है की राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य बहुत ही विस्तृत। है। शिक्षा के विकास के साथ-साथ इसके कार्यों का भी विस्तार होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षो में अब राष्ट्रीय पुस्तकालयों के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई है जिसके अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालयों को विषयानुसार स्थापित करना प्रारम्भ हो गया है। जैसे राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद पुस्तकालय इत्यादि।

8. भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसूची VII में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का भी वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इसके विकास का एक लम्बा इतिहास है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

8.1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रथम चरण (1835-1903) कलकत्ता पालक लायब्रेरी

भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास की कहानी को तीन भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्रोत में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय अहम भूमिका रखती है। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता के जन समुदाय और वहाँ के स्थानीय विद्वानों द्वारा 1835 में हुई और या पुस्तकालय 21 मार्च 1836 में सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया। सन् 1844 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय एक बड़े भवन में हस्तांतरण किया गया। इस भवन को लार्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाया गया था। सन् 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रादुर्भाव हो गया था जिसके कारण 1859 में कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय के लोगों ने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया।

द्वितीय चरण : (1903-1947) दी इम्पीरियल लाइब्रेरी

सन् 1899 में जब लार्ड कर्जन भारत में वॉयसराय बनकर आये तो उन्होंने कलकत्ता नगर के सभी पुस्तकालयों का एक सर्वेक्षण करवाया। नगर में एक अच्छे पुस्तकालय की स्थापना के उद्देश्य से कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को क्रय कर उसे इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिलने का विचार प्रकट किया जो की उस समय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही खुली थी। 30 जनवरी 1903 में लार्ड कर्जन द्वारा इसका शुभारम्भ इम्पीरियल लायब्रेरी के नाम से किया। ब्रिटिश म्यूजियम के सहायक ग्रंथालयी श्री जॉन मैकफरलैन (John Macfarlane) को इसका प्रथम ग्रन्थालयी नियुक्त किया गया। आपने इस पुस्तकालय में पत्रक सूची निर्माण का श्री गणेश किया और भारत भर में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों को एकत्रित करना

पुस्तकालय का ध्येय बनाया। सन् 1908 में सुप्रसिद्ध भाषाविद श्री हरीनाथ डे को इसका ग्रन्थालयी नियुक्त किया गया। सन् 1911 में आपकी मृत्यु के पश्चात् श्री जे.ए. चेपमैन (J.A. Chapman) ने उस पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला।

सन् 1928 में भारत सरकार ने इसके पुनर्गठन एवं प्रशासनिक सुधार हेतु श्री जे.ए. रिचे (J.A. Richey) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अन्य सभी बिन्दुओं के साथ एक विशेष अनुशंसा की कि इम्पीरियल लाइब्रेरी को आवप्ति पुस्तकालय घोषित किया जाये, जिसके अनुसार विधि के अन्तर्गत या कानून द्वारा देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ इस पुस्तकालय को भेजी जाये। परन्तु इस अनुशंसा का प्रभाव सन् 1954 में पुस्तक आवप्ति (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम पारित होने के पश्चात् ही दिखाई दिया।

तृतीय चरण (1947-48) राष्ट्रीय पुस्तकालय

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1948 में एक अधिनियम पारित कर भारत सरकार ने इसी इम्पीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया। इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने पुस्तकालय को बेलवेडर (Belvedere) जो कि राजभवन था, में स्थानान्तरित कर देने की अनुशंसा की। 1951 में इसको बलवेडर में स्थानान्तरित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय इसी भवन में स्थित है। श्री बी.एस. केसवन को राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 1953 को उस समय के देश के शिक्षामंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसे सर्व साधारण के लिए खोल देने की घोषणा की गई।

सन् 1954 में भारत सरकार द्वारा "डिलीवरी ऑफ (पब्लिक लायब्रेरीज) बुक। एक्ट" पारित किया गया। सन् 1956 में इसमें संशोधन करके पत्र-पत्रिकाओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसके अधीन भारत में प्रकाशित प्रत्येक ग्रंथ की एक प्रति इस पुस्तकालय को नि: शुल्क प्रकाशकों से प्राप्त होती है।

8.2. संगठन एवं प्रबन्ध

वर्तमान में प्रशासकीय रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। निदेशक राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख होता है। निदेशक की सहायता के लिए दो पुस्तकालयाध्यक्ष होते है। तकनीकी एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, तकनीकी एवं व्यावसायिक सहायकों का एक दल होता है इसके अतिरिक्त दो प्रशासनिक अधिकारी भी होते है जो प्रशासनिक मामलों में निदेशक की सहायता करते है

राष्ट्रीय पुस्तकालय को कार्य के आधार संगठित किया गया है। मुख्य रूप से पुस्तकालय में दो विभाग है। एक तकनीकी या व्यावसायिक और दूसरा प्रशासनिक। तकनीकी व्यावसायिक विभाग में पुस्तक चयन, क्रय, प्रस्तुतीकरण और पाठक सेवा पुस्तक संरक्षण, पुनरावृत्ति, प्रयोगशाला संबन्धी आदि कार्य सम्पन्न होते है। क्या प्रशासकीय विभाग में मुख्य रूप से प्रशासन सुरक्षा तथा बाग-बगीचे से सम्बन्धित कार्य होते है तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय को बजट भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कुल कर्मचारियों की संख्या 800 है।

8.3. संग्रह

31 मार्च 1999 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का संग्रह निम्न प्रकार का था

(i)	पुस्तकें	27,00,000 (लगभग)
(ii)	पत्रिकायें	6,00,000
(iii)	पण्डुलिपियाँ	3,000
(iv)	मैप (मानचित्र) और एटलस	85,000
(v)	माइक्रोफिल्मस	96,000
(vi)	फोटोग्राफ्स	1,21,500
(vii)	गर्वनमेन्ट डाक्यूमेन्ट्स	4,72,000
कुल		40,77,500 ।

पुस्तकालय संकलन के निम्नलिखित स्रोत है:-

(i) पुस्तक आवप्ति अधिनियम के अन्तर्गत देश में प्रकाशित साहित्य प्राप्त, है,

(ii) क्रय द्वारा,

(iii) दान स्वरूप,

(iv) विनिमय द्वारा।

राष्ट्रीय पुस्तकालय के 56 देशों व 170 से भी अधिक संस्थाओं से विनिमय सम्बन्ध है। इसी विनिमय के दारा पुस्तकालय ने अपना विदेशी पुस्तकों का संग्रह समृद्ध कर लिया है। इसके संग्रह को समृद्ध बनाने में निम्न महान व्यक्तियों के व्यक्तिगत संग्रह का स्थान भी महत्वपूर्ण है।

(i) आशुतोष मुखोपाध्याय का संग्रह।

(ii) बूटार के अरबी तथा फारसी पाण्डुलिपि संग्रह।

(iii) जे.एन. सरकार के इतिहास की पुस्तकों का संग्रह।

(iv) द्रविड़ भाषाओं के बाला मायुरी में पाण्डुलिपी संग्रह।

(v) सुरेन्द्र नाथ सेन की पुस्तकों का संग्रह।

(vi) थिवटिस संस्थान का पुस्तक संग्रह।

(vii) रामदास सेन का बंगला संग्रह।

(viii) सर तेज बहादुर सप्रू के पत्र व्यवहार का संग्रह जो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन पर प्रकाश डालता है।

8.4. पुस्तक प्रस्तुतीकरण

ए.ए.सी.आर.II के अनुसार पाठ्य सामग्री का सूचीकरण तथा वर्गीकरण ड्यूई दशमलव के अनुसार किया जाता है। बुक नम्बर के लिए कटर के तीन अक्षरवाली टेबल को व्यवहार में लाया जाता है। पुस्तकालय सूची कार्ड रूप में व मुद्रित रूप, दोनों ही प्रकार से उपलब्ध है। मुद्रित सूची 10 खण्डों में लेखक और विषय के अनुसार वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध है।

8.5. पाठक सेवायें

राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने पाठकों को निम्न सेवायें प्रदान करती है।

(i) **लेन-देन सेवाये :** भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की यह एक विशेषता है कि यह अपने यहाँ संग्रहित कुछ पुस्तकों के संग्रहों को छोड़कर, जिसमें दान संग्रह, दुर्लभ पुस्तकें, सरकारी या संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, व दस्तावेज आदि सिम्मिलित है, शेष पुस्तकों को अपने प्रयोक्ताओं को पुस्तकालय से बाहर अपने घर ले जाने की सुविधा प्रदान करता है। किसी देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय में यह सेवा उपलब्ध नहीं है। अत: पुस्तकालय ऋण (Inter Library Loan) की सुविधा सदस्यों व संस्थाओं को उपलब्ध है। इसके द्वारा अन्य पुस्तकालयों को भी सहयोग मिलता है और उनसे प्राप्त भी किया जा सकता है

(ii) **वाचनालय :** राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक मुख्य वाचनालय है जिसमें एक साथ 320 पाठकों के बैठने की क्षमता है। मुख्य वाचनालय के अतिरिक्त 10 कक्ष और भी है। जहाँ विषय विशेष से सम्बन्धित साहित्य संग्रहित है।

(iii) वाङ्गमय सूची एवं संदर्भ सेवा

राष्ट्रीय पुस्तकालय ने 1951 में वाङ्गमय सूची विभाग का आरम्भ किया। इस विभाग का उद्देश्य पुस्तकालय एवं सूचना सेवा के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य करना है जिससे की सूचना एवं ज्ञान का प्रसार एक प्रभावी ढंग से संगठित रूप में हो सके। यह विभाग शोधकर्ता, लेखकों आदि को उनकी आवश्यकता के अनुसार माँग पर किसी भी विशिष्ट विषय के पर उपलब्ध साहित्यों की सूची नि:शुल्क उपलब्ध करा देती है। इस प्रकार की सूचियाँ सामान्यत: चुनिन्दा और लघु होती है। कभी-कभी दूसरी संस्थाओं के सहयोग से गहन एवं विस्तृत सूचियाँ भी तैयार की जाती है ।

कुछ राष्ट्रीय हित के विषयों पर वाङ्गमय सूचियाँ खण्डों में तैयार होती रहती है। उदाहरण स्वरूप भारतीय संस्कृति की वाङ्गमय सूची चार खण्ड में प्रकाशित हो चुकी है। भारतीय वनस्पति शास्त्र के दो खण्ड प्रकाशित हो चुके है। बांग्ल साहित्य और भाषा की सूचियाँ भी प्रकाशित हो चुकी है। पुस्तक आवप्ति अधिनियम 1954 व 1956 के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों की पुस्तकालय का केन्द्रीय संदर्भ विभाग वाङ्गमय सूची तैयार करता है। इसका प्रकाशन मासिक होता है।

जो पाठक पुस्तकालय आते है उन्हें तो संदर्भ सेवा दी ही जाती है, साथ ही साथ टेलीफोन और डाक के द्वारा भी संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है। तात्कालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की संदर्भ सेवा प्रदान की जाती है।

(iv) रिप्रोग्राफी सेवायें

मुख्य वाचनालय के साथ-साथ अन्य वाचनालय में फोटो स्टेट मशीनें उपलब्ध है। पाठकों की माँग पर पत्रिकाओं के लेख आदि की फोटो कापी सामान्य दर पर उपलब्ध करा दी जाती है। पुस्तकालय के अन्दर लघु प्रलेखों की छपाई हेतु सुविधा उपलब्ध है।

(v) सामयिक अधिग्यता सेवा

भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अपने पाठकों को सामयिक अभिग्यता सेवा भी प्रदान करता है।

अगर हम विश्व के अन्य देशों के राष्ट्रीय पुस्तकालय से इसकी तुलना करते है तो पाते है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी शैशव अवस्था में है। सन् 1968 में भारतीय सरकार द्वारा देश के श्रेष्ठ शिक्षाविदों की एक समिति का गठन पुस्तकालय के कार्यों की समीक्षा करने और उसके विकास में सुझाव देने के लिए किया। समिति ने अपना सुझाव सरकार को प्रस्तुत कर दिये। आज तक इन सुझावों को व्यावहारिक रूप नहीं प्रदान किया गया है।

एस. आर. रंगनाथन ने वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है "सन् 1903 में लार्ड कर्जन द्वारा संस्थापित इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम को राष्ट्रीय पुस्तकालय में परिवर्तित कर देने मात्र से, उसके समस्त पुस्तकालय कार्य पूरे नहीं हो जाते है। इसके परामर्शदाताओं को संघीय सरकार को यह मानने के लिए तैयार करना चाहिए कि:

(i) राष्ट्रीय पुस्तकालय को जन पुस्तकालयों के राष्ट्रीय तन्त्र के शीर्ष (Apex) के रूप में कार्य करने के लिए निर्मित करना अथवा संचालित करना चाहिए, जबकि

(ii) यह (वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय) केवल संस्कृति के राष्ट्रीय चिन्ह-स्वरूप निर्मित किया गया है,

(iii) यह कुछ शताब्दी पूर्व संस्थापित ब्रिटिश म्यूजियम लायब्रेरी की अनुलिपि (Version) के रूप में - जन ग्रन्थालय विचार के विकसित होने से काफी पूर्व निर्मित किया गया था, -?

(iv) इसका निर्माण विद्वानों के उपयोगार्थ किया गया था न कि देश के समस्त लोगो के उपयोगार्थ; अत:

(v) इसका विकास कभी भी इस आधार पर नहीं हुआ जो आज के प्रसंग में इसको होना चाहिए।"

9. यू. के. का राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Libraries of UK)

ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय अब ब्रिटिश लायब्रेरी नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय संग्रहालय और पुस्तकालय दोनो एक संस्था के रूप में लन्दन में स्थित है। आरम्भ में यह 18वीं शदी में ब्रिटेन के एक चिकित्सक, सर हेन्सस्लोने की यह व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। बाद में उन्होंने राष्ट्र के उपयोग हेतु सरकार को बेच दिया। ब्रिटिश शासन ने सन् 1753 में एक अधिनियम पारित कर इसे एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित किया। प्राचीनता और विशालता की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा महान राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ब्रिटिश शासन ने सन् 1967 में इसके पुन: संगठन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। समिति की संस्तुति के अनुसार 1973 में इसका पुन: संगठन किया गया। पहले से विद्यमान निम्नलिखित चार स्वतन्त्र पुस्तकालय संगठनों को मिलाकर ब्रिटिश लायब्रेरी नाम से एक नया संगठन बनाया गया:

(i) The British Museum Library,

(ii) The National Central Library,

(iii) The British National Bibliography, and

(iv) The Office of Scientific and Technical Information.

सन् 1982 में इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी तथा सन् 1963 में नेशनल साउन्ड आरकाइवस को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

इस पुस्तकालय के संचालन के लिए एक बोर्ड है जिसमें एक अध्यक्ष, तीन विभागों के निदेशक तथा नौ सदस्य होते है जिन्हें ग्रन्थालय, वित्त, उद्योग, विश्वविद्यालय तथा प्रशासन का अनुभव होता है। अध्यक्ष तथा बोर्ड के नौ सदस्य अंशकालिक होते है।

9.1. विभाग तथा कार्य

ब्रिटिश पुस्तकालय के निम्नलिखित विभाग है:

9.1.1. विज्ञान तकनीकी और उद्योग विभाग

ब्रिटिश पुस्तकालय का यह विभाग विज्ञान, तकनीकी तथा उद्योग में अद्यतन शोध एवं उसके विकास के लिए गहन साहित्यिकी स्रोतों को उपलब्ध कराता है।

9.1.2. मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग

ब्रिटिश पुस्तकालय के इस विभाग में कुछ पुस्तकें संदर्भ के लिए तथा कुछ विशेष लोन (Loan) के लिए होती है। इस विभाग का उपयोग शैक्षणिक अध्यापक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना वैज्ञानिक, पत्रकार तथा अन्य खोजी प्रकृति के व्यवसायी पाठक पत्र (Readers'Pass) के आधार पर कर सकते है। इस विभाग के निम्नलिखित पाँच घटक है:

(i) संकलन विभाग

(ii) लोक सेवा विभाग

(iii) विशेष संकलन विभाग

(iv) नेशनल; साउन्ड आरकाईवस विभाग

(v) संरक्षण विभाग

9.1.3. वाङ्गमय सूची सेवा विभाग

ब्रिटिश पुस्तकालय का यह विभाग "British National Bibliography" (BNB) का प्रकाशन करता है। Copyright Act, 1911 जो कि British Library Act, 1972 के द्वारा संशोधित किया गया, के अन्तर्गत ब्रिटेन में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की प्रति इसको निःशुल्क प्राप्त होती है। यह विभाग BNB का प्रकाशन नियमित रूप से करता है। BNB के अतिरिक्त यह विभाग अनेक प्रकार के मुद्रित एवं माइक्रोफिल्मस की वाङ्गमय सूचियाँ भी तैयार करता है।

ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय "ब्रिटिश लाइब्रेरी" विश्व का महानतम और आधुनिकतम पुस्तकालयों में से एक है। आज यह पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शोध को प्रोत्साहन करने में अहम भूमिका निभा रही है। पुस्तकालय में आधुनिक तकनीयों के प्रयोग में भी यह विश्व को पथ प्रदर्शित कर रहा है।

10. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय

संयुक्त राज्य अमेरीका को पुस्तकालयों का देश कहा जाता है। अमेरिका में अनेक विशालतम शासकीय पुस्तकालयों का बाहुल्य है। लेकिन उनमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण तीन निम्न लिखित राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो अपने विशिष्टता एवं विशेषज्ञीकृत सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है।

i. लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस
ii. नेशनल लायब्रेरी ऑफ मेडीसिन तथा।
iii. नेशनल एग्रीकल्चरल लायब्रेरी

1. लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस (Library of Congress)

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस न केवल अमेरिका का विशालतम पुस्तकालय है बल्कि संसार के वृहत्तर पुस्तकालयों में पहला स्थान रखता है। लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो कि अमेरिका का मुख्य राष्ट्रीय पुस्तकालय है कि स्थापना 24 अप्रैल सन् 1800 को की गई थी। सन् 1870 में इसको पुस्तक आवप्ति अधिकार प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ निःशुल्क इस पुस्तकालय को भेजी जाती है। पुस्तकों के अतिरिक्त हर प्रकार की मुद्रित सामग्री, नक्शे, चार्टस, संगीत एवं नाटक, चित्रकला तथा फोटो आदि की भी दो-दो प्रतियाँ इस पुस्तकालय को भेजी जाती हैं

विभाग

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को निम्नलिखित विभागों में बाँटा गया है जिनके आगे अनुभाग है ताकि यह पुस्तकालय अपने कार्य एवं सेवाये सुचारू रूप से सम्पन्न कर सकें।

1. पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यालय
2. राष्ट्रीय कार्यक्रम (National programms)
3. प्रबन्धन
4. कांग्रेस को अनुसंधान सेवा में
5. प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
6. विधि पुस्तकालय
7. प्रस्तुतीकरण सेवायें
8. अनुसन्धान सेवायें
9. संग्रह (Collection)

सन् 1960 में इसके विशाल संग्रह में विभिन्न प्रकार की 59 लाख कृतियाँ थी। सन् 1969 में इनकी संख्या 60 लाख थी। प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख पुस्तिकायें यहाँ आती है।

सन् 1982 में इसका संकलन 79,76,2129 कृतियों का हो गया था। सन् 1991 में इसका संग्रह निम्न प्रकार था।

(i)	पुस्तकें	15,374097
(ii)	श्रव्य सामग्रियाँ (Audio material)	18,301,796

(iii) पाण्डुलिपियाँ (MSS)	39,693,433
(iv) सूक्ष्म स्वरूपों की सामग्रियाँ (Microforms)	8,690,174
(v) सजिल्द समाचार पत्र (Bound Newspaper)	36,231
(vi) दृश्य सामग्रियाँ (Visual meterials)	532,609

इस प्रकार हम देखते है कि सन् 1991 में सम्पूर्ण सामग्रियों की संख्या लगभग 96,636,954 कृतियाँ हो गई थी।

कार्य

लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्रमुख कार्य निम्न लिखित है :

1. **संसद सदस्यों की सेवा :** इस पुस्तकालय का मुख्य कार्य अमेरिका के सांसदों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की माँग और आवश्यकता के अनुसार उनके विषयों पर उपलब्ध अद्यतन साहित्य और सूचनाओं से अवगत रखना है।

2. **प्रतिलिप्याधिकार की सुरक्षा :** इसका कॉपीराइट कार्यालय कानून के अनुसार देश के प्रकाशनों का संग्रह करता है और लेखक के स्वत्वाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कार्य करता है।

3. **परिग्रहण सम्बन्धित कार्य :** प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख से अधिक पाठ्य सामग्रियों का अधिग्रहण, वर्गीकरण, सूचीकरण आदि किया जाता है।

4. **अन्तर पुस्तकालय आदान :** यह पुस्तकालय देश विदेश के विद्वानों को अन्तर पुस्तकालय आदान द्वारा भी सेवा प्रदान करता है।

5. **ग्रन्थ विनिमय सम्बन्धी कार्य :** विनिमय के आधार पर यथा संभव विश्व के प्रमुख प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए यहाँ एक स्वतन्त्र विभाग है।

6. राष्ट्रीय सूची का संकलन करना भी इसका प्रमुख कार्य है।

7. संग्रहीत पाण्डुलिपि, अभिलेख, पुराने अखबार, मानचित्र और दुर्लभ गन्थों का कम्प्यूटर की सहायता से मैग्नेटिकटेप के रूप में निर्मित सूक्ष्म चित्र बनाया जाता है।

8. **अनुरक्षण :** नवीनतम यांत्रिक साधनों से पुस्तकालय में संचित ग्रन्थों को सुरक्षित रखा जाता है।

9. **सन्दर्भ सेवा :** पुस्तकालय में और डाक से भी यह पुस्तकालय संदर्भ प्रदान करता है। यह नेशनल रेफ्रेन्स सेन्टर फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी जैसे सूचना "स्वीचबोर्ड्स" को संचालित करता है।

लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में से कुछ उपरोक्त कार्यों का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कार्य है जो इसके द्वारा किया जाता है।

2. नेशनल लायब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library of medicine)(NML)

इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1950 में की गयी है जो इससे पूर्व आर्मी मेडिकल लायब्रेरी (Army Medical Library) के रूप में सेवारत था। आयुर्विज्ञान की सूचना सेवा के क्षेत्र में यह विश्व का एक अद्वितीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह मेडलार्स (Medical

Literature Analysis and Retrieval System-MEDLARS) तथा मेडलाइन (Medline) के माध्यम से विश्व के चिकित्सकों, आयुर्विज्ञान, विशेषज्ञों एवं व्यवसायियों और शोधार्थियों को सूचना प्रदान करता है।

3. नेशलन एग्रीकल्चरल लायब्रेरी (National Agricultural Library (NAL)

इसकी स्थापना सन् 1862 में कृषि विभाग के अन्तर्गत हुई। अधिनियम के अनुसार इसका उद्देश्य, "कृषि से सम्बन्धित विषयों पर सूचना अत्यन्त सामान्य और व्यापक भाव में संयुक्त राज्य के लोगों के उपयोग के लिये अर्जित और प्रसारित करना है। सन् 1978 में यह पुस्तकालय संयुक्त राज्य के कृषि विभाग के अधीन, विज्ञान तथा शिक्षा प्रशासन के अन्तर्गत तकनीकी सूचना तन्त्र (Technical Information System) का एक अंग बन गया है।

11. सारांश

इस इकाई में राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा, विशेषताएं एवं कार्यो की चर्चा की गयी है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गयी है। ब्रिटिश लायब्रेरी एवं लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

12. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यो का वर्णन किजिए।
2. यू.एस.ए. और यूके. के राष्ट्रीय पुस्तकालय पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

13. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, ग्रंथालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994.
2. व्यास, एस.डी, पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992,
3. सुन्दरेश्वरन, के.एस, ग्रन्थालय एवं समाज, नई दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स। 1988.
4. सैनी, ओम प्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई के पब्लिशर्स, 1999.
5. त्रिपाठी, एस.एम, ग्रन्थालय- समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रोढ़ शिक्षा में पुस्तकालयों की भूमिका, आगरा, वाई के पब्लिशर्स, 1999.

इकाई-6 : शैक्षणिक पुस्तकालय : भूमिका एवं कार्य (Academic Libraries : Role and Functions)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा, स्वरूप एवं प्रकार से परिचित होना,
2. विद्यालय पुस्तकालय से अवगत होना,
3. महाविद्यालय पुस्तकालय के बारे में जानना, एवं
4. विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य, प्रशासन एवं सेवाओं से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. परिभाषा और स्वरूप
3. शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार
    - 3.1 विद्यालय पुस्तकालय
        - 3.1.1. लक्ष्य एवं उद्देश्य
        - 3.1.2. विद्यालय पुस्तकालय के कार्य
        - 3.1.3. विद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा
        - 3.1.4. प्रशासन
        - 3.1.5. संग्रह
        - 3.1.6. सेवाऐं
        - 3.1.7. भौतिक सुविधा
        - 3.1.8 बजट
        - 3.1.9 कर्मचारियों की योग्यता
    - 3.2. महाविद्यालय पुस्तकालय
        - 3.2.1. महाविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य
        - 3.2.2. महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रकार
        - 3.2.3. महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य
        - 3.2.4. संग्रह
        - 3.2.5. कर्मचारी
        - 3.2.6. प्रस्तुतिकरण
        - 3.2.7. बजट
    - 3.3. विश्वविद्यालय पुस्तकालय
        - 3.3.1. विश्वविद्यालय के कार्य
        - 3.3.2. विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

3.3.3. सेवाऐं
3.3.4. विश्वविद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा
3.3.5. कर्मचारी
3.3.6. प्रशासन
4. सारांश
5. अभ्यासार्थ प्रश्न
6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

शिक्षा सीखने की एक प्रक्रिया है, जो मानव को हर स्तर पर समार्थवान बनाती है। इस प्रक्रिया में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाते है। किसी शिक्षण संस्था को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में उस शिक्षण संस्था की पुस्तकालय की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय के महत्व को देखते हुए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के प्रतिवेदन में पुस्तकालय को किसी भी शिक्षण संस्था के हृदय के रूप में बताया है। प्रस्तुत इकाई में विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय की विस्तार से चर्चा की गई है।

2. परिभाषा और स्वरूप

शिक्षण संस्थाओं से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। शिक्षण संस्थान शिक्षा और शोध के ऐसे संस्थान है जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित स्तर, उपाधि या प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करते है। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग चिकित्सा आदि की शिक्षा से संबंधित संस्थान ऐसे ही संस्थान है। अपने संस्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं में सहयोग देने के लिए हर शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। इस प्रकार अपनी संस्था के 'अनुरूप आकार' प्रकार, संग्रह तथा सेवाऐं प्रदान करने आदि में शैक्षणिक पुस्तकालय एक दूसरे से भिन्न हो सकते है। परन्तु साथ ही साथ हर शैक्षणिक पुस्तकालय में कुछ सामान्य तत्व भी होते है। वह तत्व यह है कि प्रत्येक शैक्षणिक पुस्तकालय अपने संस्थान की शिक्षा तथा शोध की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करना है।

3. शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार

शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकारों को निम्न तालिका द्वारा त्यक्त किया जा सकता है।

शैक्षणिक पुस्तकालय (Academic Libraries)

1 विद्यालय पुस्तकालय (School Libraries)
- (i) प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय
- (ii) माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय
- (iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय

2. महाविद्यालय पुस्तकालय (College Libraries)
- (i) स्नातकपूर्व महाविद्यालय पुस्तकालय
- (ii) स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुस्तकालय
- (iii) तकनीकी महाविद्यालय पुस्तकालय (कृषि, यान्त्रिकी महाविद्यालय पुस्तकालय, आदि)
- (iv) चिकित्सा महाविद्यालय पुस्तकालय, तथा
- (v) प्रशिक्षण महाविद्यालय पुस्तकालय

3. विश्वविद्यालय पुस्तकालय (University Libraries)

3.1. विद्यालय पुस्तकालय

विद्यालय वह संस्था होती है जहाँ से छात्र-छात्रायें शिक्षा जगत में प्रवेश करते है। यह कार्य निम्न तीन स्तरों से पूरा होता है।

(i) प्राथमिक विद्यालय

(ii) माध्यमिक विद्यालय

(iii) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

विद्यालय के इस प्रत्येक स्तर पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है। छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय अधिकारी अनेक सुविधा प्रदान करते है। इनमें सर्वाधिक प्रचलित पुस्तकालय सुविधा है। पुस्तकालय छात्र व अध्यापक दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुस्तकालय छात्रों के शैक्षणिक व अशैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रतिभा का विकास करता है। विद्यालय पुस्तकालय वास्तव में विद्यालय का द्वितीय अध्ययन कक्ष (Second class room) होता है। पुस्तकालय विद्यार्थियों में मौलिक चिन्तन की प्रवृति विकसित करने, अपनी शक्तियों का राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करने, उच्च आदर्श को अपनाने, एवं भावी जीवन का निर्माण करने में सहायक होते हैं।

3.1.1. लक्ष्य एवं उद्देश्य

विद्यालय छात्रों के व्यक्ति व के विकास में सहायता करता है। विद्यालय के माध्यम से छात्र समाज और राष्ट्र से परिचित होने लगते है और समझने लगते है कि सबके विकास या कल्याण का आधार मानवता है। कर्तव्य पालन, सहयोग और प्रेम के व्यवहार से इस मानवता का दर्शन होता हैं अत: बच्चों में कक्षा शिक्षा तथा पुस्तकालय शिक्षा के माध्यम से इन तीनों गुणों को बढ़ाया जाता है। कक्षा में शिक्षण और पुस्तकालय में अपने अध्ययन तथा अनुभव से बने इन गुणों से वे अवगत होते है। छात्र-छात्रायें कक्षा में बतलाई हुई बातों की सच्चाई वे पुस्तकालय में अध्ययन से उदाहरणों के साथ समझते है। आदर्श को यथार्थ में समझने के लिए

पुस्तकालय शिक्षा अति आवश्यक है। निम्नांकित उद्देश्यों को विद्यालय शिक्षा और पुस्तकालय दोनों मिलकर पूरा करते है।

(i) बाल छात्रों को साक्षर करना
(ii) उनमें सुप्त बौद्धिक शक्तियों को जागृत और विकसित करना,
(iii) उनके चरित्र का निर्माण करना
(iv) मौलिक विषयों से छात्र-छात्राओं को परिचित करना,
(v) शिक्षार्थियों में अध्ययन की प्रवृति को बढ़ाना,
(vi) मौलिक रूप से विचार करने हेतु उनके वैचारिक क्षेत्र को विस्तृत करना, तथा
(vii) बाल विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान, अच्छे विचार और रुचि का विकास करना।

निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व विशेषरूप से विद्यालय पुस्तकालय पर होता है।

(i) सचित्र और उदाहरणों से पूर्ण आधार सामग्री उपलब्ध कर अध्यापन कला को विकसित करना,
(ii) पाठकों को पुस्तकालय की शिक्षा देना अर्थात प्रयोगशाला के रूप में पुस्तकालय का और साधन के रूप में पुस्तकों का उपयोग कैसे करना, इसकी शिक्षा देना,
(iii) कक्षा-शिक्षा को विकसित करना,
(iv) विविध प्रसंगों पर आवश्यक सन्दर्भों को खोजने की शिक्षा देना,
(v) सूचनाप्रद और आवश्यक अध्ययन के प्रति रूचि बढ़ाना,
(vi) विविध विषयों से परिचित होने के लिए अवसर उपलब्ध करना,
(vii) किशोर युवक-युवतियों को विविध प्रकार के पुस्तकालय और वहाँ उपलब्ध विशाल साहित्य से अवगत करना, और
(viii) बाल छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयीन शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाना।

3.1.2. विद्यालय पुस्तकालय के कार्य

विद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य है

(i) **पाठ्य सामग्री का संकलन, संग्रह और उनका संगठन करना :-** उपरोक्त तीनों प्रकार के विद्यालय को अपने छात्रों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन करना होता है। बाल पाठकों की सर्वाधिक रूचि कहानी चित्रमय ऐतिहासिक कथा, हास्य रचना एवं आश्चर्य और अद्भुत कार्यपरक ग्रन्थों में रहती है। विद्यालय पुस्तकालय को इस प्रकार के साहित्य की विशेष व्यवस्था करनी होती है।

(ii) **पुस्तकालय का प्रारंभिक परिचय प्रदान करना :-** नये छात्रों को पुस्तकालय के विविध विषयों से अवगत करना और पुस्तकालय का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए पुस्तकालय शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

(iii) पुस्तकालय कक्षा अवधि में अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने की पूरी व्यवस्था करना।

(iv) बाल-छात्रों को मनोरंजन के साथ शिक्षा और सूचना की बाते बतलाने के लिए आवश्यक उपाय करना।

(v) मानचित्र, चार्ट, नवीन पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करना,

(vi) पाठकों को घर ले जाने के लिए पुस्तकें देना।

(vii) शिक्षकों को अपना अध्ययन कार्य अच्छी तरह करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(viii) कहानी समय, पुस्तक बातचीत, वादविवाद, लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना जिससे विद्यार्थियों में नई बाते सीखने तथा अपनी बातों को कहने का अवसर प्राप्त हो। उससे उनके व्यक्तितत्व का विकास होता है।

3.1.3. विद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा

विद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा साधारणत: निम्न तीन रूपों में पाथा जाता है।

(i) एक विशाल कक्ष या महाकक्ष में एक केन्द्रीय पुस्तकालय : पुस्तकालय का सारा कार्य यहीं पर किया जाता है।

(ii) कक्षा पुस्तकालय : प्रत्येक कक्षा में अध्यापनीय विषयों से संबद्ध ग्रन्थ संग्रह उपलब्ध रहता है, ताकि शिक्षक पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करे। छोटी कक्षाओं के, लिए कक्षा पुस्तकालय की व्यवस्था की जाती हैं

(iii) विषयगत पुस्तकालय अथवा विभागीय पुस्तकालय : प्रमुख अध्यापनीय विषयों से संबन्ध पुस्तकों को अलग-अलग कक्षों में संग्रह रहता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित किये जाते है।

3.1.4. प्रशासन

विद्यालय का संगठन और प्रबन्ध करने का दायित्व स्थानीय सरकार पर होता है। इसलिए उससे संबन्ध पुस्तकालयों का संचालन वह विद्यानत: नगर के केन्द्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष के परामर्श से निम्न समिति और पदाधिकारियों के सहयोग से करती है।

(i) विद्यालय पुस्तकालय समिति

(ii) प्रधानाध्यापक, तथा

(iii) विद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष

3.1.5. संग्रह

विद्यालय पुस्तकालय का प्रथम दायित्व है कि वे पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों के संग्रह करे, जो छात्र-छात्राओं को ज्ञान और अध्यापकों को अध्यापन में सहायता कर सके।

3.1.6. सेवायें

विद्यालय पुस्तकालय से निम्नलिखित सेवाओं की अपेक्षा की जाती है।

(i) पुस्तक निर्गमन सेवा,

(ii) सूचना एवं संदर्भ सेवा,

(iii) सलाहकारी सेवा विशेषरूप से व्यावसायिक सलाह,

(iv) विषय-विशेष पर अध्ययन सूची तैयार करना।

3.1.7. भौतिक सुविधा

भौतिक सुविधा पुस्तकालय के लिए सर्व प्रथम है। पुस्तकालय को जो स्थान दिया जाय वह ऐसा हो कि वहाँ पुस्तकें और अन्य सामग्री का प्रदर्शन हो सके। विद्यालय पुस्तकालय को लगभग 25, 000 पुस्तकों को रखने व प्रदर्शित करने के लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

3.1.8. बजट

विद्यालय पुस्तकालय का बजट संस्था के वार्षिक बजट का 10% से 15% होना चाहिए। पुस्तकालय भवन, फर्नीचर और उपकरणों के लिए इसके अतिरिक्त बजट होना चाहिए।

3.1.9. कर्मचारियों की योग्यता

पुस्तकालय की सफलता उसके कर्मचारियों की कुशलता के ऊपर निर्भर करती है। अत: पुस्तकालय कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन विद्यालय के अध्यापकों के समान होना चाहिए।

3.2. महाविद्यालय पुस्तकालय

शिक्षा प्रक्रिया में महाविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। महाविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वारा है। किसी भी विषय का गंभीर अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। अध्ययन को व्यापक, तुलनात्मक और प्रायोगिक रूप देने के लिए कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त स्वाध्याय करना अति आवश्यक होता है । छात्रों के स्वाध्याय को सरल और सुगम बनाने के लिए महाविद्यालय स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था की जाती है। कक्षा में प्रदत्त शिक्षा को छात्र स्वयं परिवर्धित कर सके इस उद्देश्य से शिक्षकों की शिक्षण पद्धति पुस्तकालयोन्मुखी होनी चाहिए। अध्यापनीय विषयों की मौलिक बातों को बतलाकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए शिक्षक छात्रों को पुस्तकालय जाने की सलाह देते है। किसी भी महाविद्यालय के उद्देश्य एवं कार्य निम्न होते है।

(i) छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार के ज्ञान की गहनता से जानकारी उपलब्ध कराना,

(ii) विषय के क्षेत्रों का ज्ञान कराना और प्रतिभाशाली छात्रों को विषय की विशेष शाखा का विस्तृत ज्ञान कराना,

(iii) छात्र-छात्राओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश के लिए तैयार करना,

(iv) कुशल प्रबन्धक व प्रशासक तैयार करना,

(v) ज्ञानवान, सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक तैयार करना। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सामूहिक क्रिया-कलापों में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये सामूहिक क्रियायें व्यक्ति की संगठनात्मक एवं नेतृत्व की क्षमता एवं बुद्धि का विकास करती है।

3.2.1. महाविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य

महाविद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य होते है,

(i) व्यक्तिगत सेवा और मार्गदर्शन द्वारा कक्षा-शिक्षा को व्यापक और तुलनात्मक रूप देना,

(ii) ज्ञान के क्षेत्र में स्वावलम्बी होने के लिए स्वाध्याय पर जोर देना,

(iii) विविध प्रकार से विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाना,

(iv) छात्र-छात्राओं की बुद्धि को सूक्ष्म दृष्टि को व्यापक और स्मृति को विकसित करना, एवं

(v) शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

3.2.2. महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रकार

साधारणत: निम्न पाँच प्रकार के महाविद्यालय एवं उससे सम्बन्ध पुस्तकालय होते है।

(i) स्नातकपूर्व महाविद्यालय पुस्तकालय

(ii) स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुस्तकालय

(iii) तकनीकी महाविद्यालय पुस्तकालय (कृषि, यांत्रिकी, पोलिटेकनिक महाविद्यालय पुस्तकालय आदि)

(iv) चिकित्सा महाविद्यालय पुस्तकालय एवं

(v) प्रशिक्षण महाविद्यालय पुस्तकालय।

3.2.3. महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

महाविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य महाविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग करना है। इस कार्य हेतु पुस्तकालय को महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की पाठन एवं शोध सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। महाविद्यालय के पुस्तकालयों का निम्नलिखित कार्य है : -

1. **पाठ्य सामग्री का संग्रह** - महाविद्यालय शिक्षा को सफल बनाने के लिए आवश्यक ग्रंथों का संग्रह करना पुस्तकालय का मुख्य कार्य है।डॉ. रंगनाथन के अनुसार संग्रहीत ग्रन्थों में निम्नलिखित साहित्य उपलब्ध होना चाहिए।

(i) पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तक और उनकी प्रतियाँ,

(ii) सूचना साहित्य, दैनिक पत्र और लोकप्रिय पत्रिकाएँ,

(iii) प्रेरणादायक तथा विचारोत्तेजक के सहायक ग्रन्थ,

(iv) विश्व साहित्य के चुने हुए ग्रन्थ

(v) मनोरंजक साहित्य-कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, कविता, आदि।

(vi) अध्यापन पद्धति परक ग्रन्थ,।

(vii) वांड़.गमय सूचियाँ,

(viii) विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक विशिष्ट साहित्य, जैसे ब्रेल साहित्य,

(ix) उद्योग-धंधों के ग्रन्थ,

(x) मौलिक सन्दर्भ ग्रन्थ, तथा

(xi) चरित्र और राष्ट्र निर्माण संबन्धी ग्रन्थ अर्थात जीवनी साहित्य।

2. पाठकों को पुस्तकालय के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना।
3. अध्ययन के समय उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन तथा बौद्धिक सहयोग देना, ताकि वे तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन कर सकें।
4. अध्यापकों को उनके शिक्षण कार्य में सहयोग देना।

5. निर्धारित नीति के अनुसार विस्तार सेवाओं का आयोजन करना।
6. पुस्तकालय के कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के हेतु अन्य पुस्तकालय के साथ सहकारिता के कार्य को करना।
7. पुस्तक आदान-प्रदान सेवा भी महाविद्यालय पुस्तकालय का एक आवश्यक कार्य है। इस कार्य को प्राय: सभी पुस्तकालय करते है। इस सेवा में कम से कम श्रम एवं समय लगे, इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है।
8. सन्दर्भ सेवा के द्वारा सामान्य सूचनायें प्रदान करना।
9. वांड़.गमय सूचियों, अनुक्रमणिकाओं तथा सारांशों का निर्माण करना तथा
10. पाठकों के लिए प्रतिलिपि सेवा प्रदान करना।

3.2.4. संग्रह

महाविद्यालय पुस्तकालय को पाठ्य सामग्री संग्रह करते समय अपने कर्मचारियों और छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छा पुस्तकालय संग्रह की निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिए।

(i) उत्तम कोटि के पुस्तकों का संग्रह किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में चलने वाली पुस्तकों की प्रति दस पाठकों के मध्य एक अवश्य होनी चाहिए। पुस्तक खरीदते समय प्रयास अद्यतन संस्करण को खरीदने की होनी चाहिए।

(ii) शिक्षकों और कुशाग्र बुद्धि के छात्रों के अध्ययन के लिए उच्च ज्ञान की पुस्तकों का संकलन किया जाना चाहिए।

(iii) संदर्भ ग्रन्थों जैसे सामान्य और विषय सम्बन्धी विश्वकोष, शब्दकोष, वार्षिकी, गजेटीयर्स आदि का संग्रह किया जाना चाहिए।

महाविद्यालय पुस्तकालय को पुस्तक चयन एवं संग्रह नीति विचार-विमर्श के पश्चात निश्चित करना चाहिए। पुस्तकालय को अपने संग्रह की गुणवत्ता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

3.2.5. कर्मचारी

योग्य एवं पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक कर्मचारियों के होने से पुस्तकालय अपना कार्य सुचारू रूप से सम्पादित आसानी पूर्वक कर लेता है। व्यावसायिक कर्मचारियों का पद, प्रतिष्ठा और वेतनमान समकक्ष शिक्षकों के समान होना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को अपना दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या उसके आकार के ऊपर निर्भर करती है। पुस्तकालय में कर्मचारियों की संख्या के लिए यू.जी.सी. के द्वारा मानदण्ड निर्धारित है।

3.2.6. प्रस्तुतिकरण

महाविद्यालय पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार होना चाहिए की पाठकों को पुस्तक प्राप्त करने में आसानी हो। इसके लिए पुस्तकालय को वर्गीकरण और सूचीकरण भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य और उपयोग में लाये जाने वाली पद्धति को अपनाना चाहिए इस कार्य हेतु पुस्तकालय को ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए जिस पद्धति का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था द्वारा लगातार सम्पादित किया जाता हों।

3.2.7 बजट

डॉ. राधाकृष्णन आयोग ने महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए महाविद्यालय के बजट का 6% अनुशंसा की है। कोठारी आयोग ने इसे बढ़ाकर 10% कर दिया। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय पुनरीक्षित समिति जिसके अध्यक्ष के.एन. राज थे, ने कॉलेज बजट का 20% पुस्तकालय विकास के लिए निर्धारित करने का प्रावधान रखा।

पुस्तकों में मूल्य वृद्धि को देखते हुए प्रतिवर्ष 15% वृद्धि करने का प्रावधान रखा गया। फर्नीचर पर 15% जिल्दबंधी पर 10% एवं स्टेशनरी पर 30% पुस्तकालय को अपने बजट का खर्च करने का प्रावधान रखा गया।

3.3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय

उच्च शिक्षा प्राप्ति में विश्वविद्यालय मुख्य भूमिका निभाते है। विश्वविद्यालय, शिक्षण के अतिरिक्त शोध, विचारों का संरक्षण और व्याख्या सम्बन्धी कार्य करता है। शोध कार्य विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रमुख कार्य है जो उसको महाविद्यालय से अलग करता है। विश्वविद्यालय में अभीष्ट विषय पर विशेष अध्ययन और अधिकार प्राप्त किया जाता है। भौतिक ज्ञान का यहाँ सृजन होता है और ज्ञान के विकेन्द्रीकरण का यह मुख्य केन्द्र है। ज्ञान का संरक्षण और विकास विश्वविद्यालय शिक्षा पर निर्भर करता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल 20 विश्वविद्यालय थे। आज इसकी संख्या 222 तक पहुँच चुकी है। विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि के साथ ही साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है। पाठयक्रम में विभिन्न प्रकार के नये विषयों का समावेश हो चुका है। खुला विश्वविद्यालय ने दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार कर इस क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। शिक्षा के क्षेत्रों में बहुआयामी प्रगति ने विश्वविद्यालय की उपयोगिता में वृद्धि ला दी है। शिक्षा के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्न चार बातों की आवश्यकता होती है।

(i) योग्य छात्र,

(ii) शिक्षक,

(iii) प्रयोगशाला और

(iv) पुस्तकालय

इनमें प्रथम तीनों के लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है। पुस्तकालय के बिना न तो छात्र अच्छी तरह अध्ययन कर सकते है, न शिक्षक कारगर ढंग से अध्यापन का कार्य कर सकते है और न ही प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य के लिए सैद्धान्तिक अध्ययन जरूरी है। उसके लिए पुस्तक और पुस्तकालय आवश्यक है। ज्ञान के सृजन, संरक्षण और विकास हेतु प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों आवश्यक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व आवश्यक है परन्तु मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और पुस्तकालय दोनों का समन्वित रूप है। इसे स्वीकारते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पुस्तकालय के सन्दर्भ में लिखा है:

"अध्यापन एक सहकारी कार्य है। पुस्तकालय शोधशाला और योग्य छात्रों के रूप में शिक्षण हेतु अध्यापकों के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध होना चाहिए। पुस्तकालय विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों का हृदय है। उसका यह रूप शोध कार्यों की दृष्टि से प्रत्यक्ष और अन्य कार्यों की दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। वैज्ञानिक शोध के लिए प्रयोगशाला और पुस्तकालय दो अलग- अलग साधन आवश्यक है, जबकि सामाजिक और भाषा शास्त्रीय शोध के लिए पुस्तकालय दोनों का समन्वित रूप है।"

पुस्तकालय विश्वविद्यालय के हृदय के रूप में किस तरह से कार्य करता है, उसके बिना विश्वविद्यालय निष्क्रिय सा क्यों लगता है? इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के कार्यों को जाना जाय साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय की लक्ष्यों के प्राप्ति में किस प्रकार सहयोग प्रदान करता है।

3.3.1. विश्वविद्यालय के कार्य

एम. आर. विलसन और एम. एफ. टॉबर के अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित छः कार्य बताये है : -

(i) ज्ञान और विचारों का संरक्षण

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अपने शोध के द्वारा प्राचीन और नवीन ज्ञान एवं विचारों का संरक्षण करता है। फलस्वरूप ज्ञान का क्षेत्र दिन पर दिन विकसित होता जाता है। ज्ञान के वाहक जितने भौतिक माध्यम है उन्हें संबद्ध पुस्तकालय वर्तमान और भावी छात्रों एवं शिक्षकों के उपयोग हेतु सुरक्षित रखता है।

(ii) अध्यापन

विश्वविद्यालय देश के लिए योग्य शिक्षक, लेखक, वैज्ञानिक, प्रशासक आदि उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इस कार्य को शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष दोनों मिलकर पूरा करते है। शिक्षक पुस्तकालयोन्मुखी औपचारिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा तथा पुस्तकालय अपनी अनोपचारिक प्रक्रियाओं द्वारा इसे संपन्न करते है। पुस्तकालय छात्रों एवं शिक्षकों को उनके उब शिक्षा को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक साहित्य उपलब्ध कराता है।

(iii) अनुसंधान

अनुसंधान विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। अपने शोध कार्यों के द्वारा विश्वविद्यालय मानव जीवन को सरल बनाने का प्रयास करता है। इन कार्यों के माध्यम से प्रकृति द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। शोध के परिणाम स्वरूप अनेक नये विषयों का सृजन होता है और नया साहित्य प्रकाश मैं आता है। शिक्षकों और शोध छात्रों को शोध कार्य अच्छी तरह करने के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रलेखन की प्राविधियों के माध्यम से आवश्यक साहित्य और सूचनायें उपलब्ध कराता है।

(iv) प्रकाशन

विश्वविद्यालय शोध परिणामों को प्रकाशित कर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करता है और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करता है। इस प्रकाशन कार्य में विश्वविद्यालय को पुस्तकालय प्रदान करता है।

(v) विस्तार सेवा

विश्वविद्यालय अपने विस्तार सेवा के द्वारा समाज के स्तर को ऊँचा उठाने कार्य करता है। विश्वविद्यालय दारा प्रदान की जाने वाली विस्तार सेवाओं में अधोलिखित निम्न है :-

- पत्राचार पाठ्यक्रम
- प्रौढ शिक्षा का आयोजन
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम,
- प्रसार व्याख्यान, तथा
- माँग के अनुसार अन्य संस्था एवं संगठनों को मार्गदर्शन करना।

पुस्तकालय विश्वविद्यालय को उपरोक्त विस्तार सेवाओं को सफलता पूर्वक संचालन हेतु संबद्ध लोगों को अपेक्षित प्रलेख सूची, ग्रन्थ और अन्य सूचनायें प्रदान करता है।

(vi) सैद्धांतिक तथ्यों को व्यावहारिकता का रूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय उन तथ्यों का वर्णन करता है। शोध परिणामों को व्यावहारिक जीवन में उपयोग हेतु विश्वविद्यालय उसकी व्याख्या और विस्तार करता है। पुस्तकालय इस कार्य में विश्वविद्यालय को सहयोग प्रदान करता है।

3.3.2. विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य

विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों में सहयोग प्रदान करना होता है। उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालय के सभी कार्यों के सम्पादन में पुस्तकालय प्रमुख भूमिका निभाते है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के मुख्य शैक्षणिक कार्य निम्नलिखित हैं : -

(i) नवीन छात्रों के लिए प्रारंभिक परिचय का कार्यक्रम आयोजित करना,

(ii) छात्रों में अध्ययन की प्रवृति को बढ़ाने के लिए विविध उपाय करना,

(iii) पाठकों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन और सूचना सेवा की व्यवस्था करना,

(iv) शोध कार्य के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रलेखन संबन्धी विविध कार्य करना,

(v) विस्तार सेवाओं का आयोजन करना, और

(vi) पाठ्य-सामग्री का अर्जन तथा प्रस्तुतिकरण करना जैसे ग्रन्थ चयन, वर्गीकरण, सूचीकरण आदि ।

कोठारी शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य बताये है:

(i) शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्षों के सहयोग से पुस्तकालय के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम बनाना जिससे उसका सही उपयोग हो सके,

(ii) केन्द्रीय पुस्तकालय के विभागीय पुस्तकालय तथा अध्ययन गोष्ठी पुस्तकालयों (Seminar Libraries) के मध्य सम्पर्क- सूत्र का कार्य करना तथा शोधार्थियों को यथेष्ट सहायता देना,

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा विशेष अध्ययन के लिए चुने गये अथवा क्षेत्रीय महत्व के विषयों में शोधकार्य करने के लिए आवश्यक साधन तथा सुविधाएँ प्रदान करना,

(iv) पुस्तकालय में ऐसा साहित्य संग्रहित करना जिसका उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा प्रयोगशालीय शोध में किया जा सके। ऐसे साहित्य के द्वारा ही प्राध्यापकों तथा छात्रों की पुस्तकालय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके,

(v) विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध प्राध्यापकों को सम्बन्धित विषय क्षेत्रों में हुए विकास के सम्बन्ध में सूचित करना,

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा चुन गये विशिष्ट अध्ययन-क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर सामग्री एकत्रित करना 'एवं

(vii) पुस्तकों, एवं विद्वानों को एक दूसरे के निकट लाना तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिनसे बौद्धिक जिज्ञासा उत्तेजित हो, अन्वेषण की प्रवृति जागृत हो तथा अध्ययन उत्साहवर्द्धक हो।

3.3.3. सेवायें

उपरोक्त कार्यों के साथ-साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को कुछ सेवायें प्रदान करता है। एक विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित सेवायें प्रदान की जानी चाहिए:

(i) पुस्तकालय दीक्षा सेवा

(ii) पुस्तक खोजने के लिए सूची का उपयोग विधि समझाना,

(iii) पुस्तक लेन-देन सेवा,

(iv) सामान्य तथा विशिष्ट सूचनाएँ प्रदान करना,

(v) साहित्य खोज,

(vi) पाठक परामर्शदात्री सेवा एवं संदर्भ सेवा,

(vii) सामयिक अभिग्यता सेवा

(viii) पुस्तकों का आरक्षण,

(ix) अन्तरा-पुस्तकालयीन आदान

(x) पुस्तक सन्दर्भ सूची तथा अध्ययन सूचियाँ का संकलन

(xi) अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण सेवायें,

(xii) छाया प्रतिलिपिकरण सेवा

(xiii) अनुवाद सेवा,

(xiv) वार्टीकल फाइल का अनुरक्षण,

(xv) नवागत पुस्तकों के आवरण का प्रदर्शन तथा नवागत पुस्तकों की सूचियों का प्रसारण, एवं

(xvi) पाठ्य सामग्री का प्रदर्शन।

उपरोक्त सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए आकार तथा साधनों के अनुरूप किसी विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में विभागों की स्थापना की जा सकती है। साधारणतया एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित विभाग तथा विभागाध्यक्ष होते है :

(i) ग्रन्थ अर्जन विभाग,

(ii) ग्रन्थ प्रस्तुतीकरण विभाग,

(iii) ग्रन्थ अनुरक्षण विभाग,

(iv) संदर्भ सेवा विभाग

(v) ग्रन्थ परिसंचरण (Circulation) विभाग,

(vi) सामयिक प्रकाशन विभाग,

(vii) ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूची (Bibliography) विभाग,

(viii) पाण्डुलिपियाँ विभाग

(ix) प्रलेखन - अनुक्रमणीकरण, सारकरण आदि सेवायें,

(x) अणु ग्रन्थ विभाग - माइक्रोफिल्मस, माइक्रोफिश आदि,

(xi) कार्यालय ।

3.3.4. विश्वविद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढाँचा

विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित दो प्रकार के पुस्तकालय होते है :-

1. केन्द्रीय पुस्तकालय और
2. विभागीय पुस्तकालय

उपरोक्त दोनों प्रकार के पुस्तकालय के कार्यों को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न, उनमें ताल-मेल बनाये रखने और उनके माध्यम से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इनका संगठन निम्नांकित पद्धतियों में से किसी एक के आधार पर किया जाता है।

(i) विकेन्द्रीयकरण पद्धति

इस पद्धति के अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालयों का संगठन और प्रबंध स्वतन्त्र रूप से किया जाता है।

(ii) आंशिक केन्द्रीयकरण पद्धति

इस पद्धति के अनुसार विभागीय पुस्तकालयों का संगठन और प्रबंध केन्द्रीय पुस्तकालय के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। परन्तु कुछ मुख्य विभागों अथवा संघटक महाविद्यालयों में जैसे, चिकित्सा विधि, यांत्रिकी आदि विभागों में स्वतंत्र पुस्तकालय रहते है। उनका संगठन और प्रबंध संबद्ध प्राचार्य या विभागाध्यक्ष के निर्देशन में किया जाता है।

(iii) विश्वविद्यालय व्यापी संगठन पद्धति

इस पद्धति में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी पुस्तकालयों का संगठन और प्रबंध मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष के निर्देशन एवं नियन्त्रण में किया जाता है। पुस्तकालय को प्रभावपूर्ण ढ़ग से कार्य करने की दृष्टि वर्तमान में यह पद्धति अधिक मान्य है।

3.3.5. कर्मचारी

किसी भी पुस्तकालय की सफलता उसके कर्मचारी के ऊपर निर्भर करती है। अत: विश्वविद्यालय पुस्तकालय को योग्य, प्रशिक्षित व कर्मठ कर्मचारियों का ही चयन करना चाहिए। किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन से पद की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किया गया है।

विश्वविद्यालय पुस्तकालय को कर्मचारियों का चयन और उसका संख्या निर्धारित करते समय इस मानदण्ड को उपयोग में लाना चाहिए।

3.3.6. प्रशासन

विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रबंध निम्न निकायों और पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(i) **व्यवस्थापिका सभा** : यह सभा पुस्तकालय की व्यवस्था पर सामान्य नियन्त्रण रखती है।

(ii) **विद्वत परिषद** : यह परिषद पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए पुस्तकालय समिति का निर्माण करती है।

(iii) **कार्यकारिणी परिषद** : यह परिषद पुस्तकालय समिति द्वारा लिये गये निर्णय विचार करती है और उन्हे स्वीकृत करती है।

(iv) **पुस्तकालय समिति :** पुस्तकालय समिति पुस्तकालय के लिए उचित और आवश्यक नीति और कार्यक्रम निर्धारित करती है।

(v) **कुलपति :** उपयुक्त सभी निकायों और समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और पुस्तकालयाध्यक्ष के माध्यम से पुस्तकालय पर नियन्त्रण रखता है।

(vi) **पुस्तकालयाध्यक्ष :** पुस्तकालय के संगठन और प्रबन्ध का सारा दायित्व पुस्तकालयाध्यक्ष पर होता है। इन्हे निर्धारित नीतियों के अनुसार पुस्तकालय का व्यवस्थापन करना होता है।

4. सारांश

इस इकाई में शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा, स्वरूप तथा प्रकार पर प्रकाश डाला गया है। शैक्षणिक पुस्तकालय के तीनों प्रकार-विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य, कार्य एवं सेवाओं की विस्तार से चर्चा की गयी है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय के वर्णन के पश्चात हम देखते हैं कि वास्तव में यह विश्वविद्यालय के हृदय के रूप में कार्य करता है। परन्तु आज हमारे देश में विश्वविद्यालय पुस्तकालय पाठकों को उतनी सेवायें प्रदान नहीं कर पा रहे है जितनी की विकसित देशों में विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा की जाती हैं। इसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी होना है।

5. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकारों तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
2. एक आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्यों एवं सेवाओं का वर्णन कीजिए।
3. महाविद्यालय पुस्तकालय पर लेख लिखिये।

6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994.
2. व्यास, एस.डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992.

इकाई - 7 : सार्वजनिक पुस्तकालय : आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य (Public Libraries : Needs, Objectives, Functions)

उद्देश्य

इस इकाई के उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा से अवगत कराना।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता के विषय में बताना।
3. सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में जानकारी देना।
4. सार्वजनिक पुस्तकालय के विभिन्न स्तरों से परिचित कराना और प्रत्येक स्तर के संक्षिप्त कार्यों से अवगत करवाना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय के प्रकार
   - 2.1 सार्वजनिक पुस्तकालय
3. सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता
4. सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य
5. सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य
6. सार्वजनिक पुस्तकालय-तन्त्र के स्तर
   - 6.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय
   - 6.2 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
   - 6.3 जिला पुस्तकालय
   - 6.4 प्रखण्डीय पुस्तकालय
   - 6.5 पंचायत पुस्तकालय
7. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति
8. सारांश
9. अभ्यासार्थ प्रश्न
10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library) की परिभाषा को समझने के पहले यह श्रेयस्कर होगा कि हम पुस्तकालय की परिभाषा को समझ लें। पुस्तकालय शब्द जो शब्दों पुस्तक + आलय (घर, स्थान) से मिलकर बना है जिसका अर्थ है पुस्तक रखने का स्थान या

घर। अत: पुस्तकालय वह स्थान है, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। यह स्थान पुस्तक भण्डार, संग्रहालय या प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता के प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं। इन समानार्थी स्थानों से इसे भिन्न करने के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता को इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार पुस्तकालय की परिभाषा होगी - "वह स्थान जहाँ पाठकों के उपयोग हेतु पुस्तकें रखी जाती हैं।" यह परिभाषा पुस्तकालय की उपयोगिता को तो स्पष्ट करती ही है साथ ही पुस्तकालय को अन्य समानार्थी स्थानों यथा पुस्तक भण्डारों आदि से, जिनका उद्देश्य पुस्तकों का विक्रय कर लाभ अर्जित करना अथवा अन्य कोई प्रयोजन हो सकता है, से भी पृथक करती है।

जब यह मान लिया गया कि पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पाठकों के उपयोग के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं, तो यह बात स्वत : ही स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ रखी अथवा संग्रहीत पुस्तकें पाठकों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर अवाप्त की जाती हैं तथा पाठकों द्वारा इनका प्रभावशाली उपयोग हो सके इसके लिए पुस्तकों को व्यवस्थित कर रखा जाता है जिससे पाठक इनका सरलता एवं सुविधाजनक ढंग से उपयोग कर सके। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पाठकों की आवश्यकतानुसार पुस्तकालय कर्मियों द्वारा उपयोगी पुस्तकों को संग्रहीत किया जाता है, जहाँ पाठकों द्वारा पुस्तकों का सुविधाजनक ढंग से उपयोग किया जा सके इसी हेतु उन्हें व्यवस्थित कर रखा जाता है।

2. पुस्तकालयों के प्रकार

पुस्तकालय की उपर्युक्त परिभाषा में तीन मुख्य तत्व हैं-

1. **स्थान अथवा भवन** - जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं।
2. **पाठक** - जो पुस्तकों का उपयोग करते हैं।
3. **पुस्तकालय कर्मी** - जो पाठकों की आवश्यकतानुसार उनके लिए उपयोगी पुस्तकें संग्रहीत करते हैं, जहाँ पाठक सरलता एवं सुविधापूर्वक पुस्तकों को उपयोग कर सकें। इसी हेतु इन पुस्तकों को व्यवस्थित रखते हैं।

डॉ. रंगनाथन ने इन तत्वों को पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा है। इनमें पाठक अथवा उपयोगकर्ता प्रमुख हैं। जिस प्रकार के पाठक अथवा उपयोगकर्ता होंगे उनकी आवश्यकता के अनुरुप उपयोगी पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन सामग्री का संकलन रख व्यवस्थापन किया जावेगा। व्यवस्थापन की दृष्टि से उसके अनुरूप योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

यदि पुस्तकालय शैक्षणिक संस्था से सम्बन्धित है तो उक्त पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालय कहलायेगा। पुस्तकालय यदि शोध अथवा विशिष्ट विभाग से सम्बद्ध है तो उक्त पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय कहलायेगा। इसी प्रकार यदि पुस्तकालय किसी क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए सार्वजनिक रूप से खुला है तो वह सार्वजनिक पुस्तकालय कहलायेगा। अत : शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय के तीन प्रमुख प्रकार हैं। इस इकाई में केवल सार्वजनिक पुस्तकालयों की चर्चा की गयी है।

2.1 सार्वजनिक पुस्तकालय

पुस्तकालय के उपर्युक्त विवरण के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय वह पुस्तकालय है जो किसी स्थान अथवा क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को, बिना किसी भेदभाव के, पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। इसके संचालन हेतु आवश्यक वित्त भी सार्वजनिक अथवा राजकीय निधि से प्राप्त होता है।

सुबोध कुमार मुखर्जी के अनुसार "सार्वजनिक पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चलायी जाती है। इसकी स्थापना एवं संरक्षण देश अथवा स्थानीय कानून के स्पष्ट उल्लेखों द्वारा होता है। इनका पूरा व्यय लोक-निधि (Public Fund) से ही होता है। इसके अतिरिक्त ये समाज के सभी सदस्यों हेतु बिना किसी भेदभाव के सुलभ होते हैं।"

अत: सार्वजनिक पुस्तकालय जन साधारण के उपयोग के लिए जन साधारण द्वारा संचालित होते हैं।

एल. आर. मेकाल्विन के मतानुसार - सार्वजनिक पुस्तकालय के पाँच आधारभूत तत्व निम्नलिखित हैं -

1. सार्वजनिक पुस्तकालय के संचालन का उत्तरदायित्व स्थानीय/क्षेत्रीय/प्रादेशिक राज्य प्रशासन पर होना चाहिए।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय के संचालन हेतु वित्त, प्रशासन अथवा इसके प्राधिकरण से प्राप्त होना चाहिये।
3. सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाएँ समाज के सभी सदस्यों को नि:शुल्क प्राप्त होनी चाहिये।
4. सार्वजनिक पुस्तकालय को समाज के सभी सदस्यों की अध्ययन रुचि को दृष्टि में रखते हुए यथा संभव इसकी पूर्ति का प्रयास करना चाहिए।
5. सार्वजनिक पुस्तकालय को समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को निष्पक्ष एव निर्बाध रूप से उनकी वांछित रख रुचि की अध्ययन सामग्री का उपयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee for Libraries) ने सभी सार्वजनिक

पुस्तकालय की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है -

1. जो अधिकांशत: लोग-निधि (Pubic Fund) से संचालित होता है;
2. जो पाठकों से कोई शुल्क प्राप्त नहीं करता फिर भी बिना जाति, मत अथवा लिंग भेद के समस्त जनता के उपयोग हेतु खुला रहता है;
3. जो स्व सहायक शैक्षणिक संस्था के रूप में अभिप्रेत रहता है और स्वशिक्षा का अपरिमित साधन बनता है;

4. जो अध्ययन सामग्री को संग्रहीत रखते हुए निर्बाध रूप से बिना पक्षपात अथवा अपकृति के इतने अधिक विभिन्न विषयों पर, जो पाठकों की रुचियों को सन्तुष्ट कर, विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है।

इस परिभाषा में सार्वजनिक पुस्तकालय को सहायक शैक्षणिक संस्था कहा गया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालय जन विश्वविद्यालय (Peoples University) भी है, जो समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान रूप से आजीवन स्वशिक्षा का अवसर प्रदान करता है।

सी.जी. विश्वनाथन के अनुसार "सार्वजनिक पुस्तकालय अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को बिना रंग,जाति व अन्य किसी भेदभाव के नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं तथा इनका प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्णत : अथवा अधिकांशत: अपने ही व्यय से होता है व पुस्तकालय का संचालन प्रशासन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अथवा समिति द्वारा होता है।

"यूनेस्को (Unesco) के सार्वजनिक पुस्तकालयों के मेनीफेस्टों के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय वे पुस्तकालय हैं-

1. जो निश्चित अधिनियम द्वारा स्थापित हो;
2. जिनका संचालन पूर्ण रूप से जनता के धन द्वारा हो;
3. जिसकी सेवाओं के लिए कोई सीधा शुल्क न लिया जाता हो; एवं
4. जो पूर्ण रूप से निःशुल्क व समान रूप से समुदाय के लिए उपलब्ध हो।

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के मनन के पश्चात् हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय वह जन कल्याणकारी सामाजिक संस्था है, जो समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान रूप से नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करती है, तथा जिसका वित्तीय भार स्थानीय अथवा सम्बन्धित प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

3. सार्वजनिक पुस्तकालय की आवश्यकता

वर्तमान प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना आवश्यक है, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहे और देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। विश्व में पुस्तकों को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिनका अध्ययन कर, समझकर व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। किसी भी क्षेत्र की अर्वाचीन व नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है, समय का सदुपयोग कर मनोरंजन प्राप्त करता है एवं सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर होता है। साथ ही पुस्तकें एक अच्छी मित्र, दार्शनिक एव निर्देशक के समान हैं जिनका अध्ययन मनन कर जीवन पर्यन्त स्वशिक्षा ग्रहण की जा सकती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी वांछित पुस्तकें न तो क्रय कर सकता है और न ही किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त कर सकता है। अत : समाज के सभी व्यक्तियों की ज्ञान, सूचना एवं मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति पुस्तकों के माध्यम से करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों का होना आवश्यक है।

यह सम्भव है कि समाज के सम्पन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकता की बहुत सी वांछित पुस्तकें स्वयं क्रय कर लें; परन्तु निम्न एवं मध्यम वर्ग के व्यक्ति, जिनकी संख्या समाज में अधिक है, स्वयं पुस्तकें क्रय करने में असमर्थ हैं। अत : समाज के बहुत बड़े भाग के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय नितान्त आवश्यक है।

यही नहीं कि केवल साक्षर एवं स्वस्थ व्यक्ति ही सार्वजनिक पुस्तकालयों का उपयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं अपितु निरक्षर एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी पुस्तकालय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक पुस्तकालयों में दृश्य श्रव्य साधनों यथा-चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप्स, चित्र, रेडियो, टेलिविजन, कम्पयूटर एवं टेप रिकार्डर आदि के उपयोग से निरक्षर एवं विकलांग जैसे अंधे व बहरे (Physically handicapped like blind and deaf) भी स्वशिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अच्छी पुस्तकों का साक्षरों द्वारा निरक्षरों के सम्मुख वाचन कर उन्हें लाभ पहुँचाया जा सकता है एवं निरक्षरों को साक्षर बनने की प्रेरणा प्रदान कर पुस्तकालय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में यह सम्पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अवसर सुलभ करता है। इसलिये इसे 'लोक विश्वविद्यालय' की संज्ञा दी गयी हे।

शैक्षणिक एवं विशिष्ट पुस्तकालयों का क्षेत्र सीमित होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय जहाँ सम्बन्धित शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्रों व कार्यरत अध्यापकों को पुस्तकालय सेवायें प्रदान करते हैं वहीं विशिष्ट पुस्तकालय सम्बन्धित संस्था के अधीन कार्यरत शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों को पुस्तकालय सेवायें प्रदान करते हैं; परन्तु सार्वजनिक पुस्तकालय का क्षेत्र व्यापक है । यह समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के नि:शुल्क पुस्तकालय सेवायें उपलब्ध करते हैं। अत: ऐसी जन कल्याणकारी संस्था समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

4. सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य

सार्वजनिक पुस्तकालय एक जन कल्याणकारी संस्था है जो समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण हेतु आजीवन, अनवरत स्वशिक्षा, सूचना, ज्ञानवर्द्धन एवं मनोरंजन प्रदान करती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख डॉ. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक "लाइब्रेरी मैनुअल" (Library Manual) में सार्वजनिक पुस्तकालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं-

1. समाज के सभी वर्गो के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने में सहायक होना।
2. समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समस्त विषयों एव क्षेत्रों पर अद्यतन (Upto date) तथ्य एवं सूचनाएँ प्रदान करना।
3. स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक कार्यों के सम्पादन में व्यस्त व्यक्तियों को सभी मतों पर मुद्रित पाठ्य सामग्री बिना किसी भेदभाव के भलीभांति प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय उत्पादकता वृद्धि हेतु उद्योगों के वरिष्ठतम अधिकारियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में नवीनतम विकास की सूचना प्रदान करना तथा उनमें कार्यरत वैज्ञानिकों, अभियांत्रिकों, अनुसंधानकर्ताओं एवं तकनीशियनों को प्रत्येक नवीन सूचना के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
5. समाज के सभी वर्गों को उनके अवकाश के समय (Leisure time) के सदुपयोग में सहायता करना तथा पुस्तकालय के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
6. प्राचीन एवं वर्तमान साहित्य को भावी पीढ़ी के उपयोग हेतु सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित रखना एवं समाज के सभी व्यक्तियों को शोध एवं उपयोग के लिए उपलब्ध कराना।
7. मुद्रित ज्ञान की संरक्षित संस्था के रूप में समाज के ज्ञान की अभिवृद्धि में निरन्तर प्रयत्नशील रहना।

सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उचित अध्ययन सामग्री संग्रहीत कर व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है।

यूनेस्को के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य जो ऊपर दिये गये उद्देश्यों से मिलते-जुलते हैं, निम्न प्रकार हैं-

1. पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें, समाचार पत्र, मानचित्र, संगीत रिकार्डस आदि अध्ययन सामग्री का पाठकों की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार संग्रह करना तथा उसके उपयोग की सुविधा प्रदान करना।
2. ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले आविष्कार, अन्वेषण, शोध तथा विकास सम्बन्धी उपयोगी नीवनतम एवं अर्वाचीन सामग्री का संकलन रख संरक्षण करना तथा भविष्य में प्रगति व विकास हेतु उपलब्ध कराना।
3. बालक, युवा, वृद्ध, नर-नारी को निरन्तर स्वशिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना व इसके लिए अवसर प्रदान करना।
4. वैयक्तिक सूचना मनोरंजन और प्रेरणास्पद साहित्य द्वारा अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने का अवसर प्रदान करना।
5. ज्ञान के विकास और शोधकर्मियों में व्यस्त व्यक्तियों को सतत सेवा व सहयोग प्रदान करना।
6. अपने दैनिक कार्यों में अधिकतम क्षमता एवं निपुणता प्राप्त करना।
7. देशवासियों में सृजनात्मक शक्ति को विकसित करने में सहयोग प्रदान करना एवं उनमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, कला व साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना।
8. प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा राष्ट्रीय एवं विश्व नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करना।
9. प्रत्येक सार्वजनिक समस्या के प्रति विचार-विमर्श व क्रियाशील आलोचनात्मक वातावरण उत्पन्न करने हेतु वातावरण का निर्माण करना।

सार्वजनिक पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य ऊपर दिये गये हैं। ऐसे पुस्तकालय का कर्तव्य समाज के हर व्यक्ति को पाठ्य सामग्री के माध्यम से बिना किसी भेदभाव शिक्षित करना है ताकि वह एक उत्तम नागरिक की भांति समाज-सेवा में अपना योगदान दे सके।

5. सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य

सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों को यूनेस्को के मेनिफेस्टों में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है-

"पुस्तकालय जन शिक्षा के लिए जागृत शक्ति है। आज निर्विवाद रूप से यह मान लिया गया है कि पुस्तकालय जन शिक्षा व जन चेतना के प्रचार के लिए प्रमुख व सक्रिय माध्यम है। आज पुस्तकालय मात्र पुस्तकों के आदान-प्रदान का ही कार्य सम्पन्न नहीं करता वरन् जन साधारण में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा भी जागृत करता है।"

डॉ. रंगनाथन के अनुसार, सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य शैक्षणिक, सूचनात्मक, राजनैतिक, आर्थिक, प्राद्यौगिक, सांस्कृतिक तथा पुराविद है। अर्थात् सार्वजनिक पुस्तकालय अपने शैक्षणिक कार्यों के द्वारा जन साधारण की शैक्षणिक अभिरुचि की पूर्ति करता है एच उसे विकसित करता हैं। उसकी बौद्धिक जिज्ञासा की पुष्टि सूचनात्मक कर्णों के माध्यम से करता है। राजनीतिक कार्यो के अन्तर्गत वह स्वस्थ जनमत का निर्माण करता है। आर्थिक कार्यों के अर्न्तगत विकसित तकनीक व उत्पादन की नवीन विधियों के संबंध में जनता को जानकारी प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। सांस्कृतिक कार्यो के द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, कला व ज्ञान के अपरिमित भण्डार से परिचित कराता है। पुराविद कार्यों के अन्तर्गत प्राचीन साहित्य, ज्ञान, कला एवं सभ्यता व संस्कृति से सम्बन्धित साहित्य, चित्र व चलचित्र उपलब्ध कराता है।

सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य व्यापक हैं तथा उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण समाज है।

पुस्तकालयों के कार्यों की विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है -

5.1 उपयुक्त रख उचित अध्ययन सामग्री अवाप्त कराना

समाज के सभी व्यक्तियों की अनौपचारिक (Informal) शिक्षा एवं स्वशिक्षा हेतु; विविध विषयों में औपचारिक (Formal) शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सम्बन्धित विषयों में अभिरुचि को विकसित करने हेतु;

सभी की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं रख मांगों की पूर्ति हेतु;

विभिन्न समुदायों रख संगठनों को शैक्षणिक, नैतिक रथ सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु; समाज के सभी व्यक्तियों को उनके अवकाश के समय का सदुपयोग रचनात्मक रख सृजनात्मक कार्यों में करने हेतु प्रोत्साहनार्थ उपलब्ध पाठ्य सामग्री को पाठकों तक पहुँचाना।

उपयोगी पाठ्य सामग्री को अवाप्त कर पाठकों तक उपयोग के लिए पहुँचाना सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में अवाप्त पाठ्य सामग्री का प्रभावी उपयोग असम्भव है। यही सेवा पुस्तकालय को क्रियाशील एवं उपयोगी बनाती है। इस सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए स्व पुस्तकालय में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते है।

1. पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण रण सूचीकरण कर उसको फलकों पर उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिससे पाठक उसका उपयोग सरलता एवं सुगमतापूर्वक कर सके।
2. आदान-प्रदान की सुविधा जिसके अन्तर्गत पाठक को अध्ययनार्थ पाठ्य सामग्री घर ले जाने की अनुमती दी जाती है जिससे पाठक अपनी वांछित पाठ्य सामग्री घर ले जाकर सुविधानुसार पढ़ सकता है।
3. पाठकों को अभीष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता।
4. प्रचार एवं प्रसार सेवाओं के द्वारा समाज के अधिक से अधिक व्यक्तियों को पुस्तकालय उपयोग हेतु आकर्षित करना जिससे यह सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित हो सके।

5.2 शैक्षणिक कार्य कराना

सार्वजनिक पुस्तकालय निरन्तर समाज कल्याण में रत रहते हुए शिक्षित और अशिक्षित दोनों को समान रूप से ज्ञान का वितरण कराता है। वास्तव में यह जीवंत केन्द्र है और सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। पुस्तक को निर्बाध रूप से शिक्षा का सशक्त एवं महत्वपूर्ण साधन माना गया हे और पुस्तकालय पुस्तकों के भण्डार हैं। पुस्तकों के माध्यम से समाज के सभी वर्गो के व्यक्तियों को समान रूप से अपनी शिक्षा का विकास करने का अवसर प्रदान करना सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य शैक्षणिक कार्य है।

5.3 प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रमों को स्थायी एवं प्रभावशाली बनाना

देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे प्रौढ़ व्यक्तियों का है जिन्हें बाल्य एवं युवावस्था में उचित शिक्षा प्राप्त करने का उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने इस दिशा में बहुत ध्यान दिया है एवं पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्यक्रम हेतु एक बड़ी धनराशि का प्रावधान कर समाज के इस अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित वर्ग को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है; परन्तु बड़े दु:ख का विषय है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका को अनदेखा छोड़ दिया गया है। परिणामतः: यह कार्यक्रम स्थायी एवं प्रभावशाली नहीं बन पाया है।

समाज के जिन प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाता है उनकी साक्षरता को बनाये रखने व भविष्य में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने हेतु आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों का आधार कोई ऐसी संस्था हो जो इस कार्य को अनवरत रूप से करने में समर्थ हो और वह संस्था कोई अन्य संस्था नहीं सार्वजनिक पुस्तकालय ही हैं जो इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न कर सकती हैं। अत : भविष्य में यदि इन पुस्तकालयों को आधार संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर यह उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए तो ये कार्यक्रम अवश्य ही स्थायी एवं प्रभावशाली बन सकेगें तथा नव साक्षरों की रुचि-अनुसार उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाकर उनकी साक्षरता को स्थायित्व प्रदान करेंगे और भविष्य में पुस्तकों द्वारा स्वशिक्षा प्रदान कर उनको शिक्षित नागरिक बनाने में सार्वजनिक पुस्तकालय भूमिका निभा सकेंगे।

6. सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र के स्तर

समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को पुस्तकालय सेवायें सुलभ हों, इसके लिए आवश्यक है कि सम्पूर्ण राष्ट्र में सभी स्तरों पर आधुनिक एवं सुसज्जित सार्वजनिक पुस्तकालयों का जाल बिछाया जाय। इस हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर स्व तंत्र का संगठित होना अत्यन्त आवश्यक है जो अधिनियम द्वारा पोषित हो तथा विकास हेतु कार्य करने का पूर्ण अधिकार रखता हो। भारत सरकार द्वारा सन् 1957 में संगठित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee for Libraries) ने अपने प्रतिवेदन में भारत के लिए निम्न सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की अनुशंसा की थी-

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library)
2. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (State Central Library)
3. जिला पुस्तकालय (District Library)
4. प्रखण्डीय पुस्तकालय (Block Library)
5. पंचायत पुस्तकालय (Panchayat Library)

तन्त्र की प्रत्येक इकाई की संक्षिप्त चर्चा कर लेना यहां समीचीन होगा।

6.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Libraries)

यह राष्ट्र का प्रतिनिधि पुस्तकालय होता है, जहाँ सामान्यत : देश में प्रकाशित समस्त पुस्तकों को संग्रहीत किया जाता है एवं शोधकर्ताओं की सुविधा के लिए विश्व के किसी भी देश में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को प्राप्त कर शोधकर्ता को उपलब्ध कराने को प्रयास किया जाता है। इस पुस्तकालय द्वारा राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का निर्माण कर उसे प्रकाशित करने का भी कार्य किया जाता है। चैन्डलियर के अनुसार "राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रावधान सम्पूर्ण राष्ट्र की रुचियों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है।"

राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य - सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसका सर्वोच्च स्थान होता है। यह राष्ट्र की पुस्तकालय नीति को प्रशस्त कर राष्ट्र के सभी पुस्तकालयों का मार्गदर्शन करता है तथा वाङ्मयी एवं सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वय केन्द्र के रूप में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं-

1. राष्ट्र के साहित्य का केन्द्रीय संग्रहण;
2. राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का प्रकाशन;
3. राष्ट्रीय वाङ्मय सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना;
4. विश्व स्तर पर अन्तर पुस्तकालय आदान-प्रदान;
5. पुस्तकालय तकनीकी में शोध;
6. अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय केन्द्र के रूप में कार्य करना;
7. तकनीकी सेवाओं का आदान-प्रदान;
8. राष्ट्रीय पुस्तकालय तन्त्र (National Library System) के शीर्ष के रूप में कार्य करना, और

9. राष्ट्र में पुस्तकालयों से सम्बन्धित परामर्श देना ।

6.2 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय (State Central Library)

प्रत्येक राज्य में स्व शीर्ष पुस्तकालय राज्य के केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया जाता है जो राज्य के पुस्तकालय तंत्र को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। डॉ. रंगनाथन के अनुसार इसके तीन प्रमुख भाग एव उनके कार्य निम्न प्रकार हैं-

1. **स्टेट कॉपीराइट पुस्तकालय**- प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स 1857 व संशोधन 1954 की धारा 3 व 4 वर्णित गतिविधियों का संचालन और राज्य में प्रकाशित समस्त पुस्तकों का संग्रहण।

2. **स्टेट डोरमीटरी पुस्तकालय** - राज्य के विभिन्न पुस्तकालयों से निष्कासित अनुपयोगी पुस्तकों को सुरक्षित रखना जिससे उनकी माँग होने पर उन्हें उपलब्ध करवाया जा सके।

3. **राज्य सेवा पुस्तकालय** - राज्य के व स्थानीय निवासियों को पुस्तकालय सेना उपलब्ध कराना।

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं-

1. राज्य में प्रकाशित सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशनों का संग्रह करना।
2. सामान्य एवं विशिष्ट विषयों पर वाङ्मय सूचियों का निर्माण करना।
3. राज्य के पुस्तकालयों का मार्गदर्शन व नेतृत्व करना व तकनीकी की जानकारी प्रदान करना।
4. राज्य स्तर पर वाङ्मय सूची व संघीय सूचियों का निर्माण करना।
5. राज्य स्तर पर अन्तर पुस्तकालय आदान-प्रदान केन्द्र के रूप में कार्य करना।
6. पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए सूचना एवं प्रचार केन्द्र के रूप में कार्य करना।
7. राज्य सरकार को पुस्तकालय सम्बन्धी मामलों में परामर्श देना।

6.3 जिला पुस्तकालय (District Library)

यह राज्य पुस्तकालय तंत्र की महत्वपूर्ण इकाई है। जिले का सर्वोच्च एवं प्रमुख पुस्तकालय होने के कारण तथा राज्य सरकार की पुस्तकालय सम्बन्धी योजनाओं व नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने के कारण यह महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करता जा रहा है। यह जिले के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करता है। इसके अधीन चल पुस्तकालय, शाखा पुस्तकालय व वितरण केन्द्र कार्य करते हैं।

6.4 प्रखण्डीय पुस्तकालय (Block Library)

पुस्तकालय सेवा का लाभ पंचायतों एवं गांवों तक पहुँचाने के लिए खण्ड स्तर पर प्रखण्डीय पुस्तकालय स्थापित किये जाते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने, क्षेत्र की जनता को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना एवं अध्ययन रुचि का विकास कर उनमें पुस्तकालय के प्रति जागृति उत्पन्न करना है।

6.5 पंचायत पुस्तकालय (Panchayat Library)

प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्रामीण जनता की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए पंचायत पुस्तकालय स्थापित किये जाते हैं जो अपने क्षेत्र की जनता को पुस्तकों के माध्यम से शिक्षित करते हैं तथा अध्ययन रुचि का विकास भी करते हैं।

7. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति

7.1 स्वतंत्रता पूर्व सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय एक भी ऐसा सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं था जो वास्तव में सार्वजनिक पुस्तकालय की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यताओं को पूरा करता हो। जो नाम के सार्वजनिक पुस्तकालय थे वह भी उपयोगकर्ताओं से किसी न किसी प्रकार का सीधा शुल्क प्राप्त करते थे। समाज में अशिक्षा के कारण पुस्तकालय का शिक्षा के क्षेत्र में स्थान गौण था। अंग्रेजी शासन ने अपने 185 वर्षों के कार्यकाल में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रथम अधिनियम 1850 में ही बन गया था जिससे वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

सन् 1947 में देश की 440 नगर परिषदों (Local Bodies) में से केवल 56 के द्वारा मध्यम श्रेणी के पुस्तकालयों को संचालन किया जा रहा था। जिनमें उपयोगकर्ताओं को सेवा शुल्क देना पड़ता था। इसके, अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालय थे जिनके उपयोगार्थ भी शुल्क आवश्यक था। इस प्रकार स्वतन्त्रता पूर्व एवं पश्चात् तक पुस्तकालयों का उपयोग समाज के कुछ ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों तक ही सीमित था जो उनके उपयोगार्थ शुल्क दे सकते थे। इन पुस्तकालयों में संग्रहीत अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में थी जिन्हें विदेशों से आयात किया था तथा साधारण नागरिकों, नवसाक्षरों एवं बच्चों के उपयोग के लिये उपयुक्त पुस्तकों का सर्वथा अभाव था।

जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा अर्थात् 88 प्रतिशत गांवों में निवास करता था, साक्षरता बहुत कम अर्थात् 15 प्रतिशत थी। हिन्दी व अन्य स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों का अभाव था। साथ ही तात्कालीन प्रशासन ने न तो इन कमियों को दूर करने का ही प्रयास किया और ना ही सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को प्रोत्साहित ही किया। इन कारणों से सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति शोचनीय रही।

7.2 स्वतन्त्रता पश्चात् सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार से उम्मीद थी कि वह समाज के सभी वर्गों की पठन-पाठन एवं सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी स्तरों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करेगी। इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास भी हुए हैं, जो निम्न प्रकार है -

1. सन् 1948 में तत्कालीन मद्रास राज्य में देश का सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम (Act) बना, जिससे इस राज्य में सभी स्तरों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एव प्रसार के कार्य का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2. राष्ट्र की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में "पुस्तकालय सेवा सुधार" कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया। जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र में पुस्तकालयों का जाल बिछाने पर विचार किया

गया। इस योजनानुसार सभी राज्यों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा जिला स्तर पर जिला पुस्तकालयों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। कई राज्यों ने इस योजना का लाभ भी उठाया।

इस अवधि में सन् 1956 में तात्कालीन हैदराबाद राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, जिससे इस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास की और अग्रसर हुए आन्ध्रप्रदेश बन जाने पर सन् 1960 में आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का निर्माण हुआ।

3. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु यथोचित ध्यान दिये जाने से यह आशा बंधी थी कि सम्पूर्ण राष्ट्र में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों रख जिला पुस्तकालयों का जाल बिछ जायेगा ओर ये राष्ट्रीय पुस्तकालयों से सम्बद्ध हो जायेंगे।

सन् 1957 में भारत सरकार ने राष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति का सर्वेक्षण कर देश के लिए उपयुक्त 'सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र" की संरचना के सुझाव के लिए एक परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee for Libraries) की स्थापना की जिसके अध्यक्ष डॉ.के.पी सिन्हा थे। इस समिति द्वारा सन् 1957 में अपना प्रतिवेदन तात्कालीन शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु समिति की अनुशंसाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

4. सन् 1965 एवं 1967 में क्रमश: मैसूर राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम एवं महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए सन् 1979 में पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बना। वर्तमान में 11 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं- इन राज्यों के नाम है - तमिलनाडु (1948), आंध्रप्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967), पश्चिमी बंगाल (1979)ए, केरल (1987), हरियाणा (1987), मणिपुर (1988), मिजोरम (1993), गोवा (1993), एवं गुजरात (2001)।

उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त भी सभी स्तरों केन्द्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, स्थानीय आदि पर कुछ प्रयास किये गये। परन्तु पूरे राष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों का समुचित विकास निम्न कारणों से संभव न हो सका।

7.3 समस्यायें

(i) **साक्षरता का अभाव:** पश्चिमी देशों में प्रजातन्त्र औद्योगिक क्रान्ति, समाज शिक्षा एव सर्वतोन्मुखी शिक्षा (Universal Education) का परिणाम था, परन्तु भारत के प्रजातन्त्र की नींव बहुत बड़े निरक्षर समुदाय पर रखी गयी जो सार्वजनिक पुस्तकालय की उपयोगिता को न तो समझ सकते थे और न ही सराह सकते थे। अत: प्रजातन्त्र का समाजीकरण सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा पोषित सर्वतोन्मुखी शिक्षा (Universal Education) के माध्यम से होना ही राष्ट्र हित में है। देश में शिक्षा का प्रतिशत पिछले चार दशकों में 15% से बढ़कर 36% अवश्य हो गया है परन्तु जिस तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके कारण निरक्षरों की संख्या में भी असीमित वृद्धि हो गयी है।

प्रजातन्त्र में बहुमत की आकांक्षाएं सर्वोपरि होती हैं। अत: उस देश में जहां शैक्षणिक पिछड़ापन है व अधिकांश जन समुदाय निरक्षरता के अंधकार में लिप्त है, वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की मांग का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए साक्षरता का अभाव सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में बाधक है।

(ii) **आर्थिक विषमताएँ (असमानता) (Inadequate Financing):** भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee for Libraries) ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि भारत में पुस्तकालय सेवा पर प्रति पाँच व्यक्ति एक आना (नये छ: पैसे) प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है, जबकि इंग्लैण्ड व अमेरिका में इसी कार्य पर क्रमश: रु. 3.50 व रु. 4.55 प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। इससे स्थिति स्पष्ट है कि ऐसी आर्थिक विषमता में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास कैसे सम्भव हो सकता है।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों हेतु कार्यकारी समूह (Working Group on Libraries) ने 1965 में प्रकाशित अपने सर्वेक्षण में स्पष्ट किया है कि भारत में होने वाला व्यय अमेरिका एवं इंग्लैण्ड की अपेक्षा बहुत कम है और राष्ट्रीय आय की तुलना में जितना व्यय इस मद पर किया जाना चाहिए उतना भी नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ प्रति व्यक्ति पुस्तकों की संख्या व अध्ययन की अभिरुचि कम है जो पुस्तकालयों के विकास के लिए आवश्यक है।

पुस्तकालयों के प्रभावी विकास के लिए सुदृढ़ एवं सुनिश्चित अर्थ व्यवस्था आवश्यक है। परन्तु भारत में पुस्तकालयों के विकास हेतु सुनिश्चित आर्थिक सहायता केवल उन्हीं राज्यों में उपलब्ध है जिनमें पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके है। शेष राज्यों में धनाभाव सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में बाधक है

(iii) **अध्ययन अभिरुचि हेतु अभिप्रेरणा का अभाव (Lack of Motivation for Reading)** भारत में अधिकांश जनसंख्या गरीबी, निरक्षरता अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता के शिकंजे में जकड़ी हुयी है। सामाजिक जीवन पारम्परिक एवं शिथिल है जिसमें नवीन चुनौतियों का अभाव है। ऐसी स्थिति में अध्ययन हेतु प्रेरणा का अभाव स्वाभाविक है। इसके विपरीत पश्चिमी विकसित देशों में जीवन औद्योगिक क्रान्ति एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से अपारम्परिक एवं गतिशील है। जिसके कारण समाज के अधिकांश व्यक्तियों को नित्य प्रति नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए उन्हें अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना एवं अद्यतन (Upto date) रखना आवश्यक होता है। यह चुनौतियाँ उन्हें सदैव अध्ययन के लिए प्रेरित करती हैं। रूस में व्यक्तियों में पढ़ने की आदत अधिकतम है। औसतन एक व्यक्ति एक वर्ष में 19 पुस्तकों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात् ब्रिटिश एव अमरीकी नागरिकों का नम्बर आता है। जब कि हमारे देश में 16 व्यक्तियों के मध्य तक एक वर्ष में एक पुस्तक पढ़ी जाती है। अध्ययन हेतु अभिप्रेरणा की कमी भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में बाधक में बाधक है।

(iv) **सभी वर्गों एवं वयों के लिये उपयुक्त पुस्तकों का अभाव (Lack of suitable books for all class of people and different age groups):** शिक्षा प्रसार का

सशक्त माध्यम पुस्तकें है। सस्ती एवं उपयुक्त पुस्तकों के अभाव में सभी वर्गों एव वयों के व्यक्तियों की अध्ययन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति असंभव है। रूस, जर्मनी, इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में सभी वर्गों व वयों के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त परिणाम एव संख्या में पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण अध्ययन अभिरुचि में वृद्धि हु यी है। जिससे सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास संभव हु आ है। इसके विपरीत भारत में प्रकाशित पुस्तकें महंगी व अनाकर्षक हैं। बच्चों व नवसाक्षरों के लिए उपयोगी पुस्तकों का अभाव है। संदर्भ एवं दीर्घकालिक उपयोगी पुस्तकों का अकाल है। व्यक्तिगत उपयोग हेतु पुस्तकें खरीदने की आदत नहीं के बराबर है। अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन समाज के ज्ञानवर्द्धन के उद्देश्य से नहीं बल्कि लेखक, प्रकाशक एव विक्रेता के लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार सभी वर्गों रख वयों के लिए उपयुक्त पुस्तकों का अभाव भी सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के अवरोध का एक कारण है ।

(v) **पुस्तकालय अधिनियम का अभाव (Lack of Library Legislation):** पुस्तकालय, शिक्षा के अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में "शिक्षा" को राज्य सरकारों का विषय क्षेत्र माना गया है और सभी राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार इस विषय में कार्य करती हैं। परिणामत: सभी राज्यों में पुस्तकालय सेवा का प्रसार एवं विकास एक समान नहीं हो सका है। उन राज्यों में जहाँ अधिनियम पारित हो चुके हैं वहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा पुस्तकालय सेवा का प्रभावी विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है।

पुस्तकालय अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु वैधानिक धरातल तो मिलता ही है साथ ही विकास क्रम की गति हेतु आवश्यक धनराशि भी सुनिश्चित हो जाती है। रंगनाथन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने के लिये पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप बना कर वहाँ के तात्कालीन प्रशासकों एव राजनेताओं को प्रेषित किया तथा सम्पूर्ण राष्ट्र का आदर्श पुस्तकालय विधेयक (Model Library Bill) बनाया और अनेक शिक्षाविदों एवं वरिष्ठ नागरिकों को पुस्तकालय अधिनियम का महत्व समझाकर अपने-अपने राज्यों में इसे लागू करवाने के लिए प्रेरित किया। इनकी अन्तिम इच्छा यही थी कि सम्पूर्ण राष्ट्र व सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा स्थापित हो। अधिनियम के अभाव में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास संदिग्ध है। अत: अधिनियम की कमी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में बाधक है।

7.4 समाधान

यह एक पहेली होती है "पहले साक्षरता का प्रसार अथवा पहले सार्वजनिक पुस्तकालय" अर्थात् पहले साक्षरता का प्रसार हो तत्पश्चात् सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हों अथवा साक्षरता के प्रसार एवं स्थायित्व हेतु पहले सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किये जाये। यह दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। देश में शत प्रतिशत या 80% साक्षरता तक का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयों के विकास को रोकना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। इसलिए अविलम्ब ही सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किये जाने चाहिए जिससे उन्हें अपने विकास, व्यवस्था एवं प्रसार के लिए आवश्यक वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त बालकों, वयस्कों, नवसाक्षरों आदि के लिए उपयुक्त साहित्य की रचना हेतु सरकार द्वारा लेखकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी वर्गों एवं वयों के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त साहित्य

सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकारों, यू.जी.सी. (U.G.C.), आई. सी. एस. एस. आर. (ICSSR), विश्वविद्यालयों आदि को योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने चाहिये। जिससे अच्छी व सस्ती पुस्तकें समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सकें। सामाजिक जीवन के पारम्परिक तरीकों में भी परिवर्तन आवश्यक है जिससे व्यक्ति का जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण हो और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरन्तर शिक्षा एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक पुस्तकालयों का उपयोग करना आवश्यक जान पड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय अधिनियम है। जिसके पारित होने पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, विकास एवं प्रसार होने पर शेष अन्य बातें स्वयंमेव आगे से आगे पूर्ण होती जायेंगी।

8. सारांश

सार्वजनिक पुस्तकालय किसी स्थान अथवा क्षेत्र के नागरिकों को बिना भेदभाव, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करता है। इसके संचालन के लिये वित्त राजकीय निधि से प्राप्त होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य जनता को राष्ट्रीय सामग्री के माध्यम से शिक्षित और सूचित करना है ताकि वह कुशल नागरिक बन सके और समाज के आर्थिक विकास में योगदान दे सके। यह शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त प्रौढ़-शिक्षा में भी योगदान देता है। पुस्तकालय तंत्र के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न स्तर हैं। भारत में यह स्तर राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्यकेन्द्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, प्रखण्ड पुस्तकालय एवं पंचायत पुस्तकालय हैं। इन सब के अपने-अपने विशेष कार्य हैं।

9. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा दीजिए एवं इसकी आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन किजिए।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र के विभिन्न स्तरों पर एक लेख लिखिए।
3. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति की विस्तार से चर्चा किजिए।

10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथसूची

1. Gardner, Frank M.: Delhi Public Library; an Evaluation Report, Paris, Unesco. 1957.
2. Kalia, D.R., Ed: Survey of Public Libraries in India, New Delhi, ILA 1965.
3. Khanna, J.K.: Library and Society, Kurukshetra, Research Publications, 1987.
4. सुन्देश्वरन, के. एस.: पुस्तकालय और समाज, नयी दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स, 1988.
5. Viswanathan, C.G.: Public Library Organisation. 3rd ed. New Delhi, Today & Tomorrow's, 1978.

इकाई-8: विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (Special Libraries and Informal Centers)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. विशिष्ट पुस्तकालय के इतिहास एवं विकास से अवगत होना,
2. विशिष्ट एवं सामान्य पुस्तकालय मे अन्तर एवं विशिष्ट पुस्तकालय के प्रकार से होना,
3. विशिष्ट पुस्तकालय के उद्देश्य, सेवाओं को जानना, तथा
4. सूचना केन्द्रों के विकास और प्रकार की जानकारी प्राप्त करना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. विशिष्ट पुस्तकालयों का इतिहास
   - 2.1. भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास
3. विशिष्ट एवं सामान्य पुस्तकालयों में भिन्नताऐं
4. विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रकार
   - 4.1. अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय
   - 4.2. राष्ट्रीय (विषय/कार्य परक) पुस्तकालय
   - 4.3. सेवा परक अन्य पुस्तकालय
   - 4.4. प्रलेखन केन्द्र
   - 4.5. विशिष्ट पुस्तकालयों का संगठन
5. उद्देश्य
   - 5.1. नवीन साहित्य का सर्वेक्षण एवं मूल्याँकन करना
   - 5.2. पुस्तकों, सूचना एवं आधार सामग्री का अर्जन
   - 5.3. पुस्तकों, सूचना एवं आधार सामग्री का प्रस्तुतीकरण
   - 5.4. पुस्तकों, सूचना एवं आधार सामग्री का संग्रहण
   - 5.5. पुस्तकों सूचना एवं आधार सामग्री का पुनरुत्पादन
6. विशिष्ट सेवायें
   - 6.1. पुस्तकों का आदान प्रदान
   - 6.2. अन्तर्रापुस्तकालयीन आदान
   - 6.3. आवधिक प्रकाशनों का संचरण
   - 6.4. पत्र एवं फोन द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना
   - 6.5. सन्दर्भ सेवा
7. प्रलेखन

7.1 सूचना केन्द्रों का विकास
8. सूचना केन्द्रों का विकास
8.1. विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रलेखन केन्द्रों के अभिलक्षण
8.2. सूचना केन्द्रों के प्रकार
8.2.1. डेटा सेन्टर्स
8.2.2. सूचना विश्लेषण केन्द्र
8.2.3. सूचना प्रसारण केन्द्र
9. सारांश
10. अभ्यासार्थ प्रश्न
11. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

बीसवीं शताब्दी में कई प्रकार के पुस्तकालयों का उदय हुआ है लेकिन जैसा विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ हैं ऐसा पिछले दो अथवा तीन शताब्दियों में भी नहीं हुआ। अब आधुनिक युग में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये पुस्तकालय स्थापित हो रहे है। विशिष्ट पुस्तकालयों के संगठन में तकनीकी विविधताऐं है ऐसे पुस्तकालयों के संगठन, संचालन, विधियाँ, नई तकनीकों का उपयोग, पुस्तकालय संग्रह एवं कर्मचारियों में पायी जाने वाली विविधता का अध्ययन करना आवश्यक है सभी स्थानों पर पुस्तकालय के विविध रूप दिखाई पड़ते है। जिसमें विशिष्ट पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं विद्यालय पुस्तकालय मुख्य है।

विशिष्ट पुस्तकालय वे पुस्तकालय है जिनमें विशिष्ट विषय अथवा विषयों पर ही पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों का औचित्य इसलिये भी है कि सार्वजनिक अथवा शैक्षणिक पुस्तकालय केवल सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं उनमें अनेक विषयों पर पाठ्य सामग्री एकत्रित की जाती हैं लेकिन विशिष्ट पाठकों के लिये जिन्हें कुछ विषयों पर आधुनिक साहित्य चाहिये। इस प्रकार के पुस्तकालय ही उपयोगी सिद्ध होते है कुछ ऐसे पाठक वर्ग भी है जो अपनी विशेष परिस्थितियों, सीमाओं, शोध अथवा विशेषताओं के कारण सामान्य पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर पाते है। दूसरी ओर सामान्य पुस्तकालयों में उनको अनुकूल पाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है इन पाठकों की विशेष प्रकार की अध्ययन सामग्री तथा पुस्तकालय सेवा विशिष्ट पुस्तकालयों तक ही सीमित रहती है। अनेक बार सार्वजनिक पुस्तकालय विशेष अनुभाग की स्थापना कर कुछ विशिष्ट पाठक वर्गों को आवश्यक सेवाऐं प्रदान करते हैं किन्तु पुस्तकालय सेवाओं का किसी वर्ग विशेष के लिये अनुकूल तब ही बनाया जा सकता है जब उनके लिये स्वतन्त्र विशिष्ट पुस्तकालय हो। कोई भी व्यवसाय अथवा सरकारी संस्थान जो किसी विशेष क्षेत्र में अपना स्थान बनाये हुए है उनको विशेष प्रकार की सूचना एवं पुस्तकालय सेवायें उपलब्ध कराने के लिये ही इन विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पुस्तकालय जन समुदाय के विशिष्ट विषय पर अभिरुचि प्राप्त व्यक्तियों को ही सेवा प्रदान करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र का

ध्यान इस ओर गया कि टेक्नीकल कर्मचारियों के लिये ऐसे पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की आवश्यकता है लेकिन ऐसे पुस्तकालयों का मुख्य विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रसार में आधुनिक तकनीकी साहित्य के प्रसार का प्रभाव भी झलकता है।

के.जी. बैकवेल के अनुसार "विशिष्ट पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विषय के कर्मचारी अथवा किसी व्यवसायिक अनुसंधान के कर्मचारी और सदस्य। ऐसा पुस्तकालय आवश्यक रूप से सूचना से सम्बन्धित होता है तुलनात्मक दृष्टि से विशिष्ट पुस्तकालय सामान्यत: छोटे पुस्तकालय होते है जो थोड़े से विशिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। साधारणतया इस प्रकार के पुस्तकालय किसी विषय विशेष अथवा विषयों के विशिष्टता प्राप्त हुए होते है।

2. विशिष्ट पुस्तकालय का इतिहास

विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही हो गया था। लेकिन विकास की तीव्र गति द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात आई है। विशिष्ट पुस्तकालयों की आवश्यकता किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विकास पर निर्भर करती है जिन देशों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास अधिक हुआ है। वहाँ इस प्रकार के पुस्तकालयों की माँग अधिक रही है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं जर्मनी में जहाँ वैज्ञानिक विकास अधिक हुआ है वहाँ पर ऐसे पुस्तकालयों की बहुतायत है ऐसे पुस्तकालय सरकारी विभाग, निदेशालय, ब्यूरोज, सोसायटियाँ, व्यावसायिक संस्थाऐं, संघ (Associations), अस्पताल, समाज कल्याण केन्द्र इत्यादि से जुड़े रहते है। इन्हीं उपरोक्त संस्थाओं से जुड़े विशिष्ट पाठकों के लिये ऐसे पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों की कार्यशैली, उद्देश्य, साहित्य को संग्रहित करने की विधि एवं उसका तकनीकी प्रस्तुतीकरण अन्य पुस्तकालयों से काफी भिन्न होता है।

विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ सन् 1909 में संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल पचास विशिष्ट पुस्तकालय थे जिनकी संख्या बढ़कर 1935 में दो हजार एवं 1950 में पाँच हजार हो गई। 1968 में प्रकाशित एक निर्देशिका के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में ग्यारह हजार विशिष्ट पुस्तकालय थे। आज इन देशों में अनुमानत: बीस हजार से भी अधिक विशिष्ट पुस्तकालय विद्यमान है ।

डी. बी. आरनोल्ड ने विशिष्ट पुस्तकालयों की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ये वे पुस्तकालय है जो एक प्रकार के विषय तथा एक ही प्रकार के उद्देश्य के लिये स्थापित किये गये हैं। ऐसे पुस्तकालय अपने विशिष्ट विषय अथवा विषयों पर पाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशाल विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक पुस्तकालय से जुड़े भी हो सकते है। इनका विषयानुसार विकास किया जाता है। इनसे जुड़े वे प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र (Information centres) आ जाते है जो विषयों पर पाठ्य सामग्री एकत्रित करते हैं।

विशिष्ट पुस्तकालयों की पाठ्य सामग्री संग्रह अन्य पुस्तकालयों से भिन्न होती है जैसे पाण्डुलिपियाँ, नक्शे, दृश्य- श्रव्य सामग्री, माईक्रोफॉर्मस, विडियो टेप रिकार्डिंग स्लाईड्स, प्रतिवेदन (Reports), पेटेन्ट्स इत्यादि पाठ्य सामग्री की संख्या पुस्तकों की अपेक्षा अधिक होती है साथ ही इनके संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के पिछले अंक भी अधिक पाये जाते है जबकि शैक्षणिक पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या अधिक होती है।

मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजने पुस्तकालय भी विशिष्ट पुस्तकालयों की श्रेणी में ही आते है इन विशिष्ट पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय (Special Library) टेक्नीकल लाइब्रेरी (Technical Library) एवं औद्योगिक पुस्तकालय (Industrial Library) भी कहते हे। इन सभी प्रकार के पुस्तकालयों की गतिविधियाँ एवं पाठ्य सामग्री की प्रकृति एक ही प्रकार की होती है। विशिष्ट पुस्तकालयों में कार्यरत पुस्तकालय कर्मियों को पेटेन्ट सर्चरस (Patent searchers), एब्सट्रेक्ट्स (Abstractors), केटलॉगर्स (Cataloguers), ट्रांसलेटरस इत्यादि नामों से जाने जाते है। विशिष्ट पुस्तकालय कई प्रकार के संगठनों से सम्बन्धित होते है। एक अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में 25.8 प्रतिशत पुस्तकालय शिक्षण संस्थाओं से, 25.3 प्रतिशत पुस्तकालय व्यापारिक संस्थाओं से, 4.6 प्रतिशत सार्वजनिक पुस्तकालयों से एवं 30 प्रतिशत संघों (Associations) संगठनों एवं सोसाइटियों (Societies) से जुड़े हुए है। इन पुस्तकालयों के विकास का एक अन्य कारण यह भी है कि विश्वविद्यालयों के विकास का एक अन्य कारण यह भी है कि विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए शोधकर्ताओं एवं अध्यापक वर्ग अपने विशिष्ट विषयों को आगे बढाने के लिये भरसक प्रयत्न करते है वे सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करते है ऐसे अध्यापक विशिष्ट विषयों में रुचि रखते है, तथा अपनी एक सोसायटी अथवा संस्थान खोल लेते है तथा वित्तीय सहायता राज्य एवं केन्द्रीय सरकार तथा विदेशों से भी प्राप्त कर लेते है ऐसी संस्थाओं का मुख्य आधार पुस्तकालय ही होता है। इन संस्थाओं के पुस्तकालय छोटे होते हैं। जिनमें लगभग पाँच हजार से दस हजार पुस्तकें हो सकती हैं एवं दों सौ से चार सौ पत्र-पत्रिकाएं तक नियमित रूप से मंगवाते है।

2.1. भारत में विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास

भारत में वैज्ञानिक गतिविधियाँ रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (1764) से आरम्भ होती है। इस सोसायटी ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका 1802 में आरम्भ की थी। 1800 में ट्रिगनोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1851 में जिओलोजीकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1890 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं जुओलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया खुले। इसके अतिरिक्त देश के तीन बड़े नगरों- बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में 1857 में सर्वप्रथम तीन विश्वविद्यालय खोले गये जिससे देश में उच्च शिक्षा का सह विकास हुआ लेकिन सही अर्थों में वैज्ञानिक गतिविधियाँ का विकास भारत स्वतन्त्र होने के पश्चात ही संभव हो सका। आज देश में कई वैज्ञानिक संस्थाऐं एवं नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाऐ कॉन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च, इंडियन कॉन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एटोमिक एनर्जी कमीशन, डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन एवं इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अन्तर्गत विशिष्ट पुस्तकालय खोले गये। ऐसी कुछ प्रयोगशालाओं का विकास राज्य सरकारों

के अन्तर्गत भी संभव हुआ। 1969 में ही एस. राज गोपालन एवं आर. सत्यनारायणा के द्वारा संकलित की गई भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं की निर्देशिका के अनुसार भारत में ऐसी 900 संस्थाये थी। जिसमे से केवल 600 संस्थाओं में ही अच्छे पुस्तकालय उपलब्ध थे। लेकिन अब स्थिति में और भी सुधार है आज अनुमानत: देश में 2000 ऐसी संस्थाये है जिनसे विशिष्ट पुस्तकालय जुड़े हुए है।

अधिकांशत: अनुसंधान संस्थान भारत के बड़े-बड़े नगरों में ही स्थित है कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी- बम्बई तथा कलकत्ता, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ोदा, ट्रिनोमेट्रीकल, जुओलोजीकल, बोटेनिकल, जिओलोजीकल सोसायटी, इंडियन बोटेनिकल सोसायटी के नाम लिये जा सकते है। अब केवल विशुद्ध विज्ञानों (Pure Sciences) में ही नहीं अपितु समाज विज्ञानों (Social Sciences) तथा मानविकी (Humanities) विषयों में भी अनेक अनुसन्धान संस्थान खोले जा चुके है। सामान्यत: ऐसे पुस्तकालय जो इन अनुसन्धान संस्थानों से सम्बद्ध है वे विशिष्ट पुस्तकालय कहलाते है।

3. विशिष्ट एवं सामान्य पुस्तकालय में भिन्नता

विशिष्ट तथा सामान्य पुस्तकालयों में निम्नलिखित भिन्नताऐं पाई जाती है।

(1) सामान्य पुस्तकालयों में मुख्यत: पुस्तकें एवं सामयिक प्रकाशनों (Periodical Publications) का संग्रह निर्मित किया जाता है जबकि विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यत: सामयिक प्रकाशन, प्रतिवेदन (Reports), मानक (Standards). पेटेन्ट्स (Patents), विनिवेश (Specifications), सारांश (Abstracts) एवं अन्य द्वितीयक सामग्री अधिक संग्रहित की जाती है।

(2) सामान्य तथा विशिष्ट पुस्तकालय में प्रदत्त सेवा की प्रस्तुति में अन्तर होता है जहाँ सामान्य पुस्तकालयों में पुस्तक अर्थात पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। वहाँ विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना अधिक प्रदान की जाती है।

(3) उपरोक्त आधारभूत भिन्नताओं के कारण सामान्य एवं विशिष्ट पुस्तकालयों के संगठन एवं संचालन में स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर होता है। सामान्य पुस्तकालयों में पुस्तकों एवं सामयिक प्रकाशनों का व्यवस्थापन रैक्स (Racks) पर किया जाता है जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना के व्यवस्थापन करने के लिये विशेष प्रकार उर्ध्वाकार केबिनेट (Vertical Cabinets), फाईल्स (Files) एवं बॉक्स आदि की आवश्यकता पड़ती है। सूचना के वर्गीकरण के लिये सूक्ष्म वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है सूचीकरण का स्थान अनुक्रमणीकरण (Indexing) द्वारा ले लिया जाता है सन्दर्भ सेवा के स्थान पर पाठकों को अनेक प्रकार की अन्य सेवाऐं जैसे सामयिक अभिगम्य सेवा (Current Awareness Service) सूचना का चयनात्मक प्रसारण (Selective Dissemination of Information) आदि करने पड़ते है। पाठकों की सहायतार्थ

अनुवाद सेवा (Translative Service) तथा सारांशीकरण (Abstracting) आदि को भी अपनाना पड़ता है। आधुनिक काल में उन्नत पश्चिमी देशों में अनुक्रमणीकरण तथा सूचना की पुन: प्राप्ति (Retrieval) के लिये यंत्रों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(4) आधुनिक काल में नई सेवा प्रलेखन सेवा (Documentation Service) का उदय हुआ है जो मुख्यत: विशिष्ट पुस्तकालयों में ही प्रदान की जाती है।

4. विशिष्ट पुस्तकालयों के प्रकार (Types of Special Libraries)

विशिष्ट पुस्तकालय एवं उससे सम्बद्ध अन्य संस्थाओं को स्थूल रूप में निम्न पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय

(2) राष्ट्रीय विषय/कार्यपरक पुस्तकालय

(3) सेवापरक अन्य पुस्तकालय

(4) प्रलेखन केन्द्र तथा

(5) विशिष्ट पुस्तकालयों का राष्ट्रीय संगठन अथवा संघ

4.1. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय

अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर कार्य करने वाले संगठन एवं संस्थाओं में सम्बद्ध पुस्तकालय इस श्रेणी में आते है। उदाहरण- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं युनेस्को के पुस्तकालय।

4.2. राष्ट्रीय (विषय/कार्य परक) पुस्तकालय

मुख्य विषयों एवं उनसे सम्बद्ध कार्यों के विकास हेतु देश-विदेश में अनेक विषयगत राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित हुए पुस्तकालय की मुख्य-मुख्य सेवाओं एवं पाठ्य सामग्रियों की राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्या करने के लिये भी राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित किये जाते है। ये संग्रह पुस्तकालय निक्षेपगार पुस्तकालय होते है। विषयों से सम्बन्धित सभी प्रमुख साहित्य यहाँ उपलब्ध रहते हैं। यहाँ विद्वानों को पढ़ने की सारी सुविधा दी जाती है। ये पुस्तकालय पाठकों को पुस्तकें घर ले जाने के लिये साधारणत: नहीं देते है भारत में निम्नलिखित पुस्तकालय इस श्रेणी में आते है ।

1. राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, इन्सडॉक, नई दिल्ली
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय एवं
3. राष्ट्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली से सम्बद्ध पुस्तकालय को राष्ट्रीय कृषि पुस्तकालय बनाने का प्रस्ताव है। इंग्लैण्ड में राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर पुस्तकालय आदान की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय आदान पुस्तकालय स्थापित है।

4.3. सेवा परक अन्य पुस्तकालय

तत्तद संस्था एवं संगठनों से सम्बद्ध कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से पुस्तकालय की सेवा प्रदान करने के लिये स्थापित पुस्तकालय इस कोटि में आते है निम्नलिखित संगठन एवं संस्थाओं से सम्बद्ध पुस्तकालय इसके उदाहरण है।

1. प्रशासकीय संगठन जैसे - लोकसभा और विधानसभा, केन्द्रीय और प्रादेशकीय मंत्रालय एवं शासकीय विभाग
2. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं
3. समाचार पत्र के प्रधान कार्यालय
4. शोध संस्थान, जैसे - टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फन्डामेन्टल रिसर्च, भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर, ट्राम्बे, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पुणे इत्यादि। वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के पुस्तकालय को प्राविधिक पुस्तकालय भी कहते है।
5. विविध वस्तुओं के निर्माण करने वाले कारखाने, जैसे- हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बैंगलोर, टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर आदि
6. वित्त सम्बन्धी संगठन जैसे- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी आदि। इनके पुस्तकालय वाणिज्य पुस्तकालय की श्रेणी में आते है।
7. व्यापार एवं उद्योग धन्धों के संगठन, जैसे- फुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मिनरलस एवं मेटलस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पुस्तकालय।
8. सभा समिति, व्यावसायिक संघ एवं विद्धत परिषद, जैसे- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुस्तकालय, रोटेरी क्लब आदि
9. विशिष्ट पाठ्य सामग्रियों का संग्रह करने वाली संस्थाऐं जैसे- मानचित्र, हस्तलिखित पुस्तकें, चलचित्र अथवा फिल्मों से सम्बद्ध पुस्तकालय आदि।
10. पुस्तकालय के मुख्य कार्यों को करने के लिये स्थापित पुस्तकालय, जैसों राष्ट्रीय सन्दर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, नेशनल लाईब्रेरी, लन्दन।
11. धार्मिक और दार्शनिक संस्थाओं के पुस्तकालय, जैसे- रामकृष्ण मिशन, चर्च आदि के पुस्तकालय
12. विशिष्ट वर्गों के पुस्तकालय, जैसे- जेल पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्र पुस्तकालय, विदेशियों के लिये पुस्तकालय, सैनिक पुस्तकालय, नाविक पुस्तकालय आदि।

4.4. प्रलेखन कार्य

ज्ञान के प्रमुख विषयों से सम्बद्ध साहित्य का संगठन एवं उनमें विवेचित विशेष विषयों के विकेन्द्रीकरण से सम्बन्ध कार्य का राष्ट्रीय स्तर पर करने, अन्य पुस्तकालयों को इस दिशा में मार्ग दर्शन एवं सहायता प्रदान करने एवं प्रलेखन, प्रतिलिपि विज्ञान (reprography) एवं सूचना विज्ञान पर प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र स्थापित किये जाते है। डॉ. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान-विज्ञान एवं उद्योगों के विकास हेतु भारत में निम्नलिखित सात प्रकार के प्रलेखन केन्द्र एवं पुस्तकालय स्थापित करने चाहिये।

1. प्रलेखन का एक राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र सम्प्रति देश में प्रलेखन पर शोध एवं प्रशिक्षण देने का कार्य विशेष रूप से डी. आर. टी. सी. बैंगलोर एवं इन्सडॉक, नई दिल्ली कर रहे हैं।
2. एक राष्ट्रीय मानक संस्थान-भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली

3. प्राकृतिक विज्ञान का एक राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र-भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन संगठन का केन्द्र, इन्सडॉक, नई दिल्ली इसका उदाहरण है।
4. मानवीकी का एक राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र-देश में इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता
5. उद्योग पुस्तकालयों के विशेषज्ञों अथवा पुस्तकालयाध्यक्षों का एक विशिष्ट राष्ट्रीय संगठन जैसे विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र का भारतीय संघ (आईसलिक) कोलकाता (ऐस्लिब) लन्दन इसके उदाहरण है।
6. सामाजिक विज्ञान का एक राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र-भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद, नई दिल्ली का प्रलेखन केन्द्र
7. सेवा परक पुस्तकालय-प्रत्येक संस्था एवं संगठनों से सम्बद्ध पुस्तकालय

4.5. विशिष्ट पुस्तकालयों का संगठन अथवा संघ

विशिष्ट पुस्तकालयों से सम्बद्ध व्यावसायिक कर्मियों में व्यावसायिक चेतना बरकरार बनाये रखने एवं उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु उनका एक स्वतन्त्र संघ होता है आईसलिक, कोलकाता इसका उदाहरण है।

5. विशिष्ट पुस्तकालयों के उद्देश्य

विशिष्ट पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल संस्था की पूर्ति में सहायक सिद्ध होता है जो वह निम्नलिखित रूप से पूर्ण करता है

(i) यह सूचना सेवा प्रदान करता है जिसके दारा संस्थान के सदस्य अपनी रुचि के क्षेत्र में विशिष्ट विकासों से परिचित होते है।

(ii) यथा तथ्य, सर्वांगपूर्ण और तत्काल सूचना प्रदान करके उपयोगकर्ताओं का समय बचाता है।

(iii) उपयोगकर्ताओं को संतुलित संग्रह एवं श्रेष्ठ सेवा प्रदान करके प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है विशिष्ट पुस्तकालय के उपयोगकर्ता अपने विषय के विशेषज्ञ होते है। और अपने विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भली भांति सूचना प्राप्त किये होते है उनकी संख्या सीमित होती है। विशिष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष उनके कार्यक्षेत्र से भली भाँति परिचित होते है एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्य सामग्री संचित करता है एक विशिष्ट पुस्तकालय में उपयोगकर्ता ही सर्वोच्च है।

विशिष्ट पुस्तकालयों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य करने होते है।

5.1. नवीन साहित्य का सर्वेक्षण एवं मूल्याँकन करना

विशिष्ट पुस्तकालय की सेवा का आधार पुस्तकालय संग्रह होता है। अत: मूल संस्था एवं उसके कार्यकर्ताओं के कार्य एवं शोध विषयों पर देश-विदेश में प्रचलित अनुसंधान, नवीनतम प्रवृति, नई खोज तथा विद्वानों के क्रिया कलापों से अवगत होने एवं उन पर प्रकाश डालने वाली नई पाठ्य सामग्रियों के चयन हेतु नियमित रूप से पुस्तक समीक्षा साहित्य का अवलोकन किया जाता है।

5.2. पुस्तकें, सूचना एवं आधार सामग्री का अर्जन

पुस्तकें क्रय करके, संघों एवं संस्थानों का सदस्य बनकर उपहार स्वरूप एवं विनिमय के द्वारा प्राप्त किये जा सकते है। पुस्तकें जितनी शीघ्र संभव हो सके, अर्जित करनी चाहिये। ऐसे पुस्तक विक्रेताओं का चुनाव करना चाहिए जो अत्यन्त श्रेष्ठ एवं सक्षम सेवा प्रदान कर सके। यदि उन्होंने पुस्तकालय से सम्बन्धित विषय में विशिष्टीकरण प्राप्त किया हो तो अति उत्तम है।

5.3. पुस्तकें, सूचना एवं आधार सामग्री का प्रस्तुतीकरण

विशिष्ट पुस्तकालय में वर्गीकरण के लिये डीवी डेसीमल क्लासिफिकेशन अपनाना उचित नहीं है। इस प्रकार के पुस्तकालयों के लिये यूनीवर्सल डेसीमल क्लासिफिकेशन अपनाना उचित प्रतीत लगता है। अनेक विशिष्ट पुस्तकालय विशेष वर्गीकरण पद्धतियाँ अपनाना उचित समझते हैं। जैसे बनार्ड कृत ए क्लासिफिकेशन एण्ड वेटेरेनरी लाईब्रेरीज इस तरह की कई वर्गीकरण पद्धतियों का विकास क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रूप लन्दन ने किया है। लेकिन रंगनाथन स्वतन्त्र विशेष पद्धति के पक्षधर नहीं थे। वे कोलन क्लासिफिकेशन के आधार पर ही गहन नर्गीकरण तालिका (Depth Classification Schedule) निर्मित करने के प्रतिपक्षी थे।

सूचीकरण के लिये रंगनाथन कृत 'क्लासिफाइड केटलॉग कोड' अथवा 'एंग्लो- अमेरिकन केटॉलागिंग रूल्स' का उपयोग किया जा सकता है। साधारणतया विशिष्ट पुस्तकालयों के लिये वर्गीकृत सूची (Classified Catalogue) अधिक उपयुक्त रहती है। लेकिन समस्या यह है कि रंगनाथन कृत क्लासिफाइड केटलॉग कोड के ग्रंथेतर सामग्री (Non-Book Material) के सूचीकरण से सम्बन्धित नियमों का अभाव है। जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में मुख्यत: इसी प्रकार की पाठ्य सामग्री की प्रचुरता होती है। इस सूची संहिता में विस्तृत वांङ्गमय सूचना को अंकित करने का प्रावधान नहीं है।

विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचीकरण के बजाय अनुक्रमणीकरण कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है सूचीकरण क्रिया में सम्पूर्ण पुस्तक की ग्रन्थपरक सूचना प्रदान को जाती है जबकि अनुक्रमणीकरण पुस्तक के अंशों जैसे आवधिक प्रकाशन में प्रकाशित लेख, पेटेन्ट्स, पेम्पलेट्स आदि का किया जाता है। इसके लिये श्रृंखला अनुक्रमणीकरण (Chain Indexing), युनीटर्म इंडेक्सींग (Uniterm indexing), प्रेसीस (Precis), पॉप्सी (Popsi) आदि अनुक्रमणी तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विषय शीर्षक सूचियाँ (Subject Headings list) का उपयोग किया जाता है।

5.4. पुस्तकों, सूचना एवं आधार सामग्री का संग्रहण

पुस्तक अथवा सूचना को वर्गीकृत, सूचीकृत और अनुक्रमाणित करने के उपरांत उसको आवश्यकतानुसार निधानियों फाइलों अथवा सन्दूकों में संग्रहित कर लिया जाता है।

5.5. पुस्तकें, सूचना एवं आधार सामग्री की पुनर्प्राप्ति

आवश्यकता पड़ने पर अथवा आवेदन पर पुस्तक अथवा सूचना को खोजना पड़ता है इसमें वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुक्रमणीकरण आदि सहायक सिद्ध होते है।

5.6. पुस्तकों, सूचना एवं आधार सामग्री का पुनरुत्पादन

इसके लिये छाया प्रतिलिपिकरण (Photocopying) की विधि को अपनाना उचित रहता है।

6. विशिष्ट सेवायें

विशिष्ट पुस्तकालय के उपयोग करने वाले अनुसंधानकर्ता अथवा मूल संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक अथवा तकनीशियन होते है। जिनका समय बहुत मूल्यवान है अत: उनका समय बचाना नितान्त आवश्यक है। इनमें सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाती है। विशिष्ट पुस्तकालय निम्नलिखित सेवाये प्रदान करता है।

6.1. पुस्तकों का आदान प्रदान

जो पुस्तकें प्रदान की जाती है उनका वापिस आना भी आवश्यक है। यदि किसी पुस्तक का पुस्तकालय में रहना और आदान पर जाना भी आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में दो प्रतियाँ होनी चाहिये। एक आदान पर एवं दूसरी प्रतिलिपि स्थायी रूप से पुस्तकालय में होनी चाहिये।

6.2. अन्तर्रापुस्तकालयीन आदान

यदि कोई पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। तो उसको किसी अन्य पुस्तकालय से प्राप्त किया जाता है ताकि पाठक की पुस्तक आवश्यकता को पूरा किया जा सकें। इसी प्रकार अन्य पुस्तकालय भी इन पुस्तकालयों से पाठक सामग्री मँगवा सकते है। इसी को अन्तर्रापुस्तकालयीन आदान कहते है।

6.3. आवधिक प्रकाशनों का संचरण (Routing)

आवधिक प्रकाशनों के नवीन अंक पर पुस्तकालय उसको प्रथम उपयोगकर्ता को भेज देता है कुछ पुस्तकालयों में पुस्तकालय ही प्रत्येक उपयोगकर्ता को अंक भेजता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।

6.4. पत्र अथवा फोन द्वारा प्रश्नों के उतर प्रदान करना

6.5. सन्दर्भ सेवा।

(a) संकलित नवीन पुस्तकों को मासिक सूची तैयार करना

(b) सम्बद्ध विशिष्ट पाठकों की समस्या, माँग और आवश्यकताओं से अवगत होने के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना एवं उनकी माँग को समझना।

(c) सम्प्रेषण-पाठकों के विषय पर यदि पत्रिका के नवीन अंक अथवा अंकों में लेख प्रकाशित है, तो उन्हें पाठकों के पास भेजना।

(d) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेख सूचियों की अवाप्ति एवं उनका परिचालन।

(e) आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर नियमित रूप से प्रलेख सूची का संकलन करना

(f) पुस्तकालय में नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन (display) करना

(g) आवश्यकतानुसार अन्य संस्थान, पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्रों से सहायता प्राप्त करना

(h) सूचना का चयनात्मक विकेन्द्रीकरण (SDI) सम्बन्धी कार्य करना।

(i) यांत्रिक प्रतिलिपिकरण एवं अनुवाद सेवा-माँग के अनुसार स्थानीय स्तर पर अथवा प्रलेखन केन्द्रों एवं अन्य संस्थानों की सहायता से इन कार्यों को करना।

(j) मूल संस्थान के विवरण, मानक, पेटेन्ट्स आदि को संयोजित करना।

(k) संस्था के कार्यों एवं विषय पर प्रकाश डालने वाली पाठ्य सामग्री का संकलन करना एवं उस संग्रह को नवीनतम बनाये रखना।

6.6. सामयिक जागरूकता सेवा (Current Awareness Service)

इसके द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष अपने उपयोगकर्ताओं को उनके विषय में प्रचलित पाठ्य सामग्री एवं सूचना आदि के बारे में सूचना प्रदान करता है।

6.7. अन्य पुस्तकालयों एवं प्रलेखन केन्द्रों से सहकारिता सम्बन्धी कार्य करना।

6.8. मूल संस्था एवं उसके सदस्यों के कार्य की प्रगति हेतु अन्य आवश्यक कार्य करना।

7. प्रलेखन (Documentation)

आधुनिक काल में प्रलेखन विशेषतया विज्ञान के क्षेत्र में सूक्ष्म पुस्तकों (Micro documents) के प्रस्तुतिकरण एवं उपयोग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एसलिब (ASLIB) के अनुसार "प्रलेखन विशिष्ट ज्ञान का अभिलेखन (recording), संगठन एवं प्रसारण (dissemination) है। अन्य शब्दों में प्रलेखन का अर्थ सूक्ष्म पुस्तकों (micro document) का संग्रहण, संगठन एवं उनको वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को प्रदान करना है।" जे. एच. शेरा (J.H.Shera) के अनुसार प्रलेखन "समाहित सूचना को अधिकतम सुलभता एवं उपयोगिता प्रदान करने के लिये अभिलिखित विशिष्ट ज्ञान को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, संगठन तथा संचारण करने के लिये आवश्यक तकनीकियों का समूह है।"

एस. आर. रंगनाथन के अनुसार "प्रलेखन विशेषज्ञों को दिन प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ज्ञान को यथातथ्य सर्वांगपूर्ण और गतिशील सूचना प्रदान करने हेतु प्रक्रियाओं का एक सम्मिश्रण है।" रंगनाथन के अनुसार प्रलेखन के मुख्यत: दो कार्य है। (1) प्रलेखन कार्य एवं (2) प्रलेखन सेवा।

7.1. प्रलेखन केन्द्र (Documentation Centres)

किसी भी व्यवसाय के विकास एवं उन्नति के लिये ज्ञान के प्रमुख विषयों से सम्बन्धित साहित्य का संगठन एवं उनमें विवेचित विषयों के विकेन्द्रीकरण से सम्बद्ध कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर करने, अन्य पुस्तकालयों को इस दिशा में मार्ग दर्शन एवं सहायता प्रदान करने एवं प्रलेखन, प्रतिलिपिकरण विज्ञान (reprography) एवं सूचना विज्ञान पर प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करने के लिये राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र स्थापित किये जाते है। डॉ. रंगनाथन के अनुसार ज्ञान-विज्ञान एवं उद्योगों के विकास हेतु भारत में निम्नलिखित सात प्रकार के प्रलेखन केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापित करने चाहिये। जिसका विवरण पूर्व में प्रलेखन कार्य में प्रस्तुत किया गया है।

8. सूचना केन्द्रों का विकास (Development of Information Centres)

आपको इस इकाई में विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास, उद्देश्य, आवश्यकता, कार्य एवं उनके प्रकारों की जानकारी प्रदान की गई है। विशिष्ट पुस्तकालयों का विकास का मुख्य कारण बीसवीं सदी में हुआ औद्योगिक विकास प्रमुख है जिससे व्यापारिक, शिक्षा, शोध एवं सरकारी संस्थानों में कार्यरत पाठकों के लिये पुस्तकालय आवश्यकता में वृद्धि हुई। ऐसे पुस्तकालय अपने विशिष्ट पाठकों के लिये अग्रिम अथवा माँग के आधार पर चयनित सूचना प्रसारण एवं सामयिक चेतना सेवा प्रदान करते है। ऐसी सूचना एवं प्रलेखन सेवा प्रदान करने से नये उत्पाद एवं नये शोध एवं अभिकल्पों का विकास संभव हो सका है।

जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास में भारी वृद्धि हुई ऐसे पुस्तकालयों ने विशिष्ट संग्रहों का विकास किया। इस प्रकार के पुस्तकालयों ने अपने पाठकों के समक्ष सूचना प्रोद्योगिकी आधारित कम्प्यूटराईज्ड प्रलेखन सेवा का विकास किया। विशिष्ट पाठक पुस्तकों में कम लेकिन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नवीन सूचना प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते है। सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों का विकास स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ऐसे प्रलेखन एवं सूचना केन्द्रों ने अपने राष्ट्र को पूर्ण सूचना एवं प्रलेखन सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी वहन की है। जैसे इन्सडॉक जो भारत का राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र है, कि स्थापना 1952 में की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं के लिये सूचना एवं प्रलेखन सेवा प्रदान करना है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल एण्ड डाक्यूमेन्टेशन (F I D) की स्थापना 1895 मे ब्रुसेल्स शहर में की गई ।

8.1. विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रलेखन केन्द्रों के अभिलक्षण

विशिष्ट पुस्तकालयों एवं सूचना प्रलेखन केन्द्रों के कार्यकलापों में इतना ही अन्तर है कि विशिष्ट पुस्तकालय अपने पाठकों के लिये सूचना प्रसार का कार्य करते है यानि इस पाठ्य सामग्री का जो उक्त पुस्तकालय में अर्जन की है। इसके साथ ही सन्दर्भ सेवा प्रदान करना, पाठकों द्वारा चाही गई शोध सामग्री को उपलब्ध करवाना एवं पाठकों के मध्य पत्र पत्रिकाओं का रुटिंग (routing) करवाना भी सम्मिलित है। इससे पाठकों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो जाती है। दोनों प्रकार के संगठन किसी भी विषय के जटिल साहित्य में जुट जाते है। इस क्रिया में अतीतात्मक विस्तरणीय ग्रन्थ सूची एवं अग्रिम प्रासंगिक सामग्री का चयन करना भी सम्मिलित है। साथ ही अपने विशिष्ट पाठकों के लिये विषयानुसार सामयिक चेतना बूलेटिन सेवा एवं व्यक्तिगत प्रोफाईल के आधार पर चयनित सूचना प्रसारण सेवा (selective dissemination of information) भी प्रदान करते है। सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र लाभदायक एवं उपयोगी सूचना का रिपेकेजिंग करके जिसमें सूचना का विश्लेषण, संश्लेषण एवं आकलन जैसी क्रिया भी सम्मिलित है, पाठकों के लिये तैयार की जाती है।

सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र अपनी प्रलेखन विशिष्टिकरण से आलोचनात्मक ग्रंथ सूची का निर्माण करता है जो मूल्यांकित एवं विस्तृत यथावस्तु स्थिति प्रतिवेदन (state of art report)

है। अथवा विशिष्ट पाठकों के लिये रिपेकेजड प्रतिवेदन है इस प्रकार की उच्च स्तरीय प्रलेखन सेवा प्रदान करने हेतु ही विभिन्न प्रकार के सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना की गई है। जैसे डेटा सेन्टर, सूचना एवं विश्लेषण केन्द्र एवं सूचना प्रसारण केन्द्रों का विकास। इस कार्य के लिये उच्च स्तरीय सूचना सेवा प्रदान करने हेतु पुस्तकालय कर्मी भी ऐसे होने चाहिये जिनकी इस विषय में विशेषज्ञता हों। इसके अतिरिक्त इन कर्मियों में संचार योग्यता (Communication ability) भी होनी चाहिये। ऐसी उपरोक्त सेवाऐं किसी भी विशिष्ट पुस्तकालय द्वारा दी जा सकती है। जो इस पर निर्भर करता है कि उक्त विशिष्ट पुस्तकालय में पुस्तकालय कर्मियों की उपलब्धता, पाठ्य सामग्री अर्जन क्षमता एवं पुस्तकालय का संगठन कैसा है। सामान्यतया दोनों प्रकार के संस्थानों में केवल इतना ही अन्तर है कि विशिष्ट पुस्तकालय अपने पाठकों के लिये ही सेवा प्रदान करता है जबकि सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र विस्तृत स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठक समूहों के लिये अपनी सेवाऐं प्रदान करता है। जिनमें सामान्य कड़ी केवल विषय है।

8.2. सूचना केन्द्र के प्रकार

सूचना केन्द्रों को तीन बड़े समूहों में बाँटा जा सकता है

8.2.1. डेटा सेन्टर्स

8.2.2. सूचना विश्लेषण केन्द्र

8.2.3. सूचना प्रलेखन केन्द्र

8.2.1. डेटा सेन्टर्स (Data Centres)

सामान्यतया डेटा विज्ञान प्रयोगशाला में किये गये प्रयोग एवं समाज विज्ञान में, फील्ड सर्वे के दौरान प्राप्त की गई सूचना को परिमाणित (quantify) करता है। इस प्रकार की डेटा सूचना संख्यात्मक अथवा गैर संख्यात्मक रूप में सामान्यतया टेबलस, सारांश इत्यादि के रूप में उन उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है, जो ऐसी सूचना में रुचि रखते है।

डेटा सेन्टर एक ऐसा संगठन है जो परिगणनात्मक (Quantitative) सूचना का प्रबन्ध करते है। जिसका मुख्य कार्य संग्रहण, संगठित करना, विश्लेषण एवं डेटा प्रसारण सेवाऐं प्रदान करना है जिन्हे पाठकों को अग्रिम अथवा माँग के आधार पर दी जा सके। इन सेवाओं में डेटा को सीधे उपयोगकर्ताओं के पास भिजवाना अथवा किसी भी डेटा का आलोचनात्मक संकलन भी सम्मिलित है। इनको आँकड़ों के रूप में अथवा ग्राफिक स्वरूप में भी सूचना प्रदान की जा सकती है। डेटा सेन्टर्स विभिन्न विषयों में सामयिक अनुक्रमणीकरण एवं सारांशीकरण सेवाऐं भी प्रदान की जाती है। ऐसी सूचनाऐं मुद्रित अथवा मशीन स्वरूप में भी दी जा सकती हैं। ऐसे डेटा सेन्टर स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करते है।

8.2.2. सूचना विश्लेषण केन्द्र (Information Analysis Centre)

सूचना विश्लेषण केन्द्र अपनी सूचना सेवाऐं पाठकोन्मुखी, सामयिक, प्रामाणिक एवं मूल्यांकित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की सेवा में पाठक केवल डॉक्युमेन्ट में दी गई सूचना में ही रुचि रखता है न कि डॉक्युमेन्ट में। पाठक द्वारा चाही गई सूचना केवल एक पुस्तक तथा एक ही प्रकार की पाठ्य सामग्री तक ही सीमित नहीं है।

सूचना विश्लेषण केन्द्र एक औपचारिक संगठनात्मक इकाई है। जिसका मुख्य कार्य अथवा उद्देश्य किसी भी विषय विशेष में पाठ्य सामग्री अर्जन, संग्रहित करना, पुर्नप्राप्ति, मूल्याँकन, विश्लेषण एवं संश्लेषण करना है। सूचना विश्लेषण केन्द्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार सूचना का संकलन एवं रीपेकेज कर संगठित करें तथा सूचना को उस स्वरूप में प्रस्तुत करें जो विशेषज्ञ समूह के लिये प्रामाणिक, सामयिक एवं लाभकारी हो।

8.2.3. सूचना प्रसारण केन्द्र (Information Dissemination Centres)

पिछले तीन दशकों में अन्य प्रकार के सूचना केन्द्रों की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कार्य उपयोगकर्ताओं को विषयानुसार सूचना को विकसित करना है। ऐसे केन्द्र व्यापारिक दृष्टि से सामयिक चेतना, चयनित प्रसारण एवं अतीतात्मक साहित्य की पुन: खोज को कम्प्यूटर आधारित डेटाबेस द्वारा खोजा जाता है। ऐसे केन्द्र किसी भी विशाल संगठन की एक इकाई के रूप में कार्य करते है। जो डेटाबेसों की आपूर्ति करते है। ऐसे केन्द्र अन्य प्रकार के सूचना केन्द्रों से भिन्न है। क्योंकि ऐसे केन्द्रों की प्रलेखन एवं सूचना सेवाएं किसी पाठक विशेष समूह अथवा विषय विशेष समूह के लिये तैयार नहीं की गई है। बल्कि ऐसे केन्द्र अपनी सेवाऐं उन विशिष्ट प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिये है जो कम्प्यूटराईज्ड डेटाबेस सेवा चाहते है। ऐसी संस्थाऐं इन्फॉर्मेशन ब्रॉकर ऐजेन्सीज एवं इन्फॉरमेशन कन्सलटेन्टस के नाम से भी जाने जाते है। ऐसी संस्थाओं के विकास से सूचना आधारित उद्योगों का जन्म हुआ है। ऐसी संस्थाऐं सूचना सम्बन्धित सेवाऐं उपलब्ध करवाने के लिये हर समय तत्पर रहते है। ऐसी संस्थाऐं शुल्क (fee) भी वसूल करती है।

इस प्रकार की गतिविधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नये संघों की स्थापना हुई है। जो शोध एवं मानकों को बढ़ावा देते है। कई व्यापारिक संगठनों ने इस क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि से कार्य करना शुरू कर दिया है। सूचना विपणन अब एक ऐसा विषय बन गया है जिसको आज सभी विस्मयात्मक दृष्टि से देख रहे है।

9. सारांश

उपरोक्त इकाई में विशिष्ट पुस्तकालयों के मुख्य बिन्दुओं पर बल दिया गया है। विशिष्ट पुस्तकालयों का उदभव, इतिहास विकास पर चर्चा की गई है। विशिष्ट तथा सामान्य पुस्तकालयों में भिन्नताऐं तथा विभिन्न प्रकार के विशिष्ट पुस्तकालयों के विषय पर पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। विशिष्ट पुस्तकालयों के उद्देश्य एवं उनके कार्य को भी स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट पुस्तकालयों द्वारा दी गई विशिष्ट सेवाओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस इकाई में सूचना केन्द्रों का विकास, विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना तथा प्रलेखन केन्द्रों के अभिलक्षण तथा विभिन्न प्रकार के सूचना केन्द्रों के उद्देश्यों की जानकारी दी गई है।

10. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास पर लेख लिखिये।
2. विशिष्ट पुस्तकालयों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्या क्या कार्य करने पड़ते है? स्पष्ट किजिए

3. विशिष्ट पुस्तकालयों की सेवाओं पर एक लेख लिखिए।

11. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, ग्रन्थालय तथा समाज, जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 1994.
2. सक्सेना, एल. एस., पुस्तकालय संगठन तथा व्यवस्थापन, भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1988.
3. सुन्दरेश्वरन, के. एस., ग्रन्थालय और समाज, नई दिल्ली, एस. एस. पब्लिकेशन्स, 1988.
4. व्यास, एस. डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992.

इकाई -9: पुस्तकालय विधान: आवश्यकता, उद्देश्य, सिद्धान्त एवं कारक (Library Legislation: Need, Purpose, Principles and Factors)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. पुस्तकालय विधान की परिभाषा, विशेषताओं एवं आवश्यकता से परिचित होना,
2. पुस्तकालय विधान के उद्देश्य एवं सिद्धांत से अवगत होना,
3. पुस्तकालय के कारक एवं पुस्तकालय विधान के लिए पुस्तकालय संघों की भूमिका को जानना, एवं विधान
4. भारत में पुस्तकालय विधान की स्थिति से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय विधान की परिभाषा
3. पुस्तकालय विधान की विशेषताऐं
4. पुस्तकालय विधान की आवश्यकता
    - 4.1. पुस्तकालय सेवा के लिये वित्तीय प्रावधान
    - 4.2. निःशुल्क पुस्तकालय सेवा
    - 4.3. मानक पुस्तकालय सेवा
    - 4.4. प्रशासन में कुशलता
    - 4.5. शासन एवं जनता द्वारा नियंत्रण
    - 4.6. पुस्तकालय विधान द्वारा ही कुशल नियोजन
    - 4.7. विधान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की निरन्तरता एवं सुनिश्चितता
5. पुस्तकालय विधान के उद्देश्य
6. पुस्तकालय विधान के सिद्धान्त
7. पुस्तकालय विधान के कारक
    - 7.1 अनिवार्य कारक
        - 7.1.1. उच्च स्तरीय प्रबंध
        - 7.1.2. प्रशासन
        - 7.1.3. वित्त
        - 7.1.4. दायित्व
    - 7.2. वाँछनीय कारक

7.2.1. संरचना
7.2.2. सेवा एवं परिणाम
7.2.3. पुस्तकालय कर्मचारी
7.2.4. पुस्तकालय संघों की स्थापना
7.2.5. पुस्तकालय सत्ता के विधि सम्बन्धी अधिकार
8. पुस्तकालय संघों की भूमिका
9. भारत में पुस्तकालय विधान की स्थिति
10. सारांश
11. अभ्यासार्थ प्रश्न
12. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालय किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता उसके सार्वजनिक पुस्तकालयों में सुरक्षित रहती है यह सर्वविदित है कि बिना सार्वजनिक पुस्तकालयों के समाज में रहने वाले व्यक्तियों का समूचित विकास नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय उद्देश्य, भविष्य की सुख समृद्धि की योजना बनाने में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होते हैं। अत: सार्वजनिक पुस्तकालय जनशिक्षा के लिये जीवित शक्ति है। ऐसे पुस्तकालय जन साधारण को आजीवन स्वशिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते है । इन पुस्तकालयों का विकास समाज में हो रहे सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिक विकास, निरक्षरता निवारण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास एवं फैली हुई शिक्षा के कारणों से संभव हुआ है। जन साधारण की सूचना एवं ज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन पुस्तकालयों के जाल क्रम की आवश्यकता है यह तभी संभव है जब हम एक नि: शुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करें। जिसका मुख्य उद्देश्य जन साधारण की ज्ञान पिपासा को शांत करना है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालयों (peoples universities) की संज्ञा दी गई है।

सार्वजनिक पुस्तकालय विधान का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे जनसाधारण की सूचना एवं ज्ञान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह तभी संभव है जब हम एक नि: शुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करें। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास केवल पुस्तकालय विधान से आरंभ नहीं होता है। इसका इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। लेकिन आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली जो पुस्तकालय विधान पर आधारित है, का विकास केवल एक सौ पचास वर्ष पुराना ही है। हमें पुस्तकालय विधान की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बिना इसके सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सका। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की ओर दृष्टि डाले तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में कई प्रकार के पुस्तकालयों का प्रचलन था। उदाहरण स्वरूप चंदा द्वारा स्थापित पुस्तकालय, मजदूर वर्ग के लिये पुस्तकालय, धार्मिक पुस्तकालय, इन्डॉउमेन्ट पुस्तकालय एवं वाचनालय इत्यादि

2. पुस्तकालय विधान की परिभाषा

पुस्तकालय विधान का आशय राष्ट्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता द्वारा बनाये गये ऐसे विधि मान्यता प्राप्त नियम-विनियम से है, जिसका उद्देश्य अधीनस्थ पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री का उपयोग एवं उसकी सुरक्षा करना पुस्तकालयों का विकास करना एवं सेवाओं की निरंतरता बनाये रखना है।

एस. दास गुप्ता के शब्दों में पुस्तकालय विधान संरचना निर्धारित करता है तथा एक आदर्श ढाँचे के अन्तर्गत विकास सुनिश्चित कर देता है। पुस्तकालय विधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय सत्ता का गठन इस प्रकार किया जावे कि वह विधि को प्रभावशील करने के लिये तो उतरदायी हो साथ ही विधान मंडल एवं जन प्रतिनिधियों के प्रति भी उत्तरदायी हो। विधान स्थायी एवं क्रमिक रूप से वित्तीय मदद की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वहन कर देता है। विधान संरचना, व्यवस्थापन एवं वित्त ये तीनों बिन्दु इतने महत्वपूर्ण है कि उनके पीछे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार होना नितान्त आवश्यक है।

सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का ठीक प्रकार संचालन करने हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय विधान पारित करना आवश्यक है डॉ. रंगनाथन ने इस बिन्दु पर बल दिया कि सरकार अपनी प्रजातान्त्रिक जिम्मेदारी को समझे एवं एक पुस्तकालय विधान बना कर एक आदर्श पुस्तकालय सेवा समाज को प्रदान करे यह कार्य केवल प्रजातान्त्रिक सरकार ही कर सकती है अन्य ओर कोई संस्था नही। पुस्तकालय विधान की निम्नलिखित विशेषताऐं होती है।

3. पुस्तकालय विधान की विशेषताऐ

(1) पुस्तकालय विधान एक प्रजातान्त्रिक क्रिया है। अत: इसे अपनाने में किसी भी सम्पन्न समाज को कोई कठिनाई नहीं होती है।

(2) यह निरंतर व निर्बाध गति से विधान द्वारा दिये गये अधिकारों पर आधारित है।

(3) पुस्तकालय विधान सही संचालन प्रदान करती है।

(4) पुस्तकालय विधान के मुख्य मसविदे में संरचना, व्यक्तियों का चयन, वित्त कार्य एवं पाठकों की माँगों की पूर्ण व्यवस्था होती है।

(5) पुस्तकालय विधान के मुख्य उद्देश्यों एवं उनकी व्यवस्था हर समय जन साधारण दारा जाँची एवं परखी जाती एवं समाज है। जिससे कि पुस्तकालय विधान में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि यह इस बिन्दु पर निर्भर करेगा कि जन साधारण की क्या विशिष्ट आवश्यकताएं है एवं किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।

अत: सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा बिना पुस्तकालय विधान निर्माण किये कतई संभव नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के जालक्रम को विकसित करने के लिये इन पुस्तकालयों का विस्तार क्रमानुसार करना होगा जो राज्य स्तर, संभागीय स्तर, तहसील अथवा तालुका एवं ग्राम स्तर तक फैली होगी। यह सब तभी संभव हो सकेगा जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय विधान पर विचार करें। इसी विधान के फलस्वरूप राज्य द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वैधानिक स्वरूप प्रदान होने के पश्चात राज्य को निश्चयपूर्वक एक नया

पुस्तकालय विभाग खोलना पड़ेगा। जिसे वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। सच्चे अर्थों में पुस्तकालय विधान एक स्वतंत्र एवं प्रजातान्त्रिक समाज में जनसाधारण के प्रति अपनी प्रजातान्त्रिक जिम्मेदारी है अपने देश की पुस्तकालय प्रणाली के सन्दर्भ में यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है कि हमारे संघीय ढाँचे में अलग अलग राज्य है तथा शिक्षा का विषय राज्य सूची में रखा गया हे। अत: किसी भी राज्य की शिक्षा की जिम्मेदारी उसी राज्य की है। चूंकि सार्वजनिक पुस्तकालय का विषय शिक्षा से जुड़ा है अत: इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्यों की है। हमारा देश विभिन्न राज्यों के संघ से मिलकर बना है। जो राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ रहे वे राज्य देशी रियासतों के अधीनस्थ राज्यों की तुलना में इनमे अधिक सम्पन्नता का एवं शिक्षा का प्रसार हुआ। इन राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुए आज देश के केवल ग्यारह राज्यों में ही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए है। जबकि बड़े राज्य - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, एवं असम में स्वतन्त्रता के पचपन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी पुस्तकालय अधिनियमों से वंचित है।

4. पुस्तकालय विधान की आवश्यकता

सार्वजनिक पुस्तकालय जन-कल्याणकारी एवं अपरिहार्य संस्था है। हमारी लोकप्रिय प्रजातान्त्रिक सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति इस सेवा से वंचित न रहे। सार्वजनिक पुस्तकालयों को सरकार द्वारा संस्थापित एवं संचालित करना निम्नानुसार आवश्यक हैं-

1. पुस्तकालय सेवा नि: शुल्क होनी चाहिये।
2. पुस्तकालय तन्त्र (library system) की स्थापना होनी चाहिये। अर्थात समस्त जन पुस्तकालय एक दूसरे से अलग अलग न होकर सम्बद्ध होने चहिये जिससे समस्त राज्य में पुस्तकालयों का जाल बिछाया जा सकें। जिसमें केन्द्रीय, राज्य एवं पंचायत पुस्तकालय होने चाहिये।
3. सभी को बिना किसी भेदभाव के नि: शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान होनी चहिये।
4. पुस्तकालय सेवा एकरूपता एवं उचित स्तर की स्थापना होनी चाहिये।
5. सर्वसाधारण में पुस्तकालयों के प्रति अपनत्व एवं स्वामित्व की भावना होनी चाहिये।
6. पुस्तकालय प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण एवं हस्तानान्तरण होना चाहिये।

सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रवृति एवं उद्देश्यों के प्रकाश में यह आवश्यक लगता है कि उनके संचालन के लिये सुनिश्चित प्रणाली एवं उनकी स्थापना के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होना चाहिये। पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय सेवा के आवश्यक तत्व संरचना (structure), व्यवस्थापन एवं वित्त - तीनों तत्व सुरक्षित रहते है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के प्रमुख आधार निम्नलिखित है।

4.1. पुस्तकालय सेवा के लिये वित्तीय प्रावधान

पुस्तकालय विधान में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राज्य सरकार राज्य के पुस्तकालय सेवा संचालनार्थ किस परिमाण में वित्तीय अनुदान प्रदान करेगा। इस प्रकार आय (income) का एक प्रभावी स्त्रोत सुनिश्चित कर दिया जाता है। एस. दास गुप्ता के अनुसार अधिनियम एक ऐसे उपयुक्त तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसके उत्तोलक (Lever) के सहारे

पुस्तकालयों के विकास के लिये राज्य शासन द्वारा अनिवार्य रूप से अनुदान राशि का निर्धारण कर दिया जाता है।

4.2. निःशुल्क पुस्तकालय सेवा

वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग में पुस्तकालय सेवा सबको नि: शुल्क मिलनी चाहिये। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अवरोध पड़ सकता है और उपयोगकर्ताओं पर अधिक भार डालने से पाठकों की संख्या में कमी हो जाना स्वाभाविक है। आर्थिक संसाधनों की सुनिश्चितता एवं निरन्तरता बनाये रखने के लिये पुस्तकालय उद्देश्य, अधिनियम अत्यन्त आवश्यक है।

4.3. मानक पुस्तकालय सेवा

मानक पुस्तकालय सेवा का संचालन केवल राज्यव्यापी श्रृंखलाबद्ध पुस्तकालय समूह के द्वारा ही किया जा सकता है। पुस्तकालय पद्धति सहयोगी एवं समन्वित संरचना के ऐसे सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये जिसके द्वारा छोटी से छोटी पुस्तकालय इकाई भी बड़ी इकाई समान ही आदर्श हो। पुस्तकालय पद्धति के द्वारा पुस्तकालय को एक संतुलित रूप मिल जाता है। इसके अतिरिक्त विकास भी सुनिश्चित हो जाता है तथा अपेक्षाकृत कम व्यय से पुस्तकालयों का अधिक विकास होता है।

4.4. प्रशासन में कुशलता

विधान द्वारा पुस्तकालय सेवा की प्रत्येक इकाई नियत कर दी जाती है परिणाम स्वरूप प्रत्येक इकाई के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य प्रशासनिक इकाई के अधीन होता है। प्रशासनिक कार्य सुसंगठित रूप से सम्पन्न होने से प्रशासन में कुशलता बनी रहती है।

4.5. शासन एवं जनता द्वारा नियंत्रण

विधान द्वारा संस्थापित पुस्तकालयों के प्रति पाठक अधिक आकर्षित होते है। ऐसे पुस्तकालयों द्वारा दी जाने वाली सेवा पर शासन का संचालन सुचारू रूप से होता है

4.6. पुस्तकालय विधान द्वारा ही कुशल नियोजन

पुस्तकालय विधान के अन्तर्गत स्थानीय, राजकीय एवं केन्द्रीय अधिकारियों का वित्तीय उत्तरदायित्व स्पष्ट कर दिया जाता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकृत धनराशि से काम चलाया जाये। अतएव पुस्तकालयों की आवश्यकताओं और कमियों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय नियोजन आवश्यक होता है ताकि आर्थिक साधनों की प्रचूरता बनी रहे एवं पुस्तकालयों का समुचित विकास होता रहे।

4.7. विधान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की निरन्तरता एवं सुनिश्चितता

पुस्तकालय विधान प्रभावशील होने पर शासन अथवा इकाई के संवैधानिक ढाँचे में परिवर्तन आ जाने पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा सुनिश्चित बनी रहती है। इससे अधिक अनुदान मिलने के गारंटी भी बनी रहती है। यदि पुस्तकालय अधिनियम न हो तो प्रशासनिक इकाई में होने वाले परिवर्तन का कुप्रभाव पुस्तकालयों पर पड़ सकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको केवल जनता की लोकोपकार की भावना पर छोड़ना उचित नहीं है अपितु हमारी लोकप्रिय

प्रजातांत्रिक सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी नागरिक इस सार्वजनिक नि: शुल्क सेवा से वंचित न रहे।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को सरकार द्वारा संस्थापित एवं संचालित करना निम्नानुसार आवश्यक है

1. सेवा नि: शुल्क होनी चाहिये। पुस्तकालय के संस्थापन एवं संचालन का आधा व्यय राज्य सरकार को वहन करना चाहिये। शेष आधा व्यय नगर पालिका संस्थाओं द्वारा जनता, पर पुस्तकालय उपकर (library cess) लगाकर चलाना चाहिये। इससे यह लाभ होगा कि जनसाधारण के हृदय में स्वामित्व की भावना का उदय होगा। वे विचार करेंगे कि हम पुस्तकालय सेवा के लिये कर देते है तो उसका उपयोग भी करें। जनता में पुस्तकालयों के प्रति रुचि जाग्रत होगी।
2. पुस्तकालय तन्त्र (library system) की स्थापना होनी चाहिये अर्थात समस्त सार्वजनिक पुस्तकालय एक दूसरे से अलग-अलग न होकर सम्बद्ध होने चाहिये। जिसमें पूरे राज्य में पुस्तकालयों का एक जाल सा बिछा होना चाहिये।
3. सभी को बिना किसी भेदभाव के नि: शुल्क पुस्तकालय सेवा प्राप्त होनी चाहिये
4. पुस्तकालय सेवा में एकरूपता एवं उचित स्तर की स्थापना होनी चाहिये।
5. जन साधारण म पुस्तकालय क प्रति अपनत्व एवं स्वामित्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिये।
6. पुस्तकालय प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण तथा हस्तान्तरण होना चाहिये।

उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गयी है। केन्द्रीय सरकार ने निःशुल्क पुस्तकालय सेवा के महत्व को समझते हुए एक आदर्श पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप तैयार किया था और उसको 1963 में विभिन्न सरकारों को भेजा गया था।

5. पुस्तकालय विधान के उद्देश्य

विभिन्न राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवा प्रदान करना है और एतदर्थ भूमि, भवन, साज-सज्जा आदि का प्रबन्ध करना है। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीडितों को विशिष्ट पुस्तकालय सेवा संचालित करने का भी उत्तरदायित्व होना चाहिये था, जो किसी भी अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है। रंगनाथन ने अपने आदर्श पुस्तकालय अधिनियम में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय में 'दृष्टिहीनों' के लिये 'राज्य पुस्तकालय' का प्रावधान रखा है। पुस्तकालय समिति का उद्देश्य पुस्तकालयों से सम्बन्धित उन प्रकरणों पर सरकार को परामर्श देना है जो उसको उनके द्वारा प्रेषित हों। किसी भी पुस्तकालय विधान का उद्देश्य पुस्तकालयों को प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिये एक शक्तिशाली संस्था बनाना है।

किसी भी राज्य सरकार प्राधिकरण के सार्वजनिक पुस्तकालय उद्देश्यों में राज्य में पुस्तकालय सेवा का प्रावधान करना और इस उद्देश्य में संलग्न संस्थाओं का प्रगत्यात्मक विकास

करना है और पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा जनता को पर्याप्त पुस्तकालय सेवा का प्रावधान करने के लिये राष्ट्रीय नीति का प्रभावशाली निष्पादन (execution) करना है।

रंगनाथन के अनुसार राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है।

(i) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के एक तन्त्र की स्थापना अथवा अनुरक्षण, तथा

(ii) राज्य में चिकित्सा पुस्तकालय सेवा और बन्दीगृह पुस्तकालय सेवा सहित पर्याप्त पुस्तकालय सेवा का प्रावधान करना है।

राज्य पुस्तकालय विभाग जो एक व्यावसायिक संचालक के अधीन कार्य करता है। समस्त राज्य में पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी होता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते है।

(1) पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिये प्रयास करना और अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात उसमें सुधार करने के लिये प्रस्ताव रखना एवं संशोधन करवाना।

(2) विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकालय सेवा के न्यूनतम स्तर निश्चित करना और पुस्तकालयों के उन स्तरों को स्थिर करने के लिये सहायता करना।

(3) पुस्तकालयों के विकास के लिये वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाऐं निर्मित करना।

(4) राज्य में पुस्तकालय सेवा का मूल्याँकन करना, सक्षम सेवा प्रदान करने हेतु प्रयास करना और सक्षम सेवा का निदान करने के लिये कारण एवं निराकरण खोजना।

(5) राज्य के पुस्तकालयों के निरीक्षण के लिये सक्षम निरीक्षणात्मक तथा परामर्शदात्री सेवा का संगठन करना।

(6) अभिदान पुस्तकालयों (Subscription Libraries) को अनुदान देने की प्रणाली का निरीक्षण एवं प्रशासन करना।

(7) पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(8) राज्य में विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों एवं सेवाओं की सीमा निर्धारित करना।

(9) पुस्तक जनसाधारण के जीवन, कार्य, तथा उनके संगठनों में उचित स्थान प्राप्त कर सके, इसके लिये प्रयास करना।

(10) राज्य में समस्त पुस्तकालयों के कार्यों का वर्णनात्मक एवं सांख्यकीय प्रतिवेदन एकत्रित करके अखिल राज्यीय प्रतिवेदन निर्मित करना और उसको विज्ञापित करना।

भारत सरकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय सलाहकार समिति (Library Advisory Committee) ने 1957 में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय के उद्देश्यों को निम्नानुसार अंकित किया है।

1. राज्य में समस्त राजकीय एवं अराजकीय प्रकाशनों का सर्वांगपूर्ण (exhanative) संग्रह निर्मित करना।
2. छात्रों तथा अनुसन्धानकर्ताओं के उपयोगार्थ विशेष ग्रन्थ-सन्दर्भ सूचियों (bibliographies) सहित वांङ्गमयात्मक (bibliographical) कार्य करना।
3. राज्य में महत्वपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालयों की संघ सूची (union catalogue) का निर्माण तथा अनुरक्षण करना।

4. सुदृढ़ सन्दर्भ संग्रह एवं सेवा की व्यवस्था करना। इस संग्रह में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ के समस्त मानक पुस्तकों (standard books) के साथ-साथ भारतीय राजकीय प्रकाशन भी सम्मिलित किये जावेंगे।
5. समय-समय पर मण्डल (District) पुस्तकालयों में पुस्तक भण्डार का निर्माण एवं पुनर्भरण करना।
6. देश की पंचवर्षीय योजनाओं आदि पर सूचना के लिये वितरण केन्द्र (clearning house) के रूप में कार्य करना।
7. पुस्तक प्रदर्शनियाँ एवं व्यावसायिक सम्मेलन आयोजित करना।
8. मण्डल पुस्तकालयों एवं राज्य के अन्य पुस्तकालयों के लिये समस्त तकनीकी तथा अन्य वांछित सूचना हेतु साधन के रूप में कार्य करना।
9. राज्य के अन्दर तथा बाहर अन्तरापुस्तकालयीन आदान (inter library loan) के रूप में कार्य करना।
10. बाल-पुस्तकालय कार्य में अभिवृद्धि करना।

राज्य आदान पुस्तकालय (State lending library) के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित है।

(1) चलचित्रों, फिल्म स्ट्रीप्स एवं रिकार्डिंग्स का प्रावधान करना।
(2) पुस्तक भण्डार का विशेष पुस्तकों अथवा अन्य विख्यात तकनीकियाँ द्वारा प्रचार करना।
(3) पुस्तक की प्रदर्शिनियाँ की व्याख्या करना।
(4) यह देखना कि उन्हें उनके कार्य के लिये उपयोगी पुस्तक सुलभ हो सके, विभिन्न समूहों के साथ सहयोग करना, राज्य पुस्तकालय इन संगठनों की पुस्तकवार्ता, पुस्तक सूचियाँ तथा पुस्तकों के वास्तविक आदान द्वारा सेवा कर सकता है।

6. पुस्तकालय विधान के सिद्धान्त

पुस्तकालय विधान के सिद्धान्तों की विवेचना करने का अर्थ है पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्तों को जानना। डॉ. रंगनाथन ने अपने पंच सूत्रों में पुस्तकालय सम्बन्धित सभी विषयों की विवेचना की है। पुस्तकालय विज्ञान के पंच सूत्रों ने पुस्तकालय के विविध कार्यों के लिये आवश्यक मानक उपाय, पद्धति, प्रक्रिया, साधन, मार्ग दर्शक उपसूत्र, सिद्धान्त नियम एवं उपनियमों को जन्म दिया है। इनके अभिप्राय (implications) विविध परिस्थितियों में अनेक रूपों में सामने आते है। प्रत्येक सिद्धान्त शुद्ध, गंभीर, असंदिग्ध और अत्यल्प शब्दों में अपने अभिप्रायों को इंगित करते है। डॉ. रंगनाथन ने इन्हे सूत्रों की संज्ञा दी है। इन्हें मंत्र भी कहा जा सकता है। मन्त्र का अर्थ समस्या के समाधान हेतु मानसिक उपाय है।

रंगनाथन ने अपने द्वितीय सूत्र 'प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले' में पुस्तकालय विधान की विवेचना की है। जिसके अनुसार बिना पुस्तकालय विधान के प्रत्येक पाठक को उसकी पाठ्य सामग्री मिलने के प्रावधान के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है। अत: इस

सूत्र को क्रियान्वयन में लाने के लिये यह आवश्यक है कि देश के सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो। इस सूत्र का अभिप्राय यही है कि हर राज्य अपने प्रजातांत्रिक दायित्व को जाने। सरकार प्रत्येक नागरिक को नि: शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान कर छोटे छोटे गाँवों में चल पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करवाये। पुस्तकालय विधान के लिये प्रत्येक राज्य सरकार को पुस्तकालय उपकर (library cess) लगाना होगा। क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालयों को चलाने हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय वित्त का प्रबन्ध होना आवश्यक है। पुस्तकों की खरीद, पुस्तकालय कर्मियों के वेतन एवं अन्य खर्चों को कौन वहन करेगा। पुस्तकालय विधान को पारित करने में वित्त की समस्या सर्वप्रथम है जहाँ तक चन्दे से एकत्रित किये गये पैसों का प्रश्न हैं उसमें केवल वे ही वर्ग पुस्तकालय सेवा का लाभ उठा सकते है जिन्होंने चन्दा दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी नागरिकों को समान रूप से पुस्तकालय सेवा नहीं दी जा सकती हैं। जबकि प्रजातान्त्रिक समाज में किसी भी समाज के वर्ग को पुस्तकालय सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक निधि ही पुस्तकालय वित्त का स्त्रोत रहें तो ठीक है। सार्वजनिक निधि को वैधानिक स्वीकृति मिलनी चाहिये। क्योंकि यदि कोई भी प्रक्रिया विधान पर आधारित होगी तो वह स्थायी होगी पुस्तकालय वित्त विधान आधारित सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिये।

1. संविधान की रचना करें
2. स्वायतत्ता की मात्रा को निश्चित करें।
3. कार्यो का निष्पादन करें।
4. पुस्तकालय खर्चों के लेखा जोखा को ऑडिट करवाये।
5. ऐसी व्यवस्था कायम करे जो छान-बीन कर समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें।

7. पुस्तकालय विधान के कारक

डॉ. रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम के कारकों को निम्नलिखित दो भागों मे विभाजित किया हैं।

7.1 अनिवार्य कारक

7.2. वाँछनीय कारक।

7.1 अनिवार्य कारक

निम्नलिखित अनिवार्य कारक कहलाते है क्योंकि बिना इनके स्थानीय एवं राज स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली इकाई (Authorities) की संरचना, उनका प्रशासन, आय-व्यय की मदे, अधिकार एवं कर्तव्य स्पष्ट नहीं हो सकते है।

7.1.1 उच्च स्तरीय प्रबन्ध (Top management)

इस कारक के अन्तर्गत राजकीय पुस्तकालय अधिकारी, स्थानीय पुस्तकालय की संरचना, उनके अधिकार, कार्य एवं कर्तव्यों का समावेश होना चाहिये।।

7.1.2. प्रशासन (Administration)

उच्चस्तरीय सत्ता द्वारा निर्धारित नीति तथा निर्णयों के पालन की दृष्टि से विधि के अन्तर्गत उपयुक्त तंत्र तथा सेवा केन्द्र होना आवश्यक है।

7.1.3. वित्त (Finance)

समूचित व्यवस्था के बिना पुस्तकालय सेवा को गतिशील नहीं रखा जा सकता है। निर्विवाद रूप से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है।

7.1.4. दायित्व (Obligations)

पुस्तकालय विधि में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहियें कि पुस्तकालय सेवी नि:शुल्क रूप से प्रदान की जायेगी। एवं पुस्तकालय सत्ता को पुस्तकालय सेवाओं के सम्बन्ध में राष्ट्र अथवा राज्य के संघ अथवा भारतीय मानक संस्थान जैसी संरचनाओं हारा निर्धारित मानकों का अनुसरण करना होगा।

7.2. वांछनीय कारक

निम्नलिखित कारकों को अनिवार्य तो नहीं माना जा सकता किन्तु ये कारक आवश्यक है।

1. संरचना
2. सेवा एवं परिणाम
3. पुस्तकालय कर्मचारी
4. पुस्तकालय संघों की स्थापना
5. पुस्तकालय सत्ता के विधि सम्बन्धी अधिकार

विधान व्यवस्थित संरचना की नीवं डालता है एवं आदर्श ढाँचे के अन्तर्गत विकास सुनिश्चित कर देता है। इसके द्वारा राजनीति एवं प्रशासकों की पूर्वाग्रह पूर्ण प्रवृति एवं स्वेच्छाचारित पर रोक लग जाती है।

8. पुस्तकालय संघों की भूमिका

सर्वोत्तम पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि पुस्तकालय वैधानिक आधार पर सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का जाल बिछा कर उत्तम एवं पूर्ण पुस्तकालय सेवा प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकालय विधान को अधिनियम उद्देश्य में परिवर्तित करने के लिये राष्ट्र एवं राज्य पुस्तकालय संघों की अहम भूमिका है लेकिन राज्य पुस्तकालय संघ जनता एवं सरकार के बीच पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करने में असफल रहे आज आवश्यकता है की हम अमेरीकन पुस्तकालय संघ द्वारा अपने ध्येय की प्राप्ति में अपनाए गये सिद्धान्तों व उपायों का तुलनात्मक अध्ययन करे एवं भारत में उन तरीकों को अपनाने की चेष्टा करें। सुसंगठित राष्ट्र व्यापी पुस्तकालय संघ राज्य व राष्ट्रीय सरकारों एवं कर्मचारियों को पुस्तकालय विधान की आवश्यकता को समझाने व पूर्ण करने की दिशा में सहायक हो सकता है।

9. भारत में पुस्तकालय विधान की स्थिति

शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान की समानता के आधार पर हमेशा सार्वजनिक बनाये रखने एवं उपलब्ध साधनों के सदुपयोग के लिये पुस्तकालयों का संगठित होना आवश्यक है। यह कार्य

पुस्तकालय विधान के बिना संभव नहीं है। डॉ. रंगनाथन ने आरंभ से ही पुस्तकालय विधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था का वैधानिक आधार हों। रंगनाथन के सतत प्रयत्नों एवं प्रभाव से अब तक निम्नलिखित प्रदेशों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए हैं।

क्र.स.	राज्य	वर्ष
1.	तमिलनाडु	1948
2.	आंध प्रदेश	1960
3.	कर्नाटक	1965
4.	महाराष्ट्र	1967
5.	पश्चिमी बंगाल	1979
6.	केरल	1987
7.	हरियाणा	1987
8.	मणिपुर	1988
9.	मिजोरम	1993
10.	गोआ	1993
11.	गुजरात	2001

1948 में पुस्तकालय विधान का एक नया मसौदा तैयार कर अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के बम्बई सम्मेलन में प्रस्तुत किया एवं वह मसौदा सर्वसम्मति से वहाँ स्वीकृत हुआ। उसी मसौदे के आधार पर उन्होनें मद्रास प्रान्त के लिये एक आदर्श विधेयक तैयार किया। यह विधेयक प्रान्तीय विधान सभा में रखा गया एवं कुछ संशोधनों के पश्चात 1948 में यह विधेयक पारित हुआ। मद्रास प्रान्त में देश का सर्वप्रथम कानून पर आधारित सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का श्री गणेश हुआ। जिसका श्रेय डॉ. रंगनाथन के अथक प्रयासों को जाता है।

देश के अन्य राज्यों में भी पुस्तकालय विधेयक तैयार किये गये। लेकिन राज्य प्रशासनों की ढुल मुल नीति के कारण कई राज्यों में अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालय विधान नहीं बने हैं। पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में केवल छोटे राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए जैसाकि आपको उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट हुआ है। आज भी विशाल राज्यों - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम इत्यादि राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सके।

देश में सार्वजनिक पुस्तकालय विधान को गति देने में डॉ. रंगनाथन का योगदान अभूतपूर्व है। लेकिन अब इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय पुस्तकालय संघ एवं विभिन्न राज्यों के पुस्तकालय संघों के कन्धों पर है इसके लिये आवश्यक है कि समाज में पुस्तकालय उपयोगिता पर बल दिया जावें एवं पुस्तकालय चेतना को जाग्रत किया जाये। पुस्तकालय संघ एवं पुस्तकालय व्यवसायी (Library Professionals) अपनी पुस्तकालय गतिविधियों में तेजी लाये एवं पुस्तकालय प्रदर्शनी, पत्रवाचन, सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये जावे। इस दिशा

में केन्द्र सरकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है केवल शिक्षा के विषय को राज्य सूची में रखने से केन्द्र सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही ठीक नहीं है । आज केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर इस विषय की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन राज्यों में पुस्तकालय विधेयक (Library Bills) वर्षो से लम्बित है उन राज्य सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति (Political will power) की कमी प्रदर्शित करती है। देश की पचास प्रतिशत जनसंख्या अभी भी निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय विधान से वंचित है।

10. सारांश

उपरोक्त इकाईयों में पुस्तकालय विधान से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जैसे पुस्तकालय विधान की परिभाषा, विशेषताऐं एवं आवश्यकतायें। पुस्तकालय विधान के सन्दर्भ में डॉ. रंगनाथन एवं भारत सरकार हारा संस्थापित पुस्तकालय सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों एवं पुस्तकालय विधान के अनिवार्य एवं वाँछनीय कारकों का वर्णन किया गया है । देश के विभिन्न राज्य पुस्तकालय संघ एवं पुस्तकालय विधानों की वर्तमान स्थिति पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है एवं किस प्रकार डॉ. रंगनाथन के अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम (तमिलनाडु) 1948 में पारित किया गया।

11. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय विधान की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को स्पष्ट किजिए।
2. पुस्तकालय विधान के विभिन्न कारकों (factors) का वर्णन कीजिये।
3. भारत में पुस्तकालय विधान की क्या स्थिति है। अब तक किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके है? विस्तार से चर्चा किजिए

12. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, 'ग्रंथालय तथा समाज', जयपुर, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 1994.
2. सक्सेना, एल. एस., 'पुस्तकालय संगठन तथा व्यवस्थापन', भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1988.
3. व्यास, एस. डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992.
4. वर्मा, सुभाष चन्द्र एवं श्याम नाथ श्रीवास्तव, पुस्तकालय संगठन एवं संचालन', जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1992 संस्करण

इकाई - 10: सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आदर्श प्रारूप (Model Public Library Act)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता से अवगत होना,
2. आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख तत्वों से परिचित होना, तथा
3. अधिनियम की विभिन्न विशेषताओं से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय अधिनियम का महत्व
3. पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता
4. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति
5. पुस्तकालय अधिनियम- प्रारूप
6. परिशिष्ट-I- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम : एक आदर्श प्रारूप
7. सारांश
8. अभ्यासार्थ प्रश्न
9. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालय एक जनतान्त्रिक संस्था है। वह जनसत्ता का जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित होता है। किसी संस्था को जनता का अथवा सार्वजनिक सिद्ध करने के लिए विधान का होना आवश्यक है। जन संस्था होने से पुस्तकालय के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से क्रियात्मक रूप देने तथा उसके विकासशील स्वरूप को बरकरार रखने के लिए संबद्ध जनता के दायित्वों और अधिकार को परिभाषित करना भी जरूरी है। विधान (Legislation) दायित्वों और बाध्यताओं को मूर्तरूप देता है। विधि शब्द का अर्थ नियमन और नियन्त्रण होता है। विधान का अर्थ कानून का प्रारूप प्रस्तुत करना है। दूसरे शब्दों में आलोच्च कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए विधेयक (Bill) के रूप में अधिनियम का प्रस्ताव करना इसका अर्थ है। पुस्तकालय के संदर्भ में केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक शासन के अधीन एक निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना अनुरक्षण और विकास हेतु आवश्यक कार्य, अधिकार, नियम और प्रबंध को वैधानिक रूप देने को पुस्तकालय विधान (अधिनियम) कहते हैं।

2. पुस्तकालय अधिनियम का महत्व

1. पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय की संरचना को निर्धारित करता है तथा एक आदर्श ढाँचे के अन्तर्गत इसका विकास सुनिश्चित करता है।
2. अधिनियम राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों की अनियमितताओं पर रोक लगाता है।
3. इसके द्वारा पुस्तकालय के प्रशासक के लिए उपर्युक्त सत्ता निर्धारित की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि वह सत्ता विधान मंडल एवं जन प्रतिनिधियों के प्रति भी उत्तरदायी हो।
4. अधिनियम स्थायी तथा क्रमिक रूप से पुस्तकालय हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है। जिससे इसके विकास में अर्थाभाव नहीं हो सके।

3. पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकताओं के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं।

1. **पुस्तकालय संरचना हेतु सुदृढ़ नीति का निर्धारण**: पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा इसकी संरचना हेतु सुदृढ़ नीति का निर्धारण किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य और केन्द्रीय स्तर पर स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय अपने- अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित पुस्तकालयों पर नियंत्रण रख सकते हैं। परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों का सन्तुलित ढंग से विकास होता है। तुलनात्मक दृष्टि से पुस्तकालय प्रणाली पर आधारित उसका संगठन और प्रबन्ध मितव्ययी होता है।

2. **वित्त**: वित्त के अभाव में किसी भी संस्था का संगठन एवं संचालन कठिन है। पुस्तकालय के समस्त क्रियाकलाप वित्त की उपलब्धि पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक शासन में नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। कानून के रहने पर शासन अपने राजस्व से प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में पुस्तकालयों को देगा और उसके आधार पर ही कर देने में समर्थ लोगों पर उपकर (Cess) के रूप में कर लग सकती है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध धन के दुरूपयोग, उसका हिसाब किताब रखने और उसके अंकेक्षण करने के लिये अधिनियम में आवश्यक प्रावधान दिया रहता है।

3. **पुस्तकालय तंत्र की स्थापना**: समस्त जन पुस्तकालय प्रांत के केन्द्रीय पुस्तकालय से लेकर पंचायत एवं एक सुदृढ़ पुस्तकालय तक एक दूसरे से जोड़े जाय तभी एक सुदृढ़ पुस्तकालय तंत्र की स्थापना हो सकती है। यह तभी संभव होगा जब सरकार पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाय।

4. **पुस्तकालय सेवा की सुनिश्चितता एवं निरंतरता**: पुस्तकालय अधिनियम के अभाव में पुस्तकालय का विकास सरकार की निति पर निर्भर रहता है। सरकार की नीति एवं कार्यपालिका के प्रधान बदलते रहते हैं। सरकार की प्राथमिकतायें भी बदलती रहती है। पुस्तकालय के प्रति किसी सरकार की नीति उदार होती है तो किसी की अनुदार। इससे पुस्तकालय के विकास पर कुछ विपरीत असर पड़ता है। अत: पुस्तकालय सेवा की निरंतरता एवं सुनिश्चितता के लिये पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है।

5. **सुदृढ़ संचालक मंडल का निर्माण**: विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिनियम द्वारा एजेंसियों का निर्माण होता है। उनकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किए जाते है। जिसका पालन कर पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए पुस्तकालय अधिनियम परम आवश्यक है।

6. **पुस्तकालय सहयोग के आधार तैयार करने में सहायक**: आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी पुस्तकालय पूर्ण साधन सम्पन्न नहीं हो सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अन्य पुस्तकालयों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा पुस्तकालय सहयोग की नीति निर्धारित की जाती है। जब इस प्रकार के प्रावधान बन जाते हे तो वैज्ञानिक बाध्यता के कारण एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालयों से जुड़ जाते है।

7. **जनता को नि:शुल्क सेवा प्रदान करने में सहायक**: पुस्तकालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता को नि:शुल्क सेवा प्रदान करे। पुस्तकालय के संचालन एवं स्थापना का आधा खर्च राज्य सरकार एवं शेष खर्च स्थानीय निकायों दारा जनता पर पुस्तकालय उपकर लगाकर वहन करना चाहिये। इससे आम जनता को नि:शुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान की जा सकती है। यह तभी सम्भव हो पायेगा जब पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाय।

उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति केवल सरकार द्वारा पुस्तकालय अधिनियम लागू करके की जा सकती है। अत: पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से ही सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना, विकास एवं प्रसार संभव है।

4. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति

भारत में सर्वप्रथम कुछ व्यक्तियों के प्रयास से ब्रिटिश काल में सन् 1836 से कलकत्ता में सार्वजनिक पुस्तकालय अस्तित्व में आया। इस कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम बदलकर सन् 1903 में इम्पीरियल पुस्तकालय कर दिया गया था। जिसे सन् 1947 में स्वतन्त्र भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया।

इसके तत्पश्चात अन्य राज्यों में लोगों के निजी प्रयास एवं संस्थाओं के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किये गये। देश में सर्वप्रथम बड़ौदा जैसे राज्य में वहाँ की रियासत के आदेश से सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना सन् 1910 में की गयी। इसके अन्तर्गत विभिन्न जिलों, कस्बों एवं गाँवों में पुस्तकालय की स्थापना की गयी। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में छिटपुट तौर पर पुस्तकालयों की स्थापना की गयी। इन पुस्तकालयों की निम्नलिखित विशेषतायें थीं-

(1) अधिकांश पुस्तकालय व्यक्तिगत प्रयास से एवं बिना सरकारी सहायता से स्थापित थे।

(2) वित्त का स्त्रोत मुख्य सदस्यता शुल्क अथवा दान था ।

(3) इन पुस्तकालयों की संरचना के अभाव में प्रबंध-न्यूनतम स्तर का था।

(4) पुस्तकालय सेवा केवल सदस्यों को ही उपलब्ध थी। जो केवल पुस्तकों के आदान प्रदान तक सीमित था।

(5) पुस्तकालयों में स्थायित्व का अभाव था।

(6) इन पुस्तकालयों के स्थापना के शुरूआती दौर में लोगों में जोश होता था जो क्रमश: घटता जाता है जिसका पुस्तकालयों के क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा कई पुस्तकालयों को बन्द करना पड़ा।

इन समस्याओं के प्रकाश में लोगों ने विशेषकर डॉ. एस.आर. रंगनाथन ने यह महसूस किया कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास केवल पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से ही संगठित तरीके से किया जा सकता है। पुस्तकालय अधिनियम व्यवस्थित पुस्तकालय संरचना की नींव डालता है और इसके अन्तर्गत विकास सुनिश्चित कर राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों की पूर्वाग्रहपूर्ण प्रवृत्ति एवं मनमानी से पुस्तकालय को बचाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम से सार्वजनिक पुस्तकालय तन्त्र को आवश्यक बल एवं सहयोग राज्य सरकारों की तरफ से मिलता है।

5. पुस्तकालय अधिनियम- प्रारूप

पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप पुस्तकालय अधिनियम को लोकसभा या विधानसभा में पारित कराने हेतु विधेयक निर्माण में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस इकाई के अन्तर्गत अधिनियम प्रारूप के विभिन्न आवश्यक अवययों पर निम्नलिखित विस्तृत चर्चा की जा रही है।

5.1. पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की विशेषताएं

पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये: -

(1) अधिनियम प्रारूप सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा तंत्र के लिए सभी आधारभूत अवययों अथवा संदर्भ को परिभाषित करना चाहिये।

(2) पुस्तकालय तन्त्र संरचना को परिभाषित करना चाहिये।

(3) इसमें संचालन से संबंधित संस्थाओं में जैसे- पुस्तकालय समिति, प्रबंध बोर्ड इत्यादि का विवरण होना चाहिये।

(4) इसमें पुस्तकालय एवं सूचना कर्मचारियों से संबंधित नियुक्ति, प्रमोशन एवं नियोजन पद्धति परिभाषित होनी चाहिये।

(5) नियुक्ति आर्थिक सहयोग एवं उपयोग हेतु संगठनात्मक चरण परिभाषित होनी चाहिये।

(6) इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को रिपोर्ट करने हेतु तरीकों एवं संबंधित विधियों का उल्लेख होना चाहिये। एवं संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप में निम्नलिखित वांछनीय कारकों की व्याख्या एवं समुचित नियमों का उल्लेख होना चाहिये:

(i) संरचना

(ii) लेखा तथा लेखा परीक्षण

(iii) पुस्तकालय कर्मचारी

(iv) पुस्तकालय सेवा

(v) वित्त

डॉ. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की रूप रेखा उनकी पुस्तक लाइब्रेरी डेवलपमेन्ट प्लान फॉर इंडिया 1950 में प्रकाशित की गयी है। इसके विश्लेषण से हम पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप (Model) के अन्तर्गत सम्मलित महत्वपूर्ण कारकों को आसानी से समझ सकते हैं।

इसका प्रतिपादन निम्नलिखित है:

(i) प्रारंभिक (Preliminaries)

अधिनियम के इस भाग में वास्तविक शीर्षक संक्षिप्त शीर्षक उद्धत होता है। इसमें अधिनियम के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है।।

अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी जाती है।

उदाहरण- इस अधिनियम को पुस्तकालय अधिनियम, 19......" से जाना जायेगा'

इस अधिनियम में जब तक कि इसमें कोई परिवर्तन न हो सरकार अर्थात राज्य ग्रन्थ जगत की सरकार।

(ii) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण (Authority)

अधिनियम के इस भाग में पुस्तकालय संगठन एवं सेवाओं से सम्बन्धित नियम दिये जाते हैं। इसमें संचालन विधि, विभिन्न अधिकारियों की पहचान इत्यादि का उल्लेख रहता है। इसके अलावा विभिन्न पुस्तकालय समितियों की संरचना, संविधान सदस्यता, कार्य, अधिकार के बारे में वर्णन रहता है।

उदाहरण-

(i) शिक्षा मंत्री

राज्य ग्रन्थ जगत में राज्य पुस्तकालय तंत्र के संगठन एवं बढ़ावा देने के लिये राज्य के शिक्षा मंत्री राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी होंगे।

(ii) राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी के कर्तव्य

राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह राज्य पुस्तकालय जगत में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करे तथा इस कार्य में संलग्न संस्थाओं के नियमित विकास की देखभाल करें एवं लोगों को पर्याप्त पुस्तकालय सेवा हेतु स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित करें।

(iii) राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्य

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्य निम्न है।

(a) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना एवं रख रखाव एवं प्रबंध, तथा

(b) राज्य ग्रन्थजगत में उचित (पर्याप्त) पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था जिसके अंतर्गत अस्पताल एवं जेल पुस्तकालय सेवा सम्मिलित है।

(iv) पुस्तकालय तन्त्र (Network) पद्धति

इसके अन्तर्गत राज्य पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, नगर-पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय इत्यादि की संरचना, संगठन, सेवा, वित्त से संबंधित नियम दिये होते हैं।

उदाहरण-

(a) राज्य सेवा पुस्तकालय

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण पर राज्य पुस्तकालय तन्त्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राज्य सेवा पुस्तकालय की स्थापना, रख रखाव एवं प्रबन्ध करेगा।

(b) राज्य शाखा सेवा पुस्तकालय

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण अपने किसी भी भाषाई क्षेत्र के लिए उचित स्थान पर राज्य शाखा सेवा पुस्तकालय की स्थापना एवं प्रबन्ध करेगा।

(v) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय पद्धति

विशेष उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पुस्तकालय जैसे कि अंधों के लिए पुस्तकालय, फिल्म पुस्तकालय इत्यादि।

उदाहरण-

राज्य सेवा पुस्तकालय नेत्रहीनों के लिए एक राज्य पुस्तकालय की व्यवस्था करेगा जो कि उनके लिए ग्रन्थोन्यादन रख रखाव एवं श्रव्य ग्रन्थ का प्रबन्ध करेगी।

(vi) वित्त एवं लेखा

राज्य द्वारा वित्त पोषण की विधि, कर संरचना एवं वित्त का संकलन, विपणन, एवं उपयोग का उल्लेख इसके अन्तर्गत होनी चाहिये ।

(vii) राज्य पुस्तकालय सेवा कर्मी संरचना

मूल्यपरक पुस्तकालय सेवा के लिए विभिन्न व्यवसायिक कर्मियों की आवश्यकता का उल्लेख होना चाहिये।

(viii) नियम एवं परिनियम

पुस्तकालय उपयोग सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के लिए नियमों का उल्लेख होना चाहिये जिससे कि अन्य उपयोगकर्ताओं को परेशानी न हो। पुस्तकालय में सम्भावित अपराधों के रोकथाम के लिए दण्ड का प्रावधान होना चाहिये।

6. परिशिष्ठ-I- सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम: एक आदर्श प्रारूप

1. प्रारम्भिक

1.1. संक्षिप्त शीर्षक

1.1 (क) इस अधिनियम को पुस्तकालय अधिनियम, 1 9...... से जाना जायेगा।

1.1 (ख) यह राज्य के सम्पूर्ण ग्रन्थ जगत में लागू होगा ।

1.1 (ग) यह राज्य सरकार की निर्धारित तिथि घोषणा से लागू माना जायेगा।

1.2 परिभाषा

इस अधिनियम में जब तक कि इसमें कोई परिवर्तन न हो।

1.2 (क) सरकार-अर्थात राज्य ग्रन्थ जगत की सरकार

1.2 (ख) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय-अर्थात उपभाग 1.2ग से 1.2ड़ में वर्णित राज्य तन्त्र का कोई एक पुस्तकालय।

1.2 (ग) राज्य प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय-अर्थात पुस्तकालय जो कि राज्य के प्रत्येक प्रकाशक से प्राप्त या भेजी गयी सामग्री से निर्मित है।

1.2 (द) राज्य निक्षेपगार पुस्तकालय-अर्थात पुस्तकालय जो कि राज्य के प्रत्येक पुस्तकालय एवं सेवा पुस्तकालयों से छाँटी गयी पाद्य सामग्री की प्रतियों से निर्मित हो।

1.2 (ध) राज्य सेवा पुस्तकालय-अर्थात पुस्तकालय जो कि अध्येताओं को सेवा प्रदान करने हेतु नवीन पाद्य सामग्री से निर्मित है। तथा उसकी स्थापना, रख रखाव एवं व्यवस्थापन राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

1.2 (म) नगर-अर्थात जनसंख्या समूह जिसमें कि लगभग 100,000 व्यक्ति हो या ऐसी संख्या जोकि समय- समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हो। अथवा इस अधिनियम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या।

1.2 (प) कस्बा-अर्थात जनसमूह जिसमें लोगों की संख्या 5,000 से अधिक एवं 10,000 से कम हो।

1.2 (फ) गाँव-अर्थात जन समूह जिसमें 1,000 या इससे अधिक 5,000 से कम जनसंख्या हो।

1.2 (भ) जिला-अर्थात राजस्व जिला उसमें निहित शहर को छोड़कर।

1.2 (म) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण-अर्थात शहर पुस्तकालय प्राधिकरण अथवा जिला पुस्तकालय प्राधिकरण।

1.2 (य) राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष-अर्थात पुस्तकालयाध्यक्ष जो कि अधिनियम का पालन एवं प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया गया है।

1.2 (र) पुस्तकालय विभाग-अर्थात सरकारी विभाग जो कि इस अधिनियम हेतु निर्मित है।

1.2 (ब) सार्वजनिक पुस्तकालय अर्थात-

1.2 (ब).1. स्थापित राज्य सेवा पुस्तकालय या इस अधिनियम के लिए घोषित राज्य सेवा पुस्तकालय

1.2 (ब). 2. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा या प्रबन्धित कोई पुस्तकालय जिसमें चल पुस्तकालय एवं सेवा केन्द्र सम्मिलित है।

1.2 (श) अर्द्ध सार्वजनिक पुस्तकालय- अर्थात कोई पुस्तकालय जोकि लोगों के लिए नि:शुल्क है तथा सरकार या किसी स्थानीय संस्था दारा संचालित है।

1.2 (ब) अनुदान प्राप्त पुस्तकालय- अर्थात। पुस्तकालय जो कि नियमानुसार सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है।

1.2 (स) राज्य स्वामित्व वाला पुस्तकालय- अर्थात पुस्तकालय जोकि सरकारी विभाग, राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य सरकारी संस्था।

1.2 (ह) शैक्षणिक पुस्तकालय- अर्थात पुस्तकालय जो कि शोध संस्थायें, विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल द्वारा संचालित हो ।

1.2 (क्ष) व्यवसायिक पुस्तकालय- अर्थात पुस्तकालय जो कि औद्योगिक या वाणिज्य प्रतिष्ठानों दारा संचालित हो।

1.2 (त्र) विशिष्ठ पुस्तकालय- अर्थात पुस्तकालय जो कि अध्येताओं को प्रलेखन सेवा प्रदान करता हो तथा विशेष बल सूक्ष्म प्रलेख एवं विशिष्ट अध्येता पर देता हो।

1.2 (क) पाद्य सामग्री अर्थात-

1.2 (क).1. कोई ग्रन्थ सूक्ष्म प्रलेख या एक भाग या भाग का अंक, किसी भी भाषा में इस्तहार जोकि मुद्रण अथवा अर्द्ध मुद्रण प्रक्रिया दारा उत्पादित है जैसे-छायांकन।

1.2 (क).2. संगीत, मानचित्र, चार्ट, योजना इत्यादि का कोई पृष्ठ जो कि अलग से मुद्रित या छायांकित हो।

1.2 (क).3. समाचार पत्र, सामयिक प्रकाशन या कोई अन्य प्रकाशन।

1.2 (क).4. कोई अन्य पाद्य सामग्री जैसे नेत्रहीनों के लिए दृश्य या दृश्य श्रव्य सामग्री जो कि उपर्युक्त उपविभागों के समान सेवा प्रदान करती हो।

1.2 (ख) सूक्ष्म प्रलेख अर्थात पत्रिका में कोई लेख या भाग, पुस्तक का कोई भाग या पृष्ठ।

1.2 (न) निर्धारित अर्थात अधिनियम के अन्दर बने नियमों के दारा निर्धारित।

1.2 (घ) 'अधिसूचना' अर्थात् अधिसूचना जो कि सरकार के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित है। 1.2 (च) 'वर्ष' अर्थात वित्त वर्ष।

2. राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण

2.1. शिक्षा मन्त्री

राज्य ग्रन्थ जगत में राज्य पुस्तकालय तन्त्र के संगठन एवं बढ़ावा देने के लिए राज्य के शिक्षा मन्त्री राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी होंगे।

2.1.1. राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी के कर्त्तव्य

राज्य पुस्तकालय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह राज्य पुस्तकालय जगत में पर्याप्त पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करें तथा इस कार्य में संलग्न संस्थाओं के नियमित विकास की देखभाल करे एवं लोगों को पर्याप्त पुस्तकालय सेवा हेतु स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंग से सुनिश्चित करें।

2.1.2. राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्य

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कार्य निम्न है।

(i) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना एवं या रखरखाव एवं प्रबन्ध, तथा

(ii) राज्य ग्रन्थजगत में उचित (पर्याप्त) पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत अस्पताल एवं जेल पुस्तकालय सेवा सम्मिलित है।

2.2. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तन्त्र के अन्तर्गत निम्नलिखित पुस्तकालय आते हैं: -

राज्य केन्द्रीय तन्त्र

1. राज्य प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय
2. राज्य निक्षेपागार पुस्तकालय, एवं
3. राज्य सेवा पुस्तकालय

2.3. राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष

अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण एक पूर्णकालिक राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त करेगा जो कि पुस्तकालय व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव तथा योग्यता वाला व्यक्ति होगा। प्राधिकरण उसकी सेवा की शर्तें निर्धारित करेगा।

2.3.1. राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण नियन्त्रण के अन्तर्गत, राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष

2.3.1 (क) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रबन्ध करेगा

2.3.1 (ख) वह प्रेस एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम, 1867 से सम्बन्धित कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन करेगा एवं वह राज्य प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय का रख रखाव एवं प्रबन्ध करेगा।

2.3.1 (ग) राज्य निक्षेपागार पुस्तकालय का रख रखाव एवं प्रबन्ध करेगा जो कि राज्य के पुस्तकालयों से छाँटी गयी पाद्य सामग्री से निर्मित होगा।

2.3.1 (घ) अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्यों से सम्बन्धित प्राप्त अधिकारों का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं निर्देशन करेगा।

2.3.1 (ङ) प्रत्येक तकनीकी कार्य, वर्गीकरण, सूचीकरण का केन्द्रीकरण करेगा एवं सहमत शर्तों के आधार पर राज्य के सार्वजनिक, शैक्षणिक, विभागीय पुस्तकालयों में पाद्य सामग्री का चयन, सेवा एवं रख रखाव में समन्वय करेगा।

2.4. राज्य पुस्तकालय समिति

राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए अधिनियम में निहित विषयों पर एक राज्य पुस्तकालय समिति होगी।

2.4.1. सदस्यता

राज्य पुस्तकालय समिति में निम्न सदस्य होगें-

(क) राज्य शिक्षा मन्त्री (पदेन अध्यक्ष)

(ख) राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष (पदेन सचिव)

(ग) शिक्षा सचिव

(घ) शिक्षा निदेशक

(ङ) (ड़) राज्य विधान सभा दारा चयनित दो व्यक्ति

(च) राज्य विधान परिषद द्वारा चयनित एक व्यक्ति

(छ) राज्य के विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी द्वारा चयनित व्यक्ति

(ज) शहर के दो पुस्तकालय प्राधिकरण से क्रमश: चयनित एक व्यक्ति

(झ) तीन व्यक्ति जो राज्य पुस्तकालय संघ के कार्यकारिणी से नियुक्त होंगे।

2.4.2. कार्यकाल

2.4.2(क) पदेन सदस्यों को छोड़कर राज्य पुस्तकालय समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा जो कि अनुभाग 241 के अन्तर्गत सदस्यों के चुनाव या नामांकन के बाद समिति की हुयी पहली बैठक के दिन से माना जायेगा।

2.4.3 रिक्त पद

2.4.5 सदस्य बने रहने में अनुपयुक्तता

2.4.6. अयोग्यता

2.5. पुस्तकालय विभाग

इस अधिनियम के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग स्थापित होगा जिसका अध्यक्ष राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष होगा रख अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार के आदेशानुसार होंगे।

2.6. राज्य पुस्तकालय सेवा।

2.6(अ) सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य पुस्तकालय सेवा में संलग्न लोगों में से की जायेगी।

2.6(ब) राज्य पुस्तकालय सेवा में राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष शहर एवं जिला के प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य वर्ग एवं पद के लोग होंगे। जो कि सरकार दारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। पुस्तकालय सेवा के सम्पूर्ण सदस्य सरकारी कर्मचारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें भारतीय संविधान के परिच्छेद 309 के अनुसार निर्धारित नियमानुसार होंगी।

3. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण

राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के संगठन एवं प्रशासन हेतु हर एक शहर एवं जिला में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन होगा।

3.1 (ख) हर एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का नाम उस क्षेत्र का नाम होगा जिसके लिए प्राधिकरण गठित किया गया है तथा अधिनियम के अन्तर्गत उसे धन लेने, रखने तथा बेचने का अधिकार होगा। उसी नाम से कोई कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।

3.2. नगर पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन

प्रत्येक नगर पुस्तकालय प्राधिकरण में निम्न होंगे: -

(क) नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष या कोई अन्य सार्वजनिक संस्था का अध्यक्ष प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) सरकार द्वारा नामांकित नगर के किसी भी प्रथम श्रेणी कालेज का प्रधानाध्यापक। प्राधिकरण का पदेन उपाध्यक्ष होगा।।

(ग) नगर का प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष शहर पुस्तकालय प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा तथा इस प्राधिकरण की प्रत्येक समिति का भी सचिव होगा।

(घ) नगर में अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों की संचालन समिति के सदस्यों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।

(ङ) नगर में अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों की संचालन समिति के सदस्यों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।

(च) नगर के हाई स्कूल के हेडमास्टरों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।

(छ) राज्य पुस्तकालय संघ के शहर शाखा कार्यकारिणी यदि है, से मनोनीत एक व्यक्ति।

(ज) जन संपर्क विभाग से सरकार द्वारा नामांकित एक अधिकारी जिसका शहर पर कानूनी अधिकार है।

(झ) नगर के सम्मानित व्यक्तियों से सरकार द्वारा नामांकित दो व्यक्ति।

3.3. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन ।

3.4. चुनाव के अभाव में सदस्यों का नामांकन ।

3.5. कार्यकाल।

पदेन सदस्यों के अलावा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

3.6. रिक्त पद

3.7. सदस्य बने रहने में अनुपयुक्तता

3.8. अयोग्यता

3. (अ) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की बैठक

प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की कम से कम वर्ष में दो बार बैठक होगी जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3.(ब) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार एवं कार्य।

3.(द) प्रसार सेवायें।

3.(त) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य।

3.(फ) स्थानीय पुस्तकालय समिति नियुक्ति- प्रत्येक स्थलीय पुस्तकालय प्राधिकरण निम्न समिति का गठन अपने सदस्यों में से चुनाव द्वारा करेगा।

(i) कार्यकारिणी समिति

(ii) वित्त समिति, एवं

(iii) ग्रन्थ चयन समिति

3.(ग) पुस्तकालय विकास योजना तन्त्र

4. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तन्त्र

4.(क) राज्य सेवा पुस्तकालय।

4.(ख) राज्य शाखा सेवा पुस्तकालय।

4.(ग) प्रतिवेदन।

4.(घ) प्रतिलिप्याधिकार कर्तव्य एवं अधिकार।

5. प्रतिवेदन

6. वित्त एवं लेखा

6.(अ) पुस्तकालय कर :- इस अधिनियम के आरम्भ के दिन से पुस्तकालय कर निम्न प्रारूप पर लिखा जायेगा-

(i) जमीन एवं भवन पर कर।

(ii) स्थानीय क्षेत्र में आये उपभोग या बेचने वाली वस्तु पर कर।

(iii) वाहन कर, एवं

(iv) व्यवसाय व्यापार कर।

6.(ड) नगर एवं जिला पुस्तकालय निधि।

6.(च) राज्य पुस्तकालय निधि।

7. नियम एवं परिनियम

8. विविध

8.3. सरकार का स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण पर नियंत्रण।

8.4 सदस्यों का हानि संबंधी दायित्व।

7. सारांश

इस इकाई में पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई है तथा पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। साथ ही पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। इकाई के अन्त में अभ्यासार्थ प्रश्न एवं विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची दी गई है।

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय अधिनियम के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिये।
2. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति की व्यवस्था करते हुये पुस्तकालय अधिनियम की भूमिका का वर्णन कीजिये।
3. पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिये?
4. पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप में सम्मिलित किये जाने वाले तथ्यों पर प्रकाश डालिये?

9. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. रंगनाथन, एस. आर., संघीय ग्रन्थालय अधिनियम: एक आदर्श प्रारूप ग्रन्थालय विज्ञान, भाग 13, अंक 1-2, जून-दिसम्बर 1902, 3-10.
2. प्रसाद, एच. एन., भारत में सार्वजनिक ग्रन्थालय अधिनियम: एक तुलनात्मक अध्ययन, ग्रन्थालय विज्ञान. भाग 13 अंक - 1-2, जून दिसम्बर 1902, 77-85.
3. गोपीनाथ, एम. ए, भारत वर्ष में ग्रन्थालय अधिनियम का इतिहास. ग्रन्थालय विज्ञान, भाग 13, अंक 1-2, जून दिसम्बर, 1982, 44-64.
4. रावत, आर. के. भारत में ग्रन्थालय अधिनियम (अंग्रेजी में), नयी दिल्ली, रिलायंस पब्लिशिंग हाऊस., 1986,376 पृष्ठ।

इकाई -11 : भारत के राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम : उनकी विशेषतायें (Library Legislation in Indian States-Their Salient Features)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. भारत के राज्यों में लागू पुस्तकालय अधिनियम की विशेषताओं से अवगत होना,
2. पुस्तकालय अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्यों की पुस्तकालय पद्धति, संरचना, वित्त, उपलब्ध संसाधन एवं पुस्तकालय सेवाओं की स्थिति से परिचित होना, तथा
3. विभिन्न राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम निहितार्थों के अन्तर से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय अधिनियम विभिन्न राज्यों में
3. सारांश
4. अभ्यासार्थ प्रश्न
5. विस्तृत अध्ययनार्थ

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालयों में संग्रहीत सामग्री की सुरक्षा, विकास तथा उसके उपयोग को एवं इस संस्था और इनकी सेवाओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक वैधानिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है और उसके लिए जो अधिनियम बनाया जाता है उसे पुस्तकालय अधिनियम कहते है।

भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय अधिनियम की स्थिति अन्य देशों से कुछ अर्थों में भिन्न है। सार्वजनिक पुस्तकालय संविधान की 7वी सूची में पुस्तकालय राज्य का विषय है। अत: पुस्तकालय अधिनियम भी राज्य सरकार दारा पारित करने के पश्चात अपने अपने राज्य में लागू किया जाता है।

डॉ. रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर अत्यधिक बल दिया। उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप भारत में पुस्तकालय अधिनियम सन् 1948 में मद्रास राज्य में लागू हुआ जिसे मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा पुस्तकालय अधिनियम हैदराबाद राज्य में सन् 1905 में पारित हुआ जिसे हैदराबाद सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नाम से जाना जाता है। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की संस्तुतियों के पश्चात हैदराबाद राज्य के विभिन्न जिलों को आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में सम्मिलित कर लिया गया जिसके फलस्वरूप राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया।

इसके पश्चात सन् 1960 में आन्ध्र प्रदेश राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। डॉ. रंगनाथन के प्रयासों के फलस्वरूप कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में क्रमश: सन् 1965 एवं 1967 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। वर्तमान समय में भारत में क्रमश: - तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, गोवा एवं गुजरात में पुस्तकालय अधिनियम लागू है।

3. पुस्तकालय अधिनियम विभिन्न राज्यों में

भारत के 11 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके है तथा क्रियाशील है। उन राज्यों का विवरण निम्न है : -

(i) तमिलनाडू (सन् 1948 में)

(ii) आन्ध्रप्रदेश (सन् 1960 में)

(iii) कर्नाटक (सन् 1965 में)

(iv) महाराष्ट्र (सन् 1967 में)

(v) पश्चिम बंगाल (सन् 1979 में)

(vi) केरल (सन् 1987 में)

(vii) हरियाणा (सन् 1987 में)

(viii) मणिपुर (सन् 1988 में)

(ix) मिजोरम (सन् 1993 में)

(x) गोवा (सन् 1993 में)

(xi) गुजरात (सन् 2001 में)

3.1. तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948

इस अधिनियम की कुछ विशेषतायें निम्नलिखित हैं-

1. इस अधिनियम के प्रारम्भिक अंश, जिसमें कि इस अधिनियम का उद्देश्य उल्लेख है। पुस्तकालय अधिनियम के कुछ आवश्यक शब्दों को छोड़ दिया गया है। वे शब्द है "विकास एवं रख-रखाव"
2. अधिनियम में राज्य पुस्तकालय. प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है। बल्कि केवल राज्य पुस्तकालय परामर्श समिति का प्रावधान है, जिसमें 17 सदस्य है।
3. सिद्धान्त इस अधिनियम में अलग से सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक का प्रावधान है लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसी बात नहीं है।
4. अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का प्रावधान नहीं है एवं राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का भी नहीं है।
5. अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का सचिव होगा यद्यपि जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव के रूप में कार्यरत है।
6. अधिनियम में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार बहुत सीमित हैं वह, विभिन्न शुल्कों की माँग नहीं कर सकता।

7. प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण पुस्तकालय निधि स्थापित करेगा जिसके द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न खर्चे वहन होंगे।
8. मुद्रण एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम 1967 में संशोधन के पश्चात प्रत्येक राज्य प्रकाशक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक ग्रन्थ की पाँच प्रतियाँ जमा करें।

3.2. आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1960 (संशोधित)

1. इस अधिनियम में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रावधान है।
2. मद्रास पुस्तकालय अधिनियम के विपरीत इसमें राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के पर राज्य पुस्तकालय समिति का प्रावधान है।
3. संशोधन अधिनियम 1969 के पश्चात राज्य केन्द्रीय समिति सदस्यों का काल 3 से 5 वर्ष कर दिया गया है।
4. इस अधिनियम में तमिलनाडु अधिनियम से कुछ भिन्नता है जैसे इसमें अलग ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक पुस्तकालय का निदेशक अलग होगा।
5. अधिनियम के अनुसार नगर केन्द्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष क्रमश: अपने स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के सचिव होंगे।
6. जिला पुस्तकालय संस्था के सदस्यों का कार्यकाल संशोधन पश्चात 3 साल से 5 साल कर दिया गया है।
7. इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय समिति की संरचना एवं अधिकारों का उल्लेख नहीं है।

3.3. कर्नाटक पुस्तकालय अधिनियम, 1965

1. अधिनियम में एक अलग सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का प्रावधान है। इस पुस्तकालय का निदेशक राज्य ग्रन्थालयी होगा।
2. राज्य ग्रन्थालयी के पास आवश्यक व्यवसायिक योग्यता होनी चाहिये इसका मुख्य रूप से अधिनियम में प्रावधान है।
3. नगर पुस्तकालय प्राधिकरण की संरचना में सदस्यों का चयन अधिकतर सरकार दारा नामांकन से होता है।
4. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण में भी नामांकित सदस्यों की संख्या ज्यादा है।
5. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण कार्यकारी एवं वित्त समिति की नियुक्ति कर सकती है।
6. पुस्तकालय कर, सम्पत्ति कर एवं मकान कर के अलावा स्त्रोतों से भी वसूला जाता है। अत: पुस्तकालय सेवा के लिए आवश्यक धन एकत्रित हो जाता है।
7. राज्य पुस्तकालय निधि का प्रावधान है।
8. नियम के अंतर्गत कर्मचारियों की योग्यता सम्बन्धी माप दण्डों का उल्लेख नहीं है।

3.4. महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

1. अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है जिसका कार्य मुख्यत: परामर्श देना है। इसके अलावा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का उल्लेख नहीं है।

2. पुस्तकालय निधि में सरकार से धन प्राप्त होता है।
3. अधिनियम के अन्तर्गत योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है।
4. अधिनियम के अन्तर्गत कोई राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रावधान नहीं हैं
5. इस अधिनियम में कर का प्रावधान नहीं है।

3.5. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979

1. इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है। बल्कि केवल राज्य पुस्तकालय परिषद की स्थापना आवश्यक संरचना के साथ है। इसका कार्य सरकार को परामर्श देना है।
2. सरकार दारा पुस्तकालय निदेशक की नियुक्ति का उल्लेख है। निदेशक के कार्यों का उल्लेख किया गया है।
3. राज्य पुस्तकालय विभाग का प्रावधान नहीं है। बल्कि इसके समकक्ष पुस्तकालय निदेशालय का उल्लेख है।
4. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का उल्लेख है। जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला अधिकारी है।
5. जिला पुस्तकालय अधिकारी का प्रावधान है।
6. अधिनियम में पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है।
7. प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण एक पुस्तकालय निधि स्थापित करेगा।
8. पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी।
9. अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के पुस्तकालय स्थापित किये जायेंगे। इसका कोई उल्लेख नहीं है।

3.6. केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1987

1. अधिनियम के अन्तर्गत एक अलग सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग का प्रावधान नहीं है।
2. अधिनियम में राज्य पुस्तकालय काउन्सिल का प्रावधान है जिसका मुख्य कार्य परामर्श देना है।
3. राज्य पुस्तकालय काउन्सिल पुस्तकालय कर लगा सकती है।

3.7. हरियाणा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1987

1. अधिनियम के अंतर्गत एक अलग पुस्तकालय निदेशालय का प्रावधान है।
2. राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान है।
3. पुस्तकालयों के प्रभारी मंत्री राज्य पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष होता है।
4. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है केवल जिला पुस्तकालय समिति, शहर पुस्तकालय समिति, पंचायत पुस्तकालय समिति का उल्लेख है।
5. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के सदस्यों के बारे में कोई निर्णय नहीं है।!
6. पुस्तकालय कर, सम्पत्ति एवं गृह कर के उपर सरचार्ज के रूप में संग्रहित करने का प्रावधान है।

3.8. मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1988

1. अधिनियम में एक अलग पुस्तकालय निदेशालय का प्रावधान है।
2. सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग के लिए निदेशक नियुक्त करने का प्रावधान।
3. प्रभारी मंत्री राज्य पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष होगे।
4. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान है। सदस्यों की संख्या 6 निर्धारित है। इसका कार्य काल 3 वर्ष है।
5. पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है।
6. प्रत्येक जिला पुस्तकालय प्राधिकरण को पुस्तकालय निधि बनाने का है।

3.9. मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

1. सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग बनाने का प्रावधान है।
2. राज्य पुस्तकालय परिषद बनाने का प्रावधान है। इसके 18 सदस्य होगें।
3. राज्य शिक्षा मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होगा।
4. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है।
5. पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है।

3.10. गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1993

1. अधिनियम में राज्य पुस्तकालय विभाग के स्थान पर राज्य पुस्तकालय सेल का प्रावधान है।
2. राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है।
3. मंत्री प्रभारी परिषद का अध्यक्ष है।
4. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की जगह स्थानीय पुस्तकालय समिति म प्रावधान है। जो जिला, तालूक एवं गाँव स्तर पर होगी।
5. स्थानीय पुस्तकालय समिति के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है।
6. पुस्तकालय कर का प्रावधान है जो कि 0.50 रु प्रति लिटर मद्य पर सरचार्ज के रूप में वसूला जायेगा।
7. सरकार पुस्तकालय निधि बनायेगी जिसमें राज्य शिक्षा बजट का 1 प्रतिशत जमा किया जायेगा।

3.11. गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2001

यह अधिनियम वर्ष 2001 के अन्त में पारित हुआ है जिसकी सूचना अब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होगी। इसलिये इसकी चर्चा नहीं की गई है।

3. सारांश

इस इकाई में भारत वर्ष के ग्यारह राज्यों (तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, गोवा एवं गुजरात) के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना की गयी। प्रत्येक की अच्छाई एवं कमियों को इंगित किया गया है।

4. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. भारत में बताइये। किन किन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ, इनकी प्रमुख विशेषतायें
2. सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लिखिए पर एक लेख ।

5. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. Mittal, R.L., Public Library , An International Survey, New Delhi, Metropolitan, 1978
2. Rout, R.K., Library Legislation in India, New Delhi, Relaence Publishing house, 1986

इकाई -12 : प्रतिलिप्याधिकार कानून एवं ग्रन्थ प्राप्ति अधिनियम (Copyright Law and Delivery of Books Act)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. प्रतिलिप्याधिकार सम्बन्धी विषय से अवगत होना,
2. भारत वर्ष में लागू दो अधिनियम -
   (i) मुद्रण एवं ग्रन्थ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1967 एवं
   (ii) डिलिवरी ऑफ बुक्स अधिनियम, 1954 की विशेषताओं से परिचित होना, एवं
3. लेखकों का कानूनी अधिकार से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. लेखकों का कानूनी अधिकार
3. ग्रन्थ प्राप्ति अधिनियम
   3.1 मुद्रण एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम, 1867
      3.1.1 अधिनियम की मुख्य विशेषतायें
   3.2 डिलिवरी ऑफ बुक्स एक्ट (सार्वजनिक पुस्तकालय) 1954
      3.2.1 अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें
4. सारांश
5. अभ्यासार्थ प्रश्न
6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) एक वैधानिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी साहित्यिक या कलात्मक कृति के प्रकाशन, बिक्री इत्यादि का अधिकार। कॉपीराइट बौद्धिक सम्पत्ति जैसे किए ग्रन्थ या कलात्मक या साहित्यिक कृति के लेखकों या उत्सृजनकर्ता को निश्चित समय के लिए दिया गया कानूनी अधिकार है। कॉपीराइट साहित्यिक अथवा कलात्मक सामग्री के उत्सृजनकर्ता (जैसे कि लेखक, कवि इत्यादि) को उनके पुस्तकों के गैर कानूनी प्रतिलिपिकरण या नकल के विरूद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। किसी पुस्तक की प्रति या नकल अन्य कोई न करे इसके लिए ही कॉपीराइट कानून बनाया गया है। कॉपीराइट कानून न होने से कोई भी किसी भी पुस्तक की प्रति करके या मुद्रण करके कोई भी व्यक्ति बेच सकता है। जिससे कि लेखकों को अत्यधिक आर्थिक हानि हो सकती है। कॉपीराइट कानून उत्सुजनकर्ता

(लेखक) के अधिकार को सुरक्षित रख कर उन्हें साहित्यिक अथवा उत्सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करता है। कॉपीराइट अन्य लोगों हारा पुस्तक के उपयोग से होने वाले लाभ को पुस्तक लेखक के हित में सुरक्षित रखता है। दूसरे शब्दों में लेखकों को उनके पुस्तक या अन्य बौद्धिक सामग्री पर उनके सर्वाधिकार को मान्यता देता है।

2. लेखकों का कानूनी अधिकार

कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत लेखक जिसने कृति का उत्सृजन किया है वह कॉपीराइट का प्रथम मालिक होता है।

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के उपभाग 14 में कुछ क्रियायें उद्धृत की गयी है जिन पर लेखकों का पूर्ण अधिकार है। पुस्तक का लेखक यदि चाहे तो इन सभी क्रियायें अथवा इसके कुछ अंश को क्रियान्वित करने का अधिकार किसी अन्य को दे सकता है। ये कार्य यदि किसी अन्य द्वारा गैर कानूनी ढंग से या बिना अधिकार प्राप्त किया जाता है तो इसे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन समझा जायेगा। ये क्रियायें निम्न हैं:

(अ) किसी भी कृति को दूसरे रूप या प्रारूप में प्रतिलिपित करना। इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक माध्यम में ग्रन्थों का भण्डारण भी है।

(ब) किसी भी कृति की पाद्य सामग्री को जनता में संप्रेषित करना।

(स) किसी भी कृति (प्रकाशित) को जनता में जारी करना जो कि वितरण के लिए उपलब्ध न हो।

(द) किसी भी कृति का अनुवाद करना।

(ध) कृति पर कोई फिल्मांकन, या ध्वनि आबद्ध करना।

(न) किसी भी अनुवादित कृति के संदर्भ में उपरोक्त क्रियायें करना।

2.1 कॉपीराइट उल्लंघन संबंधी अपवाद

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के उपभाग 52 में, 5 श्रेणियों को उदधृत किया है जो कॉपीराइट उल्लंघन के परिधि में नहीं आते है:

(अ) किसी कृति का छायांकन (व्यक्तिगत उपयोग, शोध, आलोचना, विवेचना, संप्रेषण हेतु)

(ब) शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए छायांकन

(स) कार्यालयीय आवश्यकता हेतु छायांकन (न्यायिक, विधायिक इत्यादि)

(द) छायांकन जिसका मूल कृति से दूर का भी सम्बन्ध न हों तथा कॉपीराइट धारक को किसी तरह का नुकसान न हो।

(ध) व्यक्तिगत मनोरंजन हेतु छायांकन

भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार, कॉपीराइट अधिकार का समयकाल लेखक के पूरे जीवन पर्यन्त तक रहता है एवं उसके मृत्यु के बाद 60 साल तक रहता है। जबकि अमेरिका में लेखक मृत्यु के बाद कॉपीराइट का अधिकार 50 वर्ष तक रहता है।

कॉपीराइट के वैधानिक अधिकार हेतु यह आवश्यक नहीं है कि कृति का कॉपीराइट निबन्धीकरण हो। कृति में किसी उचित स्थान पर कॉपीराइट संबंधी घोषणा कर देने से ही कॉपीराइट अधिकार मिल जाता है। हालांकि कॉपीराइट कार्यालय में कृति का निबन्धीकरण कराये बिना कोई भी लेखक किसी के विरूद्ध कॉपीराइट उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही के लिए कोई दावा नहीं कर सकता।

भारत कॉपीराइट पर हुई दो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सदस्य है। वे दो समझौते है-

(i) साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेन्शन, 1948 एवं (ii) युनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन (1952), भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 इन दो कन्वेन्शन्स के विधानों के अनुरूप है।

आज विश्व में प्रौद्योगिकी विकास कॉपीराइट संरक्षण के लिए चुनौती बना हुआ है। विशेषकर इन्टरनेट सेवाओं में कॉपीराइट उल्लंघन की बारंबारता एवं समस्या को और जटिल बना दिया है।

3. ग्रन्थ प्राप्ति अधिनियम (डिलीवरी आफ बुक्स एक्ट)

पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बौद्धिक कृतियों का रखाव एवं संरक्षण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रकाशित प्रत्येक ग्रन्थों की प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध हो। वित्तीय अभाव के कारण किसी भी पुस्तकालय के लिए यह संभव नहीं है कि देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की प्रति खरीद सकें। अत: विभिन्न देशों में वैधानिक कानून बना पुस्तकालयों को मुक्त में वितरित करने की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। भारत में दो निम्नलिखित अधिनियम ग्रन्थ प्राप्ति के संबन्ध में हैं।

(1) मुद्रण एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम, 1867

(2) ग्रन्थ एवं समाचार पत्र प्राप्ति (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954

3.1. मुद्रण एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम, 1867

यह अधिनियम भारत सरकार (ब्रिटिश हुकुमत) दारा सन् 1867 मार्च में पारित किया गया। इसका क्रियान्वयन जुलाई 1867 से माना गया।

3.1.1 अधिनियम की मुख्य विशेषतायें:

(1) यह भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू है।

(2) पुस्तकों के अंतर्गत समाचार पत्र एवं अन्य सामग्री जैसे कि मूल्य सूची, एवं अन्य सूची सम्मिलित नहीं थी।

(3) प्रत्येक प्रकाशित ग्रन्थ की तीन प्रतियाँ मुद्रणकर्ता सरकार को उपलब्ध करायेगा।

इन पुस्तकों को सरकार क्रमश: एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, कॉनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास, एवं एशिएटिक सोसायटी पुस्तकालय, मुम्बई को दे देती थी।

उपरोक्त अधिनियम हालांकि भारत सरकार का था लेकिन इसे राज्य स्तर पर पारित कराने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। अत: वर्तमान समय में केन्द्रीय सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहा। इस अधिनियम में कोई दण्ड का प्राविधान नहीं था। अत:

बहुत सारे प्रकाशक इस अधिनियम की अवहेलना कर पुस्तकों की प्रति सरकार के पास नहीं भेजते थे।

3.2. डिलीवरी आफ बुक्स एक्ट (सार्वजनिक पुस्तकालय) 1954

भारत सरकार एक अधिनियम ओर अस्तित्व में लाया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना एवं विद्वता को प्रोत्साहित करने हेतु अच्छे पुस्तकालय स्थापित करना था। इन उद्देश्यों के पूर्ति हेतु प्रकाशित प्रत्येक ग्रन्थ की चार प्रतियाँ सरकार प्रकाशकों से प्राप्त कर भारत के चार पुस्तकालयों को दे देगी। ऐसी पुस्तकों की प्राप्त एक-एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, केन्द्रीय पुस्तकालय मुम्बई, कॉनेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास एवं राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय (जिसे दिल्ली में स्थापित करना है) को दी जाती है।

3.2.1. अधिनियम की मुख्य विशेषतायें

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकाशक की जिम्मेदारी है कि वह अपने पैसे से प्रत्येक प्रकाशित ग्रन्थ की प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, एवं अन्य तीन पुस्तकालयों को भेजेगा जो कि केन्द्रीय सरकार दारा अधिघोषित है। प्रत्येक पुस्तक प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर भेज देना है।
2. ग्रन्थों एवं समाचार पत्रों की ये प्रतियॉ उन कापियों के अतिरिक्त है जिन्हें मुद्रण एवं ग्रन्थ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 के अंतर्गत देना है।
3. समाचार पत्रों के प्रकाशक भी निर्धारित चार पुस्तकालयों को अपने जिम्मेदारी पर मुफ्त में समाचार पत्र की प्रति भेजेंगे।
4. यह अधिनियम पूर्ण एवं स्वतंत्र है। जिसमें अधिनियम के नियम के उल्लंघन की स्थिति में 50 रु. दण्ड का प्रावधान है। यदि उल्लंघन पुस्तक के संदर्भ में है तो उसे पुस्तक का मूल्य दण्ड स्वरूप अदा करना होगा।
5. यह केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के अनुपालन हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है।
6. इस अधिनियम को लागू एवं प्रशासित करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। जब कि मुद्रण एवं ग्रन्थ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 केन्द्रीय अधिनियम होते हुये भी इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार पर निर्भर है तथा प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन कर सकती है।

4. सारांश

स्थिति लेखकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु कॉपीराइट अधिनियम बनाया गया है। लेकिन वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी में विकास हेतु कॉपीराइट उल्लंघन की संभावनायें अत्यधिक बढ़ गयी हैं जिस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कॉपीराइट कानून अधिनियम के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता हैं। भारत में डिलिवरी ऑफ बुक्स एक्ट से सार्वजनिक पुस्तकालयों की में सुधार आया है। चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों में सभी पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण ज्ञान संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य अब आसान हो गया है। इलेक्ट्रानिक सूचना की वैधानिक समस्यायें जैसे कि कॉपीराइट, स्वामित्व, मूल्य, नियम एवं विभिन्न उपयोगों का

अभी भी उचित निदान होना है। लेकिन कॉपीराइट कानून एवं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट को अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है ताकि कानून का उल्लंघन न हो।

5. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कॉपीराइट अधिनियम की आवश्यकता एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिये?
2. कॉपीराइट अधिनियम के अन्तर्गत लेखक को किस प्रकार के अधिकार दिये गये हुँ?
3. किन परिस्थितियों में कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन अपवाद स्वरूप नहीं माना जाता।
4. भारत में वैधानिक ग्रन्थ अवाप्ति पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम) की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
5. कॉपीराइट अधिनियम पर एक लेख लिखिए।

6. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, ग्रन्थालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994.
2. व्यास, एस.डी, पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992.

इकाई- 13 : पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण-अवधारणा, आवश्यकता और स्वरूप (Resource sharing- Concept, Need and Form)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा से परिचित कराना,
2. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की आवश्यकताओं से परिचित कराना,
3. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के उद्देश्यों से परिचित कराना,
4. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देना,
5. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं से परिचित कराना एवं
6. इस प्रसंग में भारतीय परिदृश्य से परिचित कराना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के उद्देश्य
3. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की आवश्यकता
4. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण से लाभ
5. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्तर
6. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की सफलता के लिए पूर्व-अपेक्षित अनिवार्यताऐं
7. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के मार्ग में बाधाऐं
8. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूप
   - 8.1. सहकारी और केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन
   - 8.2. सहकारी ग्रन्थ भण्डारण
   - 8.3. सहकारी प्रस्तुतीकरण अर्थात् वर्गीकरण और सूचीकरण
   - 8.4. पाठ्यसामग्री का अन्तरापुस्तकालयीन निक्षेप और विनिमय
   - 8.5. अन्तरापुस्तकालयीन पाठक-पत्रक उपयोग
   - 8.6. पुस्तकालय कार्मिक संसाधनों का विनिमय और सहभागीकरण
   - 8.7. पुस्तकालय प्रचार में सहभागीकरण
   - 8.8. अन्तरापुस्तकालयीन आदान
9. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की दृष्टि से भारतीय परिदृश्य
10. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण नेटवर्क

11. भारत में पुस्तकालय नेटवर्कीकरण और उसका विकास

11.1. इण्डोनेट (INDONET)

11.2. नेशनल इन्फार्मेटिक नेटवर्क (NICNET)

11.3. इन्फार्मेशन लायब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)

11.4. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (Local Area Network)

12. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण

13. सारांश

14. अभ्यासार्थ प्रश्न

15. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में सर्वथा नवीन अवधारणा नहीं है। पूर्व में इसको पुस्तकालय सहयोग तथा सहकारिता के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ होता है मिल-जुल कर कार्य करना और परस्पर सहायता करना। इसका मूल मन्त्र है 'एक सबके लिए और सब एक के लिए'। पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में इस अवधारणा का उदय पुस्तकालय आन्दोलन के साथ हुआ। पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की आवश्यकता 'ज्ञान के विस्फोट' और उपयोगकर्ताओं की मांगों में विभिन्नताओं के कारण हुई। वस्तुत: आज कोई भी पुस्तकालय इस स्थिति में नहीं है कि वह समस्त या अधिकांश पाठ्यसामग्री का अर्जन कर सके और अपने समस्त उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति कर सके। एस्टरक्वेस्ट (RT Esterquest) के अनुसार, "सहयोग स्वयं ग्रन्थालयीनता से इतना गुंथा (inter twined) हुआ हो गया है कि प्राय: सहकारी प्रयासों के सम्बन्ध में निर्णय पुस्तकालय सेवा के आधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निर्णय हो जाते हैं।" वस्तुत: इस समस्या का निदान संसाधन सहभागीकरण द्वारा सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके ही सम्भव है।

2. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के उद्देश्य

1. पुस्तकालय सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग।
2. संसाधनों की उपलब्धता में सुधार।
3. उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति के लिए पुस्तकालयों की सक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि।
4. संसाधनों तक पहुँचने में सहायक सिद्ध होकर उनकी पहुँच में वृद्धि।

3. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की आवश्यकता

1. प्रजातन्त्र के आगमन के साथ-साथ ज्ञानार्जन के क्षेत्र में भी समानता और सबके अधिकार का प्रादुर्भाव हुआ। रंगनाथन के अनुसार 'ग्रन्थ सर्वथा हैं' तथा 'प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो' की संकल्पना का उदय हुआ। इस आवश्यकता की सम्पूर्ति के लिए पुस्तकालयों में पारस्परिक सहयोग अथवा संसाधन सहभागीकरण आवश्यक हो गया।

2. कागज तथा मुद्रण के आविष्कार और मशीनीकरण के कारण पाठ्यसामग्री में तीव्रगति से अभिवृद्धि होने लगी। बड़े से बड़े पुस्तकालय भी अपने पाठकों दारा सम्भावित उपयोग की समस्त पाठ्यसामग्री एकत्रित करने में असफल सिद्ध होने लगे। क्योंकि पुस्तकालयों में संसाधनों अर्थात् (क) वित्त; (ख) स्थान; और (ग) कार्मिक सीमित होते हैं। कोई भी पुस्तकालय चाहे कितना ही संसाधन-सम्पन्न क्यों न हो अखिल विश्व में प्रकाशित होने वाली समस्त पाठ्यसामग्री का अर्जन नहीं कर सकता है। उसको यथोचित रूप से वर्गीकृत, सूचीकृत आदि करने और रखने के लिए कार्मिक और स्थान नहीं जुटा सकता। इतना सब करने का कोई विशेष लाभ भी नहीं है। प्रत्येक पुस्तकालय को केवल उसी पाठ्यसामग्री का अर्जन, प्रस्तुतीकरण और अनुसरण करना चाहिए जिसकी वहाँ के अधिकांश पाठकों के द्वारा उपयोग करने की सम्भावना हो। शेष के लिए अन्य पुस्तकालयों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3. ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होने के फलस्वरूप विशिष्टीकरण के युग का आरम्भ हुआ। विशिष्टीकरण और शोध के क्षेत्र में भाषाओं और देशों की दीवारें टूट गईं और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने विशिष्ट विषय सम्बन्धित समस्त पाठ्यसामग्री की मांग की जाने लगी। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय संसाधनों के सहभागीकरण की आवश्यकता स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है।

4. उपयोगकर्ताओं को श्रेष्ठ पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के उत्साह, उनकी पूर्ण सन्तुष्टि और ग्रन्थालयीनता की पूर्ण पराकाष्ठा के रूप में पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा का विकास हुआ।

4. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण से लाभ

पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण से निम्नांकित प्रमुख लाभ होते हैं-

1. मितव्ययता;
2. उपयोगकर्ताओं की सन्तुष्टि; तथा
3. सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग।

विभिन्न पुस्तकालय अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अधिकांश उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में सफल सिद्ध होते हे। जी जेफरसन (G. Jefferson) के अनुसार - "सहयोग सीमित संसाधनों की अशक्तता को हल्का करने, प्रणालियों तथा कार्यकलापों को समन्वित करने और मानकीकरण दारा जनता को प्रदत्त सेवाओं को संचालित करने में एकरूपता लाने में सहायक है।"

5. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्तर

1. स्थानीय;
2. क्षेत्रीय;
3. राष्ट्रीय; और
4. अन्तर्राष्ट्रीय।

6. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की सफलता के लिए पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें

पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण को किसी भी योजना को मूर्त रूप देने के लिये आवश्यक है:

1. विभिन्न पुस्तकालय प्राधिकारी इस मुद्दे पर सहमत हों कि वे अपने संसाधनों को अन्य पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने की सुविधा देने हेतु तत्पर हैं;
2. एक प्रभावशाली संसाधन सहभागीकरण पर्याप्त संसाधन, प्रशासकीय सक्षमता और संचार सक्षमता पर निर्भर करता है;
3. प्रत्येक सम्मिलित होने वाले पुस्तकालय को नेटवर्क के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिये और अपने उत्तरदायित्व को वहन करने के लिये तत्पर रहना चाहिये;
4. समस्त सम्मिलित होने वाले पुस्तकालयों को लचीला और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

किसी भी संसाधन सहभागीकरण की योजना की सफलता सम्मिलित होने वाले पुस्तकालयों के सहयोग करने की सद्इच्छा पर निर्भर करती है। पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासकीय सक्षमता और सक्षम संचरण इस प्रकार के कार्यक्रम की सफलता के लिये नितान्त आवश्यक हैं।

7. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के मार्ग में बाधायें

संसाधन सहभागीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधायें निम्नानुसार हैं:

1. अपर्याप्त पुस्तकालय संग्रह अथवा पाठ्य-सामग्री;
2. अपर्याप्त धन;
3. जटिल पुस्तकालय प्रक्रियायें;
4. सुयोग्य और भली प्रकार से प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव;
5. ग्रन्थालयियों की ओर से पाठ्य-सामग्री के संरक्षक होने की भावना;
6. ग्रन्थालयियों दारा अपनी स्थानीय स्वायत्तता को खो देने की आशंका;
7. विशाल पुस्तकालयों पर अधिक कार्यभार पड़ जाने की आशंका;
8. पुस्तकालयों में दूरी की समस्या;
9. अक्षम संचार माध्यम;
10. पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा समर्थन का अभाव; और
11. संसाधन सहभागीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये नेतृत्व का अभाव; आदि।

8. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूप

साधारणतया अन्तरापुस्तकालयीन आदान (Inter-Library Loan) को पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण का पर्याय माना जाता है जो अपूर्ण है। वास्तव में इसका क्षेत्र व्यापक है। हम इसके प्रमुख स्वरूपों को निम्नानुसार विभक्त कर सकते हैं:

1. प्रलेखात्मक (Documentary) संसाधनों का सहभागीकरण। इसके अन्तर्गत:
    (i) सहकारी और केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन;
    (ii) सहकारी ग्रन्थ भण्डारण;
    (iii) सहकारी प्रस्तुतीकरण अर्थात् वर्गीकरण और सूचीकरण आदि;
    (iv) पाठ्य-सामग्री का अन्तरापुस्तकालयीन निक्षेप (Deposit) तथा विनिमय (Exchange);
    (v) अन्तरापुस्तकालयीन पाठक पत्रक उपयोग;
    (vi) अन्तरापुस्तकालयीन आदान (Inter-Library Loan): अर्थात् एक पुस्तकालय दारा अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य पाठ्य-सामग्री को अन्य पुस्तकालयों को आदान पर देना;
    (vii) ग्रन्थात्मक और वाड.गमयात्मक (Documentary and Bibliographical) अभिलेखों को नियन्त्रित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत तन्त्रों को विकसित करना; और
    (viii) जालक्रमों (Networks) का विकास आदि आते हैं।
2. पुस्तकालय कार्मिक संसाधनों का विनिमय और सहभागीकरण; एवं
3. पुस्तकालय प्रचार में सहभागीकरण।

8.1. सहकारी और केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन (Co-operative and Centralized Acquisition)

(i) सहकारी ग्रन्थार्जन (Co-operative Acquisition)

पाठ्य-सामग्री के अर्जन के सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तकालयों में सहयोग स्थापित करके निश्चय ही सीमित संसाधनों दारा पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस कार्यक्रम में कुछ पुस्तकालयों में अनुबन्ध के द्वारा, प्रत्येक पुस्तकालय किसी निश्चित विषय अथवा विषयों में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जिसके द्वारा यह समस्त पुस्तकालय सामूहिक रूप से समस्त विषयों में अपेक्षाकृत अधिक पाठ्य-सामग्री प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालयों में से कोई एक "Encyclopedia Britannica" तो दूसरा “Encyclopedia Americana” का पूरा संघात (set) अर्जित करके स्थानीय उपयोगकर्ताओं को दोनों प्रकाशन उपयोगार्थ सुलभ कर उकता है। इसी प्रकार का सहयोग मूल्यवान सामयिक प्रकाशनों के सम्बन्ध में भी अपनाया जा सकता है।

सन् 1948 में लन्दन के 28 पुस्तकालयों दारा विषय विशिष्टीकरण की योजना अपनाई गई थी। सन् 1948 में ही संयुक्त राज्य अमेरीका में फार्मिंगटन प्लॉन नामक एक ऐसी योजना का श्रीगणेश 60 शोध पुस्तकालयों में किया गया जिसको सन् 1972 में बन्द कर दिया गया। भारत में भी स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का सहकारी ग्रन्थार्जन का कार्यक्रम मुख्य रूप से महानगरों में अपनाया जा सकता है। सहकारी ग्रन्थार्जन की एक योजना भारत सरकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया था।

(ii) केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन (Centralized Acquisition)

एक विशाल पुस्तकालय तन्त्र में केन्द्रीकृत ग्रन्थ अर्जन करके भी धन, परिश्रम और समय की पर्याप्त बचत की जा सकती है। भारत में दिल्ली पब्लिक लॉयब्रेरी में जिसमें एक केन्द्रीय पुस्तकालय है और अनेक शाखा पुस्तकालय है इस प्रकार का सफलतापूर्वक केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

8.2 सहकारी भण्डारण (Cooperative Storage)

जी. जेफर्सन (G. Jefferson) सहकारी भण्डारण को सहकारी ग्रन्थ अर्जन का पूरक मानते हुए लिखते हैं, "सहकारी ग्रन्थार्जन का पूरक अर्थात् कुछ पुस्तकालयों दारा सामग्री का युक्तिसंगत अर्जन, सहकारी भण्डारण है। यह दोनों इतने अधिक सन्निकटता से जुड़े हैं कि इनको पृथक-पृथक करना कठिन है।" सभी पुस्तकालयों में साधारणतया कुछ पाठ्य-सामग्री कुछ समय पश्चात् उन पुस्तकालयों के पाठकों दारा उपयोग नहीं की जाती है। कुछ सामग्री गतिविधि (out-of-date) हो जाती है। ऐसी सामग्री व्यर्थ ही ग्रन्थागार में स्थान घेरती है। अत: ग्रन्थालयियों को ऐसी पाठ्यसामग्री को समय-समय पर निरसन (Weeding) करने की सलाह दी जाती है। यदि इस सामग्री को पूर्णत: नष्ट कर दिया जाये तो आगामी पीढ़ियों या कुछ विशिष्ट पाठकों को कैसे उपलब्ध किया जा सकेगा इसी कारण एक ऐसा केन्द्रीकृत भण्डारगृह स्थापित करना चाहिये जहाँ विभिन्न पुस्तकालय अपनी ऐसी पाठ्यसामग्री को भेज सकें। इस अवधारणा के पीछे न्यून व्यय पर भण्डारण का विचार प्रमुख रूप से कार्यरत है।

ग्रेट ब्रिटेन में सहकारी भण्डारण की इस योजना को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमरीका में इस प्रकार की तीन प्रमुख योजनाऐं कार्यरत है। (1) New England Depository Library in Boston Area, (2) Hampshire Inter Library Centre at Amherst; और (3) Centre for Research Libraries जिसकी स्थापना मार्च 1949 में The Midwest Inter Library Centre के नाम से की गई थी। भारत सरकार दारा संस्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में जीर्ण-शीर्ण, गतिविधि और उपयोगहीन पाठ्यसामग्री को रखने के लिये प्रत्येक राज्य में एक 'केन्द्र' स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जिसको पुस्तक खत्ती (Book bin) अथवा पुस्तक आगार (Book reservoir) का नाम दिया गया है।

8.3. सहकारी प्रस्तुतीकरण अर्थात् वर्गीकरण और सूचीकरण

सहकारी सूचीकरण से तात्पर्य हे दो या अधिक स्वतन्त्र पुस्तकालयों दारा पारस्परिक लाभ के लिये सूची उत्पादन के कार्य में सहभागिता करना। एच.ऐ.शार्प (H A sharp) के शब्दों में, "सहकारी सूचीकरण का एक सरल स्वरूप तब विद्‌यमान हुआ कहा जा सकता है जब अनेक पुस्तकालय एक केन्द्रीय सूचीकरण विभाग की स्थापना तथा अनुरक्षण के व्यय अथवा कार्य में हाथ बंटाते हैं और केन्द्रीय सूचीकरण विभाग द्‌वारा सूचीकृत पुस्तकों की प्रविष्टियाँ निर्मित करने के कार्य से मुक्त होकर जो लाभ होता है, उसका भोग करते हैं।"

केन्द्रीकृत और सहकारी सूचीकरण की कई योजनाऐं विदेशों में मुख्यत: संयुक्त राज्य अमरीका में अपनाई गई इनमें कुछ प्रमुख नाम निम्नानुसार है:

1. एच. डब्ल्यू विल्सन कं. द्‌वारा प्रस्तुत सूचीपत्रक

2. लॉयब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत सूचीपत्रक
3. स्रोत-पर सूचीकरण (Cataloguing-in-Source) (1958)
4. प्रकाशन-में-सूचीकरण (Cataloguing-in-Publication) (1971)
5. मार्क प्रायोजना (MARC Project)

ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के अन्य देशों में भी 'प्रकाशन-में-सूचीकरण' और 'मार्क प्रायोजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत में अभी तक ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। यद्यपि रंगनाथन ने सन् 1950 में ही अपने ग्रन्थ "Library Development Plan" में ऐसी एक योजना पुर: जन्म वर्गीकरण और सूचीकरण (Prenatal Classification) के नाम से प्रस्तुत की थी। इसी के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका में उपरोक्त 'स्रोत-पर-सूचीकरण' और 'प्रकाशन-में-सूचीकरण' नामक प्रयोग किये गये। विभिन्न पुस्तकालयों के पारस्परिक सहयोग से संघ सूची (Union Catalogue) का भी संकलन किया जा सकता है जो संसाधन सहभागीकरण के लिये एक आवश्यक और उपयोगी उपकरण है।

8.4. पाठ्य-सामग्री का अन्तरापुस्तकालयीन निक्षेप (Deposit) तथा विनिमय (Exchange)

श्रेष्ठ प्रयासों तथा सतर्कता के बावजूद पुस्तकालयों में कुछ ऐसी पाठ्य-सामग्री आ जाती है जो उनमें उपयोग नहीं की जाती। यदि ऐसी पाठ्य-सामग्री को ऐसे पुस्तकालयों में भेज दिया जाये जहाँ उनका उपयोग होने की सम्भावना हो तो पुस्तकालय विज्ञान के समस्त सूत्रों को सन्तुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजन में किसी पुस्तकालय को किसी प्रकार की हानि होने की भी सम्भावना नहीं है। इस प्रकार निक्षेप तथा विनिमय द्वारा पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होकर पाठ्य-सामग्री के उपयोग की सम्भावनाऐं बढ़ती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका में इसको अनेक पुस्तकालयों दारा उपयोग में लाया जा रहा है।

8.5. अन्तरापुस्तकालयीन पाठक पत्रक उपयोग

कुछ पुस्तकालयों ने प्रवासी पाठकों को उनके नगर के ग्रन्थालयों दारा प्रदत्त पाठक पत्रकों (Readers Tickets) पर ग्रन्थ निर्गम (issue) की सुविधा प्रदान करके पाठकों की सेवा करने और पुस्तकालय सहयोग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रकार की सेवा तथा सहयोग दारा उपयोगकर्ताओं को यात्राकाल में पठन-पाठन सुविधाऐं प्राप्त हो जाती हैं।

8.6. पुस्तकालय कार्मिक संसाधनों का विनिमय और सहभागीकरण

कार्मिकों की कार्यक्षमता में आशातीत वृद्धि करने, उनके बीच सौहार्द्र, सद्भावना, सहयोग तथा प्रेम की अभिवृद्धि करने, समांगता (Monotony) में परिवर्तन करने और उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिये अन्तरापुस्तकालयीन कार्मिकों का विनिमय भी पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होता है। विशेषकर हमारे देश में जहाँ संसाधनों की कमी है इस प्रकार का सहभागीकरण आवश्यक है।

उपरोक्त योजना को क्रियान्वित करना निश्चय ही एक व्ययसाध्य योजना होगी। कार्मिकों को स्थानान्तरण से कुछ असुविधा होना ही स्वाभाविक है। कार्य तथा परिस्थितियों में परिवर्तन से भी कुछ असुविधा हो सकती है।

8.7. पुस्तकालय प्रचार में सहभागीकरण

जिस प्रकार प्रचार आधुनिक व्यापार का आधार है, इसी प्रकार प्रचार पुस्तकालय के लिये भी आवश्यक समझा जाता है। प्रचार दो प्रकार से हो सकता है - वैयक्तिक और सामूहिक। सामूहिक प्रचार में विभिन्न पुस्तकालय परस्पर सहयोग करके प्रचार के अत्यधिक माध्यमों का उपयोग कर सकते है और विशाल स्तर पर प्रचार कार्य करते हुए भी प्रत्येक पुस्तकालय पर उसका व्यय अल्प ही रह सकता है।

8.8. अन्तरग्रन्थालयीन आदान (Inter-library Loan)

विभिन्न पुस्तकालयों में संसाधन सहभागीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और व्यावहारिक स्वरूप अन्तरापुस्तकालयीन आदान माना जाता है। यहाँ तक कि अन्तरापुस्तकालयीन आदान को पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण का पर्याय भी मान लिया जाता है। अन्तरापुस्तकालयीन आदान से तात्पर्य है विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा उपयोगकर्ताओं के उपयोगार्थ परस्पर ग्रन्थों का आदान-प्रदान करना। अब पुस्तकालय तन्त्र (Library System) स्थापित करने पर बल दिया जाता है। पुस्तकालय तन्त्र से तात्पर्य है, पुस्तकालयों का जाल क्रम (Network) जिसमें विभिन्न पुस्तकालय परस्पर सम्बद्ध रहते हैं न कि अलग- अलग।

अन्तरापुस्तकालयीन आदान की आवश्यकता

अन्तरापुस्तकालयीन आदान की आवश्यकता साधनों की सीमितता, पाठ्य-सामग्री का सर्वाधिक उपयोग और उपयोगकर्ताओं की माँगों को पूर्णतया सन्तुष्ट करने के आधार पर निहित है। अनेक ग्रन्थों के दुर्लभ (Rare) और अप्राप्य (Out-of-Print) होने के कारण भी अन्तरापुस्तकालयीन आदान आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के आदान की आवश्यकता वैज्ञानिक, तकनीकी और शोध पुस्तकालयों में सर्वाधिक प्रतीत होती है।

अन्तरापुस्तकालयीन आदान के लिये पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें

1. इसके लिये सर्वप्रथम आवश्यकता अन्तरापुस्तकालयीन आदान हेतु विभिन्न पुस्तकालयों की सहमति है। भारत में इस प्रकार की सहमति का अभाव पाया जाता है। साधारणतया वे अपने अलभ्य और मूल्यवान ग्रन्थों को अपने पुस्तकालय से बाहर भेजने के लिये सहमत नहीं होते। ऐसी स्थिति में उनकी फोटोस्टेट और अणुचित्र (Microfilm) प्रतियाँ भेजने की व्यवस्था होनी चाहिये।
2. नियमों का निर्माण : इस प्रकार के आदान के लिये सर्वमान्य नियमों का निर्माण दूसरी आवश्यकता है। इन नियमों के द्वारा आदान माँगने वाले और आदान पाने वाले पुस्तकालयों का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य सुनिश्चित होता है। उदाहरणार्थ पुस्तक के जाने- आने का डाक-व्यय कौन सा पुस्तकालय वहन करेगा? पुस्तक की सुरक्षा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा? आदि। भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय संघ- आयसलिक (IASLIC) दारा इस प्रकार के नियमों का निर्माण किया गया है।
3. सरकार दारा अन्तरापुस्तकालयीन आदान हेतु पर्याप्त सुविधायें प्रदान करना चाहिये। उदाहरणार्थ डाक-व्यय में रियायत देना चाहिये।

4. पुस्तकालय में पर्याप्त कार्मिकों की नियुक्ति करना चाहिये और फोटो- स्टेट तथा अणु चित्र प्रतियाँ निर्मित करने के लिये उपकरणों का प्रबन्ध होना चाहिये।

अन्तरापुस्तकालयीन आदान के उपकरण

यदि अन्तरापुस्तकालयीन आदान का संचालन सफलतापूर्वक करना है तो कुछ उपकरणों का निर्माण भी आवश्यक है। इनके द्वारा वांछित पाठ्य-सामग्री का स्थान निर्धारण होता है। साधाराणतया इन उपकरणों का निर्माण भी सहकारिता के आधार पर किया जाता है। प्रमुख उपकरण निम्नानुसार हैं-

1. ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूचियाँ (Bibliographies)

ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूचियाँ ग्रन्थों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करती हैं।राष्ट्रीय ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूचियाँ (National Bibliographies) तथा अन्य क्षेत्रीय ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूचियाँ अन्तरापुस्तकालयीन आदान हेतु विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती हैं। भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची (Indian National Bibliography) का प्रकाशन सन् 1957 में आरम्भ किया गया है।

2. संघ सूचियाँ (Union Catalogues)

संघ सूची से तात्पर्य किसी क्षेत्र के विभिन्न पुस्तकालयों की सम्मिलित सूची से है। संघ सूची का निर्माण सहकारिता के आधार पर भी हो सकता है। रंगनाथन ने संघ सूची की परिभाषा अग्रानुसार की है, "दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के ग्रन्थों की सूची जिसमें उन समस्त पुस्तकालयों के नाम दिये हो जहाँ उन ग्रन्थों के प्रतियाँ प्राप्त की जा सके। एक संघ सूची में समस्त प्रकार की पाठ्य-सामग्री सम्मिलित की जा सकती है अथवा एक प्रकार की पाठ्य-सामग्री तक सीमित रखी जा सकती है।"

अन्तरापुस्तकालयीन आदान कार्यक्रम की सफलता संघ सूचियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संघ सूचियाँ परिपूर्ण, सर्वव्यापी और विश्वसनीय होनी चाहिये। अन्तरापुस्तकालयीन आदान के क्रियान्वयन के लिये जिसको काफी सीमा तक पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण का पर्याय माना जाता हैं, पुस्तकालयों के नेटवर्क का गठन किया जाता है। कुछ पुस्तकालय अन्तरापुस्तकालयीन आदान पर बहुत अधिक आश्रित हो जाते हैं और ग्रन्थार्जन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भली प्रकार नहीं करते। यह उचित नहीं है।

भारत में पुस्तकालयों का राष्ट्रीय नेटवर्क गठित करना आवश्यक है जिसके शीर्ष पर राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय होना चाहिये। 5 क्षेत्रीय नेटवर्क होने चाहिये। यदि कोई ग्रन्थ सम्बन्धित क्षेत्रीय नेटवर्क में उपलब्ध न हो, तब राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रयास करना चाहिये। यदि राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय में भी सम्बन्धित ग्रन्थ अनुपलब्ध हो तो देश के अन्य पुस्तकालयों में उसको खोजा जाना चाहिये। अन्तिम विकल्प के रूप में देश के बाहर के पुस्तकालयों की सहायता प्राप्त की जानी चाहिये।

9. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की दृष्टि से भारतीय परिदृश्य

भारत में संसाधन सहभागीकरण के लिये क्षेत्रीय समूहों का गठन किया गया है। इस प्रकार के एक क्षेत्रीय सहकारी समूह का गठन सन् 1963 में चंडीगढ़ (संघीय क्षेत्र), हिमाचल

प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर के विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों के ग्रन्थालयियों दारा किया गया है। मुम्बई नगर में इसी प्रकार का संघ "Bombay Scientific Librarians Association (BOSLA)' के नाम से कार्यरत है। दिल्ली में स्थानीय विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों द्वारा एक समूह का गठन किया गया था। यह समूह अब निष्क्रिय है। INSDOC द्वारा वैज्ञानिक आनुक्रमिक प्रकाशनों (Serials) की संघ सूचियों का संकलन किया गया है।

सन् 1973 में National Social Science Documentation Centre (NASSDOC) द्वारा Inter Library Resource Centre की स्थापना की गई। इसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ने संयुक्त रूप से प्रायोजित किया था। आरम्भ में दिल्ली के 12 पुस्तकालयों ने अपने अल्प उपयोग्य सामयिक प्रकाशनों और शासकीय प्रकाशनों की प्रतियाँ यहाँ निक्षेपित कीं। अब इस केन्द्र में दिल्ली के 30 स्थानीय पुस्तकालयों ने 10,000 से भी अधिक अपने ग्रन्थ निक्षेपित (Deposit) कर रखे हैं। यह संसाधन पुस्तकालयों और अध्येताओं को अध्ययनार्थ उपलब्ध हैं। NASSDOC द्वारा भी समाज विज्ञान सामयिक प्रकाशनों की संघ सूचियाँ संकलित की गई हैं।

10. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण नेटवर्क

अब पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के लिये विभिन्न देशों में जालक्रमा (networks) का गठन किया जा रहा है। इनकी मुख्य विशेषतायें निम्नानुसार हैं:

1. इन नेटवर्कों में दो या अधिक पुस्तकालय समान इच्छाओं और उद्देश्यों की सम्पूर्ति हेतु सम्मिलित होते हैं;
2. इनमें एक स्रोत से दूसरे स्रोत के प्रति सूचना के स्वतन्त्र बहाव के लिये द्विमार्गीय संचारण तन्त्र होता है;
3. सूचना का वितरण अनेक स्वरूपों में हो सकता है; जैसे सूची पत्रक आदि।

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण नेटवर्क सदस्य पुस्तकालयों के एक समूह की समान इच्छाओं की सन्तुष्टि हेतु कम्प्यूटर की सहायता से सूचना के वितरण के लिये द्विमार्गीय संचार सुविधाओं का एक स्वतन्त्र संगठन है इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य पुस्तकालयों में संसाधन सहभागीकरण में उन्नति करना;
2. सूचना प्रस्तुतीकरण को केन्द्रीकृत करना; और
3. पुस्तकालयों में संचार अन्तराल (gap) को कम करना।

इसका महत्व और उपयोगिता निम्नानुसार हैं:

1. साहित्य और ज्ञान के विस्फोट पर वांड.गयात्मक नियन्त्रण (Bibliographic Control);
2. मूल्यवान ग्रन्थों के क्रय में द्विरावृत्ति को रोकना;
3. ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन क्षत्रा के अंगीकरण को सुविधाजनक बनाना;

4. दत्त-सामग्री (Data) की चलनशीलता को उन्नत बनाना;
5. विशिष्ट सूचना केन्द्रों/पुस्तकालयों और अन्य प्रकार के पुस्तकालयों में सूचना के बहाव को विकसित करना।

11. भारत में पुस्तकालय नेटवर्कीकरण और उसका विकास

क्षेत्र व्याप्तीकरण के आधार पर जालक्रम दो प्रमुख प्रकार के पाये जाते हैं:

1. स्थानीय नेटवर्क (Local Area Networks)
2. विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (Wide Area Networks)

स्थानीय नेटवर्क किसी एक स्थान जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई आदि तक सीमित रहता है। जबकि विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क की संरचना सैकड़ो से हजारों किलोमीटर क्षेत्र की सेवार्थ की जाती है। संसाधन सहभागीकरण में इसका प्रयोजीकरण तीन क्षेत्रों में होता है-

1. अन्तरापुस्तकालयीन आदान में;
2. सीडी रोम (CD Rom) डाटाबेस को परस्पर जोड़ने में; और
3. वांङ्गयात्मक सूचना तक पहुँचने में।

भारत में इस प्रकार के जालक्रमों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार हैं -

i. Indonet (INDONET);
ii. National Informatics Network (NICNET);
iii. Education and Research Community Network (ERNET);
iv. Science and Industry Research Network (SIRNET); और
v. Information Library Network (INFLIBNET)

11.1. इण्डोनेट (INET)

INET की स्थापना सन् 1992 में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) द्वारा की गई थी। यह एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिसकी ग्रन्थियाँ (nodes) भारत के प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद में हैं। यह शासकीय और निजी संगठनों को द्रुतगामी, विश्वसनीय और प्रभावशाली सेवा प्रदान करता है। कोई भी व्यापारी इस नेटवर्क से सरलता से वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। यह व्यावसायिक समाज और शासकीय संगठनों के लिये एक क्रान्तिकारी कदम है।

11.2. नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर नेटवर्क (NICNET)

NICNET की स्थापना 1977 में की गई थी। सम्पूर्ण नेटवर्क की स्थापना तीन पक्षों (Phases) में की गई। इसका प्रथम पक्ष नवें एशियन खेलों के दौरान उजागर हुआ। द्वितीय पक्ष में NICNET की सेवायें राज्य सरकारों तक बढ़ाई गयी और इस प्रकार केन्द्र और राज्यों में सूचना विनिमय में प्रगति हुई। तीसरे पक्ष में NICNET को INSAT-ID से जोड़ दिया गया और भारत के समस्त जिले इसकी परिधि में आ गये। NICNET की संरचना प्राथमिक रूप से एक शासकीय सूचना संचार नेटवर्क के रूप में की गई है।

11.3. इन्फार्मेशन लायब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET)

इन्फार्मेशन लॉयब्रेरी नेटवर्क का प्रस्ताव नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और पुस्तकालय तथा सूचना तन्त्र पर राष्ट्रीय नीति (1986) के परिणामस्वरूप उदित हुआ। यह प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में सक्रिय हुआ और एक पुस्तकालय जालक्रम की स्थापना हुई जिसका नाम INFLIBNET रखा गया। यह अब एक स्वतन्त्र संगठन है। यह पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों के कम्प्यूटर संचरण नेटवर्क के रूप में उदित हुआ है जिसमें Satellite cum Terrestrial networking का उपयोग किया गया है। INFLIBNET की सम्पूर्ण संरचना निम्नानुसार है:

संरचना (Structure)

1. नेटवर्क के कार्यों को समन्वित, देखभाल और प्रबन्ध करने और नीति निर्धारण करने के लिये इस राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना अहमदाबाद में सन् 1992-93 में की गई।
2. चार क्षेत्रीय केन्द्र (उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में) क्षेत्रीय संघ सूचियों और प्रायोजनाओं, संस्थाओं और विशेषज्ञों के डाटाबेस संरक्षित करने के लिये स्थापित किये गये।
3. प्रत्येक विषय में अनेक सेक्टरल सूचना केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चार सूचना केन्द्र- कला, विज्ञान, यान्त्रिक और मानविकी विषयों में स्थापित किये गये हैं और सात NISSAT और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे DESIDOC, IARI, INSDOC आदि को सम्मिलित किया गया है।
4. 100 विश्वविद्यालयीन और शोध तथा विकास संस्थानों से सम्बद्ध पुस्तकालयों को Document Resource Centres के रूप में नामांकित और विकसित किया जा रहा है।
5. 184 विश्वविद्यालयीन, 23 मान्य विश्वविद्यालयीन, 6100 महाविद्यालयीन पुस्तकालय और 200 से भी अधिक अन्य संस्थानों के पुस्तकालय इस संगठन से सम्बद्ध हो गये हैं।
6. विश्वविद्यालयीन, 50 स्नातकोत्तर महाविद्यालयीन पुस्तकालयों और 200 शोध तथा विकास संस्थानों से सम्बद्ध पुस्तकालयों में 400 Ground terminals की स्थापना की गई है।

INFLIBNET को बहुक्षेत्रीय नेटवर्क; के रूप में नियोजित किया जा रहा है जो निम्नांकित सेवायें प्रदान करेगा

सेवाऐं (Services)

1. सूची आधारित सेवायें जिसमें सहभागी सूचीकरण, संघीय सूचीकरण, पुस्तकों, आनुक्रमिक (Serials) और शोध- प्रबन्धकों (Theses) की सूची-उत्पादन और On-line Catalogue Access सम्मिलित हैं।

2. डाटा आधारित सेवायें जिसमें ग्रन्थ सन्दर्भ सूचीय (Bibliographic) डाटा आधारित सेवा, सामयिक अभिज्ञता सेवा (Current Awareness Service=CAS), चयनित सूचना प्रसारित सेवा (Selective Dissemination of Information=SDI), और गैर ग्रन्थ-सन्दर्भ-सूचीय (Non Bibliographic) डाटा आधारित सेवायें सम्मिलित हैं।
3. ग्रन्थ प्रदाय सेवा जिसमें Fax और Non-Fax के द्वारा ग्रन्थ प्रदाय सम्मिलित हैं।
4. संचरण आधारित सेवा जिसमें सन्देशों के स्थानान्तरण और सम्प्राप्ति के लिये Bulletin Board Service सम्मिलित हैं।

11.4. स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (Local Area Network) अथवा नगरीय पुस्तकालय नेटवर्क (City Library network)

NISSAT, भारत सरकार द्वारा बड़े नगरों जैसे कोलकाता, दिल्ली, मद्रास और पुणे आदि में पुस्तकालय नेटवर्क को बढ़ाया गया है जिनके नाम क्रमश: CALIBNET, DELNET, MALIBNET और PUNENET हैं। मुम्बई, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर आदि बड़े नगरों में इस प्रकार के स्थानीय नेटवर्क्स स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है। इन नेटवर्क्स का उद्देश्य महानगरीय क्षेत्र के समस्त पुस्तकालयों को सम्बद्ध करना और उनके संसाधनों को एकत्रित करना है।

12. अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण

यूनेस्को (UNESCO),इफला (IFLA), एफ. आई. डी. (FID) आदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने अन्तर्राष्ट्रीय संसाधन सहभागीकरण हेतु प्रयास किये हैं। Universal Availability of Publications(UAP) इफला का एक ऐसा ही कार्यक्रम है। यह इस प्रकार अवधारणा है कि समस्त प्रकाशन, जहाँ कहीं और जब भी प्रकाशित होते हैं किसी को और कहीं भी जिसको उनकी आवश्यकता है, उपलब्ध किये जायें। Universal Bibliographical Control, UNISIST का पूरक है। इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रायोजना को यूनेस्को द्वारा विभिन्न संगठनों दारा प्रदत्त अन्तर्राष्ट्रीय वाङ्गमय सेवा को बढ़ाने और समन्वित करने के लिये प्रायोजित किया गया है। इसी प्रकार सहकारी ग्रन्थार्जन की अनेक अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण है स्केन्डिया योजना (Scandia Plan)।

13. सारांश

रंगनाथन ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सूत्रों की सम्पूर्ण सन्तुष्टि के लिये, पुस्तकालय संसाधनों का सहभागीकरण नितान्त आवश्यक है। संसाधन सहभागीकरण के अनेक स्वरूप हैं। सर्वाधिक आधुनिक अवधारणा है पुस्तकालय नेटवर्क। कोई भी सहकारी कार्यक्रम तभी सफल रह सकता है जब तक सम्मिलित होने वाले पुस्तकालय उसको लाभकारी पाते हैं। इस प्रकार की किसी भी योजना की सफलता एक बड़ी सीमा तक ग्रन्थालयियों के सहयोग करने की इच्छा पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की अनेक योजनायें कार्यरत हैं जिनमें भारत में सर्वाधिक विशाल और उल्लेखनीय योजना है - INFLIBNET 1

14. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण से क्या तात्पर्य है? भारत के सन्दर्भ में इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिये।
2. पुस्तकालय विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार अपने संसाधनों का सहभागीकरण कर सकते हैं?
3. पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिये।
4. आप पुस्तकालय संसाधन-सहभागीकरण नेटवर्क से क्या समझते हैं? इस सन्दर्भ में भारतीय परिदृश्य की चर्चा कीजिये।
5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये:
   a. सहकारी और केन्द्रीकृत ग्रन्थार्जन
   b. अन्तरापुस्तकालयीन आदान
   c. अन्तरापुस्तकालयीन निक्षेप और विनिमय
   d. इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET)

15. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994
2. Kent Allen, Ed, Resource Sharing in Libraries. 1974
3. Krishan Kumar , Library Organization. 1993
4. Mahajan, S G , Resource Sharing and Networking of Libraries in India : (In University News. V.30. No. 35. Aug.1992. P 79-86)

इकाई- 14: उपयोगकर्ताओं का अध्ययन, अवधारणा, आवश्यकता और स्वरूप (User's Studies: Concept, Need and Form)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. उपयोगकर्ता अध्ययन की अवधारणा से परिचित कराना,
2. उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकताओं से परिचित कराना,
3. उपयोगकर्ता अध्ययन की उपयोगिता के बारे में बताना, एवं।
4. इस सम्बन्ध में बताना कि उपयोगकर्ता की सूचना संकलन सम्बन्धी आदतों और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये कौन सी विधियों को अपनाया जाये?।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. उपयोगकर्ता समुदाय
3. उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्ग और उनकी सूचना सम्बन्धी आवश्यकतायें
4. उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकता
5. उपयोगकर्ता अध्ययन की उपयोगिता
6. उपयोगकर्ता अध्ययन विधियाँ
   - 6.1 प्रत्यक्ष विधियाँ
     - 6.1.1. पुस्तकालय सीमा के अन्दर जनसम्पर्क
     - 6.1.2. पुस्तकालय सीमा के बाहर जनसम्पर्क
   - 6.2. अप्रत्यक्ष विधियाँ
     - 6.2.1. पंजीयन पत्रकों का अध्ययन
     - 6.2.2. परिसंचरण सांख्यिकियों का अध्ययन
     - 6.2.3. ग्रन्थ आरक्षण सूची का अध्ययन
     - 6.2.4. सन्दर्भ प्रश्न अभिलेख का अध्ययन
     - 6.2.5 पाठकों की अनुशंसाओं का अध्ययन
   - 6.3. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण
     - 6.3.1. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण से तात्पर्य
     - 6.3.2. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की आवश्यकता
     - 6.3.3. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के उद्देश्य
     - 6.3.4. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के प्रकार

6.3.5. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण का नियोजन '

6.3.5.1. सर्वेक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित करना

6.3.5.2. सर्वेक्षण के क्षेत्र अथवा व्याप्तीकरण का निर्णय

6.3.5.3. सर्वेक्षण-काल का वरण

6.3.5.4 सर्वेक्षण करने की विधि का चयन

6.3.5.4.1 प्रश्नावली विधि

6.3.5.4.2. साक्षात्कार विधि

6.3.5.4.3. अवलोकन विधि

6.3.5.4.4. दैनन्दिनी विधि

6.3.5.4.5 पुस्तकालय अभिलेखों का सर्वेक्षण

6.3.5.4.6. प्रकरण- अध्ययन विधि

6.3.5.4.7 जाँच सूची विधि

6.3.6 उपयोगकर्ताओं का प्रादर्श लेने की विधियाँ

6.3.7 पूर्व परीक्षण

6.3.8. स्वयं पूर्ण परीक्षण

6.3.9. दत्त सामग्री का विश्लेषण

6.3.10. प्रतिवेदनीकरण

7. सारांश

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

9. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

आधुनिक पुस्तकालय सेवा पाठकोन्मुख है। पुस्तकालय के सभी क्रिया-कलाप-भवन, पाठ्य-सामग्री संग्रह, वर्गीकरण सूचीकरण, सन्दर्भ सेवा, आदि पाठक को केन्द्र में रखकर किये जाते हैं। यदि पुस्तकालय सेवा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है तो सार्थक नहीं है। अत: आवश्यक है कि उपयोगकर्ताओं की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाया जाये और पुस्तकालय सेवा से इसका ताल-मेल बैठाया जाये। यह भी आवश्यक है कि पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को प्रभावशाली और सार्थक बनाने के लिये उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का विधिवत आकलन किया जाये।

उपयोगकर्ता कई प्रकार के हो सकते हैं और उनके द्‌वारा भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकालय सेवाओं की अपेक्षा की जा सकती है। पुस्तकालयों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये उपयोगकर्ताओं की पुस्तकालय और सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं को जानना आवश्यक है।

2. उपयोगकर्ता समुदाय

जैसा कि ऊपर बताया गया है आधुनिक पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की ओर उन्मुख होते हैं। पुस्तकालय कार्मिकों को उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली पाठ्य-सामग्री के बारे में सम्पूर्ण जानकारी के साथ उनकी अभिरुचियों की विस्तृत जानकारी भी होना चाहिये। उपयोगकर्ताओं दारा चाही गई पाठ्य-सामग्री और उनकी अभिरुचियों का सही अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब उनका गहन अध्ययन किया जाये। उपयोगकर्ता कई प्रकार के होते हैं और उनकी आवश्यकताऐं, अभिरूचियाँ और मांग भी भिन्न भिन्न होती है।

सामान्यत: उपयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जो निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों से पुस्तकालय में आता है-

1. पुस्तकालय पाठ्य-सामग्री की जानकारी प्राप्त करने के लिये जैसे पुस्तकें, सामयिक प्रकाशन, विद्वतपत्र, शोध प्रबन्ध आदि;
2. किसी विशेष प्रलेख के सम्बन्ध में जानकारी या अध्ययन करने के लिये;
3. सन्दर्भ ग्रन्थों के माध्यम से किसी विषय, घटना या कार्य की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिये;
4. किसी सामयिक प्रकाशन, सम्मेलन आदि में प्रस्तुत लेख या तकनीकी प्रतिवेदन की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिये; और
5. किसी शोध पत्र का अन्य प्रलेख का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्राप्त करने के लिये जो किसी अन्य भाषा में प्रकाशित हु आ है।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो उपरोक्त वर्णित कार्यों के लिये पुस्तकालय में आता है तो वह पुस्तकालय का उपयोगकर्ता वर्ग (Users Community) कहलाता है। यह उपयोगकर्ता अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं जैसे छात्र, शिक्षक, नियोजक, व्यवसायी आदि।

3. उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्ग और उनकी सूचना सम्बन्धी आवश्यकतायें

सामान्यत: हम उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते है छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, विद्वान, लेखक, नियोजक, नीति विशेषज्ञ, व्यवसायी, प्रबन्धक एवं अधिकारी, उद्योगपति तथा सामान्य पाठक आदि। विभिन्न उपयोगकर्तावर्ग की मांग उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होती है उदाहरणार्थ एक छात्र सामान्यत: पाठ्य-पुस्तकों, सन्दर्भ ग्रन्थों और सामयिक प्रकाशनों आदि का अभिलाषी होता है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्राप्त करना तथा उनकी पुस्तकालय तथा सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करना किसी भी पुस्तकालय का अस्तित्व बनाये रखने के लिए आवश्यक है।

आधुनिक पुस्तकालयों में निम्नांकित प्रकार के प्रलेख संग्रहित रहते हैं-

सामान्य पुस्तकें, पाठ्य-ग्रन्थ, मोनोग्राफ्स, सामयिक प्रकाशन (पत्रिकायें), शोध प्रबन्ध, सम्मेलन की कार्यवाहियाँ, सन्दर्भ ग्रन्थ, ग्रन्थ सन्दर्भ सूचियाँ (Bibliographies),

अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण पत्रिकायें, शासकीय प्रलेख, आयोग और समितियों के प्रतिवेदन, पेटेन्ट्स, मानक (Standards), व्यवसायों से सम्बन्धित साहित्य, लोकप्रिय और मनोरंजनात्मक साहित्य जैसे उपन्यास, जीवन चरित्र, यात्रा विवरण आदि।

उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्गों दारा विभिन्न प्रकार के प्रलेखों का उपयोग किया जाता है। इन प्रलेखों का पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में अधिकतम उपयोग हो सके, इसके लिये उपयोगकर्ताओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

4. उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकता

सेयर्स ने कहा था, 'ग्रन्थ, पुस्तकालय का आधार है।' बिना ग्रन्थों के किसी पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी पुस्तकालय और सूचना केन्द्र का आधारभूत कार्य ग्रन्थ संग्रह निर्माण अथवा ग्रन्थ चयन है। इसीलिये ड्रूरी ने कहा था, 'ग्रन्थ चयन, पुस्तकालय के अन्य समस्त कार्यों जैसे वर्गीकरण, सूचीकरण, सन्दर्भ सेवा, ग्रन्थ परिसंचरणीकरण आदि से पूर्वगामी है।' एल.आर. मेकॉलविन (L R McColvin) ने सर्वप्रथम ग्रन्थ चयन में मांग के सिद्धान्त का समावेश किया। आपके अनुसार "पुस्तकें अपने आप में कुछ नहीं हैं। उनका अपने आप में श्वेत पत्र जिस पर वे मुद्रित हैं, से अधिक कुछ अर्थ नहीं है, जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपादेय न बना दिया जाये। जितना अधिक ग्रन्थ चयन मांग से सम्बद्ध होगा, परिणामत: उतनी ही अधिक सार्थक सम्भावित सेवा होगी।" यदि कोई भी पुस्तकालयाध्यक्ष अपने ग्रन्थ संग्रह का अधिकतम और प्रभावशाली उपयोग का अभिलाषी है तो उसको पाठकों की मांगों के अनुरूप ग्रन्थ चयन करना चाहिये।

रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम तीन सूत्रों अर्थात 'ग्रन्थ उपयोगार्थ हैं', 'प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रन्थ प्राप्त हो', और प्रत्येक ग्रन्थ को उसका पाठक प्राप्त हो, की सन्तुष्टि के लिये भी नितान्त आवश्यक है कि ग्रन्थ चयन उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप हो। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं, उनकी अभिरुचियों आदि को जानने के लिये उनका अध्ययन करना आवश्यक है।

5. उपयोगकर्ता अध्ययन की उपयोगिता

1. उपयोगकर्ताओं के अध्ययन द्वारा ग्रन्थ चयन, उनकी आवश्यकताओं और अभिरुचियों के अनुरूप हो सकता है।
2. पुस्तकालय सेवा में परिवर्तन और सुधार उदाहरणार्थ पुस्तकालय का कार्यकाल, ग्रन्थों का विन्यसन अर्थात वर्गीकरण, सूचीकरण, अनुरक्षण आदि उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा सकता है।
3. सन्दर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा आदि की व्यवस्था, उपयोगकर्ताओं की अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप की जा सकती है।

6. उपयोगकर्ता-अध्ययन विधियाँ

उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का अध्ययन करने और जानने के लिये कई विधियों अथवा तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। हम उनको निम्नानुसार तीन प्रमुख वर्गों में बाँट सकते हैं-

1. प्रत्यक्ष विधियाँ (Direct Methods);
2. अप्रत्यक्ष विधियाँ (Indirect Methods); और
3. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Users Surveys) विधि।

6.1. प्रत्यक्ष विधियाँ (Direct Methods)

इस विधियों से तात्पर्य है उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनकी अध्ययन अभिरुचियों और पाठ्य-सामग्री आवश्यकताओं का पता लगाना। यह सम्पर्क पुस्तकालय सीमा में भी किया जा सकता है और पुस्तकालय से बाहर भी किया जा सकता है।

6.1.1. पुस्तकालय सीमा के अन्दर जनसम्पर्क

पुस्तकालय सीमा में ऐसे प्रमुख बिन्दु हैं जहाँ उपयोगकर्ताओं से सम्पर्क किया जा सकता है-

1. परिसंचरण विभाग (Circulation Department); और
2. सूचना और सन्दर्भ विभाग (Information and Reference Department)।

इन विभागों में कार्य करने वाले कार्मिक स्वत: ही उपयोगकर्ताओं के सम्पर्क में आते हैं और उनके क्रिया-कलापों, आवश्यकताओं और क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर सकते हैं। वे उनकी सामान्य और असामान्य अध्ययन अभिरुचियों को जान सकते हैं। यहाँ वे उन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं जो वास्तव में पुस्तकालय का उपयोग कर रहें है। उनमें सामान्य पाठक भी हो सकते है जिनके उपयोग हेतु अधिकांश पाठ्य-सामग्री का चयन किया जाता है। यहाँ कार्मिक छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और विशेषज्ञों आदि के सम्पर्क में भी आते हैं और उन उपयोगकर्ताओं के सम्पर्क में भी आते हैं जो यह तो जानते हैं कि उनको क्या पसन्द है, परन्तु यह नहीं बता सकते कि क्यों पसन्द है? जन पुस्तकालयों में बच्चे, व्यवसायी, औद्योगिक नेता, तकनीकी कर्मचारी, कलाकार यहाँ तक कि दृष्टिहीन उपयोगकर्ता भी सम्पर्क में आते हैं और पुस्तकालय कार्मिक उनकी अध्ययन अभिरुचियों और पठन-पाठन आवश्यकताओं का सरलता से पता लगा सकते हैं।

6.1.2. पुस्तकालय सीमा के बाहर जनसम्पर्क

उपयोगकर्ता अध्येता पुस्तकालय सीमा के बाहर भी उपयोगकर्ताओं की अध्ययन अभिरुचियों का पता लगा सकता है। पुस्तकालय न्यास मण्डल (Board of Trustees of the Library) के माध्यम से अनेक स्थानीय संगठनों से परिचय बढ़ाया जा सकता है। किसी भी नगर में मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे आदि वह स्थान हैं जहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। इसी प्रकार की अन्य संस्थायें हैं - क्लब्स, संगीत, नाटक और कला मण्डलियाँ आदि। पुस्तकालय कार्मिक इनकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अनेक ऐसे व्यक्तियों के

सम्पर्क में आ सकते हैं जो पुस्तकालय के वास्तविक पाठक नहीं हैं परन्तु सम्भाव्य हैं अर्थात बनाये जा सकते हैं। यहाँ उनकी रुचियों और शौकों (Hobbies) आदि का पता लगाकर उनके अनुकूल पाठ्य-सामग्री का अर्जन किया जा सकता है। यहाँ प्रमुख व्यक्तियों (Key People) को जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे हैं उद्योगों व्यवसायों और सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि नेतागण। ये लोग जनसाधारण की सामान्य अभिरुचियों के जानकार होते हैं।

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि भिन्न भिन्न उपयोगकर्ताओं की रुचियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। बाल और वृद्ध पाठकों की रुचि आकर्षक रूप से मुद्रित चित्रित पाठ्य-सामग्री में होती है। छात्र-छात्राओं की अभिरुचि पाठ्य-ग्रन्थों में होती है। तथ्यों की जानकारी चाहने वाला पाठक विश्वसनीय सन्दर्भ ग्रन्थों का इच्छुक होता है। एक साहित्यकार और कलाकार साहित्यिक और कलात्मक पाठ्य-सामग्री की मांग करता है। इसी प्रकार महिलाओं की रुचि उनके अपने उपयोग में आने वाली पाठ्य-सामग्री में होती है। पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य है कि उन सबको सन्तुष्ट करे।

6.2. अप्रत्यक्ष विधियाँ (Indirect Methods)

उपयोगकर्ता अध्ययन की अप्रत्यक्ष विधि है - पुस्तकालय अभिलेखों का सर्वेक्षण। यह अभिलेख हैं-

1. पंजीयन पत्रक
2. परिसंचरण सांख्यकियाँ
3. ग्रन्थ आरक्षण सूची
4. सन्दर्भ प्रश्न
5. पाठकों की अनुशंसायें

6.2.1. पंजीयन पत्रकों (Registration Cards) का अध्ययन

प्रत्येक सदस्यता आवेदक से एक आवेदन पत्र भरवाया जाता है जो कालान्तर में पंजीयन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसमें उनकी ज्ञात भाषाओं, व्यवसायों, व्यक्तिगत रुचियों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार उनकी अध्ययन अभिरुचियों का पता लगाया जा सकता है।

6.2.2. परिसंचरण सांख्यकियों (Circulation Statistics) का अध्ययन

परिसंचरण सांख्यकियों को भाषानुसार और विषयानुसार रखकर, उपयोगकर्ताओं की अध्ययन अभिरुचियों को विश्वसनीय रूप से जाना जा सकता है।

6.2.3. ग्रन्थ आरक्षण सूची (List of Reserves) का अध्ययन

उपयोगकर्ता अध्येता, ग्रन्थ आरक्षण सूची का अध्ययन करके उपयोगकर्ताओं की पठन-पाठन आवश्यकताओं और अभिरुचियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह अध्ययन विशेष रूप से पुस्तकों के द्विरावृत्तीकरण के लिये उपयोगी सिद्ध होता है। इसके द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की जानकारी प्राप्त होती है।

6.2.4. सन्दर्भ प्रश्न (Reference Questions) अभिलेख का अध्ययन

उपयोगकर्ताओं की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये यह एक महत्वपूर्ण साधन है। अनुत्तरित प्रश्न सन्दर्भ सामग्री की अनुपस्थिति के द्योतक हैं। सन्दर्भ प्रश्नों का अध्ययन करके पुस्तकालयाध्यक्ष यह पता लगा सकता है कि पाठकों को कैसी सन्दर्भ सामग्री की आवश्यकता है।

6.2.5. पाठकों की अनुशंसाओं (Recommendations) का अध्ययन

आधुनिक पुस्तकालय पाठकों से ग्रन्थों की अनुशंसायें आमन्त्रित करते है और पुस्तकालय सेवा में सुधार के लिये सुझाव भी आमन्त्रित करते हैं। इनके अध्ययन के द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष, उपयोगकर्ताओं की पाठ्य-सामग्री - आवश्यकताओं और पुस्तकालय में पाठ्य-सामग्री की कमी की ओर आकृष्ट होता है।

6.3. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Users Surveys)

उपयोगकर्ता सर्वेक्षण, उपयोगकर्ता अध्ययन का सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। इस सर्वेक्षण के दारा पुस्तकालय के वास्तविक उपयोगकर्ताओं (Actual Users) तथा सम्भाव्य उपयोगकर्ताओं (Potential Users) दोनों की अध्ययन अभिरुचियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सर्वेक्षण के लिये कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जैसे नगर का मानचित्र, जनसंख्या आंकड़े अथवा प्रतिवेदन, पूर्व में किये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन आदि।

6.3.1. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण से तात्पर्य

मोरिस लाइन (Morice Line) ने उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की परिभाषा इस प्रकार की है, "पुस्तकालयों से सम्बन्धित दत्त (Data) सामग्री, उनके क्रिया-कलापों, प्रक्रियाओं, कार्मिक, उपयोग और उपयोगकर्ताओं का व्यवस्थित संकलन।" क्योंकि पुस्तकालय और सूचना केन्द्र सामाजिक संस्थान है, सर्वेक्षण विधि को पुस्तकालय सेवाओं और उनके उपयोगों की जाँच-पड़ताल के आधार के रूप में सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

6.3.2. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण की आवश्यकता

उपयोगकर्ताओं के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान, उनक़ी अध्ययन अभिरुचियों और मांगों की जानकारी प्रभावशाली पुस्तकालय और सूचना सेवा के लिये नितान्त आवश्यक है। एक पुस्तकालयाध्यक्ष को जानना चाहिये-

1. उपयोगकर्ताओं में कौन वस्तुत: पुस्तकालय और पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं;
2. किन सेवाओं का उपयोग हो रहा है;
3. उनके उपयोग की क्या बारम्बारता (Frequency) है; और
4. किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है?

इसके साथ पुस्तकालयाध्यक्ष को यह जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार पुस्तकालय पाठ्य-सामग्री को उपयोग न करने वाले लोगों को नियमित उपयोगकर्ताओं के रूप में परिणित किया जा सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष को यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि उसका पुस्तकालय कहाँ तक समग्र सूचना प्रसारण तन्त्र में उपयुक्त बैठता है। पुस्तकालय सेवा

के नियोजन, उनमें सुधार और उनका अधिकतम उपयोग करवाने के लिये उपयोगकर्ताओं, उनकी सूचना आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ज्ञात करना आवश्यक है।

6.3.3. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के उद्देश्य

उपयोगकर्ता सर्वेक्षण को निम्नांकित उद्देश्यों की सम्पूर्ति के लिये किया जाता है।

1. पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति को आँकने के लिये;
2. वर्तमान पुस्तकालय तन्त्र की प्रभावशीलता की जाँच करने के लिये;
3. अपर्याप्तता अथवा दोषों को दूर करने की दृष्टि से ग्रन्थालयीनता के किसी क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए अथवा आगामी चरण के नियोजन के लिये।

6.3.4. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के प्रकार

सर्वेक्षण निम्नांकित चार प्रकार के हो सकते हैं-

1. वर्णनात्मक (Descriptive) सर्वेक्षण;
2. विश्लेषणात्मक (Analytical) अथवा व्याख्यात्मक (Explanatory) सर्वेक्षण;
3. सर्वेक्षणकर्ता आधारित (Surveyor-based) सर्वेक्षण; और
4. उपयोगकर्ता आधारित (Users-based) सर्वेक्षण।

वर्णनात्मक सर्वेक्षण

वर्णनात्मक सर्वेक्षण, स्थिति का वर्णन करते हे। इनका उद्देश्य किसी स्थिति के सम्बन्ध में बिना दो घटनाओं के सम्बन्ध और उनकी व्याख्या दिये तथ्यों को संकलित और व्याख्यायित करना है।

विश्लेषणात्मक अथवा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण

इनमें किसी घटना (Phenomenon) के बारे में परिकल्पना (Hypothesis) निर्मित करने का प्रयास किया जाता है, दो घटनाओं अथवा क्रियाओं के सम्बन्ध पर दृष्टिपात किया जाता है और उन सम्बन्धों की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है।

सर्वेक्षणकर्ता आधारित सर्वेक्षण

इस आधार पर तीन प्रकार के सर्वेक्षण हो सकते हैं-

1. स्वतः सर्वेक्षण - इन सर्वेक्षणों को सामान्यत: पुस्तकालय के ही किसी व्यक्ति अथवा समूहों द्वारा किया जाता है।
2. बाहरी विशेषज्ञों दारा सर्वेक्षण - यह सर्वेक्षण बाहरी पुस्तकालय विशेषज्ञों दारा किये जाते हैं।
3. अग्रन्थालयियों दारा सर्वेक्षण - इसमें लोक प्रशासक, व्याख्याकार अथवा सक्षमता यन्त्रियों को पुस्तकालय सर्वेक्षण हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

उपयोगकर्ता आधारित सर्वेक्षण

इनके दारा (1) पुस्तकालय की सीमा के अन्दर सामान्य उपयोगकर्ताओं का अध्ययन किया जा सकता है; (2) पुस्तकालय सीमा के अन्दर विशेषज्ञ उपयोगकर्ताओं का अध्ययन किया जा सकता है; (3) पुस्तकालय सीमा के बाहर सामान्य उपयोगकर्ताओं का अध्ययन किया जा सकता है; और (4) पुस्तकालय सीमा के बाहर विशेषज्ञ उपयोगकर्ताओं का अध्ययन किया जा

सकता है। सामान्यत: पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपयोगकर्ता आधारित व्याख्यात्मक सर्वेक्षण किया जाता है।

6.3.5. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण का नियोजन (Planning)

बी. गुहा (B Guha) ने अपनी पुस्तक “Documentation and Information” में सर्वेक्षण नियोजन के निम्नांकित चरण (steps) अंकित किये हैं-

1. सर्वेक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित करना;
2. सर्वेक्षण के क्षेत्र अथवा व्याप्तीकरण (coverage) का निर्णय करना;
3. सर्वेक्षण के काल का वरण करना;
4. सर्वेक्षण करने की विधि का चयन करना;
5. उपयोगकर्ताओं का प्रादर्श (Sample) लेने की विधि का चुनाव करना;
6. पूर्व परीक्षण करना;
7. स्वयं में पूर्ण सर्वेक्षण करना;
8. दत्त सामग्री (Data) का विश्लेषण करना; और
9. प्रतिवेदन लेखन।

6.3.5.1. सर्वेक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित करना

सर्वप्रथम सर्वेक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जाना चाहिये और उपयुक्त अध्ययन विधि और विश्लेषण को उद्‌गमित करना चाहिये। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात दत्त सामग्री (Data) के संकलन और विश्लेषण की विधि का निर्धारण किया जा सकता है।

6.3.5.2. सर्वेक्षण के क्षेत्र अथवा व्याप्तीकरण (Coverage) का निर्णय करना

व्याप्तीकरण से तात्पर्य उन उपयोगकर्ताओं अथवा पुस्तकालयों अथवा अभिलेखों से है जिनका सर्वेक्षण किया जायेगा अथवा भौगोलिक दृष्टि से सर्वेक्षण के क्षेत्र से है। इस बिन्दु पर यह भी निर्णय कर लेना चाहिये कि सर्वेक्षण समग्र होगा अथवा प्रादर्श (Sample)।

6.3.5.3. सर्वेक्षण-काल का वरण (Choice of Timing of the Survey) करना

सर्वेक्षण-काल के वरण का महत्व सर्वेक्षण का स्पष्ट और विश्वसनीय चित्र प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये परीक्षा काल में शैक्षणिक पुस्तकालयों का उपयोग बहुत बढ़ जाता है। अत: उस समय किया गया सर्वेक्षण उपयोग और उपयोगकर्ताओं का सही और वास्तविक चित्रण प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। अत: सुचित होगा कि शैक्षणिक सत्र की मध्यावधि सर्वेक्षण के लिये चुनी जाये।

6.3.5.4. सर्वेक्षण करने की विधि का चयन करना

सर्वेक्षण करने अथवा जाँच पड़ताल करने और दत्त (Data) एकत्रीकरण करने की निम्नांकित प्रमुख विधियाँ हैं-

1. प्रश्नावली विधि;
2. साक्षात्कार विधि;
3. अवलोकन विधि;

4. दैनन्दिनी (Diary) विधि;
5. पुस्तकालय अभिलेखों की विश्लेषण विधि;
6. प्रकरण-अध्ययन (Case-study) विधि; और
7. जाँच सूची (Checklist) विधि।

6.3.5.4.1. प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method)

इस विधि में दत्त संकलन के लिये सर्वेक्षणकर्ता एक प्रश्नावली का निर्माण करता है और उपयोगकर्ताओं को भेजता है। यह दत्त संकलन की सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि है। भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ और बिखरे हुए क्षेत्रों का दत्त संकलन करने के लिये यह एक आवश्यक और श्रेष्ठ विधि है।

इस विधि की कुछ परीसीमाऐं भी हैं। अनेक उत्तरदाता प्रश्नावली भरकर नहीं भेजते है अथवा अपूर्ण भेजते हैं। अनेक उत्तरदाता सही उत्तर नहीं देते है और कभी कभी प्रश्नों का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं।

6.3.5.4.2. साक्षात्कार विधि (Interview Method)

इस विधि में सर्वेक्षणकर्ता प्रश्नावली के साथ उत्तरदाता से व्यक्तिगत सम्पर्क करके दत्त सामग्री का संकलन करता है। इस विधि में प्रश्नावली विधि के दोष कुछ सीमा तक दूर हो जाते हैं। साक्षात्कार की एक तकनीक होती है। सर्वेक्षणकर्ता उसमें दक्ष होना चाहिये।

इस विधि की भी कुछ परिसीमाऐं हैं। यह विधि अत्यन्त व्यय-साध्य और समय साध्य है। अनेक उत्तरदाता, सर्वेक्षणकर्ता के समक्ष असामान्य हो जाते हैं और इस प्रकार उत्तरदाता और सर्वेक्षणकर्ता दानों ही विचित्र स्थिति में फंस जाते हैं। लेकिन सर्वेक्षणकर्ता इस विधि से बहुत विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6.3.5.4.3. अवलोकन विधि (Observation Method) इस विधि में सर्वेक्षणकर्ता, सर्वेक्षण सृष्टि का अवलोकन करता है और कोई प्रश्न आदि नहीं पूछता है। यह सामान्यत: दो प्रकार का हो सकता है-

1. भागीदारी प्रकार का (Participant type) अवलोकन;
2. गैर भागीदारी प्रकार का (Non-participant) अवलोकन।

भागीदारी प्रकार के अवलोकन में सर्वेक्षणकर्ता स्वयं भी उन जैसा बनकर उनमें घुल-मिल जाता है और गैर-भागीदारी अवलोकन में वह उन जैसा नहीं बनता है अपितु उनके साथ रहकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन करता है।

इस विधि के द्वारा काफी सीमा तक सही और विश्वसनीय आकलन किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन प्राय: एक कठिन कार्य होता है चाहे स्थिति सरल हो अथवा जटिल।

6.3.5.4.4 दैनन्दिनी विधि (Diary Method)

इस विधि में उत्तरदाता से एक काल-विशेष के अपने क्रिया-कलापों का अभिलेख अथवा फीता अभिलिखित (Tape Recorded) अभिलेख अथवा दैनन्दिनी (Diary) रखने का निवेदन किया जाता है। इस कार्य को और दत्त सामग्री के विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिये

उत्तरदाताओं को उनके विभिन्न क्रिया-कलापों को अभिलेखित करने के लिये दैनन्दिनी प्रारूप (Diary forms) प्रदान किये जाते हैं।

इस विधि में कभी कुछ उत्तरदाता अपूर्ण सूचना अभिलेखित करते हैं। वैसे यह विधि उत्तरदाता अभिरुचियों की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने की अत्यन्त उपयोगी विधि मानी जाती है।

6.3.5.4.5. पुस्तकालय अभिलेखों (Library Records) की विश्लेषण विधि

सभी पुस्तकालयों में वार्षिक प्रतिवेदन, सांख्यकियाँ और अन्य अभिलेख रखे जाते हैं। इन दस्तावेजों और अभिलेखों का अध्ययन उपयोगकर्ताओं की पाठ्य-सामग्री आवश्यकताओं और अभिरुचियों को जानने के लिये किया जा सकता है। यह प्रमुख अभिलेख हैं - पंजीयन पत्रक, परिसंचरण सांख्यकियाँ, ग्रन्थ आरक्षण सूची, सन्दर्भ प्रश्न अभिलेख और पाठकों की अनुशंसायें। इनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

6.3.5.4.6. प्रकरण - अध्ययन विधि (Case study Method)

इस विधि में प्रकरण विशेष की गतिविधियों का अध्ययन सर्वेक्षणकर्ता दारा किया जाता है। इस विधि को अपनाना तब ही उचित है जब जिस सृष्टि (Universe) का अध्ययन किया जा रहा है वह छोटी हो।

6.3.5.4.7. जाँच सूची विधि (Check List Method)

इस विधि में सर्वेक्षणकर्ता पहले से ही एक मानक जाँच सूची निर्मित कर लेता है और उसको आधार बनाकर सर्वेक्षण करता है। कार्ल व्हाइट (Carl White) ने दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय का सर्वेक्षण करने के लिये इसी विधि का अनुसरण किया। उन्होंने यह निर्णय किया कि “Winchell’s Guide to Reference Books” में जो सन्दर्भ-ग्रन्थ अंकित हैं वह किसी भी विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय में होने चाहिये। अब देखना यह है कि उनमें से कितने सन्दर्भ-ग्रन्थ सर्वेक्षणाधीन उस पुस्तकालय में विद्यमान हैं।

6.3.6. उपयोगकर्ताओं का प्रादर्श (Sample) लेने की विधियाँ

संसाधनों के सीमित होने के कारण समग्र सृष्टि (Universe) का अध्ययन-परीक्षण करना सम्भव नहीं होता है। उदाहरण के लिये यदि भारतीय विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय के पाठकों की अध्ययन-अभिरुचियों का सर्वेक्षण करना है तो विश्वविद्यालयों की संख्या 200 से भी ऊपर है और पाठकों की संख्या लाखों में है। उन सब का अध्ययन सम्भव नहीं है। अत: समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली उस सृष्टि के एक अंश को चुना जाता है। इसी को प्रादर्शीकरण (Sampling) कहते हैं। प्रादर्शीकरण निष्पक्ष (Unbiased) होना चाहिये।

प्रादर्शीकरण की प्रमुख विधियाँ निम्नानुसार है-

1. आकस्मिक (Random) प्रादर्शीकरण-

इस विधि को लॉटरी विधि का नाम भी दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ भारतीय विश्वविद्यालयों की एक सूची वर्णक्रम अथवा स्थापना वर्षों के अनुसार निर्मित कर ली जाये और हर पाँचवे या दसवें विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय को सर्वेक्षण के लिये चुन लिया जाये।

2. उद्देश्यमूलक प्रादर्शीकरण (Purposive Sampling) -

केवल ऐसे विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों को चुना जाये जहाँ पर्याप्त पुस्तकालय सेवायें उपलब्ध हों।

3. परतों के क्रम वाला प्रादर्शीकरण (Stratified Sampling) -

इस प्रादर्शीकरण में कुछ प्राचीन और अर्वाचीन; कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट; कुछ बड़े और कुछ छोटे विश्वविद्यालयीन पुस्तकालयों को सर्वेक्षण हेतु चुना जा सकता है।

6.3.7. पूर्व परीक्षण (Pre-testing)

सामान्यत: पूर्ण परीक्षण करने से पूर्व, एक पूर्व परीक्षण करने का परामर्श यह जानने के लिये दिया जाता है कि उक्त सर्वेक्षण के उद्देश्यों की सम्पूर्ति होगी अथवा नहीं? इस अवस्था पर गलतियों को दूर किया जा सकता है और विधियों में सुधार अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।

6.3.8. स्वयं में पूर्ण परीक्षण (Full-scale Survey)

सफल-पूर्व परिक्षण के उपरान्त पूर्ण सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है। समस्त प्रासंगिक तथ्यों को ईमानदारी से एकत्रित करना चाहिये जिससे सर्वेक्षण पूर्ण विश्वसनीय हो और निष्कर्ष सही हो।

6.3.9. दत्त सामग्री (data) का विश्लेषण

इसके उपरान्त दत्त सामग्री का विश्लेषण अर्थात कोडिंग (Coding), वर्गीकरण, और तालिकाकरण (Tabulation) किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं।

6.3.9.1. प्रतिवेदनीकरण (Reporting)

अन्त में सर्वेक्षणकर्ता, अपने सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों और सुझावों का वर्णन किया जाता है। इसमें पर्याप्त तालिकाओं, ग्राफ्स (Graphs), चार्ट्स, डायग्राम्स (Diagrams) आदि का उपयोग सर्वेक्षण को अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बना सकता है।

7. सारांश

यदि पुस्तकालय और उसकी सेवाओं का अधिकतम, प्रभावशाली और सार्थक उपयोग करवाना है और पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों को पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान करना है तो उपयोगकर्ताओं की पाठ्य-सामग्री आवश्यकताओं और अध्ययन अभिरुचियों को जानना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये उपयोगकर्ता अध्ययन करना चाहिये। जिसकी कई विधियाँ हैं। यह अध्ययन पुस्तकालय परिसीमा में पाठकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके और विभिन्न पुस्तकालय अभिलेखों का अध्ययन करके किया जा सकता है। पुस्तकालय सीमा से बाहर उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Users Survey), उपयोगकर्ता- अध्ययन का एक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम है।

8. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. आप उपयोगकर्ता अध्ययन (Users Studies) से क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता, उपयोगिता और उद्देश्यों की चर्चा कीजिये।

2. उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Users Surveys) की आवश्यकता और उपयोगिता की चर्चा करते हुए, इसकी विभिन्न विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

9. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. Guha, B , Documentation and Information. 1983.
2. Mittal, R L , Library Administration. 1978.
3. Prasher, R G , Information and its Communication. 1991.

इकाई- 15 : पुस्तकालय संघों की भूमिका (Role of Professional Associations)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. पुस्तकालय संघ को परिभाषित कर इनके उद्देश्यों, कार्यों, एवं प्रकारों से परिचित होना,
2. भारतीय पुस्तकालय संघ, आइजलिक अमेरिकन पुस्तकालय संघ एवं लाइब्रेरी एसोसियेशन के क्रियाकलापों से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. पुस्तकालय संघ के उद्देश्य
3. पुस्तकालय संघ के कार्य
4. पुस्तकालय संघ के प्रकार
5. प्रमुख पुस्तकालय संघ
   - 5.1 भारतीय पुस्तकालय संघ
   - 5.2 आइजलिक
   - 5.3 आइटलिस
   - 5.4 अमेरिकन पुस्तकालय संघ
   - 5.5 लाइब्रेरी एसोसियेशन (यू. के.)
6. सारांश
7. अभ्यासार्थ प्रश्न
8. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. विषय प्रवेश

'संघ शब्द का शाब्दिक अर्थ समान उद्देश्यों हेतु बनाया गया व्यक्तियों के समूह से है। आज व्यावसायिक संगठनों/ संघों का निर्माण एक सामान्य बात है। विभिन्न व्यवसायों के संघ जैसे इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स, इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स आदि इस प्रकार के संघों के कुछ उदाहरण हैं। पुस्तकालय व्यवसाय भी इसका अपवाद नहीं है। अपने-अपने देशों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सेवाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना 1876 में, ग्रेट ब्रिटेन में लाइब्रेरी एसोसियेशन की 1877 में, तथा भारत में इंडियन लाइब्रेरी एसोसियेशन की 1933 में हुई। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघों- एफ. आई. डी. की स्थापना 1895 में तथा इफला की स्थापना 1926 में हुई। इस इकाई में पुस्तकालय संघ के उद्देश्य, कार्य, प्रकार एवं प्रमुख पुस्तकालय संघों का अध्ययन करेंगें।

2. पुस्तकालय संघ के उद्देश्य

हर संघ के समान पुस्तकालय संघ पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को संगठित करके उनमें भ्रातृत्व की भावना जाग्रत करने का प्रयास करता है। पुस्तकालय संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. पुस्तकालय व्यवसाय के सदस्यों की भलाई का कार्य करना,
2. पुस्तकालयों के विकास हेतु पुस्तकालय आन्दोलन एवं पुस्तकालय अधिनियम के लिये प्रयास करना,
3. पुस्तकालय व्यवसाय की सामाजिक उन्नति के लिये प्रयास कर उसके स्तर की वृद्धि करना,
4. पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सुधार हेतु प्रयास करना तथा कार्यरत कर्मचारियों हेतु पुनश्चर्या कार्यक्रम (Refresher Course) एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना,
5. पुस्तकालय कर्मचारियों के लिये मजदूर संघ (Trade Union) के रूप में कार्य करना अर्थात् उनके वेतन, भत्तों आदि की वृद्धि के लिये प्रयास करना,
6. पुस्तकालय व्यवसाय के जुड़े व्यक्तियों के लिये सम्मेलनों, सभाओं, गोष्ठियों आदि का आयोजन करना एवं पुस्तकालय विज्ञान पत्रिकाओं का प्रकाशन कर उन्हें व्यवसाय में होने वाली नई शोधों एवं प्रक्रियाओं से परिचित करना,
7. जनता में पुस्तकालय के प्रति जागरूकता हेतु 'विश्व पुस्तक दिवस' 'पुस्तकालय सप्ताह' आदि का आयोजन करना,एवं
8. पुस्तकालय सहयोग एवं स्रोतों की सहभागिता की भावना हेतु प्रयास करना।

3. पुस्तकालय संघ के कार्य

पुस्तकालय कर्मचारियों को संगठित कर एक मंच प्रदान करने, पुस्तकालय व्यवसाय को प्रति अन्य व्यवसायों के समान प्रतिष्ठित व्यवसाय का स्तर प्रदान करने तथा विश्व के सभी राष्ट्रों में पुस्तकालय आन्दोलन को गति देने में पुस्तकालय संघ जीवंत शक्ति का कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों दारा प्रदत्त सेवाओं का सर्वेक्षण कर उचित परामर्श हेतु 'पुस्तकालय परामर्श समिति' (Advisory Committee for Libraries) की स्थापना 1957 में के. पी. सिन्हा की अध्यक्षता में की थी। इस समिति ने पुस्तकालय संघों के निम्नलिखित पांच मुख्य कार्य बताये हैं: -

1. पुस्तकालय संघ ग्रन्थालयियों में भ्रातृभाव पैदा करने का प्रयत्न करता है। वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता की दीवारें तोड़ पुरूष तथा महिलाओं में ऐसी व्यावसायिक भावना पैदा करता है जिससे उनके सहयोगियों की सांस्कृतिक प्रगति हो सके।
2. पुस्तकालय संघ ग्रन्थालयियों को एक आचार-संहिता प्रदान करते हैं जिससे समाज में उनके सम्मान में वृद्धि होती है।

3. पुस्तकालय संघ, ग्रन्थालयियों के प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं जिससे वे अपने कार्यों को अधिक योग्यता एवं कुशलता के साथ करने में समर्थ हों तथा समाज की अधिक से अधिक भलाई कर सकें।
4. पुस्तकालय संघ एक व्यावसायिक संगठन (Trade Union) के रूप में ग्रन्थालयियों हेतु बेहतर सेवा दशायें (Service Conditions) प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते हैं।
5. जिस भी देश में पुस्तकालय संघ है वहाँ पर ये पुस्तकालय प्रसारण सेवाओं (Library Extension Services) के लिए कीर्तिमान हैं।

एस. एस. अग्रवाल ने अपने ग्रन्थ 'पुस्तकालय एवं समाज' में पुस्तकालय संघों के निम्नलिखित कार्यों की गणना की है:-

1. समस्त पुस्तकालय कर्मचारियों तथा पुस्तकालय हितैषियों को संगठित करना;
2. पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना;
3. पुस्तकालय कर्मचारियों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करवाना और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक स्तर में उन्नति करवाना;
4. किसी व्यावसायिक मित्र की आकस्मिक मृत्यु अथवा रोग की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना;
5. सम्मेलन, परिसंवाद आदि आयोजित करके व्यावसायिक विषयों तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करना और उनमें सुधारों आदि के सम्बन्ध में सुझाव देना;
6. अन्तरग्रंथालयीन आदान (Inter-Library Loan) हेतु नियमों की रचना करना और उस दिशा में प्रयास करना;
7. ग्रन्थालयीनता (Librarianship) में प्रशिक्षण देना और परीक्षायें आयोजित करना। विशेष रूप से विशिष्ट ग्रन्थालयीनता (Special Librarianship), प्रलेखन (Documentation), ग्रन्थ-सूची (Bibliography) निर्माण आदि में प्रशिक्षण देना;
8. पुस्तकालय प्रशिक्षण में उच्च स्तर तथा मानकीकरण स्थापित करने और उसको स्थिर रखने के लिये पुस्तकालय प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान (Accredition) करना;
9. संघ-सूचियां (Union Catalogues) तथा ग्रन्थ सूचियाँ (Bibliographies) का निर्माण; अनुवाद कार्य (Translation work), प्रलेखन (Documentation) कार्य आदि करना;
10. पुस्तकालय अधिनियम (Library act) पारित करवाने और विभिन्न स्थानीय निकायों (Local bodies) द्वारा उसके अपनाने के सम्बन्ध में सक्रिय प्रयास करना;
11. पुस्तकालय विज्ञान, प्रलेखन (Documentation), ग्रंथ सूची (Bibliography) निर्माण में शोध कार्य को गति देना;
12. व्यवसाय तथा व्यावसायिक व्यक्तियों के लाभार्थ सामयिक प्रकाशन (Periodical publications) का प्रकाशन करना;
13. व्यावसायिक प्रशिक्षित व्यक्तियों की पंजी (Register) निर्मित करना; और

14. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संघों से सहयोग करना।

4. पुस्तकालय संघ के प्रकार

पुस्तकालय संघों के प्रकारों का विभाजन भौगोलिक, कार्य विशेष आदि के आधार निम्नलिखित प्रकार से विभाजन किया जा सकता है: -

4.1. भौगेलिक आधार पर

भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघ निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:-

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ :- ऐसे पुस्तकालय संघ जिनका कार्यक्षेत्र किसी देश विदेश की सीमा तक सीमित न होकर सम्पूर्ण विश्व में फैला रहता है उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ कहते हैं। इस श्रेणी में इन्टरनेशनल फेडरेशन फार इन्फॉर्मेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन (FID) आती है।

(ब) राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ:- किसी देश की सीमाओं तक सीमित कार्य क्षेत्र के पुस्तकालय संघ इस श्रेणी में सम्मलित हैं। भारत के इण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन, संयुक्त राज्य का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन तथा ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी एसोसियेशन की गणना राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ के रूप में की जा सकती है।

(स) राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ:- इस श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे पुस्तकालय संघ आते हैं जिनका कार्यक्षेत्र किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष तक सीमित है। जैसे- राजस्थान पुस्तकालय संघ, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन आदि।

4.2. विशिष्टता के आधार पर

विशिष्टता के आधार पर पुस्तकालय संघ निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:-

(अ) **विशिष्ट पुस्तकालय संघ:-** विशिष्टता के आधार पर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इण्डियन पब्लिक लाइब्रेरी एसोसियेशन एवं आइजलिक, अमेरीका की स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन, ग्रेट ब्रिटेन की एसलिब (Aslib) आदि आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्टरनेशनल फेडरेशन फार इन्फॉर्मेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन का उल्लेख किया जा सकता है।

(ब) **सहायक ग्रन्थालयियों का संघ:-** ग्रेट ब्रिटेन की एसोसियेशन आफ असिस्टेंट लाईब्रेरियन्स की गणना इस श्रेणी के संघ के रूप में की जा सकती है।

(स) **विशेष प्रकार के ग्रन्थालयियों का संघ :-** एक विशेष प्रकार के पुस्तकालय कर्मचारियों के संघों की गणना इस श्रेणी में की जा सकती है जैसे भारत में एगलिस (Association of Government of India Libraries), संयुक्त राष्ट्र अमेरीका की एसोसियेशन आफ कॉलेज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरीज इस प्रकार के संघ है।

(द) **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ:-** इस प्रकार के संघ में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षा कार्य से जुड़े व्यक्ति इसके सदस्य बनते है। भारत में आइटलिस (Indian Association of Teachers of Library and Information Science) इस प्रकार का संघ है।

4.3. संघों का संघ (Confederation of Library Association)

विश्व के विभिन्न देशों के पुस्तकालय संघों के संघ इस श्रेणी में आते है जैसे इन्टरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसियेशन एण्ड इन्स्टीट्यूट (International Federation of Library Association and Institutes)। इनका मुख्य कार्य सदस्य पुस्तकालय संघों को अपनी गतिविधियों के सुचारू संचालन में तकनीकी प्रदान करना है।

4.4. संघों की शाखायें (Divisions of Library Association)

पुस्तकालय संघों के कार्य को विभिन्न कार्य क्षेत्र में विभाजित कर कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु शाखाओं में विभक्त किया जाता है जैसे (Public Library Division of ALA)। इसी प्रकार पुस्तकालय संघ की शाखायें राज्य, जिला स्तर आदि पर स्थापित की जा सकती हैं।

5. प्रमुख पुस्तकालय संघ

कुछ प्रमुख पुस्तकालय संघों के क्रिया कलापों का विवरण निम्नांकित प्रकार है:-

5.1. भारतीय पुस्तकालय संघ (Indian Library Association)

5.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

जहां विश्व के अधिकतर देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों की स्थापना पहले हुई एवं राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ बाद में गठित हुए, वही भारत में इसके विपरीत कुछ राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों का गठन भारतीय पुस्तकालय संघ के गठन से वर्षो पूर्व हुआ। जैसे-आन्ध्रप्रदेश पुस्तकालय संघ (1914), महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ (1921), बंगाल पुस्तकालय संघ (1923), एवं पंजाब पुस्तकालय संघ (1929) में स्थापित हुए।

भारतीय पुस्तकालय संघ की विधिवत स्थापना से पूर्व सामान्यतया इसके सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों के साथ ही आयोजित किये जाते थे। ऐसे सात सम्मेलन 1919 से 1929 के मध्य भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किये गये जिनकी अध्यक्षता देश के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गई थी। बाद में पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करने, ग्रन्थालयियों को प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके स्तर एवं कार्यभार की स्थिति के सुधार हेतु प्रमुख ग्रन्थालयियों द्वारा 12 सितम्बर 1933 को भारतीय पुस्तकालय संघ की विधिवत स्थापना कलकत्ता में हुई। इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के ग्रन्थालयी के.एम. असादुल्ला इस संघ के प्रथम सचिव निर्वाचित हुए। इसी के साथ प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन भी कलकत्ता में आयोजित किया गया। 1933 से 1964 तक भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्यालय का अध्यक्ष के साथ स्थान परिवर्तित होता रहा। 1964 के बाद इसका मुख्यालय (Head quarter) स्थाई रूप से दिल्ली में स्थापित किया गया। इसका स्थाई डाक का पता भारतीय पुस्तकालय संघ, फ्लेट नम्बर-201, अंसल भवन, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली है।

5.1.2. उद्देश्य (Objectives)

भारतीय पुस्तकालय संघ के संविधान में इसके निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है:-

1. भारत मे पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करना तथा पुस्तकालय सेवा के विभिन्न पक्षों में अपेक्षित सुधार करना तथा समान उद्देश्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध होना।
2. भारत में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों को प्रोत्साहित कर सम्बद्धता देना।
3. ग्रन्थालयियों के सेवा स्तर एवं सेवा शर्तों में सुधार तथा उनको उन्नत करना।
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में प्रशिक्षण, शिक्षा एवं शोध को प्रोत्साहन देना।
5. वांङ्गमय अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य करना।
6. पुस्तकालय एवं पुस्तकालय व्यावसायियों के बीच सहकारिता विकसित करना।
7. देश में पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना में सहयोग देना।
8. देश व राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएँ स्थापित करने के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना।
9. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान साहित्य एवं पत्रिकाएँ, बुलेटिन आदि का प्रकाशन करना।
10. पुस्तकालय प्रशासन, प्रबन्ध तथा सेवाओं के सम्बन्ध में नवीन मानदण्ड (Norms) एवं मानकों (Standards) का निर्माण कर बढ़ावा देना।
11. सेमीनार, कान्फ्रेंसिंग, समर इन्स्टीट्यूट आदि का आयोजन कर व्यावसायिक, तकनीकी तथा संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हेतु मंच उपलब्ध कराना।

5.1.3 सदस्यता (Membership)

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता पुस्तकालयों, ग्रन्थालयियों तथा ग्रंथों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं जैसे पाठक, प्रकाशक आदि सभी के लिये खुली है। इसकी सदस्यता निम्नलिखित आठ प्रकार की है-

1. संरक्षक सदस्यता
2. मानद सदस्यता
3. विदेशी सदस्यता
4. आजीवन सदस्यता
5. साधारण सदस्यता
6. संस्थागत सदस्यता
7. पुस्तकालय संघ सदस्यता तथा
8. एसोसियेट सदस्यता

जहां स्थापना वर्ष 1933 से इसकी कुल सदस्यता 70 थी वहीं वर्ष 2001 में इसके विभिन्न श्रेणियों के लगभग 2600 सदस्य हैं। भारत जैसे विशाल देश को देखते हुए इसकी सदस्यता नगण्य है।

5.1.4. गठन (Organisation)

इसकी कार्यकारिणी का चुनाव सामान्य सभा (General Boby) द्वारा डाक दारा भेजे गये मत पत्रों (Postal Ballet Papers) द्वारा किया जाता हैं। संघ का कार्यकाल दो साल का

होता है। संघ का एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष, बीस सदस्य होते हैं। संघ ने लगभग ग्यारह विभागीय समितियाँ बना रखी है। इन समितियों के सदस्य राज्य पुस्तकालय संघों के अध्यक्ष/प्रधान और एक प्रतिनिधि, कार्यकारी परिषद (Executive Council) के सदस्य होते हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए संघ का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, दो सचिव, जन सम्पर्क अधिकारी व तीन परिषद सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती है। सामान्य सभा की बैठक वर्ष में एक बार साधारणतया संघ के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर होती है। परिषद की बैठक त्रैमासिक तथा कार्यकारिणी की आवश्यकतानुसार बैठकें की जाती है। सामान्य सभा संघ का वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) तथा लेखाजोखा पास करती है। संघ का संविधान लिखित रूप में है।

5.1.5. गतिविधियाँ (Activities)

प्रारम्भ से कुछ वर्षो तक निष्क्रिय रहने के बाद सन् 1946 से 1953 तक रंगनाथन की अध्यक्षता काल में संघ ने प्रशंसनीय कार्य किया। आपके अध्यक्ष काल में साउथ एशिया के पुस्तकालयों में उपलब्ध विद्युत सामायिकों की संघ सूची (Union Catalogue of Learned Periodical in South Asia) के संकलन के कार्य के अन्तर्गत 1950 में इसकी परीक्षण आंशिका (Pilot Fascicule) तथा 1952 में इस संघ सूची के प्रथम खण्ड का प्रकाशन भारतीय पुस्तकालय संघ दारा किया गया। इसी प्रकार यूनेस्को द्वारा प्रदत्त दो परियोजनाओं- एशियाई नामों का उपकल्पन तथा एशियाई सामयिक प्रकाशनों की निर्देशिका के निर्माण का कार्य भी सम्पन्न हु आ।

भारतीय पुस्तकालय संघ प्रति वर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन देश के विभिन्न शहरों में आयोजित करता है, जिसमें हजारों की संख्या में इसके सदस्यगण भाग लेते हैं। प्रत्येक सम्मेलन का एक मुख्य विषय (Theme) निर्धारित होता है जिस पर विद्वत लेखों का वाचन होता है तथा इन्हें प्रकाशित किया जाता है। अपने सदस्यों को पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की नवीन शोधों एवं तकनीकों से परिचित कराने हेतु संघ समय-समय पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। संघ दारा 1995 में इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस आन रंगनाथन्स फिलॉसफी विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व के प्रमुख ग्रन्थालयियों द्वारा सहभागिता की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा गठित समितियों, जिनमें महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के संचालन तथा उनकी भावी प्रोन्नति पर विचार किया जाता है, में भी संघ का प्रतिनिधित्व होता है। संघ के सदस्यों की व्यावसायिक योग्यताओं की वृद्धि हेतु विभिन्न शोधवृत्तियाँ (Fellowships), पुरस्कारों व मैडल्स की स्थापना की गई है। जैसे Prof. P. N. Kaula Award, Aburi Shiyalli Research Award, Dr. C.D. Sharma. Award आदि। इसी प्रकार संघ के वार्षिक सम्मेलन में पढ़े गये सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को भी पुरस्कृत किया जाता है।

5.1.6. प्रकाशन गतिविधियाँ (Publication Activities)

संघ द्वारा 1938 में इण्डियन लाइब्रेरी डायरेक्ट्री का प्रकाशन किया गया जिसके संस्करण 1942 एवं 1951 में प्रकाशित हुए संघ ने अपना मुख्य पत्र 'लाइब्रेरी बुलेटिन' का प्रकाशन 1942-46 के दौरान किया। सन् 1949 में एबगिला के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके तीन भाग थे- एनल्स, बुलेटिन तथा पुस्तकालय। यह पत्रिका भी 1953 में बन्द हो गई। 1953 से अब भारतीय पुस्तकालय संघ आई. एल. ए. बुलेटिन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन सतत् रूप से कर रहा है, जिसमें पुस्तकालय विषयक उच्च स्तरीय लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। अपने सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिये यह संघ मासिक आई. एल. ए. न्यूज़लेटर का प्रकाशन भी कर रहा है। इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त सम्मेलनों की कार्यवाही एवं विद्वत लेखों का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जा रहा है।

संघ सलाहकार सेवाएँ भी प्रदान करता है। इस संघ ने मसूरी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 3500 ग्रन्थों की तकनीकी प्रक्रिया (Technical Processing) का कार्य पूरा किया है।

5.1.7. मूल्यांकन तथा सुझाव (Evaluation and Suggestion)

भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्यकलापों के निष्पक्ष मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि संघ उन सभी कार्यों को क्षमतापूर्ण ढंग से नहीं कर पा रहा है जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है। इसके कारण एवं सुधार के सुझाव इस प्रकार है:-

1. ठोस वित्तीय आधार

कोई भी संस्था बिना वित्त के नहीं चल सकती। इस संघ के आय के स्रोत बहुत ही सीमित हैं- सदस्यता चन्दा, उपहार, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुदान आदि। संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिये व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सभी सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपना सदस्यता शुल्क समय पर जमा करवाये तथा समय-समय पर सदस्यता अभियान चला कर नवीन सदस्यों को पंजीकृत करवाये तथा अधिक से अधिक सदस्य बनायें।

2. संघ का संविधान

संघ के संविधान में संशोधन करके इसे ऐसा लचीला बनाया जाये जिससे सभी प्रकार के पुस्तकालय, पुस्तकालय कर्मचारी तथा पुस्तकालय हितैषी उसके सदस्य बन सकें। यदि संघ सशक्त होगा तभी वह अपने कार्यों को सुगमता से पूर्ण करने में समर्थ हो सकेगा।

3. गुटबन्दी तथा स्वार्थी तत्वों से सावधान

अपने प्रारम्भकाल से ही भारतीय पुस्तकालय में गुटबन्धी तथा स्वार्थी तत्व हावी रहे है। यदि किसी संघ में लक्ष्य की एकता अनुशासन और संघीय भावना नहीं है तो वह संघ कभी भी व्यवसाय की भलाई नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय पुस्तकालय संघ को शक्तिशाली, प्रभावशाली एवं सक्षम बनाने के लिए गुटबन्दी तथा स्वार्थों का परित्याग करना होगा।

4. संघ का पूर्णकालिक सचिव

ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी एसोसियेशन के समान भारतीय पुस्तकालय संघ का सचिव भी पूर्णकालिक होना चाहिए तभी वह संघ के कार्यों को भली-भाति सम्पन्न करने तथा संघ के निर्णयों को कार्य रूप देने में समर्थ हो सकता है।

5. संघ का स्थायी सचिवालय तथा स्थायी भवन

प्रारम्भ में भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय संघ के अध्यक्ष के साथ-साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहा जिसके कारण संघ की गतिविधियाँ अधिक बल तथा गति से नहीं चल सकीं। अब संघ का अपना भवन राजधानी दिल्ली में बन गया है, जिससे मुख्यालय एक स्थान पर ही होने से संघ के कार्यकलापों में गति आयेगी। इसी प्रकार संघ का स्थायी सचिवालय, संघ के स्थायी भवन में ही सदैव स्थित रहना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से चल सके।

6. संघ की शाखायें राज्य एवं जिला स्तर तक स्थापित करना

यदि संघ की शाखायें राज्य एवं जिला स्तर तक स्थापित की जा सके तो संघ का कार्य क्षेत्र विस्तृत करने तथा कार्य कलापों के प्रभावी विस्तार हेतु सहायता मिलेगी।

7. सदस्यता

पुस्तकालय कर्मचारियों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी को इसकी सदस्यता ग्रहण करनी चहिए। सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि संघ की ईमानदारी, निष्ठा तथा लगन से सेवा करेंगे। सदस्यों दारा आचार-संहिता का भी पालन किया जाना चाहिए।

8. पुस्तकालय अधिनियम

अभी तक देश के एक तिहायी राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए है। पुस्तकालय अधिनियम रहित राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

9. प्रचार एवं जनसहयोग

भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रचार एवं प्रसारण कार्य गतिशील नहीं हैं। इसकी सभी प्रकाशन गतिविधियाँ आंग्ल भाषा के माध्यम से होती है। हिन्दी माध्यम द्वारा भी इसे अपनी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

5.2. आइजलिक (IASLIC)

5.2.1. भूमिका

आइजलिक (IASLIC) इण्डियन एसोसियेशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फॉरमेशन सेन्टर्स का संक्षिप्त नाम है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह भारत वर्ष के विशिष्ट ग्रन्थालयियों का संघ है। इसकी स्थापना डॉ. एस. एल. होरा की प्रेरणा से 3 सितम्बर, 1955 में कलकत्ता में हुई थी।

2.2.2. उद्देश्य (Objectives)

इस संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1. योजनाबद्ध विधि से साहित्य प्राप्ति, नियोजन, और ज्ञान प्रसारण।

2. पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं तथा प्रलेखन कार्यो में गुणात्मक सुधार।
3. विशिष्ट पुस्तकालयों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि।
4. विशिष्ट पुस्तकालयों, सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों, शोधकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों तथा समान रुचि के व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
5. विशिष्ट पुस्तकालय कर्मियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना और उनके लाभ के लिये काम करना।
6. विशिष्ट ग्रन्थालयित्व तथा प्रलेखन तकनीकों के मामले में सूचना केन्द्र के रूप में काम करना।
7. वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सम्बन्धित विषय क्षेत्रों के विषयों के लिये सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सहायक कार्य करना।

5.2.3. गठन (Organisation)

व्यक्तिगत एवं संस्थागत सदस्यों से मिलकर इसकी साधारण सभा का गठन किया जाता है। साधारण सभा दारा 34 सदस्यी कौंसिल का चुनाव किया जाता है जिनमें 14 पदाधिकारी तथा 20 सदस्य सम्मिलित हैं। परिषद अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी तथा वित्त समिति का गठन करती है। संघ का सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में सम्पन्न होता है, जिनमें पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है।

कुशल एवं प्रभावी सेवाओं हेतु संघ को निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है:-

1. प्रलेखन विभाग
2. शिक्षा विभाग
3. प्रलेख पुनरुत्पादन तथा अनुवाद विभाग
4. प्रकाशन एवं प्रचार विभाग
5. पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग
6. पुस्तकालयों के मध्य सहयोग तथा समन्वय विभाग

5.2.4. कार्य (Function)

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 'आइजलिक' दारा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते है:-

1. मांग पर सूचना प्रदान करता है।
2. पुस्तकालयों तथा सूचना सेवाओं से सम्बद्ध समस्याओं पर प्रार्थना पर परामर्श देता है।
3. फोटो कापी सेवा तथा अनुवाद सेवा प्रदान करता है।
4. अन्त: पुस्तकालय सहयोग तथा अन्त: पुस्तकालय ऋण को प्रोत्साहन देना। इसके लिए अन्त: पुस्तकालय ऋण संहिता भी तैयार की गई है।
5. कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (Short Term Training Courses) आदि की समय-समय पर व्यवस्था करता है।
6. संघ के प्रकाशन प्रकाशित करता है।
7. सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों का नियमित रूप से आयोजन करता है।

8. पुस्तकालय विज्ञान से सम्बद्ध साहित्य के संग्रह के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करता है।
9. आइजलिक बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देता है।
10. देश के विभिन्न भागों में अध्ययन वृतों की व्यवस्था करता है जिनमें व्यावसायिक रूचि के विषयों पर व्याख्यान होते हैं।
11. अनवरत शिक्षा (Continuous Education) के अन्तर्गत कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है।
12. पुस्तकालय व्यवसायियों के वेतनमानों, उनकी सेवा शर्तों और सामाजिक स्तर में सुधार का कार्य करता है।
13. निस्सात (NISSAT) के सहयोग से विशेष योजनाओं पर कार्य कर रहा है।
14. इफला तथा एफ. आई. डी. से भी यह संघ सम्बन्ध रखता है।

5.2.5. प्रकाशन गतिविधियाँ (Publication Activities)

आइजलिक निम्नलिखित प्रकाशन गतिविधियों में संलग्न है:-

1. संघ के सदस्यों को संघ की गतिविधियों से परिचित रखने तथा पुस्तकालय विज्ञान में होने वाली नवीन शोध की जानकारी हेतु आइजलिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जाता है। इसकी आवधिकता मासिक है।
2. पुस्तकालय विज्ञान विषय के शोध लेखों का प्रकाशन आइजलिक बुलेटिन नामक त्रैमासिक पत्रिका में किया जाता है। संघ के सभी सदस्यों को यह पत्रिका निशुल्क प्रदान की जाती है।
3. भारत में प्रकाशित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लेखों एवं प्रलेखों की त्रैमासिक सार पत्रिका इण्डियन लाइब्रेरीज साइन्स एब्सट्रेक्ट्स का प्रकाशन।
4. डाइरेक्ट्री ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरीज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण (1985) में प्रकाशित।
5. सम्मेलनों के अवसर पर विशिष्ट विषयों पर विद्वत लेखों का प्रकाशन।
6. पुस्तकालय विज्ञान के कुछ ग्रन्थों एवं मोनोग्राफ्स का प्रकाशन।

5.2.6. मूल्यांकन (Evaluation)

भारतीय पुस्तकालय संघ की तुलना के आइजलिक अधिक गतिशील है। यह संघ वैज्ञानिकों, तकनीकविदों, शिक्षाविदों तथा विद्वानों को अद्यतन ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। इस संघ ने केवल विदेशों के अपने समकक्ष संघों (Counterparts) जैसे अमेरीका की स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसियेशन, ग्रेट ब्रिटेन की एसलिब आदि से सम्बन्ध रखता है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे एफ. आई. डी., इफला आदि से भी तालमेल बनाये रखता है। साथ ही विशिष्ट पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं तथा तकनीकों में शोध के केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघों में मात्र यही एक संघ है जो वैज्ञानिकों के अनुवाद सेवा भी प्रदान कर रहा है।

5.3. इंडियन एसोसियेशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस - आइटलिस

5.3.1. स्थापना

इस संघ की स्थापना 1967 में प्रोफेसर पी.एन.कौला के प्रयास द्वारा संभव हो सकी। आइटलिस की स्थापना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में कार्यरत अध्यापकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की रुचि को ध्यान में रख कर की गई थी। इस संघ में 100 से अधिक आजीवन सदस्य एवं कई पुस्तकालय व्यवसायी सामान्य सदस्य है। संघ अपना कार्य चुने हुए प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं परिषद सदस्य दारा करती है।

5.3.2. कार्यक्रम (Activities)

आइटलिस समय समय पर सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित करती है। हर तीन माह पश्चात अपना न्यूजलेटर प्रकाशित करती है। जिसको आइटलिस कम्युनिकेशन IATLIS Communication) कहते हैं। न्यूजलेटर के द्वारा संघ के सभी सदस्यों को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं विकास की जानकारी प्रदान की जाती है संघ प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। साथ ही यह संघ अपने कार्यक्रमों को भी समयानुसार आयोजित कर रहा है।

इस संघ की मुख्य समस्या इस का छोटा आकार है लेकिन इसका लाभ यह है कि यह संगठन कार्य को ठीक प्रकार से कर सकती है। यद्यपि किसी भी संघ की सुदृढ़ता उस संघ में कितने सदस्य है, पर निर्भर करती है इस संघ का कार्यालय संघ के अध्यक्ष के साथ स्थान परिवर्तित होता रहता है। वर्तमान में इसका मुख्यालय उस्मानिया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, हैदराबाद में स्थित है।

संघ का आकार छोटा होने के कारण चुनाव निर्विरोध रूप से होते है। संघ की मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित प्रकार है।

1. सर्वप्रथम इस संघ के सदस्यों के लिये ई-ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़ सके। और एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित हो सके।
2. आइटलिस कम्युनिकेशन (IATLIS Communication) को समय पर प्रकाशित करना।
3. आवश्यकता के आधार पर वर्कशॉप/सेमिनार आयोजित करना।
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र में निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना।
5. ई-मेल आधारित सभी सदस्यों की एक निर्देशिका तैयार करना।
6. राज्य एवं जिला एवं स्थानीय स्तरों पर समारोह आयोजित करने के लिये उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना।
7. संघ पुरस्कार स्थापित कर नामजद सदस्यों को आमंत्रित करना चाहता है। इसके लिये इस संघ ने निम्नलिखित दो पुरस्कार घोषित किये है।
   (i) आइटलिस-मोतीवाले सर्वश्रेष्ठ अध्यापक अवार्ड।
   (ii) एन. रत्ना राव सर्वश्रेष्ठ महिला अध्यापक/व्यावसायी अवार्ड

5.3.3. प्रकाशन

आइटलिस कम्युनिकेशन संघ की मुख्य सूचनाओं को प्रकाशित करता है ज़ो इस संघ के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संघ अधिक से अधिक अध्यापकों एवं पुस्तकालय कर्मियों को इस संघ का सदस्य बनाना चाहता है ताकि इस संघ को और भी अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

संघ द्वारा अब तक आइटलिस कम्युनिकेशन के 71 खंड प्रकाशित किये जा चुके है। जिससे स्पष्ट है कि संघ अपने कार्य को निपुणता के साथ निभा रहा है। इस न्यूज़लेटर द्वारा सभी सदस्यों को इस संघ की कार्यवाही की सूचना प्रदान की जाती है।

5.4. अमेरिकन पुस्तकालय संघ (American Library Association)

अमेरिकन पुस्तकालय संघ विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, जिसकी स्थापना अक्टूबर, 1876 में ग्रन्थालयियों के एक सम्मेलन फिलिडेलिफिया में 6 अक्टूबर, 1876 को की गई। मेलविल ड्यूई (Melvil Dewey) इसके संस्थापक सचिव थे। आजकल इसका मुख्यालय शिकागों में स्थित है।

5.4.1. उद्देश्य (Objective)

प्रारम्भ से ही संघ का ध्येय न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लोगों के लिये सर्वश्रेष्ठ सामग्री, निश्चित किया गया। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1. ग्रन्थालयित्व (Librarianship) तथा पुस्तकालय सेवा की उन्नति और विकास करना।
2. अपने सदस्यों में सद्भावना जागृत करना।
3. पुस्तकालयों को वित्त प्रदान करना तथा पुस्तकालयों में सुधार हेतु जन जागृति पैदा करना।
4. सभी की जीवन पर्यन्त सेवा करना।
5. सदस्यों को बौद्धिक स्वतन्त्रता (Intellectual freedom), अबाध अभिव्यक्ति (Free expression) तथा निःशुल्क (Free) पठन सामग्री उपलब्ध कराना।
6. पाठकों के हितों की रक्षा करना।

5.4.2. गठन (Organisation)

कोई भी वह व्यक्ति, पुस्तकालय और संगठन जो पुस्तकालय में रुचि रखता हो, चाहे वह किसी भी भौगोलिक सीमा में रहता हो इसका सदस्य बन सकता है। इसके लगभग 40,000 सदस्य है।

अमेरिकन पुस्तकालय के सदस्य अपने अध्यक्ष, कार्यकारिणी तथा उसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसका एक प्रबन्ध मंडल होता है जो संघ का संचालन करता है। संघ के कई स्तर के अंग हैं, जैसे पुस्तकालय के प्रकार पर आधारित विभाग- सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग, महाविद्यालय एवं शोध पुस्तकालय विभाग आदि, पुस्तकालय गतिविधियों पर आधारित विभाग जैसे बाल पुस्तकालय विभाग, सन्दर्भ सेवा विभाग, पुस्तकालय प्रशिक्षण विभाग, तकनीकी सेवाएँ विभाग आदि। सदस्यों के हितों के लिए गोलमेज परिषद (Round Tables Council) है। इस संघ में 300 से भी अधिक कर्मचारी कार्यरत है।

5.4.3. कार्य (Functions)

अमेरीकन पुस्तकालय संघ पुस्तकालय सेवा तथा ग्रन्थालयियों की प्रोन्नति आदि अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है। विश्व में पुस्तकालय विज्ञान के विकास का श्रेय इसी संघ को है। पुस्तकालय विज्ञान का सर्वप्रथम विद्यालय संघ के प्रयास से ही कोलम्बिया में प्रारम्भ हुआ जिसके अध्यक्ष मेलविल ड्यूई थे।

पुस्तकालय प्रक्रिया, तकनीकी सेवाओं का स्तर निर्धारण, पुस्तकालय प्रशिक्षण विद्यालयों में समान स्तर बनाये रखना आदि-आदि कार्यों पर अमेरिकन पुस्तकालय संघ निरन्तर ध्यान रखता है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रसारण सेवा के क्षेत्र में शोध तथा नये-नये प्रयोग करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों (Continuing Education Programmes) में भी इसका सहयोग रहता है। पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने में भी इसकी प्रशंसनीय भूमिका रही है।

वार्षिक अधिवेशनों के दौरान संघ सेमीनार, कान्फ्रेंस तथा कार्यशालाओं का आयोजन करता है। पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार तथा सुधारों में यह नेतृत्व प्रदान करता है। संघ गुणात्मक पुस्तकालय सेवा की गुणवत्ता(Quality) में सुधार करने के लिए मानदण्ड स्थापित करता है। पुस्तकालय विज्ञानियों के नाम पर अनेक पुरस्कार प्रदान करता है।

5.4.4. प्रकाशन गतिविधियां (Publication Activities)

अमेरिकन पुस्तकालय संघ के लगभग 2200 प्रकाशन हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार है:-

1. ए. एल. ए. इयर बुक
2. ए. एल. ए. हेन्डबुक ऑफ ओर्गेनाइजेशन्स एण्ड मेम्बर्स (वार्षिक)
3. अमेरिकन लाइब्रेरी मासिक पत्रिका (जुलाई अगस्त के अतिरिक्त, पूर्व में इसका नाम ए.एल.ए. बुलेटिन था।)
4. बुक लिस्ट (वर्ष में 11 अंक)
5. वाशिंगटन न्यूज लेटर (मासिक)
6. लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

इनके अतिरिक्त समय समय पर संघ- Monographs, Manuals, Guides, Codes, Handbooks, Annual Reports, Seminars/Conferences Reports आदि का प्रकाशन भी करता है।

5.4.5 अमेरिकन पुस्तकालय संघ की अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ (International Activities of ALA)

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्बन्ध में भी अमेरिकन पुस्तकालय संघ प्रमुख रूप से सम्बद्ध है। यह यूनेस्को, इफला एवं एफ. आई. डी. की गतिविधियों में सहभागिता करता है। संघ विश्व के कई देशों के पुस्तकालयों के विकास में अपनी तकनीकी सेवायें, परामर्श सेवायें, यात्रा अनुदान, पाठ्यसामग्री आदि की सहायता प्रदान करता है।

5.5. लाईब्रेरी एसोसियेशन, यू. के., (Library Association, UK)

विश्व का दूसरा पुराना पुस्तकालय संघ लाइब्रेरी एसोसियेशन है, जिसकी स्थापना लंदन इन्स्टीट्यूशन (London Institution) के ग्रन्थालयी ई. डब्ल्यू. बी. निकल्सन (E. W. B. Nicholson) के सुझाव पर 5 अक्टूबर, 1877 को हुई। इसका मुख्यालय लंदन में रखा गया। पहले इसका नाम लाइब्रेरी एसोसियेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम (Library association of United Kingdom) था लेकिन 1896 में इस को बदल कर लाइब्रेरी एसोसियेशन (Library Association) कर दिया गया।

5.5.1. उद्देश्य (Objectives)

इस संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. पुस्तकालय सेवा तथा पुस्तकालय में कार्यरत अथवा पुस्तकालय कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करना।
2. वर्तमान पुस्तकालयों के लिए श्रेष्ठ प्रशासन प्रदान करना।
3. आवश्यकतानुसार नये पुस्तकालयों की स्थापना करना।
4. पुस्तकालय के लिए सरल एवं उपयोगी नियमों का निर्माण।
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में शोध को प्रोत्साहन देना।
6. वाङ्गमय शोध को बढ़ावा देना।
7. ग्रन्थालयियों हेतु बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के लिए अवसर प्रदान करना।
8. ग्रन्थालयियों के व्यावसायिक स्तर की उन्नति के लिए प्रयत्न करना।
9. जनता में पुस्तकालय भावना जागृत करने तथा पुस्तकालय के प्रति रुचि पैदा करने के प्रयास करना आदि-आदि।

5.5.2 संगठन (Organisation)

संघ के कार्यो एवं उद्देश्यों में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते है। इसके लगभग 20,000 सदस्य हैं। इसका अपना आधुनिक भवन है जिसमें लगभग 100 कर्मचारी कार्यरत हैं।संघ की 12 क्षेत्रीय शाखायें है जिनमें 23 कर्मचारी समूह है। संघ को सुचारु रूप से चलाने के लिये 60 सदस्यों की एक कार्य परिषद है जिसका चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है।

परिषद की सहायता के लिए चार मुख्य समितियाँ बनाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. प्रशासकीय समिति
2. सामान्य कार्य समिति
3. समन्वय समिति
4. पुस्तकालय सेवा तथा व्यावसायिक विकास एवं शिक्षा समिति।

5.5.3. गतिविधियां (Activities)

यह संघ निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करता है।

1. यह भावी ग्रन्थालयियों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य तथा परीक्षाओं का आयोजन करता है।
2. यह अनवरत शिक्षा का कार्य करता है।
3. यह चार्टेड लाइब्रेरियन्स के व्यावसायिक रजिस्टर की व्यवस्था करता है।
4. यह प्रतिवर्ष एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।
5. संघ की शाखायें व समूह अपने पृथक-पृथक सम्मेलन आयोजित करते हैं।
6. पुस्तकालय व्यवसाय हेतु अच्छे साहित्य के लिए लेखकों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करता है।
7. राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय (National Central Library) तथा क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना के लिए भी यही संघ उत्तरदायी है।
8. संघ के सहयोग से ही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1892,1919 तथा सार्वजनिक पुस्तकालय एवं म्यूजियम अधिनियम 1964 पारित हुए हैं।
9. यह संघ समय-समय पर सार्वजनिक पुस्तकालयों से सम्बन्धित सर्वेक्षण करता है।
10. यह एसलिब तथा ब्रिटिश कौंसिल लाइब्रेरी के साथ सहयोग कर अनेक विषय में सहयोग करता है।
11. संघ के सद्प्रयत्नों से ही आज ग्रेट ब्रिटेन देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाने में विश्व में अग्रणी रहा है।

5.5.4. प्रकाशन गतिविधियाँ (Publication Activities)

संघ की प्रमुख प्रकाशन गतिविधियाँ निम्नलिखित है:-

1. लाइब्रेरी एसोसियेशन रिकार्ड पत्रिका का प्रकाशन।
2. लाइब्रेरी एसोसियेशन ईयर बुक का प्रकाशन।
3. जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप-त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन।
4. ब्रिटिश टेक्नॉलॉजी इन्डेक्स नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन।
5. ब्रिटिश ह्यूमनटीज इन्डेक्स का प्रकाशन।
6. करन्ट रिसर्च इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइन्स।
7. लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साइन्स एब्सट्रेक्ट्स।
8. टेक्स्ट ऑफ ए. ए. सी. आर.-I।
9. वैलफोर्ड गाइड टू रेफ्रेन्स मटेरियल।
10. प्रोसीडींगस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस।
11. फ्यूचर - फर्स्ट एण्ड फ्यूचर - सैकिण्ड।

5.5.5. अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ (International Activities)

अमेरिकन पुस्तकालय संघ की तरह ही यह संघ भी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में पूर्णतया संलग्न है। यह यूनेस्को, इफला तथा एफ. आई. डी. की अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में पूर्णतया सहयोग देता है। यह ब्रिटिश कौंसिल के विकासशील देशों के पुस्तकालय कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान करता है। साहित्यिक आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत इन देशों के

ग्रन्थालयियों हेतु भ्रमण, शिक्षक भ्रमण, आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इसने राष्ट्रकुल देशों की कामनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसियेशन की स्थापना में भी सहयोग किया है।

6. सारांश

इस इकाई में पुस्तकालय संघ को परिभाषित करते हुये इसके उद्देश्यों, कार्य एवं प्रकार पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA) आइजलिक संघों की चर्चा विस्तार से की गयी है साथ ही अमेरिकन पुस्तकालय संघ (ALA) लाइब्रेरी एसोसियेशन (UK) के उद्देश्य, गठन, कार्य एवं प्रकाशन गतिविधियों को समझाने का प्रयास किया है। अन्त में अभ्यासार्थ प्रश्न एवं विस्तृत अध्ययन के लिए ग्रन्थ सूची दी गयी है।

7. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. पुस्तकालय संघ का अर्थ बताइये एवं इसके उद्देश्य, कार्य एवं प्रकारों का वर्णन किजिए।
2. भारतीय पुस्तकालय संघ (ILA) पर एक लेख लिखिए।
3. आइजलिक पर एक लेख लिखिए।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
   (अ) अमेरिकन पुस्तकालय संघ
   (ब) लाइब्रेरी एसोसियेशन

8. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची (Bibliography)

1. अग्रवाल, श्याम सुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर आर. बी. एस. ए., 1994. अध्याय 22.
2. सैनी, ओम प्रकाश, पुस्तकालय एवं समाज, आगरा, वाई के पब्लिशर्स, 1999. अध्याय 13
3. शर्मा, पाण्डे एस. के., पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995, अध्याय J.
4. व्यास, एस.डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992. अध्याय 10.
5. Indian Library Association: Annual Report
6. Indian Association of Special and Information Centres: Annual Report.

इकाई - 16 : पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन मे संलग्न संगठन एवं संस्थायें (Organisation and Institutions Involved in Development of Library and Information Services)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं- यूनेस्को, एफ आई डी एवं इफला से परिचित होना,
2. राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं- राजाराम मोहनराय पुस्तकालय न्यास, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत) की गतिविधियों से अवगत होना, एवं
3. राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र - इन्सडॉक एवं नास्डॉक से परिचित होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थायें
   - 2.1. यूनेस्को
   - 2.2. एफ. आई. डी.
   - 2.3. इफला
3. राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थायें
   - 3.1. राजाराम मोहनराय पुस्तकालय न्यास
   - 3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
4. राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र
   - 4.1. इन्सडॉक
   - 4.2. नस्डॉक
5. सारांश
6. अभ्यासार्थ प्रश्न
7. विस्तृत अभ्यासार्थ ग्रन्थ सूची

1. विषय प्रवेश

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन, समन्वय एवं विकास में कई संस्थायें कार्यरत हैं। इनमें से कुछ संस्थायें एजेन्सी के रूप में तथा कुछ स्वैच्छिक आधार पर कार्य करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थाओं एवं संगठनों की गतिविधियों की आगामी पृष्ठों पर विवेचना की जा रही हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थायें

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना के उन्नयन में वैसे तो कई संस्थायें कार्य कर रही है, पर प्रमुख रूप से यूनेस्को, एफ. आई. डी. तथा इफला उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं।

2.1.यूनेस्को (UNESCO)

2.1.1. स्थापना (Establishment)

विश्व के इतिहास में 4 नवम्बर, 1946 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, क्योंकि इसी दिन यूनेस्को की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस विशिष्टीकृत संस्था की स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार के निमन्त्रण पर 1 - 16 नवम्बर, 1945 तक लन्दन में आयोजित एक सम्मेलन में विश्व के 44 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (Unesco) की स्थापना का निर्णय लिया। इस सम्मेलन में इस नये संगठन जिसका संक्षिप्त नाम यूनेस्को है, का संविधान बनाया गया जिसका मुख्यालय पेरिस में रखा गया। इसके नाम में प्रमुख विभिन्न विषयों में से यह पुस्तकालय, प्रलेखन, सूचना, पुरालेख, ग्रंथ निर्माण, स्वत्वाधिकार आदि विषयों से सम्बन्ध रखता है। इन विषयों को यूनेस्को मुख्यालय में विभिन्न इकाइयों द्वारा देखा जाता है। 1976 में दो मुख्य विभागों-प्रलेखन एवं सूचना विभाग जो यूनिस्सिक कार्यक्रम की गतिविधियों के लिये जिम्मेदार थे, को मिलाकर एक नया विभाग जनरल इंफोर्मेशन प्रोग्राम (P G I) स्थापित किया गया। प्रलेखन पद्धति विभाग, जिसमें कम्प्यूटरीकृत प्रलेखन सेवायें भी सम्मिलित है, यूनेस्को पुस्तकालय एवं यूनेस्को पुरालेख को जनरल इंफोर्मेशन प्रोग्राम से अलग रखा गया है।

2.1.2. उद्देश्य (Objectives)

इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा हेतु शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन देना जिसमें राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण अच्छे सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित हो सके।

(2) सदस्य राष्ट्रों के विशेषत: विकसित तथा नव स्वतन्त्र हुए देशों को शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायता करना।

(3) विज्ञान एवं समाज विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा इन क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के अनुसन्धान एवं शैक्षणिक प्रगति के लिये सहायता देना तथा विशिष्ट समस्याओं का व्यावहारिक समाधान करना।

(4) शैक्षणिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना, विश्व की अल्पज्ञात सांस्कृतिक धरोहरों का प्रचार करना तथा आपसी समादर द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों की अभिवृद्धि करना।

(5) शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रलेखन कार्य के लिये वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना।

2.1.3. संगठन (Organisation)

संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य राष्ट्र यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में यूनेस्को के 158 सदस्य राष्ट्र एवं 2 सह सदस्य राष्ट्र हैं। इसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं:-

(1) **साधारण सभा :** यह यूनेस्को का प्रमुख अंग है एवं इसका गठन सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इसका अधिवेशन वर्ष में दो बार होता है। इसका मुख्य कार्य यूनेस्को की नीतियां निर्धारित करना है।

(2) **कार्यकारी बोर्ड :** कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों में से किया जाता है। यह बोर्ड यूनेस्को की नीतियों व कार्यक्रमों को क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी है।

(3) **सचिवालय :** इसका प्रमुख महानिदेशक होता है। इसका चुनाव साधारण सभा द्वारा कार्यकारी बोर्ड के द्वारा नामांकित सदस्यों में से होता है।

2.1.4. ग्रन्थालयित्व एवं प्रलेखन गतिविधियों में यूनेस्को का योगदान (Contributions of UNESCO in Librarianship and Documentation Activities)

यूनेस्को अपने सदस्य राष्ट्रों को पुस्तकालयों की स्थापना, पुस्तकालय सेवाओं के विकास तथा ग्रन्थालयित्व के क्षेत्र में सभी स्तरों पर विकास के लिये आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस क्षेत्र में इसकी प्रमुख गतिविधियों का अध्ययन निम्नलिखित समूहों के अन्तर्गत कर सकते हैं:-

1. **पुस्तकालय अभिलेखागार एवं प्रलेखन सेवायें:-** अपने स्थापना काल से ही यूनेस्को द्वारा प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस हेतु यूनेस्को ने 1949 में यूनेस्को मेनिफेस्टों फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज नामक महत्वपूर्ण प्रलेख जारी किया तथा इसे पुन: संशोधित कर 1972 में प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र (Manifesto) में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया है:

(क) यूनेस्को ने 1951 में भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, 1954 में मैडलीन सार्वजनिक पुस्तकालय और 1959 में 'एगुनु, नाईजीरिया में क्षेत्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग दिया है।

(ख) लैटिन अमेरीका में विश्वविद्यालयों के विकास पर आयोजित संगोष्ठी में की गई सिफारिशों के आधार पर अमेरीका के पुस्तकालयों में अत्यधिक सुधार हो रहा है।

(ग) थाईलैंड तथा ट्यूनिशिया को राष्ट्रीय पुस्तकालयों की संघ सूचियों के निर्माण के लिए कम्प्यूटरों की सहायता की जा रही है।

(घ) प्रलेखन के क्षेत्र में अनुसंधानों के लिये सूचना संग्रह करने, विश्लेषण करने तथा सूचना प्रसार के लिये एक सूचना प्रणाली को इसोरिड सूचना पद्धति (ISORID) के नाम से जाना जाता है एफ-आई-डी के सहयोग से प्रारम्भ की।

(ङ) यूनेस्को ने इन्टरनेशनल कौंसिल ऑफ सांइटिफिक यूनियन्स (ICSU) के सहयोग से यूनिसिस्ट योजना का शुभारम्भ किया।

2. **ग्रन्थ उत्पादन में सहयोग:** अधिकतर विकासशील देशों में अपनी स्थानीय भाषा में ग्रन्थों की कमी एक प्रमुख समस्या है। इस हेतु यूनेस्को ने अपने संविधान में उच्चस्तरीय ग्रन्थ उत्पादन को प्रगति देने के लिये कई घोषणायें की है। प्रत्येक देश हेतु नेशनल बुक डेवलपमेंट कौंसिल की स्थापना पर बल दिया गया है। 1972 को अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया गया तथा ग्रन्थों से सम्बन्धित दस सूत्रीय चार्टर बनाया गया जिसमें पढ़ने का अधिकार सबको है, ग्रन्थ शिक्षा के लिये अनिवार्य हैं, आदि बिन्दु थे।

3. **व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियां :** विकासशील देशों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव भी एक प्रमुख समस्या है। इसके निवारण हेतु यूनेस्को ने विशेष ध्यान दिया तथा कई विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशेषज्ञों की सभायें, पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु पाठ्यक्रम संचालित किये तथा उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की। कई स्थानों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किये।

4. **प्रकाशन गतिविधियां:** यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है:-

1. कॉपीराइट बुलेटिन (त्रैमासिक)
2. इन्डेक्स ट्रान्सलेशनियम
3. यूनेस्को जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन साइन्स, लाइब्रेरियनशिप एण्ड आर्काइव एडमिनिस्ट्रेशन
4. डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशनल, डॉक्यूमेन्टेशन एण्ड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज
5. वर्ल्ड गाईड टू लाइब्रेरी स्कूलस एण्ड कोर्सेज इन डाक्यूमेन्टेशन
6. यूनिसिस्ट रेफरेन्स मेन्दुअल फॉर मशीन रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्टस एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स।
7. यूनिसिस्ट न्यूज लेटर
8. इन्फोरमेटिक्स

2.2. एफ. आई. डी. इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फॉर्मेशन एण्ड डॉक्यूमेन्टेशन (F.I.D.- International Fedration for Information and Documentation)

2.2.1 स्थापना (Establishment)

1895 में दो बेल्जियम वकीलों-हेनरी ला फान्टेन (Henri La Fontaine) तथा पाल ऑटलेट (Paul Outlet) ने एक व्यापक सार्वभौमिक ग्रंथसूची की आवश्यकता को अनुभव किया जिसमें विश्व के समस्त सूक्ष्म एवं वृहद प्रलेखों को सूचीबद्ध किया जा सके। इसी सन्दर्भ में बेल्जियम सरकार की वित्तीय सहायता से उसी वर्ष ब्रूसेल्स (Brussels) में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रंथसूची सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थसूची संस्था (International Institute of Bibliography) की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विस्तृत सार्वभौमिक ग्रंथसूची बनाना था।

सन् 1931 में इस संस्था का नाम अन्तर्राष्ट्रीय ग्रंथसूची संस्था (IIB) से अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखन संस्था (IID) रखा गया। पुन: सन् 1927 में इसका नाम बदल कर प्रलेखन का अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ (FID) रखा गया। इस प्रकार यह व्यक्तिगत सदस्यों वाली संस्था न रहकर विभिन्न राष्ट्रों में स्थापित प्रलेखन केन्द्रों एवं सेवाओं का अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ बन गया, तथा इसी सन्दर्भ में इसके मुख्य उद्देश्य में भी परिवर्तन होता रहा। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स से हेग में लाया गया। 12 सितम्बर 1986 को इसकी साधारण सभा (General Assembly) ने पुन: इसके नाम में परिवर्तन किया तथा अब इसे इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफोर्मेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन के नाम से जाना जाता है।

2.2.2. सदस्यता (Membership)

इसकी सदस्यता दो प्रकार की है-

(क) पूर्ण सदस्यता (full Membership)-राष्ट्रीय सदस्य अर्थात् राष्ट्रीय केन्द्रों के प्रतिनिधि अथवा प्रलेखन विशेषज्ञों के समूहों के प्रतिनिधि, पूर्ण सदस्यता के अधिकारी होते हैं।

(ख) सह सदस्यता (Associate Membership)-चयनित सदस्य या जो व्यक्ति अथवा संगठन (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) इस संस्था के उद्देश्यों में रुचि रखते हैं, अथवा मानद सदस्य (Honorary membership) इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

1914 में इसके व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या 700 थी। 1921 में राष्ट्रीय संस्था के रूप में नीदरलैंड्स का राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (Netherlands Institute voor Documentation en Registration) इसका सदस्य बना। महासंघ के रूप में 1924 में चार राष्ट्र-बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस व स्विटजरलैंड इसके सदस्य बने। प्रारम्भिक वर्षों में इसकी गतिविधियाँ मात्र यूरोप के देशों तक ही सीमित थी, परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी सदस्य संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। भारत ने 1952 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। 1960 के इसकी सदस्य संख्या 31 हुई और इसने सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया। 1987 तक 69 राष्ट्रों एवं दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहित इसकी कुल सदस्य संख्या 270 थी। 1995 में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 83 हो गई।

2.2.3. संगठन (Organisation)

एफ. आई. डी. के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको निम्नलिखित चार विभागों में विभक्त किया गया है-

(1) साधारण सभा (General Assembly)

(2) परिषद (Council)

(3) ब्यूरो (Bureau)

(4) सचिवालय (Secretariat)

साधारण सभा का मुख्य कार्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों को निर्धारित करना हैं। यह मुख्य शक्तिशाली अंग है। इसका गठन समस्त पूर्ण सदस्यता प्राप्त सदस्यों द्वारा होता है। इसकी बैठक दो वर्ष में एक बार होती है। परिषद में अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 12

पार्षद तथा महासचिव पदेन सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसके मुख्य कार्य सचिव की नियुक्ति, नये सदस्यों के प्रवेश की अनुमति तथा सभी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का कार्यान्वयन है। परिषद के प्रशासकीय कार्य (Executive function) होने के कारण इसे सभी निर्णयों पर साधारण सभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

सचिवालय इसका अन्य महत्वपूर्ण अंग है। यह सचिवालय कार्यों को सम्पन्न करने के साथ-साथ वर्गीकरण विभाग, प्रकाशन तथा सूचना विभाग की भी देख-रेख करता है।

2.2.4. उद्देश्य (Objectives)

प्रारम्भ में इसके निम्नलिखित पांच उद्देश्य थे:-

1. ऐसी पत्रिका का प्रकाशन करना, जो कि ग्रन्थपरक संगठन (Bibliographic organisation) सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
2. ग्रन्थपरक सूचना (Bibliographic information) के लिए वितरण केन्द्र (Clearing house) का कार्य करना।
3. सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण पद्धति (UDC) का विस्तार करना।
4. विश्व साहित्य की संघ सूची (Union catalogue) तैयार करना।
5. ग्रन्थपरक संगठन (Bibliographic organisation) विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रोत्साहित करना।

प्रलेखन का महत्व बढ़ने के साथ-साथ एफ.आई.डी. ने भी अपने कार्य क्षेत्र से समुचित परिवर्तन किये है। इसने अपना ध्यान मुख्य रूप से वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना के संचार की ओर केन्द्रित कर दिया है। वर्तमान में एफ. आई. डी. के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. प्रलेखन से सम्बन्धित संगठनों एवं व्यक्तियों की गतिविधियों का समन्वय करना।
2. उद्योगों को प्रदान की जाने वाली तकनीकी सूचना के संचार माध्यमों का अध्ययन मूल्यांकन करना।
3. प्रलेखनकर्ताओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना।
4. वैज्ञानिक सूचना की आधारभूत समस्याओं का पता लगाना।
5. सूचना प्रस्तुतीकरण में वास्तविक अथवा संभावित उपयोग, भाषा, विज्ञान एवं सम्बन्धित अध्ययनों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना।
6. यूनिवर्सल डेसीमल क्लासीफिकेशन (UDC) पद्धति के संशोधन एवं विस्तार से सम्बन्धित गतिविधियों का समन्वयीकरण।
7. यान्त्रिक तकनीकों एवं पद्धतियों के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक क्षेत्रों का अध्ययन करना।
8. विकासशील राष्ट्रों में राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन सेवाओं को प्रारम्भ करने में सहायता प्रदान करना।
9. सदस्य राष्ट्रों के मध्य सूचना के विनिमय को प्रोत्साहित करना। '
10. वर्गीकरण शब्दावली के मानकीकरण को विकसित करना।

11. प्रलेखन तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना के क्षेत्र में सक्रिय अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सहयोग स्थापित करना।

निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि एफ. आई. डी. सूचना विज्ञान एवं सूचना प्रणालियों से सम्बन्धित संस्थाओं, संघों एवं व्यक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समूहबद्ध कर, उनके विचारों एवं सुझावों के आदान-प्रदान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है और इस कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपने क्रियाकलापों को समन्वित करने का अवसर देता है।

2.2.5. समितियां (Committees)

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कई तकनीकी समितियों तथा कृत्यक दलों (Task forces) का गठन किया गया है, जो कि अपना विशिष्ठ कार्य सम्पन्न करते हैं। महत्वपूर्ण समितियों का वर्णन यहां दिया जा रहा है-

1. केन्द्रीय वर्गीकरण समिति (FID/CCC-Central Classification Committee)

सन् 1924 में स्थापित, इस समिति का 1960 एवं 1965 में पुनर्गठन किया गया। समिति की 30 विशेष यू. डी. सी. परिवर्द्धन उपसमितियाँ एफ. आई. डी की सबसे बड़ी गतिविधि का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो उपसमितियाँ भी इससे सम्बद्ध हैं (क) अन्तर्राष्ट्रीय भवन-वर्गीकरण समिति (International Building Classification Committee) (ख) कृषि साहित्य के वर्गीकरण हेतु संयुक्त समिति (Joint Committee for Classification of Agriculture Literature) समिति के वर्तमान प्रकाशन कार्यक्रमों में यू. डी. सी. के विभिन्न भाषाओं में पूर्ण तथा मध्यम संस्करण तैयार करने के अतिरिक्त यू डी. सी. परिवर्धन हेतु सुझाव देना तथा यू. डी. सी. में विस्तार एवं सुधार करना सम्मिलित है।

2. वर्गीकरण अनुसंधान समिति (FID/CR-Committee on Classification Research)

इस समिति का गठन, सन् 1962 में, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धान्तों सम्बन्धी समिति (FID/CA) के स्थान पर किया गया है। यह विभिन्न देशों में स्थित राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान समूहों से सम्पर्क बनाये रखती है। सन् 1964 में इस समिति ने एलजीनोर (Elsinore) में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन तथा 1975 में बम्बई में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके मुख्य कार्यक्रम हैं: (क) वर्गीकरण शब्दावली का मानकीकरण (ख) वर्गीकरण साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा प्रकाशित करना (ग) क्वीवलैंड (USA) स्थित ग्रन्थपरक केन्द्र को वर्गीकरण पद्धतियों का संग्रह तथा पर्याय शब्दकोश बनाने हेतु सहायता करना तथा सभी इच्छुक व्यक्तियों को यह संग्रह तथा पर्याय शब्दकोश उपलब्ध करवाना। (घ) अनुक्रमणीकरण में शोध की प्रगति में सहायता देना। समिति (FID/CR) रिपोर्ट की सीरीज भी प्रकाशित करती है।

3. सूचना एवं प्रलेखन शब्दावली की समिति (FDI/DT-Committee on Terminology of Information and Documentation)

इस समिति का कार्य सूचना एवं प्रलेखन शब्दावली को प्रकृति, सिद्धांत, विधियों एवं समस्याओं पर शोध करना है।

4. **शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति (FID/CR-Committee on Classification Research)**

यद्यपि इस समिति का गठन सन् 1953 में किया गया था, किन्तु 1959 में इसे पुनर्गठित किया गया। प्रलेखनकर्ताओं हेतु आयोजित विभिन्न आधारभूत प्रशिक्षणों के अतिरिक्त इस समिति ने एक ऐसे कुशल एवं उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आवश्यक समझा, जिसका पाठ्यक्रम स्वचलित सूचना संग्रह एवं पुनप्राप्ति की समस्याओं को सम्मिलित करता हो। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों को सहायता प्रदान करना तथा विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना भी इसका कार्य है। समिति ने प्राध्यापकों की एक ऐसी विश्व सूची तैयार की है, जो कि विदेशों में प्रलेखन पढ़ा सकते हैं तथा प्रलेखनकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु पाठ्य-पुस्तकें लिख सकते हैं।

एसलिब (Aslib) के सहयोग से, सन् 1967 में समिति ने लन्दन में वैज्ञानिक सूचना कार्य हेतु शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। समिति प्रलेखन एवं सूचना कार्यों में विश्व में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की निर्देशिका प्रकाशित कर रही है तथा इसे समय-समय पर अद्यतन (up to date) करती है।

5. **उद्योगों के लिए सूचना सम्बन्धी समिति (FID/II-Committee on Information for Industry)**

इस समिति का गठन सन् 1959 में किया गया था। समिति के द्वारा उद्योगों के लिए तकनीकी, आर्थिक एवं व्यवस्थापकीय पत्रिकाओं की राष्ट्रीय सूचियों की श्रृंखला का प्रकाशन किया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सूचना सेवाओं की विश्वव्यापी निर्देशिका का द्वितीय संस्करण भी इस समिति ने प्रकाशित किया है।

1982 में इस समिति की 22 वीं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:-

(1) सूचना संसाधन प्रबन्ध एवं व्यवस्था;
(2) उन्नयन एवं विकास के लिए सूचना व्यवस्था;
(3) सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण;
(4) राष्ट्रीय उद्योग परामर्श सेवायें (Referral services);
(5) क्षेत्रीय निर्देशिका।

6. **सूचना सांख्यिकी समिति (FID/IM- Committee on Informatrics)**

इस समिति का कार्य गणित के सूचना विज्ञान में प्रयोग की विधि एवं मूल्यांकन विधि हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

7. **प्रलेखन में भाषाई अध्ययन समिति (FID/IM- Committee on Linguistics in Documentation)**

यह समिति प्रलेखन में भाषाई एवं सूचना विज्ञान दृष्टिकोण से शोध पर कार्य करती है। यह एक पत्रिका 'लिग्बिस्टिक इन डॉक्यूमेन्टेशन-करेन्ट एब्सट्रेक्ट्स' भी प्रकाशित करती है।

8. **एकस्व सूचना एवं प्रलेखन समिति (FID/PD- Committee Information and documentation)**

यह समिति एकस्वों सम्बन्धी सूचना के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम आयोजित करती है।

9. **सूचना के सैद्धान्तिक पक्ष में अनुसंधान पर अध्ययन समिति (FID/RI-Research on Theoretical Basis for Information Committee)**

इस समिति का गठन सन् 1985 में किया गया। इसके मुख्य कार्यक्रम हैं-

(क) सूचना पुनः प्राप्ति पद्धति की दक्षता के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड निर्धारण।

(ख) विभिन्न सूचना सेवाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सूचना स्त्रोतों एवं उनके सारकरण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करना। यह समिति सूचना विज्ञान, विज्ञान के सैद्धान्तिक आधार का विकास तथा इसका अन्य वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध एवं प्रभाव का अध्ययन करती है।

10. **समाज विज्ञान विकास समिति (FID-Committee on Social Science Development)**

इस समिति का कार्य समाज विज्ञानों में सूचना एवं प्रलेखन गतिविधियों की प्रगति हेतु प्रयत्न करना है।

2.2.6 क्षेत्रीय आयोग (Regional Commissions)

अपनी बढ़ती हुई गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एफ. आई. डी. द्वारा विभिन्न चरणों में निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय आयोग स्थापित किये गये हैं:-

(क) लेटिन अमेरिकन क्षेत्रीय आयोग (FDI/CLA-Commission for Latin America) 1988 में स्थापित।

(ख) दक्षिण-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों हेतु क्षेत्रीय आयोग (FDI/CAO-Committee for Asia and Oceania) 1986 में स्थापित।

(ग) अफ्रीकी क्षेत्र के राष्ट्रों हेतु क्षेत्रीय आयोग (FID/CAE-Commission for Africa) अभी कुछ वर्ष पूर्व ही स्थापित।

क्षेत्रीय आयोग क्षेत्र के सदस्य राष्ट्रों की अर्द्धशासी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। इनका अपना कार्यक्रम एवं बजट होता है। इन क्षेत्रीय आयोगों द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तथा गतिविधियों की सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु न्यूज लेटर भी प्रकाशित किये जाते है।

2.2.7 सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण (Universal Decimal Classification)

यू.डी.सी वर्गीकरण पद्धति का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण 1905 में मेन्युअल डी रेपर्टोटयर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल (Manual de Repertaire Bibliographic Universal) के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसका द्वितीय संस्करण फ्रेन्च, तृतीय संस्करण जर्मन तथा चतुर्थ संस्करण अंग्रेजी भाषा में 1938 से 1989 के काल में प्रकाशित हुआ। इसी बीच अंग्रेजी भाषा में प्रथम संक्षिप्त संस्करण (Abridged edition) 1948 में तथा तृतीय संस्करण 1961

में प्रकाशित हुए इसके नवीनतम मध्यम स्तरीय संस्करण जर्मन भाषा में 1985 में तथा अंग्रेजी भाषा में भाग 1 क्रमबद्ध अनुसूची (Systematic Table) तथा भाग 2 अकारादि अनुक्रमणी (Alphabetical Index) अभी कुछ समय पूर्व ही प्रकाशित हुए है। विश्व की 29 भाषाओं में इसके संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

यू.डी.सी वर्गीकरण पद्धति का संशोधन, विकास एवं अनुरक्षण एफ.आई.डी. की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय वर्गीकरण समिति (FID/CCC) के तत्वावधान एवं संयोजन में लगभग 30 संशोधन समितियां इसके विकास में सहायता देती है।

2.2.8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)

एफ.आई.डी. वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन के क्षेत्र में यूनेस्को व इसके संगठनों-संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council of the United Nations-ECOSOC), खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agricultural Organisation-FAO), अन्तर्राष्ट्रीय आवणिक शक्ति ऐजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA), संयुक्त राष्ट्र संघ का औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization-UNIDO), अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (International Telecommunication Union-ITU) आदि के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे सामाजिक विज्ञान सूचना एवं प्रलेखन की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (International Committee for Social Science Information Documentation-ICSSD), अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख परिषद (International Council on Archives-ICA), अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (International Standards Organization-ISO), के साथ भी सहयोग करता है ।

2.2.9.1 एफ.आई.डी. की गतिविधियों में भारतीय योगदान (India's Contribution to FID)

भारत एफ.आई.डी. की गतिविधियों में 1948 से ही सक्रिय भाग लेता रहा है। एफ.आई.डी. के पूर्व महासचिव डोंकर ड्यूईस (Donker Duyvis) के आग्रह पर रंगनाथन ने इसकी दो समितियों-वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत (FID/CA) एवं वर्गीकरण शोध (FID/CR) की गतिविधियों का संचालन किया। दो दशकों तक रंगनाथन इनके रिपोर्टर जनरल तथा मानद अध्यक्ष के रूप में इनसे सम्बद्ध रहे। इसी प्रकार इन्सडॉक भी अपने स्थापना वर्ष 1952 से ही इसका राष्ट्रीय सदस्य है। भारतीय प्रतिनिधि इसकी परिषद के सदस्य हैं। एफ.आई.डी. ने 1957 में रंगनाथन को मानद सदस्यता प्रदान कर सम्मानित किया है। इसी प्रकार भारत इसकी कई तकनीकी समितियों का सदस्य भी हैं। भारत ने 1975 में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण शोध सम्मेलन (Third International Conference on Classification Research) बम्बई तथा 1965 में द्वितीय क्षेत्रीय वर्गीकरण शोध सम्मेलन (Second Regional Conference on Classification Research) की मेजबानी की ।

2.2.9.2. प्रकाशन (Publications of FID)

एफ.आई.डी. के मुख्य प्रकाशन निम्नलिखित हैं:-

(1) ए गाइड टू वर्ल्डस् ट्रेनिंग फेसीलिटीज एन डॉक्यूमेन्टेशन।

(2) मैनूअल ऑफ डाक्यूमेन्टेशन रिप्रोडक्शन एण्ड सलेक्शन ।

(3) मैनुअल ऑफ मॉर्डन डॉक्यूमेन्टेशन प्रक्टीसेज।

(4) ए लिस्ट ऑफ 2000 एब्स्ट्रेक्टिंग सर्विसेज इन सांइस, टेक्नोलॉजी एण्ड मेडीसन।

(5) वर्ल्ड लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एण्ड डॉक्यूमेन्टेशन जर्नल्स ।

(6) एफ.आई.डी. न्यूज बुलेटिन (मासिक)

(7) एफ.आई.डी/सी.आर. रिपोर्ट सीरीज ।

(8) एफ.आई.डी. डाइरेक्ट्री (द्विवार्षिक) ।

(9) एक्सटेंशन्स एण्ड करेक्शन्स टू यु.डी.सी. (वार्षिक) ।

(10) आर एण्ड डी प्रोजक्टस इन डॉक्यूमेन्टेशन एण्ड लाइब्रेरियनशिप (द्विमासिक) ।

(11) इन्टरनेशनल फोरम ऑफ इन्फॉरमेशन एण्ड डॉक्यूमेन्टेशन (त्रैमासिक)

2.3. इफला (IFLA)

इफला की विस्तार से जानकारी इकाई 17 में दी गई है ।

3. राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थायें

3.1. राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास (Raja Ram Mohan Roy Library Foundation)

3.1.1. भूमिका

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका गठन देश के महान शिक्षा प्रेमी एवं समाज सुधारक राजा राममोहन राय की स्मृति में मई 1972 में किया गया था। इस न्यास का स्वयं का भवन DD 34 साल्टलेक सेक्टर- 1, कलकत्ता में स्थित है। यह न्यास पश्चिमी बंगाल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। इस न्यास को अपनी गतिविधियां संचालन हेतु पूर्ण वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

3.1.2. गठन (Organisation)

भारत सरकार के मानव संसाधन मन्त्री अथवा उनका प्रतिनिधि इस न्यास का अध्यक्ष होता है। इसकी कार्यकारिणी समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसमें चार प्रसिद्ध ग्रन्थालयियों अथवा पुस्तकालय वैज्ञानिकों को मनोनीत किया जाता है। इनके अतिरिक्त इसमें भारतीय पुस्तकालय संघ एवं नेशनल बुक ट्रस्ट को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रशासनिक समिति इस न्यास की एक महत्वपूर्ण समिति है। न्यास के कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारीगण-पूर्णकालिक निदेशक, क्षेत्र अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी एवं लेखा अधिकारी है।

3.1.3. उद्देश्य (Objectives)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास के प्रमुख उद्देश्य अधोलिखित है: -

(i) राज्य सरकारी के सहयोग से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की योजना बनाकर पुस्तकालय आन्दोलन को गति देना तथा राज्य सरकारी द्वारा गठित राज्य पुस्तकालय नियोजन समिति के माध्यम से अनुदान देना।

(ii) विभिन्न राज्य सरकारों के अपने राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने हेतु प्रेरित करना।

(iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्धारण एवं उसे केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिये प्रयत्नशील रहना।

(iv) देश के पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का संचालन।

(v) नवसाक्षरों एवं ग्रामीण जनता में अध्ययन प्रवृति के विकास का प्रयत्न करना।

(vi) राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों आदि का राष्ट्रीय पुस्तकालय तन्त्र स्थापित कर अन्त: पुस्तकालय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

(vii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में नवीन अनुसंधानों को गति देना।

(viii) देश में पुस्तकालय विकास एवं उनके प्रयोग में वृद्धि सम्बन्धी कार्य कलापों हेतु प्रयत्न करना।

3.1.4. गतिविधियां (Activities)

उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्यास द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जाता है: -

1. **सार्वजनिक पुस्तकालय अनुदान योजना :** सार्वजनिक पुस्तकालयों की विकास के लिये कई योजनायें चलाई जा रही है:-

आर्थिक अनुदान की योजना के अन्तर्गत समकक्ष सहायता (Protecting Grant) तथा पूर्ण सहायता दी जाती है।

(A) **समकक्ष सहायता योजना :**

समकक्ष सहायता योजना के अन्तर्गत न्यास पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा शेष पचास प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है:

(i) ग्रन्थ एवं श्रव्य दृश्य सामग्री क्रय हेतु सहायता।

(ii) ग्रामीण ग्रन्थ संचयन केन्द्रों की स्थापना तथा चल पुस्तकालय सेवा के संचालन हेतु सहायता।

(iii) ग्रन्थ संचय तथा ग्रन्थ प्रदर्शन के लिये सहायता।

(iv) कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के आयोजन तथा ग्रन्थ प्रदर्शनियों हेतु सहायता।

(v) जिला स्तर के निचले स्तर के पुस्तकालयों के भवन विस्तार हेतु सहायता।

(vi) जिला तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों को टेलिविजन एवं विडियो कैसेट रिकार्ड क्रय हेतु सहायता।

(B) **पूर्ण सहायता**

पूर्ण या शत प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत न्यास द्वारा निम्नलिखित हेतु सहायता प्रदान की जाती है: -

(i) केन्द्रीय क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये ग्रन्थों को राज्य केन्द्रीय एवं जिला स्तरीय पुस्तकालयों में वितरण।

(ii) केन्द्रीय संपोषित पुस्तकालयों जैसे नेहरू युवा केन्द्रों के पुस्तकालय को सहायता।

(iii) बाल पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल विभाग प्रारम्भ करने के लिये सहायता।

(iv) अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे बालभवनों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने एवं संचालित करने में सहायता।

2. पुस्तकालय संघों को अनुदान

समय समय पर न्यास राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलनों संगोष्ठियों आदि के आयोजन हेतु पुस्तकालय संघों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है।

3. पुस्तकालय अधिनियम

न्यास अपने स्थापना काल से ही विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने हेतु प्रयत्नशील रहा है।

4. राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति

इस न्यास द्वारा 1981 में गठित कार्यकारी समूह (Working Group) द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप 1983 में तैयार किया गया इस प्रारूप के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेन्ट जारी कर प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी अनुसंशायें 1986 में प्रस्तुत की। शासन द्वारा इन अनुसंशाओं पर विचार करने के लिये एवं अधिकृत समिति गठित की गई, जिसके द्वारा पूरे देश के प्रमुख पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से विचार विनिमय कर अपना प्रतिवेदन "नेशनल पालिसी ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इंफोर्मेशन सिस्टम: ए प्रजेन्टेशन" प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह न्यास पुस्तकालयों की प्रगति हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है।

3.1.5. प्रकाशन गतिविधियां

(1) न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रचार हेतु एक प्रकाशन 'बुक्स फॉर मिलियंस एट देयर डोर स्टेप' का प्रकाशन किया गया है।

(2) 1984-85 में न्यास द्वारा व्याख्यानमाला के अन्तर्गत देश के प्रमुख ग्रन्थालयियों तथा पुस्तकालय वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का संग्रह 'इण्डियन लाइब्रेरीज: ट्रेन्डस एण्ड परसप्रेक्टिवस' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशन किया गया।

(3) न्यास द्वारा 'डायरेक्ट्री ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया का प्रकाशन भी किया गया है।

(4) पुस्तकालय विज्ञान विषयक शोध लेखों के प्रकाशन हेतु 'ग्रन्थना' नामकपत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है।

(5) न्यास द्वारा अपनी गतिविधियों के प्रचार प्रसार हेतु त्रैमासिक न्यूज़लेटर भी प्रकाशित किया जाता है।

3.2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत) (University Grants Commission, India)

3.2.1. स्थापना (Establishment)

प्रमुख शिक्षा शास्त्री डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 के सुझावों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना-1953 में डॉ. सी.पी. देशमुख की अध्यक्षता में की गई थी। 1956 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत इसे स्वायत्तशासी स्वरूप प्रदान किया गया। आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय करना तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर को निर्धारण तथा अनुरक्षण करना है। आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। उच्च शिक्षा के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण एवं परिपालन करता है।

3.2.2. पुस्तकालय एवं सूचना गतिविधियां (Library and Information Activities)

भारतीय विश्वविद्यालयों की शीर्षस्थ संस्था होने के कारण आयोग विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास से सीधा सम्बन्ध रखता है। पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु आयोग ने समय समय पर समितियों का गठन किया है। इस क्षेत्र की चयनित गतिविधियां निम्नलिखित है: -

(1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु आर्थिक अनुदान देना।
(2) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन।
(3) राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों का गठन।
(4) इन्फलिबिनेट की स्थापना।
(5) विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण।
(6) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय पर समीक्षा समितियों का गठन।

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों हेतु आर्थिक अनुदान

उच्च शिक्षा के विभिन्न केन्द्रों केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थाओं, शासकीय महाविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु भवन निर्माण, फर्नीचर, पाठ्य सामग्री एवं शोध सामग्री के लिये आर्थिक अनुदान प्रदान करता है। महाविद्यालयों में ग्रन्थ बैंकों की स्थापना हेतु भी आर्थिक सहयोग देता है।

2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रम को अद्यतन करने एवं उसमें एकरूपता लाने हेतु 1990 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया। इस समिति के विचारणीय बिन्दु-प्रवेश नीति, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या एवं अध्ययन प्रतिवर्ष अध्ययन सहायक सामग्री, शिक्षण माध्यम आदि थे। विभागों की स्थापना हेतु न्यूनतम

स्थान, कार्यालय एवं कार्यशालाओं की स्थापना, शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारियों की संख्या आदि कुछ अन्य विषय थे जिन पर समिति ने सुझाव प्रेषित किये।

3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों की स्थापना

विभिन्न विशिष्टीकृत विषयों व क्षेत्रों में रत शोधकर्ताओं एवं अध्यापकों को अपने क्षेत्रों में सूचना प्राप्ति में सहायता देने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छठी योजना में विज्ञान विषय के लिये इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बंगलौर तथा समाज विज्ञान एवं मानविकी के लिये महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ौदा एवं एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय मुम्बई में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र स्थापित किये गये।

4. इन्फलिबनेट की स्थापना

इन्फॉर्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इन्फलिबनेट) जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में रखा गया है, का गठन 1988 में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं जैसे कौंसिल ऑफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च, इण्डियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इण्डियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च आदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों, शोध एवं विकास के संस्थानों के मध्य सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करना था। अब तक लगभग 150 विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है।

5. विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण

विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण हेतु उसकी सेवाओं एवं कार्य प्रणाली में तीव्रता लाने के लिये कम्प्यूटरों का प्रयोग आवश्यक है। इस हेतु आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु दो करोड़ रुपया, एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित विश्वविद्यालयों हेतु 50 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान दिया गया ताकि ये पुस्तकालय अपनी सुविधाओं का अध्ययन कर, कम्प्यूटरीकृत कर इन्फलिबनेट कार्यक्रम से जुड़ सके। इस अनुदान राशि को प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया:

(1) कम्प्यूटरों, पिन्टर, सॉफ्टवेयर आदि के क्रय हेतु।

(2) कम्प्यूटरों, फर्नीचर, बिजली फिटिंग एवं शीतानुकूलता हेतु।

(3) सूचना वैज्ञानिकों एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नियुक्ति हेतु।

(4) ग्रन्थ, पत्रिकाओं, श्रव्य दृश्य सामग्री के क्रय हेतु।

(5) कर्मचारियों के प्रशिक्षण करने हेतु।

(6) डाटा एन्ट्री परिवर्तन (आधुनिकीकरण) हेतु।

6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय हेतु समीक्षा समिति का गठन

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के आधुनिकीकरण हेतु दिये गये आर्थिक अनुदान का उचित उपयोग हुआ या नहीं यह आकलन करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली का सुचारू बनाने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है।

4. राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र

4.1. इन्सडॉक-भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (INSDOC-Indian National Scientific Documentation Centre)

4.1.1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspectives)

इन्सडॉक की स्थापना का प्रथम प्रयास 1947 में किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (International Standards Organisation) ने भारतीय मानक संस्था (Indian standard Institute) को इस केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में पत्र द्वारा प्रेषित किया था, परन्तु यह प्रयास सफल न हो सका। इस दिशा मे दूसरा प्रयास 1950 में एस. आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। इस केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में रंगनाथन द्वारा समय-समय पर तीन विभिन्न योजनाएं बनाई तथा अन्तिम योजना पर विस्तार से विचार हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष शान्तिस्वरूप भटनागर तथा इसके सदस्य एस. आर. रंगनाथन व के. एस. कृष्णन नियुक्त किये गये। सितम्बर 1951 में भारत सरकार द्वारा इन्सडॉक की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसकी सुचारू व्यवस्था के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस केन्द्र की स्थापना में यूनेस्को ने पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान किया तथा इसमें जून, 1952 में विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसकी स्थापना में यूनेस्को ने निम्नलिखित रूप में सहयोग देना स्वीकार किया:-

1. विदेशों में ज्ञान प्राप्ति हेतु शैक्षणिक अनुदान व छात्रवृतियां $ 8,000
2. वैज्ञानिक व अन्य उपकरण $ 24,000
3. वैज्ञानिक पत्रिकाएं $ 13,000
4. तीन वर्ष के लिए तीन-विदेशी विशेषज्ञों पर किया जाने वाला व्यय।

प्रारम्भ मे इसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक की प्रशासनिक अधीनता में रखा गया किन्तु 1982 से यह पूर्णकालीक निदेशक के निर्देशन में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अधीन कार्य कर रहा है।

आजकल ये नई दिल्ली के सत्संग विहार मार्ग स्थित अपने स्वयं के भवन में स्थित है।

4.1.2. उद्देश्य (Objectives)

इन्सडॉक के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के सूचना स्रोतों का संग्रह करना;
2. विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में यथासम्भव सूचना सेवाएं प्रदान करना;
3. भारत में उपलब्ध सूचना सेवाओं एवं सूचना प्रणाली के मध्य समन्वय करना;
4. प्रकाशित एवं अर्ध प्रकाशित वैज्ञानिक कार्यों के प्रतिवेदनों के राष्ट्रीय निक्षेपागार के रूप में कार्य करना तथा देश व विदेशों में इसकी उपलब्धि के माध्यम के रूप में कार्य करना;

5. सूचना एवं प्रोद्योगिकी (पुस्तकालय विज्ञान एवं प्रलेखन सहित) के विकास में शोध एवं अन्य गतिविधियों द्वारा योगदान देना;
6. सूचना विज्ञान एवं सेवाओं के सुचारू संचालन एवं उच्च स्तरीय गठन हेतु योग्य एवं कुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना;
7. देश के सूचना-तन्त्र एवं सेवाओं की क्षमताओं व उत्पादकता के विकास हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अंगीकृत एवं विकसित करना; एवं
8. अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सूचनाओं के आदान-प्रदान में प्रभावी रूप से सम्मिलित होना।

4.1.3. संगठनात्मक एवं कार्यात्मक ढांचा (Organizational and Functional Chart)

इन्सडॉक के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे विभिन्न विभागों में विभाजित किया गया है जिसे चार्ट के रूप में निम्नलिखित प्रकार दर्शाया गया है-

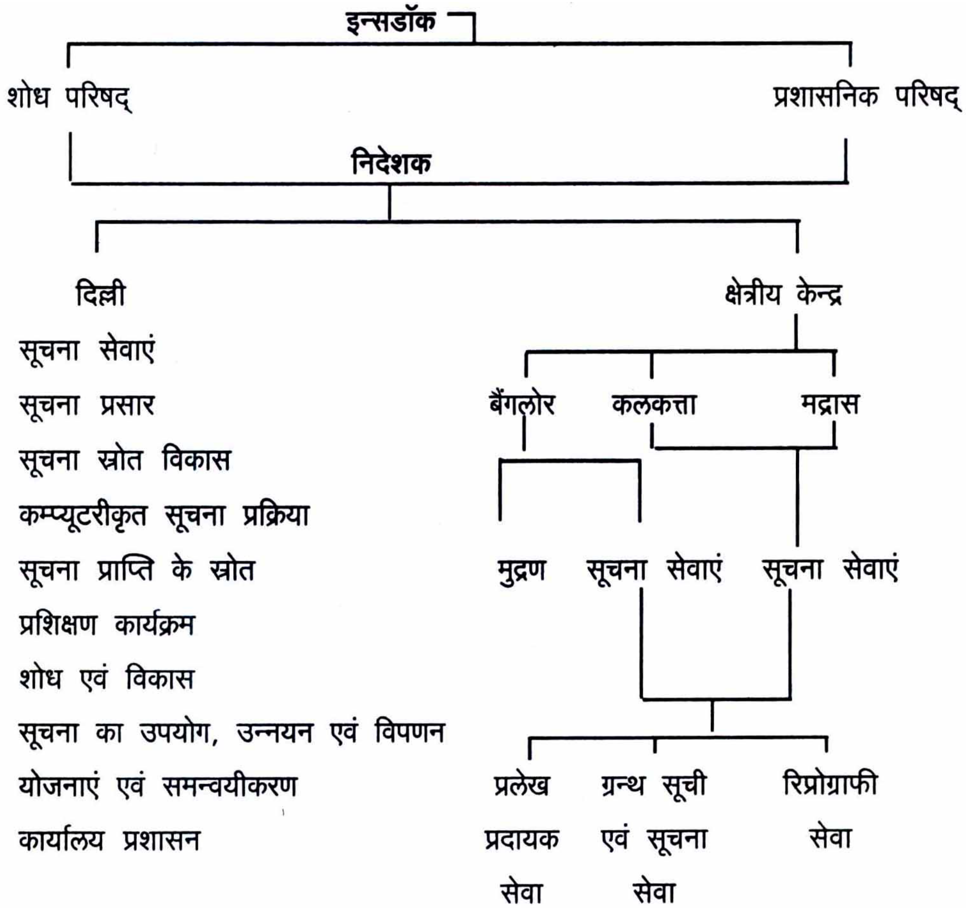

इन्सडॉक की गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु लगभग 250 वैज्ञानिकों तथा तकनीकी अधिकारियों सहित कुल 570 कर्मचारी कार्यरत है।

4.1.4. सेवाएं (Services)

इन्सडॉक शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक संस्थानों, शासकीय विभागों एवं व्यक्तिगत वैज्ञानिकों तकनीशियनों आदि को सभी प्रकार की प्रलेखन एवं सूचना सेवाएं प्रदान

करता है। इसके तीनों क्षेत्रीय केन्द्र-बंगलौर, कलकत्ता व मद्रास अपने क्षेत्र के सूचना स्त्रोतों का सर्वेक्षण कर उनके उपयोग एवं क्षेत्र की सूचना संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करते है ।

(i) प्रलेख प्रदायक सेवा (Document Copy Supply Services)

कोई भी शोधकर्ता इन्सडॉक को किसी भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशन की खोज एवं उसकी प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु आदेश कर सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय तथा भारत के अन्य शहरों के पुस्तकालयों की पाठ्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। अन्तिम प्रयत्न के रूप में अप्राप्त सामग्री की प्रतियां अन्य देशों के प्रलेखन एवं सूचना केन्द्रों से सूक्ष्म चित्र (Microfilm) के रूप में मंगवाकर प्रदान की जाती है। वे सेवाएं नगण्य मूल्य पर प्रदान की जाती है।

(ii) ग्रन्थ सूची संकलन (Bibliographic Compilation)

इन्सडॉक वैज्ञानिक विषयों पर तदर्थ ग्रन्थ सूचियाँ भी संकलित करता है। इस प्रकार की सेवा की प्रमुख मांग लघु उद्योगों क्षेत्रों एवं देश विदेश में शोधरत वैज्ञानिकों से आती है। प्रतिवर्ष लगभग 250 ग्रन्थ सूचियां संकलित की जाती हैं। इन सूचियों में ग्रन्थों, पत्रिकाओं के लेखों, एकस्वों (Patents), विशिष्टियों (Specifications) व प्रतिवेदन साहित्य आदि के सन्दर्भ सम्मिलित रहते है।

(iii) विदेशी भाषा अनुवाद एवं सूचना सेवा (Foreign Language Translation and Information Services)

लगभग सभी वैज्ञानिक विषयों के लेखों के अनुवाद की मांग की पूर्ति हेतु इस केन्द्र द्वारा 18 विदेशी भाषाओं (16 यूरोपीय व 2 एशियाई) से आंग्ल भाषा में, अनुवाद की सुविधा प्रदान की जाती है। इस केन्द्र द्वारा चेक, डेनिस फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटेलियन, नॉरवेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रूमानियन, रूसी, सर्बो क्रोएशियन (servo Croation) स्लोवाक, स्पेनिश, स्वीडिश, यूक्रेनियन से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हेतु 50 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जाता है । चीनी व जापानी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद हेतु 25 रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जाता है । इसी प्रकार अंग्रेजी से चेक, फ्रेंच, जर्मन, पेलिश व रूसी भाषा में अनुवाद की भी सुविधा है। इस केन्द्र में कुछ पूर्णकालिक अनुवादकों के अतिरिक्त अन्य अंशकालिक अनुभवी अनुवादकों की सेवाओं का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 10,000 पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया जाता है।

इन्सडॉक एवं अन्य भारतीय शोध संस्थाओं द्वारा अनूदित लेखों की सूची भी कम्प्यूटर द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे नियमित रूप से प्रकाशित भी किया जाता है। पूर्व में अनूदित लेखों की मांग की पूर्ति अविलम्ब की जाती है।

(iv) रिप्रोग्राफी सेवायें (Reprography Services)

इन्सडॉक का छायाचित्र विभाग सूक्ष्म चित्रण (Microfilming) छाया चित्रण (Photocopying) एवं स्लाइड बनाने के उपकरणों से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। यह विभाग स्थानीय व बाह्य पुस्तकालयों से मंगाये गये प्रलेखों की प्रतियां तैयार करता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 पृष्ठ व 20,000 सूक्ष्म चित्र पट्टिका (Microfilm strips) तैयार की जाती

है। यह केन्द्र विभिन्न संस्थाओं को स्थानाभाव से बचाने के लिए उनके पुराने रिकार्ड का सूक्ष्म चित्रण का कार्य भी करता है।

(v) **मुद्रण (Printing**)

इन्सडॉक द्वारा अपने सभी प्रकाशनों को मुद्रित करने हेतु इसका मुद्रण विभाग आधुनिक ऑफसेट मुद्रण मशीनों एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है। अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के प्रकाशन-मोनोग्राफ्स, वार्षिक प्रतिवेदन एवं सम्मेलन कार्यवाही का प्रकाशन कार्य भी करता है। इसी प्रकार के मुद्रण कार्य की सुविधा बंगलौर क्षेत्रीय केन्द्र पर भी उपलब्ध है।

(vi) परामर्श सेवा (Advisory and Consultancy Service)

अनुरोध करने पर इन्सडॉक अन्य संस्थाओं को उनकी सूचना प्रणाली, सूचना सेवाओं एवं उत्पादों के निर्माण एवं विकास सूचना विज्ञान का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुद्रण एवं छाया चित्रण सुविधाओं के निर्माण, प्रदर्शनियों हेतु पोस्टरों एवं पट्टों (panels) के अभिकल्पन सम्बन्धी परामर्श भी देता है ।

(vii) श्रव्य दृश्य सेवा (Audio Visual Service)

सूचना के उपयोग में सहायतार्थ प्रदत्त पाठकीय शिक्षण हेतु इन्सडॉक टेप/स्लाइडों का निर्माण भी करता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक संस्थानों के कार्यो, गतिविधियों एवं सेवाओं को दर्शाने वाले श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण भी करता है।

4.1.5. प्रकाशन गतिविधियां (Publication Activities)

सूचना प्रसारण हेतु इन्सडॉक नियमित रूप से निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है-

(i) इंडियन साइन्स एब्स्ट्रेक्ट्स (Indian Science Abstracts)

1955 से 1964 तक इस केन्द्र द्वारा, दक्षिण व पूर्व एशिया के वैज्ञानिक प्रकाशनों की ग्रन्थ Bibliography of Scientific Publications of South and South East Asia) प्रकाशित की गई । इसमें प्रतिवर्ष लगभग 12,000 सन्दर्भ दिये रहते थे । 1965 से इसके स्थान पर इण्डियन साइन्स एब्सट्रेक्ट नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जो अब पाक्षिक रूप से प्रकाशित हो रही है। इस सार पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक प्रकाशनों को सूचीबद्ध व सारकृत करना है, ताकि उनका व्यापक उपयोग सम्भव हो सके। इसमें लगभग 650 वैज्ञानिक व तकनीकी पत्रिकाओं में प्रकाशित 25,000 मौलिक लेखों (भारतीय पत्रिकाएं एवं वे विदेशी पत्रिकाएं जिनमें भारतीय वैज्ञानिकों के लेख होते हैं, सम्मेलन कार्यवाहियों, शोध प्रबन्धकों, प्रतिवेदनों, एकस्वों, प्रमाणकों (Standards) एवं अन्य अन्तरिम प्रकाशनों को शामिल किया जाता है।

(ii) रशियन साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल पब्लिकेशन्स एन एक्सेशन लिस्ट

इस द्विमासिक पत्रिका के प्रत्येक अंक में भारत-रूस वैज्ञानिक एवं तकनीकी समझौते के अन्तर्गत प्राप्त लगभग 300 रूसी ग्रन्थों की सूची दी रहती है।

(iii) कन्टैंट्स लिस्ट ऑफ सोवियत साइंटिफिक पीरियोडिकल्स

इस मासिक पत्रिका में 250 रूसी वैज्ञानिक पत्रिकाओं के विषय सूची पृष्ठों की अंग्रेजी में अनुकृति दी रहती

(iv) नेशनेल इंडेक्स आफ ट्रांसलेशन्स

यह भारत की 25 प्रमुख शोध एवं विकास संस्थाओं द्वारा अनुवादों की मासिक सूची है।

(v) एनल्स आफ लाइब्रेरी साइन्स एण्ड डाक्यूमेन्टेशन

प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितम्बर, दिसम्बर में प्रकाशित इस पत्रिका का प्रकाशन 1955 में रंगनाथन के सुयोग्य सम्पादकत्व में, 'एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइन्स' के नाम से प्रारम्भ हुआ था 1964 में इस पत्रिका के नाम में परिवर्तन के बाद अब इसे 'एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइन्स एण्ड डाक्यूमेन्टेशन' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा । इसमें पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न पक्षों जैसे- वर्गीकरण,सूचीकरण, ग्रन्थपरक संगठन, प्रलेखन विधियों रिप्रोग्राफी, सूचना विज्ञान आदि पर मौलिक लेख प्रकाशित होते हैं।

(vi) सूचना प्रदायक स्रोतों का प्रकाशन (Information Access Tools)

इन्सडॉक द्वारा समय-समय पर देश की वैज्ञानिक संस्थाओं, वैज्ञानिक पत्रिकाओं, वैज्ञानिक सूचना सेवाओं एवं सुविधाओं, शोध प्रगति आदि से सम्बन्धित निर्देशिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। इन्हें नियमित तौर पर अद्यतन एवं संशोधित कर प्रकाशित किया जाता है। इन्सडॉक द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख निर्देशिकाएं निम्नलिखित हैं-

(अ) डायरेक्ट्री ऑफ साइन्टिफिक इन्स्टीट्यूशन्स इन इण्डिया (1969)

(ब) डायरेक्ट्री ऑफ इण्डियन साइन्टिफिक पीरियाडिकल्स (1978)

(स) डायरेक्ट्री ऑफ करेन्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन सी. एस. आई. आर. लेबोरेट्रीज (1972)

(द) डायरेक्ट्री ऑफ इण्डियन रिसर्च इन इण्डियन यूनिवर्सिटीज

(य) डाइरेक्ट्री ऑफ इण्डियन साइन्टिफिक एण्ड टेक्नीकल ट्रांसलेटर्स (1978)

(र) डाइरेक्ट्री ऑफ साइन्स इन्फोर्मेशन सर्विसेज इन इण्डिया (1980)

(ल) यूनियन लिस्ट ऑफ साइन्टिफिक सीरियल्स इण्डिया (1982)

उपर्युक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त भी अग्रलिखित अन्तरिम प्रकाशन इन्सडॉक द्वारा प्रकाशित किये गये हैं-

(अ) एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी ऑन कार्बन टेक्नोलॉजी (1978)

(ब) रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन विन्ड एनर्जी (स्टेट ऑफ द आर्ट) (1982)

(स) सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (स्टेट ऑफ द आर्ट) (1982)

इसी प्रकार इन्सडॉक देश के 800 से अधिक वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं औद्योगिक समूहों के पुस्तकालयों में उपलब्ध सामायिकों की सूची नेशनल यूनियन केटॉलॉग ऑफ साइन्टिफिक सीरियल इन इण्डिया (NUCSSI) के नाम से प्रकाशित की है। इन सूचियों

में सम्मिलित 35,000 सामायिकों में से 18,000 को मशीन सुवाच्य रूप में एकत्रित किया गया है।

4.1.6. प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme)

भारत में शैक्षणिक व वैज्ञानिक शोध एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संलग्न पुस्तकालयों के प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 1964 में 'डाक्यूमेन्टेशन एन्ड बिब्लियोग्राफी' का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया वर्तमान में यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 'एसोसियेटशिप इन इन्फॉरमेशन साइन्स' के नाम से चलाया जा रहा है, जो कि पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। इस पाठ्यक्रम को जर्मन फॉउन्डेशन फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तथा अपने वैज्ञानिकों को इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु फैलोशिप भी प्रदान की जाती है। इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार है-

(अ) विद्यार्थियों को समस्त विकासात्मक गतिविधियों में सूचना की व्यापक एवं महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी कराना।

(ब) शोध एवं विकास (R & D), व्यवसाय एवं उद्योगों (Business and industry), राजकीय विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के क्षेत्र में सूचना तंत्रों को अभिकल्पित करने, कार्यान्वित करने तथा व्यवस्थापित करने हेतु विद्यार्थियों के आवश्यक तकनीकों का ज्ञान कराना ।

(स) विद्यार्थियों को सूचना के रख-रखाव (Information handling) में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता सहित समस्त तकनीकी गठन की जानकारी प्रदान कराना; तथा

(द) विद्यार्थियों को विभिन्न देशों के पारस्परिक सहयोग, समन्वय तथा विनिमय के लिए सूचना की सार्वभौमिक प्रकृति के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान कराना।

इसके अतिरिक्त प्रलेखन, अनुवाद एवं रिप्रोग्राफी के सतत शिक्षण कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। इन्सडॉक की सभी प्रवृत्तियों में दक्षता हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण (Inservice training) भी आयोजित किया जाता है । राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से समय-समय पर सेमीनार, वर्कशॉप आदि का भी आयोजन किया जाता है।

4.1.7. सूचना स्रोतों का विकास (Development of Information Sources)

(अ) राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय

इन्सडॉक में स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भारतीय वैज्ञानिक साहित्य का समुचित संग्रह कर रहा है। देश के वैज्ञानिक पुस्तकालयों में उपलब्ध सन्दर्भ स्रोतों के पूरक के रूप में यह केन्द्र विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के सन्दर्भ स्रोतों को भी संग्रहीत कर रहा है। इस समय इस राष्ट्रीय पुस्तकालय में 1,30,000 से अधिक ग्रन्थ है तथा 4,700 पत्रिकाएं आती हैं।

यह पुस्तकालय पाद्य सामग्री के उपयोग, सन्दर्भ, अर्न्तपुस्तकालय आदान-प्रदान सेवा के अतिरिक्त यह शोध एवं विकास संस्थाओं एवं उद्योगों में रत शोधकर्त्ताओं की वैज्ञानिक एवं

तकनीक सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सन्दर्भ केन्द्र (Referral Centre) के रूप में कार्यरत है ।

(ब) रशियन विज्ञान सूचना केन्द्र

इस केन्द्र में विनीति तथा भारत-रूस वैज्ञानिक एवं तकनीकी,समझौते के अन्तर्गत प्राप्त रूसी वैज्ञानिक प्रकाशनों का समुचित संग्रह है। रूस से प्राप्त प्रकाशनों को पाठकों को सूचित करने हेतु इस केन्द्र द्वारा दो नियमित प्रकाशन (i) रशियन साइन्टिफिक एण्ड टेक्नीकल पब्लिकेशन्स-एन एक्सेशन लिस्ट एवं (ii) कन्टेन्ट्स लिस्ट ऑफ सोवियत साइन्टिफिक पीरियोडिकिल्स प्रकाशित किये जाते हैं। इस केन्द्र दारा रूसी वैज्ञानिक ग्रन्थों के अनूदित संस्करण भी प्रकाशित किये गये हैं ।

(स) सामायिकों की केन्द्रीयकृत प्राप्ति परियोजना (Centralized Acquisition of Periodicals Projects)

इन्सडॉक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के प्रयोगशालाओं को विदेशी वैज्ञानिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं की प्राप्ति में भी सहायता प्रदान करता है ।

4.1.8. शोध एवं विकास (Research and Development)

इन्सडॉक सूचना विज्ञान के क्षेत्र के शोध अध्ययन में भी संलग्न है । पिछले कुछ वर्षो में इसके दारा 'बिब्लियोंमेट्रिक्स थियारस का अभिकल्पन एवं विकास, सूचना का अर्थशास्त्र एवं पाठकीय उपयोग (User Studies) आदि विषयों में शोध कार्य किया गया है।

4.1.9 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (National and International Cooperation)

सूचना एवं अनुभव के आपसी आदान प्रदान हेतु इन्सडॉक कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सम्बन्ध बनाये रखता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन महासंघ (F.I.D.) में भारत का नेतृत्व करता है तथा इसकी विभिन्न समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली स्थित केन्द्र में एफ.आई.डी./आई.एम. का सचिवालय स्थित है तथा इसके द्वारा इसके न्यूज लेटर का प्रकाशन भी किया जाता है। इसने 1975 में बम्बई में आयोजित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसन्धान सम्मेलन के आयोजन में भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। यह केन्द्र यूनेस्को के साथ भी पूर्ण सहयोग करता है और उसकी प्रलेखन, पुस्तकालय एवं पुरालेख विभाग की गतिविधियों में भाग लेता है। यूनेस्को ने दिल्ली केन्द्र व इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना में तकनीकी सहयोग प्रदान किया है। आजकल यूनेस्को की विश्व विज्ञान सूचना पद्वति (UNISIST) परियोजना में भी यह अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। इन्सडॉक को सार्क प्रलेखन केन्द्र के केन्द्र बिन्दु (Focal Point) के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। द्विपक्षीय आदान प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्सडॉक कई देशों-हंगरी रूमानिया, पौलेण्ड, बुल्गारिया, चेकेस्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, मेक्सिको व मिल के साथ प्रकाशनों विशेषज्ञों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करता है। इन्सडॉक का रूस के राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र विनीति के साथ सहयोग पूर्ण सम्बन्ध स्थापित है। इन्सडॉक में रूसी विज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना में विनीति ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

4.2. नासडॉक-राष्ट्रीय सामाजिक प्रलेखन केन्द्र (NASSDOC-National Social Science Documentation Centre)

4.2.1. एतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)

1969 में 'सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद' की स्थापना की गई तथा इस परिषद दारा 1 अक्टूबर 1969 में सामाजिक विज्ञान प्रलेख केन्द्र की विधिवत स्थापना की गई। 13 जनवरी, 1988 से इसका नाम 'राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र कर दिया गया। इस केन्द्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले शोधकर्ताओं को शोध सामग्री व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

4.2.2. कार्य (Functions)

इस केन्द्र का प्रथम कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोध ग्रन्थ व भारतीय समस्याओं से सम्बन्धित विदेशी शोध ग्रन्थों को संगृहीत करना है। द्वितीय कार्य 'सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद' की वित्तीय सहायता से किये गये शोध कार्यो के प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराना है। इसका तृतीय कार्य 'सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद' की वित्तीय सहायता से आयोजित संगोष्ठियों व सम्मेलनों के कार्यकारी लेखों को एकत्रित कर बुद्धिजीवियों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराना है। इसका चतुर्थ कार्य सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित पत्रिकाओं को उपलब्ध कराना है। इन कार्यो के अतिरिक्त यह केन्द्र निम्नलिखित कार्य भी करता है:

(1) सन्दर्भ सामग्री व शोध सामग्री संगृहीत करना।

(2) नाम मात्र मूल्य पर शोधकर्ताओं के अनुरोध पर उन्हें विशिष्ट ग्रन्थसूची संकलित करना।

(3) शोध सूचना श्रृंखला के अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थ सूचियां प्रकाशित करना।

(4) शोधकर्ताओं को महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री प्रदान करना।

(5) अनुकृतीकरण आधार सामग्री व छायांकन सेवाएं प्रदान करना।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखन संस्थाओं को भारतीय सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में प्रकाशित पत्रिकाओं की प्रलेखन सम्बन्धी सूचनाएं सम्प्रेषित करना।

(7) शोधकर्ताओं को भारत के विभिन्न पुस्तकालयों से उनके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

(8) सामाजिक विज्ञान संस्थाओं को प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिक सहायता प्रदान करना।

4.2.3. प्रमुख गतिविधियां (Main Activities)

1. पुस्तकालय (Library)

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र का अपना पुस्तकालय है इसके अर्न्तपुस्तकालय पाठ्य सामग्री केन्द्र (inter Library Resources Centre) के पास लगभग 30,000 प्रलेख है। इनमें समाज विज्ञान की पत्रिकाओं के पुराने अंक प्रमुख सन्दर्भ ग्रन्थों के अतिरिक्त

अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, अनुसन्धान लेख व योजना प्रतिवेदन आदि सामग्री सम्मलित हैं। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

सन्दर्भ सामग्री (Reference Material) : पुस्तकालय में प्रमुखतया सामाजिक विज्ञान के शब्दकोश, विश्वकोष, ग्रन्थ- सूचियां, अनुक्रमणिकाएं व सार संग्रहीत किये गये है।

पत्रिकाएं (periodicals) : पुस्तकालय में सामाजिक विज्ञान की लगभग 2000 पत्रिकायें मंगाई जाती है तथा इनके लगभग 1 ,00,000 अंक उपलब्ध हैं। इन पत्रिकाओं के प्रारम्भ से लेकर अद्यतन अंक उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 25 समाचार पत्र व 50 सामान्य पत्रिकायें भी मंगवाई जाती है ।

केन्द्र के पुस्तकालय में 'सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद' के प्रकाशन (सशुल्क व निःशुल्क) उपलब्ध हैं। इन सबकी जानकारी सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद दारा प्रकाशित 'गाइड टू बुक्स एण्ड जर्नल्स पब्लिशड' हारा हो सकती है ।

थीसिस व रिसर्च रिपोर्ट्स (Theses and Research Reports) : पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सामाजिक विज्ञान के अन्य शोधकर्ताओं के लिए इस केन्द्र के पुस्तकालय में अप्रकाशित पी.एच.डी. थीसिस व रिसर्च रिपोर्ट्स संग्रहित की जाती है। इन सबकी जानकारी दो प्रकाशित ग्रन्थ सूचियों-'थौसिसेज इन एस.एस.डी.सी.' एवं रिसर्च रिपोर्ट्स इन एस.एस.डी.सी.: एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी' से हो सकती है। ये ग्रन्थसूचियाँ समय-समय पर अद्यतन (up date) की जाती हैं।

माइक्रोफोर्म के रूप में प्रलेख (Document in Microform) पुस्तकालय में निम्नलिखित प्रकाशन माइक्रोफिल्मस व माइक्रोफिश के रूप में उपलब्ध है: एनल्स ऑफ इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी ऑफ बोम्बे जर्नल, बॉम्बे जियोग्राफिकल सोसाइटी जर्नल, इकोनोमिक वर्किंग पेपर्स, गुजरात रिसर्च सोसाइटी जर्नल, इंडियन लिंग्विस्टिक, सायकोलोजिकल एब्सट्रेक्ट्स, बिब्लियोग्राफी ऑफ मुगल इण्डिया, 1526-1707, सोशल एक्शन, कास्ट एण्ड ट्राईब्स ऑफ सदर्न इण्डिया द्वारा ई. थर्सटन एवं एन.के. रामाचारी (7भाग) व विशेष पी.एच.डी. थीसिस रिपोर्ट्स।

2. अन्तर्पुस्तकालय केन्द्र (Inter Library Centre)

यह परियोजना जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से 1975 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत इस केन्द्र ने दिल्ली के 38 से अधिक पुस्तकालयों में उपलब्ध सामाजिक विज्ञान के कम प्रयुक्त पुराने सामयिक प्रकाशनों एवं ग्रन्थों को संगृहीत कर एक स्थान पर व्यवस्थित किया है, जिससे सामाजिक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को उनके काम में आने वाले प्रकाशन सुगमतापूर्वक एक स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित लेख व प्रलेख की प्रतिलिपि भी प्रदान की जाती है।

3. विनिमय कार्यक्रम (Exchange programme)

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र अपनी सेवाओं के जाल को विस्तृत रूप देने में एक और महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह केन्द्र सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद के

प्रकाशनों का विनिमय देश व विदेश की अनेक संस्थाओं के साथ कर रहा है। वर्तमान में लगभग 2500 पत्रिकाओं का विनिमय 100 के लगभग संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। इस विनिमय कार्य के अन्तर्गत ग्रन्थ, पत्रिकाएं, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र शोध सूचना अनुक्रमिकों के अन्तर्गत निकाले गये प्रलेख व विज्ञापन आते हैं।

4. आधार सामग्री बैंक (Data Bank)

सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान में आधार सामग्री के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए 'आधार सामग्री अभिलेखागारों' (Data Archives) की स्थापना की गई है। इस सन्दर्भ में विभिन्न संस्थाओं कों सहायता भी प्रदान की जा रही है।

5. प्रलेखन कार्यक्रम (Documentation Programme)

इस प्रकार के कार्यक्रम दो रूप में संचालित किये जाते हैं। केन्द्र इन कार्यक्रमों का संचालन या तो स्वयं करता है या विशिष्ट संस्थाओं की सहायता से करता है और कुछ कार्यक्रम परिषद की विशिष्ट सहायता योजना के माध्यम से संचालित किये जाते हैं।

4.2.4. प्रकाशन गतिविधियां (Publication Activities)

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र शोध श्रृंखला के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया है-

(i) **यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल्स :** सर्वप्रथम 1971-72 में इस सूची के चार खण्ड प्रकाशित के उन्नयन में हुए थे जिनमें आन्ध्रप्रदेश, बम्बई, दिल्ली एवं कर्नाटक के पुस्तकालयों में उपलब्ध पत्रिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली से प्रकाशित सूची समय- समय पर जैसे-1978, 1982 व 1985 में अद्यतन होती रही है। सबसे नवीन सूची में दिल्ली के 30 पुस्तकालयों की 2,909 पत्रिकाएं संकलित हैं।

(ii) **यूनियन केटालॉग ऑफ सोशल साइन्स सीरियल्स :** केटालॉग को संकलित करने का कार्य 1 मार्च, 1970 को प्रारम्भ किया गया तथा 31 मार्च, 1976 तक यह कार्य पूर्ण हो गया। अब तक इसके 32 खण्ड प्रकाशित हो चुके है। इनमें 17 राज्यों व 2 केन्द्र शासित राज्यों के 550 पुस्तकालयों के सामाजिक विज्ञान के अनुक्रमिक सम्मिलित हैं। एवं इन्हें मशीन सुपाठ्य स्वरूप के भी संकलित किया जा रहा है।

(iii) **यूनियन केटालॉग ऑफ न्यूजपेपर्स इन देहली लाइब्रेरीज :** इस केटालॉग में दिल्ली के पुस्तकालयों व समाचार पत्रों के कार्यालयों में उपलब्ध 252 दैनिक पत्रों का अनुक्रमणीकरण किया गया है।

(iv) **डायरेक्ट्री ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड डायरेक्ट्री ऑफ प्रोफेशनल ऑरगेनाइजेशन्स इन इण्डिया :** 1971 में प्रथम बार प्रकाशित इन दोनों ग्रन्थों को राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने अद्यतन किया है।

(v) **महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी :** इसके प्रथम खण्ड का प्रकाशन 27 अक्टूबर, 1974 को मोनोग्राफ के रूप में हुआ था। बाद में बंगाली, हिन्दी, संस्कृत व उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया। इसके अन्य खण्ड तैयारी के विभिन्न चरणों में है।

(vi) **रिट्रोस्पैक्टिव क्यूम्यूलेटिव इन्डैक्स ऑफ इण्डियन सोशल साइन्स पीरियोडिकल्स:** इस कार्य को 1 अप्रैल 1976 में आरम्भ किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र ने इस कार्य के लिए 940 पत्रिकाओं का चयन किया, जिनका सम्बन्ध शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा एन्थ्रोपोलोजी से था। यह समाजशास्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ है।

(vii) **एरिया स्टडीज बिब्लियोग्राफी :** इस कार्य का आरम्भ 1979 में हुआ। इसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण अनुसन्धानात्मक कार्यो का वर्णन किया गया है। लगभग 10,000 शीर्षकों का वर्णन अंग्रेजी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संग्रहीत किया गया है।

(viii) **लैंग्वेज बिब्लियोग्राफिज :** इसका क्षेत्र विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें सभी प्रकार की सामाजिक विज्ञान की अनुसन्धानात्मक सामग्री का वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ और उड़िया भाषा में होने वाला है। इस ग्रन्थ में 6000 सन्दर्भ हिन्दी भाषा में 2000 गुजराती भाषा में 300 उड़िया व कन्नड़ भाषा में दिये है।

प्रकाशित अनुक्रमिक

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान केन्द्र द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन किया जा रहा है:

(1)	एक्यूजिशन अपडेट	मासिक
(2)	बिब्लियोग्राफी रिप्रिन्ट	अनियमित
(3)	बिब्लियोग्राफी ऑन टेप	अनियमित
(4)	कान्फ्रैस अलर्ट	त्रैमासिक
(5)	पेजिंग पीरियोडिकल्स	द्विमासिक
(6)	सामाजिक विज्ञान समाचार (हिन्दी)	मासिक
(7)	सोशल साइन्स रिसर्च इन्डैक्स	अनियमित
(8)	सोशल साइन्स रिसर्च इन्डैक्स	मासिक
(9)	एपिनेस (APINESS) न्यूज़लेटर	अर्धवार्षिक
(10)	इण्डियन डायरी ऑफ इवेन्टस	त्रैमासिक
(11)	नासडॉक डोकेट्स	मासिक

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र समाज विज्ञानियों को सूचनाएं, सन्दर्भ व प्रलेखन सेवाएं व शोध सामग्री उपलब्ध करवाने के कारण सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चस्तरीय सेवायें प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस केन्द्र की सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण अनुसन्धान सामग्री का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। केन्द्र द्वारा अनुसन्धानकर्ताओं की रुचि प्रोफाइल बनाकर उचित सूचना व सन्दर्भ सेवा प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की संस्थाओं एवं केन्द्रों से सम्पर्क बनाना तथा सम्बन्धित कार्यों की जानकारी का आदान प्रदान करना इस केन्द्र का नवीन कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र माइक्रोफिल्म केन्द्र की स्थापना के लिए कार्यक्रम बना रहा है व राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं और अनुसन्धान केन्द्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए व अध्ययनकर्ताओं को उत्तम सेवाएं देने के लिए देशव्यापी सूचना तन्त्र का कार्यक्रम प्रगति पर है।

नास्डॉक यूनेस्को के एशिया पेसिफिक इंफोर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइन्स की गतिविधियों में भाग लेता है तथा एफ.आई.डी. व इफला की गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।।

5. सारांश

इस इकाई में पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन में संलग्न संगठन एवं संस्थाओं की विस्तार से चर्चा की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थायें-यूनेस्को, एफ आई डी एवं इफला उद्देश्य, संगठन, प्रकाशन एवं गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय संगठन संस्थायें-राजाराम मोहनराय पुस्तकालय न्यास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य, पुस्तकालय एवं सूचना गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय सूचना एवं प्रलेखन केन्द्र - इन्सडॉक एवं नास्डॉक की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी है। अन्त में अभ्यासार्थ प्रश्न एवं विस्तृत अध्ययन हेतु ग्रन्थ सूची दी गयी है।

6. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. एफ आई डी की विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से चर्चा कीजिए।
2. राजाराम मोहनराय पुस्तकालय न्यास पर एक लेख लिखिए।
3. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

   (i) इफला (ii) यूनेस्को (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (iv) इन्सडॉक (v) नास्डॉक

7. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. सैनी, ओमप्रकाश, पुस्तकालय एवं समाज, आगरा, वाई. के. पब्लिशर्स, 1999, अध्याय-16.
2. शर्मा, पाण्डेय एस. के., पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995
3. Agarwal, J.C. and Agarwal, S.P., Documentation Encyclopedia of UNESCO and Education, New Delhi, Concept, 1999. V 1, P 3-11.
4. Agarwal, S.P., National Social Science Documentation Centre, CLIS Observer. 3-4, (July-Dec., 1986) 71-76
5. Chadha, O.N. and Gupta, B.M., Indian National Scientific Documentation Centre (in Gupta (B.N.) and Nathan (S.S.), Ed.: Handbook or Libraries, Archives and Information Centres in India. Delhi, Aditya Prakashan, 1990

6. Dhyani, pushpa, International Organisations in Pursuit of Information Services, (in Dhyani (in Dhyani (Pushpa), Ed: information Science and Libraries. New Delhi, Atlantic, 1990, p. 187-197 and 207-219)
7. INSDOC, Insdoc in the Service of the Nation (Brochure), Delhi, Insdoc.
8. Kent, Allen and Other, Ed. : Encyclopedia of Library and Information Science, Network. New York Marcel Dekker, V.12 P. 377-402 and V 31, P. 341-354.
9. Rangnathan, S.R. , Documentation : Genesis and Development, Delhi Vikas 1973. Chap J and K.

इकाई- 17 : अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ- इफला, एफ आई डी, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन, एसलिब, अमेरीकन लाइब्रेरी एसोसियेशन, लाइब्रेरी एसोसियेशन (यूके) (Library Association- International Such as IFLA, FID, SLA, ASLIB, ALA and LA (UK)

उद्देश्य

इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -

1. इफला की स्थापना, उद्देश्य, संगठन, कार्यक्रम एवं प्रकाशन गतिविधियों से अवगत होना,
2. एफ.आई.डी. की स्थापना, उद्देश्य, संगठन, कार्यक्रम एवं प्रशासन से परिचित होना,
3. स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन की जानकारी प्राप्त करना,
4. एसलिब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन, लाइब्रेरी एसोसियेशन, यूके के उद्देश्य, संगठन, सेवायें एवं प्रकाशन आदि से अवगत होना।

संरचना

1. विषय प्रवेश
2. इफला
   - 2.1. स्थापना
   - 2.2. उद्देश्य
   - 2.3. संगठन
   - 2.4. कार्यक्रम
   - 2.5. उपलब्धियाँ एवं परियोजनाएँ
   - 2.6 प्रकाशन
   - 2.7 इफला गतिविधियों में भारतीय सहभागिता
3. एफ. आई. डी
4. स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसियेशन
   - 4.1 स्थापना
   - 4.2. उद्देश्य
   - 4.3. संगठन
   - 4.4. सेवाऐं
     - 4.4.1 परामर्श सेवाऐं

4.4.2. कार्मिक सेवाऐं
4.4.3. विशिष्ट वर्गीकरण केन्द्र
4.4.4 अनुवाद केन्द्र
4.5. प्रकाशन
4.5.1 साइंटिफिक मीटींग्स
4.5.2 टेक्नीकल बुक रिव्यु इंडेक्स
4.5.3. युनाईटेड ड्रग्स
4.5.4. एजुकेशन
5. एसलिब
5.1 स्थापना
5.2. उद्देश्य
5.3. संगठन
5.3.1. एसलिब माईक्रोफार्म सेवा
5.3.2. रिसर्च एसोसियेशन स्कीम
5.3.3. ऑफिस फॉर साइंटिफिक एन्ड टेक्नीकल इंफॉरमेशन
5.3.4 रेफरल विभाग -
5.3.5 अनुवाद सेवा
5.3.6. प्रश्नों के उत्तर
5.3.7. प्रशिक्षण
5.3.8. अध्ययन दल
5.4 कार्यक्रम
5.5 प्रकाशन
6. अमेरीकन लाइब्रेरी एसोसियेशन
7. लाइब्रेरी एसोसियेशन, यूके
8. सारांश
9. अभ्यासार्थ प्रश्न
10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची

1. विषय प्रवेश

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं केन्द्र कार्य कर रहे है जो सूचना एवं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं की प्रोन्नति (Promotion) एवं समन्वयन (Co-ordination) एवं विकास का कार्य कर रहे है। इनमें से कुछ सरकारी संस्थाएँ सम्मिलित है एवं कुछ स्वेच्छिक व्यावसायिक संगठन कार्यरत है। इन संगठनों के कार्य कलापों में सलाहकारी, उत्प्रेरक (Catalytic) एवं अनुदान देने वाली सेवा भावी संस्थाऐं भी सम्मिलित है। इन सभी संघों की भूमिका में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। नई

सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से नेटवर्किंग, संसाधन, संसाधन सहभागिता, सिस्टम उपागम एवं सहकारिता पर अधिक बल दिया जा रहा है

हम इस इकाई में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संघों के कार्य कलापों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें निम्नलिखित पुस्तकालय संघ सम्मिलित है।

1. इंटरनेशनल फेडरेशन आफ लाइब्रेरी एसोसियेशन एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स
2. इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फॉरमेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन
3. स्पेशियल लाइब्रेरीज एसोसियेशन
4. एसोसियेशन ऑफ स्पेशियल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फॉरमेशन ब्युरेक्स
5. अमेरीकन लाइब्रेरी एसोसियेशन
6. लाइब्रेरी एसोसियेशन (यू.के.)

उपरोक्त संगठन एवं संघ अपने संगठन को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने के अब विकासशील देशों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब कई विकासशील देश इन संघों के वार्षिक में भाग लेने लगे है, जो पूर्व में संभव नहीं था।

2. इफला (IFLA)

2.1. स्थापना

1926 में प्राग में आयोजित सम्मेलन (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तक प्रेमियों) में राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों की एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया तथा उसके अनुसार 1927 में एडिनबर्ग में सम्पन्न ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं बिब्लियोग्राफिक समिति बनाई गयी। 1930 में इसके तृतीय सम्मेलन में इसका नाम पुस्तकालय संघों का महासंघ रखा गया।इसका प्रधान कार्यालय दी हेग (नीदरलेण्ड) शहर में 1971 में स्थापित हु आ।

2.2. उद्देश्य

इस संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। एसोसियेशन
2. ग्रन्थविज्ञान, सूचना सेवा तथा पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों पर शोध प्रवृति विकसित करना एवं पारस्परिक सहयोग एवं विचार विनिमय के अवसर प्रदान करना।
3. कर्मचारियों के लिये तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।

2.3. संगठन

महासंघ की साधारण समिति में सदस्य संघों के नामजद सदस्य होते हैं तथा वह प्रतिवर्ष महासम्मेलन का आयोजन करता है। इस महासंघ के तीन प्रमु‌ख भाग हैं :

(1) कार्यकारिणी समिति

इस समिति में एक अध्यक्ष, छः उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष परामर्शदात्री समिति के परामर्श से साधारण समिति दारा निर्वाचित किये जाते है।

(2) परामर्शदात्री समिति

परामर्शदात्री समिति का कार्य परामर्श देना है। इसमें कार्यकारिणी समिति के सदस्य, अध्ययन मंडलों, समिति के अध्यक्ष तथा पूर्ण सदस्य रहते है।

(3) अध्ययन मंडल एवं उपमंडल

महासंघ में अनेक अध्ययन मंडल एवं उप अध्ययन मंडल हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालयों, राष्ट्रीय पुस्तकालयों, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, वेद्यशाला पुस्तकालयों, प्रशासकीय पुस्तकालयों, विद्यालय पुस्तकालयों, बाल पुस्तकालयों, चिकित्सा पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय विज्ञान अध्ययन शालाओं सम्बन्धी अध्ययन अथवा अध्ययन मंडल इत्यादि।

समितियाँ

महासंघ के अंतर्गत निम्नलिखित समितियाँ है। सूचीकरण, ग्रंथ विज्ञान (Bibliography) अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक आदान प्रदान, प्रकाशनों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय सांख्यिकी तथा मानक निर्धारण, मशीनीकरण, पुस्तकालय सिद्धान्त एवं शोध, सामयिक प्रकाशन, शासकीय प्रकाशन, पुस्तकालय भवन एवं पुस्तकालय विज्ञान अध्ययन शाला।

2.4. कार्यक्रम

1. पुस्तकालय सेवाओं के नियोजन एवं विकास हेतु परामर्श एवं सहायता प्रदान करना।
2. राष्ट्रीय सरकारों को राष्ट्र में पुस्तकालय विकास करने पर जोर देना।
3. यूनेस्को एवं उस जैसे संगठनों से प्राप्त सहायता को पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय संगठनों के विकास की दृष्टि से व्यवहारिक परियोजना में लगाना।
4. जिन देशों में पुस्तकालय संघ नहीं है अथवा वे निष्प्राण हैं ऐसे देशों को संघ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकालय गतिविधियाँ में भाग लेने के योग्य बनाना।
5. विकासशील देशों को महासंघ की गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करना।
6. प्रत्येक क्षेत्र में महासंघ के सम्मेलन आयोजित करना।

2.5. उपलब्धियाँ एवं परियोजनाऐं

(1) पुस्तकालय आदान-प्रदान करना। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय आदान प्रदान संभव बनाने के लिये प्रयत्न किये गये है।

(2) मध्यम अवधि कार्यक्रम (Medium Term Programme) के अंतर्गत पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय पद्धति के व्यवस्थापन एवं नियोजन को प्रधानता दी गई है।

(3) पाठकों को साहित्य उपलब्ध करवाना। महासंघ विश्व के पाठकों हेतु साहित्य जुटाने की दृष्टि से केन्द्रीय संगठन के रूप में कार्य करने के लिये प्रयत्नशील है।

(4) पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्तों में सामंजस्य के लिये प्रयत्न करना।

(5) पुस्तकालय शिक्षा के बुनियादी मुद्दों का निर्धारण करके एवं पुस्तकालय विज्ञान हेतु कम्प्यूटर निर्माण कर पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में महासंघ ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

(6) पुस्तकालय मशीनीकरण

(a) पुस्तकालयों में विभिन्न आधुनिक मशीन आदि पद्धतियों के विकास प्रबंधन तथा उपयोग की दिशा में कार्य करना।

(b) अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना एवं

(7) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रन्थसूची निर्माण सम्बन्धी एवं विकासशील राष्ट्रों के लिये कार्यक्रम बनाना।

2.6. प्रकाशन

इस संघ ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये है। उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है:

(1) IFLA Journal LIBRI (Quarterly)

(2) IFLA Annul

(3) IFLA Directory

(4) National and International Planning

(5) Standard for Public Libraries

(6) The organization of the Library Profession

(7) Corporate Headings : Their Use in Library and National Bibliographic etc.

इस संघ के मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है :

(1) Universal Bibliographic Control

(2) International MARC

(3) Universal Availability of Publications (UAP)

(4) Transborder Data Flow

(5) पुस्तकालय सामग्री का संरक्षण एवं

(6) तीसरी दुनियाँ में ग्रन्थालयीनता में अभिवृद्धि।

इस संघ के सम्मेलन बड़े पैमाने पर होते है। 1982 के महासंघ में 63 देशों के 1915 भागीदारों ने हिस्सा लिया। यह संघ यूनेस्को दारा आयोजित बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह महासंघ एक बहुआयामी संस्था है और समय के साथ-साथ इसका विकास होता चला जायेगा।

2.7 इफला गतिविधियों में भारतीय सहभागिता

भारतीय पुस्तकालय संघ एवं कई अन्य भारतीय पुस्तकालय संगठन इसके सदस्य है तथा वर्षो से इसकी गतिविधियों में भाग ले रहे है। 1995 में भारतीय पुस्तकालय संघ दारा इफला रीजिनल सेमीनार आन यू ए पी का आयोजन किया था तथा 1992 में इफला जनरल कान्फ्रेंस भी नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।

3. एफ आई डी (FID)

इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉरमेशन एण्ड डॉक्यूमेन्टेशन (FID) की विस्तार पूर्वक चर्चा इकाई 16 मे की गई है।

4. स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन (Special Libraries Association)

4.1. स्थापना

1909 में अमेरिकन लाइब्रेरी कान्फ्रेन्स ब्रेटन बुड्स, न्यू हेम्पशायर में आयोजित की गई थी जिसमें 28 पुस्तकालयाध्यक्षों ने भाग लिया। इन पुस्तकालयाध्यक्षों ने उपरोक्त विशिष्ट पुस्तकालय संघ की स्थापना की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में स्थित है। जॉन कॉटन डाना (John Cotton Dana) जो नेवार्क सार्वजनिक पुस्तकालय (Newark Public Library) न्यूजर्सी के पुस्तकालयाध्यक्ष थे, ने पुस्तकालय के भीतर ही वर्ष 1904 में एक विशिष्ट लाइब्रेरीज पुस्तकालय की शाखा खोली। इस स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसियेशन के सर्वप्रथम अध्यक्ष चुने गये। इन्होंने वर्ष 1911 तक एसोसियेशन पद पर कार्य किया। इस नये समूह ने संघ की नई पत्रिका special Libraries को प्रारंभ किया।

4.2 उद्देश्य

इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

(1) विशिष्ट पुस्तकालय 21वीं शताब्दी में व्यापार एवं समाज में सूचना एवं ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहयोग करना।

(2) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये अपने सदस्यों को आवश्यक सूचना देना।

(3) सम्पूर्ण विश्व में अतिशीघ्र सूचना तथा ज्ञान का प्रसारण करना।

(4) निरंतर शिक्षा प्रदान करना एवं विकसित करना एवं।

(5) तकनीकी ज्ञान के उपयोग में संघ एवं समाज को सहयोग देना।

विशिष्ट पुस्तकालय सूचना स्रोतों के विशेषज्ञ होते हैं, सूचनाओं को एकत्रित कर विश्लेषण एवं मूल्याँकन करने पश्चात उपयुक्त निर्णय लेने के लिये पैकेज बनाकर यह संघ शैक्षणिक एवं सरकारी संस्थाओं को देता है। संघ अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहयोग देता है। जिससे वे अपने व्यवसाय का विकास सफलतापूर्वक कर सके।

4.3. संगठन

संगठन के कार्यकलाप बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा तय किये जाते है, जो कि सलाहकार परिषद (Advisory Council) द्वारा दी गई सलाह पर कार्य करते हैं। इस सलाहकार परिषद में चेप्टर अध्यक्ष, डिवीजन चेयरमेन एवं एसोसियेशन समिति चेयरमेन, एवं एसोसियेशन मुख्यालय का एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर सम्मिलित हैं। ये पदाधिकारी ही इस विशिष्ट पुस्तकालय संघ की नीतियाँ निर्धारित करते हैं।

इस संघ का मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में स्थित है। यह संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में उभरा है। आज इसके कई हजार सदस्य विश्व के सात देशों में फैले हुए है संघ कई प्रकार के कार्यक्रम एवं सेवाओं का संचालन करता है।

इस संघ ने जून 2000 में अपने युक्तिपूर्ण नियोजन (Strategic plan) में निम्नलिखित विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

Professionals putting Knowledge to work in 21st Century

संघ ने उपरोक्त विषय को पाँच उपविषयों में बाँटा है :

(1) Mission (2) Vision and Value (3) Environment (4) Strategies and Tactics and (5) Priorties

इस संघ के 25 विभाग है जो सूचना से सम्बन्धित विषय, क्षेत्र, प्रकार तथा तकनीक को प्रदर्शित करते हैं। संघ के अध्यक्ष दारा पचास से अधिक समितियाँ नियुक्त की गई हैं जो नीति निर्धारण एवं योजना बनाती है, कि किस प्रकार संघ के कार्यक्षेत्र को बढाया जावे। ये समितियाँ मुख्य रूप से शिक्षा, प्रकाशन, जन सम्पर्क, व्यावसायिक मानक एवं रूपान्तरण इत्यादि पर कार्य करती हैं।

4.4 सेवाऐं

संघ अपनी सेवाऐं अपने सदस्यों, उद्योगों से सम्बन्धित सदस्यों एवं वैज्ञानिक एवं क्षणिक समुदाय को प्रदान करता है। ये सेवाऐं निम्नलिखित है :

4.4.1 परामर्श सेवाऐं (Consultation Service)

यह स्थापना, व्यापार एवं उनके प्रसार, पुन: संगठन अथवा उनकी कार्य प्रणाली पर अपना परामर्श प्रदान करता हैं। ऐसी सेवाऐं निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

4.4.2. कार्मिक सेवा (Placement Service)

संघ कार्मिक सेवा भी प्रदान करता है। व्यक्ति कार्मिक सेवा अध्यक्ष विशिष्ट संगठनों की सहायता हेतु अनुभवी पुस्तकालयाध्यक्षों एवं योग्य को नौकरी दिलाने में सहायता करते है। यह सेवा भी निशुल्क है जिससे हर विशिष्ट संगठन अपने यहाँ हुए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सूचना भेज सकता है।

4.4.3. विशिष्ट वर्गीकरण केन्द्र

विशिष्ट संगठनों के महत्वपूर्ण पुस्तकालय संकलन को किस प्रकार सुव्यवस्थित करे एवं कौनसा वर्गीकरण अपनाए ताकि विशिष्ट पाठकों को कोई कठिनाई न हो। इसके लिये संघ ने लगभग एक हजार से अधिक विशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली एवं विषय आख्या सूची (Subject headings Lists), थिसारस, अनुक्रमणिकाऐ, इत्यादि एकत्रित किए है जिससे कोई भी सदस्य संगठन उनकी फोटोकॉपी करवाकर खरीद सकता है। ताकि वे उसको अपने पुस्तकालय में उपयोग कर सके।

4.4.4. अनुवाद केन्द्र

विशिष्ट पुस्तकालय संघ का अनुवाद केन्द्र एक भंडारण संस्था (depositary) है। जहाँ पर अप्रकाशित विदेशी एवं गृह अनुवादों हेतु सभी भाषाओं में इंजीनियरिंग, मेडिकल, वैज्ञानिक

एवं टेक्नीकल पाद्य सामग्री उपलब्ध है।यह अनुवाद केन्द्र प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक अनुवाद (Translation) एकत्रित करता है। यह केन्द्र डिपार्टमेन्ट ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर पाक्षिक पत्रिका टेक्नीकल ट्रांसलेशन्स (technical translation) प्रकाशित करते हैं। केन्द्र को सरकारी एवं कई अन्य संस्थाओं से धन मिलता है।

4.5. प्रकाशन

संघ कई पत्रिकाएं, ग्रंथसूचियाँ, मोनोग्राफ्स, हेन्डबुक्स, एवं विभिन्न प्रकार की निर्देशिकाऐ प्रकाशित करता है। जो विशिष्ट पुस्तकालयों के लिये उपयोगी हो।

संघ की मुख्य पत्रिका 'स्पेशल लाइब्रेरीज' (Special Libraries) में लेख, रिपोर्ट्स, न्यूज एवं नई पाद्य सामग्री की समीक्षाएं प्रकाशित होती है। संघ की समस्त गतिविधियाँ न्यूज एन्ड नोट्स' (news and Notes) हर तीन माह के पश्चात प्रकाशित होती रहती है। ऑफिसियल प्रोसीडींग्स हर सितम्बर माह में प्रकाशित होती है। हर दिसम्बर अंक में लेखक, आख्या एवं विषयानुसार अनुक्रमणिका प्रकाशित होती है।

4.5.1. साइंटिफिक मीटींग्स

यह वर्णक्रम एवं कालक्रम के अनुसार आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक बैठकों, सिम्पोजियम, एवं अन्य कई प्रकार की बैठकों की सूची प्रदान करती है। यह वर्ष में तीन बार प्रकाशित होती है।

4.5.2. टेक्नीकल बुक रिव्यु इन्डेक्स

यह इन्डेक्स 2500 वैज्ञानिक, टेक्नीकल एवं व्यापारिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तकों की समीक्षा करता है। यह वर्ष में दस बार प्रकाशित होती है।

4.5.3. युनाईटेड ड्रग्स

यह व्यापारिक एवं प्रयोगात्मक औषधियों के नामों की सूची है जो पूरे विश्व में तैयार की जाती है। औषधियों के बारे में सारे महत्वपूर्ण आंकड़े (औषधि संरचना), उत्पादन, दवा की मात्रा, एवं मूल संदर्भ स्रोत (Original reference Source) " की पूरी सूचना प्रदान करती है।

4.5.4. एजुकेशन (Education)

संघ हर वर्ष कई योग्य व्यवसायियों को जो विशिष्ट पुस्तकालय में रुचि रखते है, छात्रवृतियाँ प्रदान करता है। इस छात्रवृति को प्राप्त करने की पूरी जानकारी एवं आवेदन पत्र इस संघ के मुख्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। वे छात्र जो अपनी पढ़ाई के दौरान यदि ऋण लेना चाहते हैं तो उनको ऋण भी दिया जा सकता है।

संघ विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना कार्य में जानकारी चाहने वालों को अपने विवरणात्मक लघु पुस्तिका (descriptive Pamphlets) दारा अपने संघ की पूरी जानकारी प्रदान कराता हैं तथा अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देता है।

5. एसलिब (ASLIB)

5.1. स्थापना

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की प्रवृतियों एवं विकास का आभास विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालयों, सूचना संस्थानों की विशाल संख्या से होता है। इस प्रकार के विशिष्ट पुस्तकालयों में परम्परागत सेवा पद्धतियों ' से भिन्न प्रकार की गहन तथा विस्तृत सेवाओं की आवश्यकता को अनुभव किया जाने लगा। ऐसी स्थिति प्रथम एवं द्‌वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात उत्पन्न जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरीका एवं ब्रिटेन में उनकी स्थापना एवं विकास तीव्र गति से हुई है। परिणामत: ऐसे पुस्तकालयों / केन्द्रों में कार्यरत सूचना विशेषज्ञों / पुस्तकालयों के विशिष्ट संघों की स्थापना की गई है। जैसे एसलिब (ASLIB), आइजलिक (Iaslic) एवं स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन (SLA)

एसलिब की स्थापना 1924 में ब्रिटेन में की गयी। 1984 में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। इस संघ का अब पूरा नाम 'एसोसियेशन फॉर इन्फॉरमेशन मेनेजमेन्ट' 'कर दिया गया है। ब्रिटेन में उद्‌योग एवं विशिष्ट पुस्तकालयों का यह एक राष्ट्रीय संघ है। इस संघ ने अपनी व्यावसायिक सेवाओं के लिये पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित की है। इस संघ के सांकेतिक नाम 'एसलिब' का ही उपयोग किया जा रहा है।

5.2. उद्देश्य

इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

(1) उद्‌योगों के क्षेत्र में विशेष रूप से विस्तृत गहन एवं अनेक प्रकार की पुस्तकालय सूचना सेवाओं की व्यवस्था करना।

(2) प्रलेखन के क्षेत्र में इससे संबंधित समस्याओं पर विस्तृत अनुसंधान का आयोजन तथा प्रोत्साहन करना।

(3) यह ब्रिटिश संगठन होने पर भी इसका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय है। क्योंकि इसके 3000 सदस्यों में से 20 प्रतिशत सदस्य ब्रिटेन के अलावा अन्य 70 देशों के हैं।

5.3. संगठन

सदस्यों की संख्या 3000 है तथा इसमें से 20 प्रतिशत सदस्य अन्य देशों के हैं। संघ के निम्नलिखित विभाग है :

5.3.1. एसलिब माइक्रोफिल्म सेवा

इस सेवा की स्थापना 1942 में की गई थी जिसका लक्ष्य द्‌वितीय विश्वयुद्ध के कारण विदेशी प्राविधिक साहित्य तथा वैज्ञानिक पत्रिकाओं को प्राप्त होने की कठिनाई के कारण इनकी माइक्रोफिल्म बनाकर उनकी प्रतियों को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन को सुलभ करवाना था।

5.3.2. रिसर्च एसोसियेशन स्कीम

अनुसंधान को बढ़ावा एवं अनेक प्रकार की सेवाओं को सुलभ करने के लिये ब्रिटिश शासन की सहायता से यह स्थापित की गई।

5.3.3. ऑफिस फॉर साइंटिफिक एन्ड टेक्नीकल इन्फारमेशन

1965 में डिपार्टमेन्ट ऑफ साइंटिफिक एन्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च को समाप्त कर दिया गया। एसलिब ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय कल्याण एवं विकास के लिये वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सूचना परमावश्यक है अत: एक पृथक शासकीय एजेन्सी की स्थापना करना आवश्यक है। डिपार्टमेन्ट ऑफ एजूकेशन एन्ड साईन्स के अधीन ऑफिस फॉर साइन्टिफिक एन्ड टेक्नीकल पुस्तकालय इन्फारमेशन की स्थापना की गयी, जिसके माध्यम से एसलिब को अनुदान मिलता रहा। एसलिब का क्षेत्र असीमित हो एवं समाज जाने के कारण सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की सूचना सेवा सुलभ करना इसका दायित्व माने जाने लगा।

5.3.4. रेफ्रल विभाग

इस विभाग की स्थापना कर विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों के उक्त और जानकारी प्रदान करने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गयी। वांङ्गयात्मक सेवा, प्रलेखों को सुनिश्चित मना, खोज सेवायें, फोटोकॉपी, माईक्रोफिल्म सेवा विशिष्ट सार सेवायें, अनुक्रमणिकारों, अनुवादकों की सूची तैयार करना, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों के वैज्ञानिक आलेखों की अनूदित प्रतियों एवं प्रलेखों की अद्क्रमणिका तैयार करना आदि एसलिब के प्रमुख सूचना सेवा के कार्य रहे है।

5.3.5. अनुवाद सेवा

रूसी एवं अन्य यूरोपीय साहित्य के पेटेन्टों का अनुवाद भी एसलिब तैयार करता है।

5.3.6. प्रश्नों के उत्तर

अनेक प्रकार की जानकारी हेतु प्रतिवर्ष एसलिब 40,000 उत्तर अनेक माध्यमों से प्रदान करता है।

5.3.7. प्रशिक्षण

एसलिब स्वयं किसी प्रकार का शिक्षण आयोजित नहीं करती है परन्तु छात्रों, प्रशिक्षुओं के संक्षिप्त प्रशिक्षणों का आयोजन करतें हे।

5.3.8. अध्ययन दल

एसलिब ने तीन अध्ययन दलों की स्थापना की है जो (1) प्राविधिक अनुवाद (2) पंजीकरण तथा (3) समन्वित अद्क्रमणिकरण के क्षेत्रों में अध्ययन कर सुझाव देते है।

5.4. कार्यक्रम

एसलिब की स्थापना में धातु शोधन उद्योगों (Metalurgical) का योगदान विशेष रहा है क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात प्राविधिक साहित्य तथा इसका औद्योगिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रमबद्ध ढंग से उपयोग किये जाने पर अधिक जोर दिया जा रहा था।

पारस्परिक सहायता एवं विचारों के विनिमय हेतु एक सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। इसका लक्ष्य सभी सार्वजनिक क्षेत्रों क्रिया कलापों, उद्योगों तथा व्यापारी, कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में ज्ञान के स्त्रोतों, सूचना का व्यवस्थित उपयोग, सहयोग एवं समन्वयन में सुविधा एवं सहायता प्रदान करना था। ऐसी व्यवस्था में सहयोग करना एवं पारस्परिक सहायता प्रदान करना एसलिब के कार्यक्रमों का लक्ष्य रहा है 1948 में इसमें परिवर्तन लाया गया।

1927 में स्थापित ब्रिटिश सोसायटी फॉर इन्टरनेशनल बिब्लियोग्राफी (British Society For International Bibliography), जिसके संस्थापक प्रोफेसर ए.एफ. पोलार्ड, डा. एस. सी. ब्रेडफोर्ड तथा ए. एसडेल रह चुके हैं, को एसलिब में मिला दिया। एसलिब को फिर एक नवीन संगठन के रूप में पंजीकृत कर दिया गया।

दूसरे उद्देश्यों में प्रमुख रूप से - वर्गीकरण के अध्ययन, वाँड्.गमय सूची एवं प्रलेखन, प्रशिक्षण की व्यवस्था, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परामर्श को प्रोत्साहित करता रहा है। युनाईटेड किंगडम कारनेगी ट्रस्ट से सहायता प्राप्त होने में सभी विशिष्ट पुस्तकालयों केन्द्रों की सामग्रियों का प्रचुर उपयोग करने में बढ़ावा देने हेतु 1928 में एसलिब डाईरेक्टरी का प्रकाशन किया गया जो रेफ्रल तथा इन्टरलाइब्रेरी लोन के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ।

5.5. प्रकाशन

इस संघ ने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय है :-

(1) Directory of Information Sources in the United Kingdom. Edited by Ellen M. Cadlin 6th ed. 1990.

(2) Index to theses Accepted for higher Degress in the Universities of great Bratin and Ireland.

(3) Aslib Proceedings यह एक मासिक पत्रिका है।

(4) Aslib Book List यह एक मासिक प्रकाशन है।

(5) Journal of Documentation यह एक त्रैमासिक पत्रिका है।

(6) Aslib Handbook of Special Libraries and Information work.

6. अमेरीकन लायब्रेरी एसोसिएशन

अमेरिकन पुस्तकालय संघ (ALA) की विस्तार से चर्चा इकाई 15 में की गयी है।

7. लाईब्रेरी एसोसिएशन यू.के.

लाइब्रेरी एसोसियेशन (यू.के.) की विस्तार से चर्चा इकाई 15 मैं की गयी है।

8. सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय, ब्रिटेन तथा अमेरिका के प्रमुख पुस्तकालय संघों की जिनका उपरोक्त खंडों में वर्णन किया गया है। आज प्रगति के शिखर पर है उनकी व्यावसायिक कार्य पद्धति अत्यन्त सराहनीय नहीं है। अब अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ विकासशील देशों की सहभागिता पर जोर देने लगे है। ' इससे भारत जैसे विकासशील देश इन संघों के सम्मेलनों में अपनी सहभागिता में वृद्धि कर रहे है। 2001 में सम्पन्न हुई इफला कान्फ्रेन्स जो अमेरिका के बोस्टन नगर में आयोजित हुई उसमें 19 भारतीय पुस्तकालय विज्ञानियों ने भाग लिया। यह एक अच्छा विकास है एवं आशा की जाती है कि भारतीय इन सम्मेलनों में भाग ले सकेंगे।

9. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. इफला के उद्देश्य, संगठन एवं गतिविधियों का वर्णन किजिए।
2. स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसियेशन के उद्देश्य बताइये एवं इसकी सेवाओं की विस्तार से चर्चा किजिए।
3. एसलिब के कार्यक्रम एवं प्रकाशनों पर प्रकाश डालिए।

10. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची

1. सुन्दरेश्वरन, के. एस, ग्रन्थालय एवं समाज, नई दिल्ली, एस. एस. पब्लिकेशनस, 1988
2. व्यास, एस. डी, पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992
3. Landon Thomas. Ed., Encyclopedia of Librarianship. Rev। ed, Calcutta, Rupa & Co।., 1967

ISBN : 978-81-8496-200-0